निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2011-12

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

निदेशक बोर्ड की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलनपत्र और लेखे

मिशन

लघु जमाकर्ताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निक्षेप बीमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास अर्जित करके वित्तीय स्थिरता में सहयोग देना।

विज़न

एक सक्षम और प्रभावी निक्षेप बीमा प्रदाता के रूप में पहचान बनाना जो पणधारकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1.	प्रेषण पत्र	iv-v
2.	निदेशक बोर्ड	vi
3.	संगठन तालिका	vii
4.	निगम में संपर्क सूत्र	viii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	ix
6.	संक्षेपाक्षर	x
7.	विशेषताएं	xi-xiii
8.	निबीप्रगानि का विहंगावलोकन	1-5
9.	प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण	6-26
10.	निदेशक की रिपोर्ट	27-38
11.	निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में संलग्नक	39-61
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	63
13.	तुलन-पत्र और लेखे	64-76

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
Deposit insurance and credit Guarantee Corporation
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org

निबीप्रगानि/सवि/1633/01.01.16/2012-13 25 जून 2012

प्रेषणपत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

मुख्य महाप्रबंधक/सचिव
सचिव विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग
मुंबई - 400001

महोदया,

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे
तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको शीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,

कुमुदिनी हाजरा

(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400008.
टेलिफोन सं. : +91 22 2301 1991 फैक्स : +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008.
Tel: +91 22 2301 1991 Fax: +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
Deposit insurance and credit Guarantee Corporation
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org

निबीप्रगानि/सवि/1634/01.01.16/2012-13 25 जून 2012

प्रेषणपत्र

(भारत सरकार को)

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
जीवनदीप भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110 001

महोदय,

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के तुलन-पत्र, लेखे

तथा निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक बोर्ड ने मुझे इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. उल्लिखित सामग्री (अर्थात् तुलन-पत्र, लेखे और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट) की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ भी इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

3. कृपया उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें। निगम की वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियाँ आपको यथाशीघ्र प्रेषित की जाएंगी।

भवदीया,

कुमुदिनी हाजरा

(कुमुदिनी हाजरा)
सचिव

अनुलग्नक : यथोक्त

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008.
टेलिफोन सं. : +91 22 2301 1991 फैक्स : +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008.
Tel: +91 22 2301 1991 Fax: +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

डॉ. सुबीर गोकर्ण उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (24.11.2009 से)

निदेशक

श्री जी.गोपालकृष्ण कार्यपालक निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (बी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित (17.03.2011 से)
डॉ. शशांक सक्सेना निदेशक वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.06.2008 से)
डॉ. प्रकाश बक्शी अध्यक्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (19.08.2011 से)
श्री बी.एल.पटवर्धन परामर्शदाता सारस्वत कोआपरेटिव बैंक लि.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (12.10.2011 से)
श्री कमलेश विकमसे सनदी लेखाकार	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (05.09.2011 से)
श्री जी.शिवकुमार प्रोफेसर, आईआईटी, बॉम्बे	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित (20.09.2011 से)

संगठन तालिका

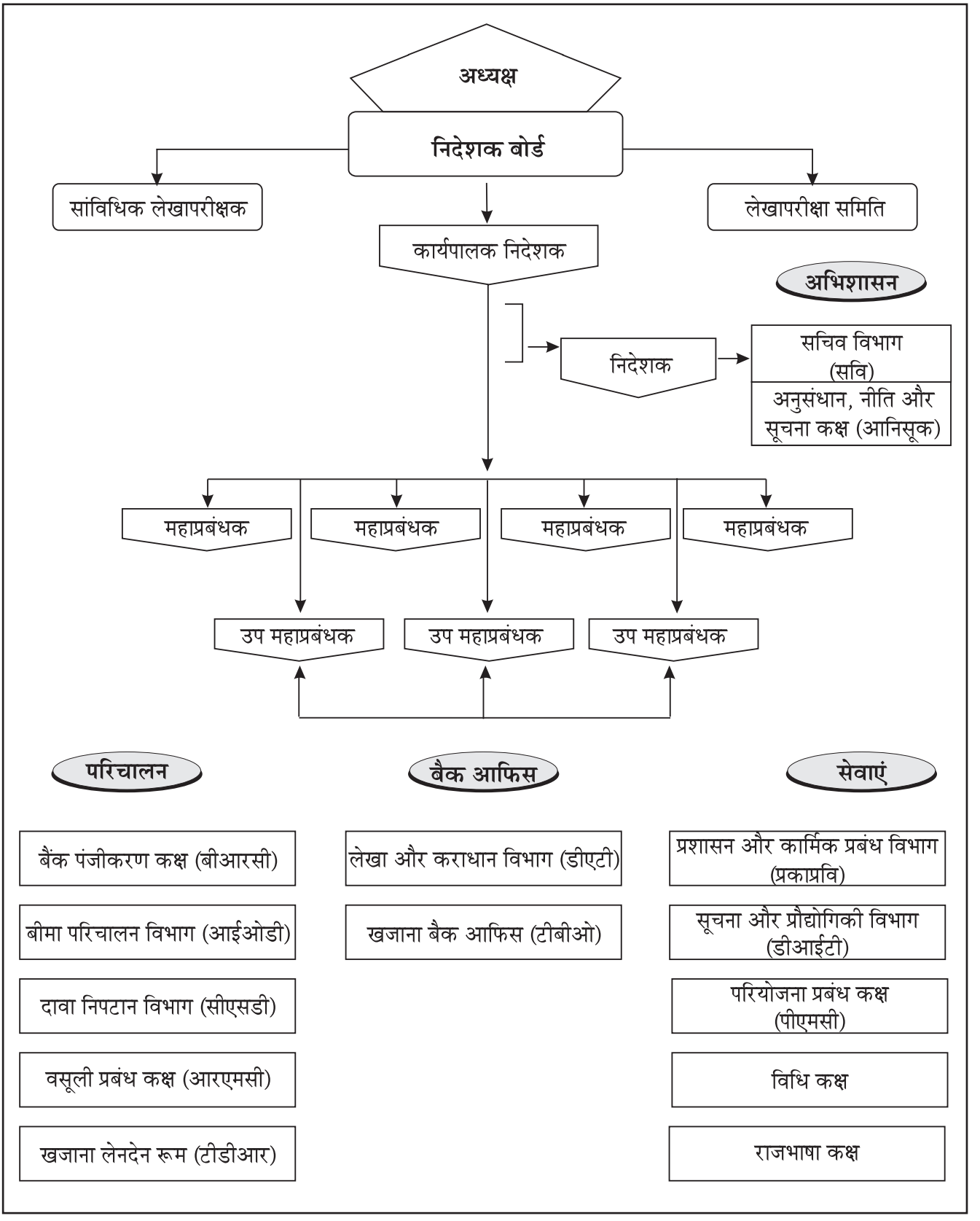
अध्यक्ष
निदेशक बोर्ड
सांविधिक लेखापरीक्षक
लेखापरीक्षा समिति
कार्यपालक निदेशक
अभिशासन
निदेशक
सचिव विभाग (सवि)
अनुसंधान, नीति और सूचना कक्ष (आनिसूक)
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
उप महाप्रबंधक
परिचालन
बैंक आफिस
सेवाएं
बैंक पंजीकरण कक्ष (बीआरसी)
बीमा परिचालन विभाग (आईओडी)
दावा निपटान विभाग (सीएसडी)
वसूली प्रबंध कक्ष (आरएमसी)
खजाना लेनदेन रूम (टीडीआर)
लेखा और कराधान विभाग (डीएटी)
खजाना बैक आफिस (टीबीओ)
प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग (प्रकाप्रवि)
सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)
परियोजना प्रबंध कक्ष (पीएमसी)
विधि कक्ष
राजभाषा कक्ष

निगम में संपर्क सूत्र

फैक्स सं. 022 - 2301 5662

022 - 2301 8165

तार	**क्रेडिटगार्ड**
टेलीफोन संख्या	
022-2308 4121	सामान्य
022-2306 2161	प्रीमियम
022-2306 2162	दावे
022-2301 9570	सूअअ
022-2302 1150	ग्राहक देखरेख कक्ष

प्रधान कार्यालय

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
भारतीय रिज़र्व बैंक
दूसरी मंज़िल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने
भायखला, मुम्बई - 400 008
भारत

(i)	कार्यपालक निदेशक	022-2301 9460
(ii)	महाप्रबंधक	022-2301 9645
(iii)	निदेशक	022-2301 9570
(iv)	महाप्रबंधक	022-2302 1146
(v)	महाप्रबंधक	022-2302 1150
(vi)	महाप्रबंधक	022-2301 8840
(vii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1149
(viii)	उप महाप्रबंधक	022-2302 1158
(ix)	उप महाप्रबंधक	022-2301 4655

ईमेल - dicgc@rbi.org.in
वेबसाईट : www.dicgc.org.in

निगम के प्रमुख अधिकारी

कार्यपालक निदेशक
श्री जी.गोपालकृष्ण

महाप्रबंधक
श्री एम.के.सामंतरे
श्री एन.के.भाटिया
श्री राजेश कुमार
श्रीमती मोलिना चौधरी
श्रीमती प्रतिभा राघवन

सचिव और निदेशक
श्रीमती कुमुदिनी हाजरा

उप महाप्रबंधक
श्री द्विजराज सेठी
श्री पी.एस.खुआल
श्री वी.के.मौर्य

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्रीमती कुमुदिनी हाजरा

बैंकर
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कर परामर्शदाता
मेसर्स हबीब एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
75, मोहम्मद अली रोड
मुंबई - 400 003

लेखापरीक्षक
मेसर्स सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
महावीर अपार्टमेंट, 3री मंजिल
598, एम.जी.रोड
सनसिटी सिनेमा के पास
विले पार्ले (पूर्व)
मुंबई - 400 057

बीमांकक
मेसर्स के.ए.पंडित
परामर्शदाता और बीमांकक
दूसरी मंज़िल, चर्चगेट हाउस
वीर नरीमन रोड, फोर्ट
मुंबई - 400 001

संक्षेपाक्षर

एसीबी	:	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
एएलएम	:	आस्ति देयता प्रबंध
बीसीबीएस	:	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति
बीआईएस	:	अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
सीए	:	सनदी लेखाकार
सीबीएस	:	कोर बैंकिंग सोल्यूशंस
सीसीआईएल	:	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीजीसीआई	:	भारतीय क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड
सीजीएफ	:	ऋण गारंटी निधि
सीजीओ	:	ऋण गारंटी संगठन
सीआरएआर	:	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात
सीआरआर	:	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसएए	:	नियंत्रण स्व मूल्यांकन लेखापरीक्षा
डीआईए	:	निक्षेप बीमा एजन्सी
डीआईसी	:	निक्षेप बीमा निगम
डीआईसीजीसी	:	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ	:	निक्षेप बीमा निधि
ईएक्ससीओ	:	कार्यपालक परिषद
एफडीआईसी	:	फेडरल डिपाझिट इंन्शोरेंस कार्पोरेशन
एफआईएमएमडीए	:	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा व्युत्पन्न (डेरीवेटिव्स) संघ
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएससीएस	:	वित्तीय सेवाएं क्षतिपूर्ति योजना
एफएसडीसी	:	वित्तीय स्थिरता और विकास समिति
एफएसएलआरसी	:	वित्तीय क्षेत्र परिषद सुधार आयोग
जीडीपी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफ	:	सामान्य निधि
जीओआई	:	भारत सरकार
जी-एसआईएफआईएस	:	वैश्विक-प्रणालीगत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं
आईएडीआई	:	अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ
आईएफआर	:	निवेश उतार-चढाव आरक्षित निधि
आईएमएफ	:	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईआर	:	निवेश रिजर्व
आईटी	:	सूचना प्रौद्योगिकी
एलएबीएस	:	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एनईएफटी	:	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनआईए	:	नेशनल इंश्योरेंस अकादमी
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीएस	:	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार
आरआर	:	आरक्षित अनुपात
आरआरबी	:	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस	:	तत्काल / साथ-साथ सकल निपटान
एसआरआर	:	विशेष समाधान पद्धति
टीआरआई	:	टोटल रिटर्न इंडेक्स
यूसीबीएस	:	शहरी सहकारी बैंक
यूटी	:	संघ शासित प्रदेश
वीएआर	:	जोखिम मूल्य

विशेषताएं - I : निक्षेप बीमा की प्रगति एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1 **पूँजी** *	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 निक्षेप बीमा																				
(i) निक्षेप बीमा निधि **	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93
(ii) बीमाकृत बैंक (संख्या में)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199
(iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ @	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00
(iv) बीमाकृत जमाराशियाँ @	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00
(v) कुल खातों की संख्या (मिलियन में)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0
(vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (मिलियन में)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0
(vii) योजना के प्रारंभ से प्रदत्त दावे	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05

* निगम की सामान्य निधि के तहत है।

** बीमांकिक और अधिशेष दोनों राशियाँ शामिल हैं।

@ 2009-10 से नए रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार आकड़े दिए है।

विशेषताएं - II - ऋण गारंटी एक नजर में

(राशि बिलियन ₹ में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1 ऋण गारंटी																					
(i) ऋण गारंटी निधि *	-	-	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00
(ii) गारंटीकृत अग्रिम																					
क) छोटे उधारकर्ता	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	–	–	–
(iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)																					
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) निपटाए गए दावे (वर्ष के दौरान)																					
क) छोटे उधारकर्ता	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) लघु उद्योग	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* बीमांकिक और अधिशेष दोनों शामिल है ।

ला.न. : योजनाओं के अंतर्गत एक भी ऋण संस्था सहभागी न होने के कारण लागू नहीं ।

परिचालनगत विशेषताएं - III : (निक्षेप बीमा)

(राशि बिलियन ₹ में)

विवरण	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
राजस्व विवरण						
प्रीमियम आय	56.40	48.44	41.55	34.53	28.44	23.21
निवेश आय	23.53	18.01	15.13	12.89	11.45	10.79
निवल दावे	3.57	1.71	4.07	9.09	1.80	3.23
कर पूर्व राजस्व अधिशेष	60.01	61.45	37.53	39.73	37.43	30.47
करोत्तर राजस्व अधिशेष	40.54	41.32	28.93	26.89	22.51	16.91
तुलन पत्र						
निधि शेष (बीमांकिक)	47.68	37.74	32.75	18.17	15.53	12.11
निधि अधिशेष	253.25	209.30	168.77	143.39	118.09	97.68
दावे के लिए देयताएं	6.89	6.03	7.64	10.75	4.88	6.16
निष्पादन मैट्रिक्स						
1. दावों की प्राप्ति और दावों के निपटान के बीच औसत दिन@	52	49	54	43	53	60
2. किसी बैंक के पंजीकरण रद्द करने और दावों (प्रथम दावा) के निपटान के बीच औसत दिनों की संख्या@	533	388	361	825	604	625
3. कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लागत [कुल कारोबार (प्रीमियम आय) के प्रतिशत के रूप में कर्मचारी लागत]	0.27 (0.14)	0.35 (0.15)	0.26 (0.14)	0.30 (0.16)	0.33 (0.17)	0.38 (0.21)

@ मामले से संबंधित राशि की स्वीकृति की तुलना में दिनों की संख्या के आधार पर औसत दिनों की वास्तविक संख्या निकाली गई है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का विहंगावलोकन

(1) परिचय

निबीप्रगानि के कार्य निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (निबीप्रगानि अधिनियम) और उक्त अधिनियम की धारा 50 की उप - धारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के प्रावधानों के जरिए नियंत्रित है। चूँकि कोई भी ऋण संस्था निगम द्वारा संचालित किसी भी ऋण गारंटी योजना में भाग नहीं ले रही है, अत: निगम ऐसी कोई स्कीम का संचालन नहीं कर रहा है और निक्षेप बीमा ही इसका प्रधान कार्य है।

(2) इतिहास

बंगाल में बैंकिंग संकट उत्पन्न होने के उपरांत वर्ष 1948 में पहली बार जमाराशियों का बीमा करने का विचार बैंक के सामने आया। इसके एक वर्ष बाद 1949 में यह मामला पुन: विचार हेतु प्रस्तुत हुआ। परंतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने तक इस मामले को रोके रखा गया। तदुपरांत वर्ष 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने इस धारणा का समर्थन किया। वर्ष 1960 में पलाइ सेंट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने के उपरांत रिज़र्व बैंक तथा केंद्र सरकार द्वारा जमाराशियों की बीमा के संबंध में गंभीर विचार प्रस्तुत किए। 21 अगस्त 1961 को संसद में निक्षेप बीमा निगम (डीआईसी) बिल लाया गया। इसके पारित होने के उपरांत 7 दिसंबर 1961 को इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और निक्षेप बीमा अधिनियम 1961 दिनांक 1 जनवरी 1962 से प्रभावी हुआ।

प्रारंभ में, निक्षेप बीमा सुरक्षा (कवर) वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक तथा इसकी सहायक संस्थाएं तथा वाणिज्यिक बैंक तथा भारत में परिचालित विदेशी बैंकों की शाखाएं शामिल थीं।

निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 अधिनियमित किए जाने के बाद निक्षेप बीमा का विस्तार सहकारी बैंकों तक भी किया गया और निगम से यह अपेक्षा की गई कि वह निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 13ए के प्रावधानों के अंतर्गत ''पात्र सहकारी बैंकों'' का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण करे।

रिज़र्व बैंक से परामर्श करके भारत सरकार ने जुलाई 1960 में ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (11ए) (ए) के अंतर्गत केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिज़र्व बैंक को इस योजना के प्रशासन का कार्य सौंपा गया और इसे ऋण गारंटी संस्थान (सीजीओ) का नाम दिया गया जिसे बैंकों और अन्य ऋण संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को स्वीकृत किए गए अग्रिमों के लिए गारंटी प्रदान करना था। रिज़र्व बैंक ने इस योजना को 31 मार्च 1981 तक परिचालित किया।

रिज़र्व बैंक ने 14 जनवरी 1971 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रोन्नत किया जिसका नाम क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीजीसीआई) था। क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा प्रारंभ की गई ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य अबतक उपेक्षित विशेष रूप से गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे समाज के कमजोर वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्थाओं द्वारा भारिबैं द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए गारंटी कवर उपलब्ध कराने के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करना था।

निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से दोनों संस्थाओं जैसे : निक्षेप बीमा निगम और क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन आफ इंडिया (सीजीसीआई) को मिला दिया गया और इस प्रकार 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अस्तित्व में आया। निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया और पुन: इसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 का नाम दिया गया।

भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के निरस्त हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1981 से निगम ने छोटे लघु उद्योगों को स्वीकृत ऋण के लिए भी गारंटी सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ किया। 1 अप्रैल 1989 से पूरे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों तक गारंटी कवर का विस्तार किया गया।

(3) संस्थागत कवरेज

(i) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी **वाणिज्य बैंक**, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निक्षेप बीमा के अंतर्गत शामिल हैं।

(ii) निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 2(जीजी) में यथापरिभाषित सभी पात्र **सहकारी बैंकों** को निक्षेप बीमा के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक, जिन्होंने निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की अपेक्षानुसार रिज़र्व बैंक को यह अधिकार देने के लिए अपने सहकारी समिति अधिनियम को संशोधित किया है कि वह राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों की समितियों के रजिस्ट्रार को आदेश दे सके कि किसी सहकारी बैंक का समापन कर दे अथवा इसके प्रबंध समिति को अधिक्रमित करे और रजिस्ट्रार से अपेक्षित कर सके कि वह रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना किसी सहकारी बैंक के समापन, समामेलन या पुन:निर्माण के लिए कोई कार्रवाई न करें, पात्र सहकारी बैंक समझे जाते हैं। वर्तमान में सभी सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हैं। संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप तथा दादरा एवं नगर हवेली में कोई भी सहकारी बैंक नहीं है।

(4) बैंकों का पंजीकरण

(i) निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत सभी नए वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं। निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 11ए के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराएं।

(ii) एक नए पात्र सहकारी बैंक से अपेक्षित है कि वह रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद निगम में पंजीकरण कराएं।

(iii) जब किसी प्राथमिक सहकारी समिति की स्वाधिकृत निधियाँ 1 लाख हो जाएं तो उसे प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में बैंकिंग कारोबार करने हेतु लाइसेंस के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करना होगा और लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से 3 महीनों के अंदर निगम में पंजीकरण कराना होगा।

(iv) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रूप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य) अधिनियम, 1965 के प्रारंभ के समय से या इसके बाद से बैंकिंग कारोबार करनेवाले दो या अधिक सहकारी समितियों के समामेलन से अस्तित्व में आए सहकारी बैंक को लाइसेंस के लिए आवेदन की गई तारीख से तीन महीनों के अंदर पंजीकरण कराना है। तथापि, ऐसे किसी सहकारी बैंक का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा लिखित रूप में यह सूचित किया गया हो कि उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 14 के अनुसार निगम द्वारा किसी बैंक का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण करने के बाद उससे अपेक्षित है कि वह 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में बैंक को सूचित करे कि उसे बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। सूचना पत्र में पंजीकरण सूचना और पंजीकरण संख्या के अलावा बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाओं के ब्यौरे अर्थात्, निगम को देय प्रीमियम दर, प्रीमियम अदा करने की पद्धति और निगम को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों आदि के ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

(5) बीमा कवरेज

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर 'समान क्षमता और समान अधिकार' में मूलत: ₹1500 तक सीमित रखी गयी थी। तथापि, अधिनियम निगम को यह भी अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ा सकता है। तदनुसार बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया है :

प्रभावी तिथि	बीमा सीमा (₹)
1 मई 1993	1,00,000/-
1 जुलाई 1980	30,000/-
1 जनवरी 1976	20,000/-
1 अप्रैल 1970	10,000/-
1 जनवरी 1968	5,000/-

(6) सुरक्षा प्रदत्त जमाराशियों के प्रकार

निगम (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियाँ; (ii) केंद्र / राज्य सरकारों की जमाराशियाँ; (iii) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियाँ; (iv) अंतर बैंक जमाराशियाँ; (v) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि तथा (vi) रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त किसी राशि को छोड़कर बचत, मीयादी, चालू, आवर्ती आदि जैसी सभी बैंक जमाराशियों का बीमा करता है।

(7) बीमा प्रीमियम

निबीप्रगानि निक्षेप बीमा प्रणाली के संचालन हेतु बीमाकृत बैंकों से बीमा प्रीमियम एकत्रित करता है। बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किए जाने वाले बीमा प्रीमियम का परिकलन निर्धारणीय जमाराशियों के आधार पर किया जाता है। बीमाकृत बैंक निगम को अग्रिम प्रीमियम अर्ध-वार्षिक (छमाही) आधार पर पिछले अर्ध-वर्ष (छमाही) के अंत की जमाराशियों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय छमाही के प्रारंभ से दो महीनों के भीतर भुगतान करते हैं। बीमित बैंकों द्वारा निगम को प्रदत्त प्रीमियम के संबंध में बैंकों से अपेक्षित है कि इसे वे स्वयं वहन करें न कि जमाकर्ताओं पर डालें। प्रीमियम भुगतान में विलंब के लिए बीमाकृत बैंक संबंधित छमाही से भुगतान की तारीख तक चूक की राशि पर बैंक दर से 8 प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

₹100 की प्रत्येक जमाराशि पर प्रीमियम की दर

तारीख से	प्रीमियम (₹ में)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) पंजीकरण रद्द करना

निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 15ए के अंतर्गत निगम को लगातार तीन छमाहियों के लिए प्रीमियम अदा न करने वाले बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है। तथापि, यदि विपंजीकृत बैंक द्वारा इस हेतु अनुरोध किया जाता है और वह चूक की तारीख से प्रीमियम के रूप में देय संपूर्ण राशि ब्याज सहित अदा कर देता है तो निगम द्वारा उसका पंजीकरण फिर से चालू किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि वह बैंक अन्यथा रूप से बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण हेतु पात्र हो।

किसी बीमाकृत बैंक का पंजीकरण निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है:- नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो; अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा इसका लाइसेंस रद्द अथवा लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया गया हो; अथवा स्वैच्छिक रूप से अथवा अनिवार्यत: उसका समापन कर दिया गया हो अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए (2) के अर्थों में अब वह बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक नहीं रह गया हो; अथवा इसने अपनी सारी जमा देयताओं को किसी अन्य संस्था को अंतरित कर दिया हो; अथवा इसे किसी अन्य बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया हो अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई समझौता, व्यवस्था या पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत की गई हो और यह योजना नई जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति न देती हो। किसी सहकारी बैंक के संबंध में यदि उसने पात्र सहकारी बैंक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया हो तो इसका पंजीकरण रद्द भी हो सकता है।

प्रीमियम भुगतान करने में हुई चूक को छोड़कर अन्य कारण से किसी बैंक का पंजीकरण रद्द किए जाने की स्थिति में रद्द करने की तारीख तक बैंक की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(9) बीमाकृत बैंकों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण

निगम को किसी बीमाकृत बैंक के अभिलेखों को आसानी से प्राप्त करने और इनकी प्रतिलिपियाँ माँगने का अधिकार है। निगम के अनुरोध पर रिज़र्व बैंक से अपेक्षित है कि वह किसी बीमाकृत बैंक का निरीक्षण/जाँच पड़ताल करे/करवाए।

(10) दावों का निपटान

(i) किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन की स्थिति में पंजीकरण रद्द करने की तारीख (अर्थात् लाइसेंस रद्द करने अथवा समापन या परिसमापन की तारीख) तक बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता द्वारा उसकी सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशियों को मिलाकर उसकी समान क्षमता और समान अधिकार में रखी राशि में से उसके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16(1) के साथ पठित 16(3)] भुगतान हेतु पात्र होंगे। तथापि, प्रत्येक जमाकर्ता को भुगतान समय-समय पर निर्धारित बीमा-कवर की सीमा के अधीन किया जाएगा।

चार्ट 1 : भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में दावों के निपटान की विशिष्ट प्रक्रिया

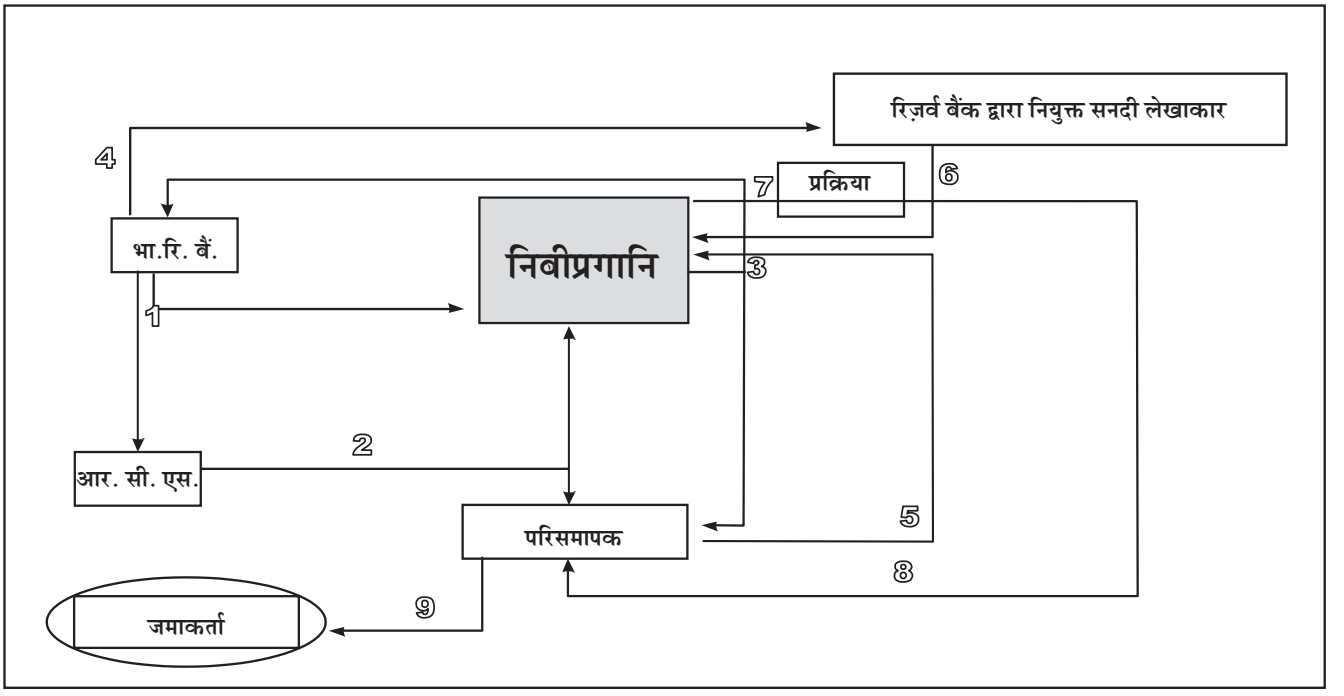

1. रिज़र्व बैंक किसी बैंक लाइसेंस रद्द करता है / लाइसेंस अस्वीकार कर देता है और संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को परिसमापन की सिफारिश करता है और निबीप्रगानि को इसकी सूचना देता है।
2. आरसीएस परिसमापित बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करता है तथा निबीप्रगानि को सूचित करता है।
3. निबीप्रगानि बीमाकृत बैंक का पंजीकरण रद्द करता है और तीन महीनों के अंदर दावा सूची प्रस्तुत करने हेतु परिसमापक को दिशानिर्देश जारी करता है और रिज़र्व बैंक से दावा सूची का आनसाइट सत्यापन करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) नियुक्त करने का अनुरोध करता है।
4. रिज़र्व बैंक सनदी लेखाकार की नियुक्ति करता है और निबीप्रगानि दावा सूची की जाँच करने के लिए सनदी लेखाकार हेतु संक्षिप्त विवरण और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है।
5 परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु दावा सूची प्रस्तुत करता है (साफ्ट और हार्ड कापी दोनों रूप में)।
6. आनसाइट लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) दावा सूची संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
7. कंप्यूटर के माध्यम से दावा सूची का संसाधन किया जाता है और भुगतान सूची तैयार की जाती है।
8. समेकित भुगतान परिसमापक को जारी किया जाता है और अपूर्ण / संदिग्ध दावों के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। निगम की वेबसाइट के जरिए दावा राशि जारी करने की घोषणा की जाती है।
9. परिसमापक जमाकर्ताओं को भुगतान राशि जारी करता है।

(ii) जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बैंक के लिए समझौता या व्यवस्था या पुनर्निमाण या समामेलन की योजना स्वीकृत की जाती है और इस योजना में इसके लागू होने की तारीख तक पूरी जमाराशि के क्रेडिट के लिए जमाकर्ता पात्र नहीं होते हैं तो निगम पूरी जमाराशि अथवा उस समय लागू बीमा कवर की सीमा में, इसमें से जो भी कम हो और योजना के अंतर्गत वास्तव में उसे प्राप्त होने वाली राशि के बीच के अंतर की राशि अदा करता है। इन मामलों में भी, उस बैंक की सभी शाखाओं में समान क्षमता और समान अधिकार में जमाकर्ताओं की सभी जमाराशियों के संबंध में जमाकर्ताओं को देय राशि का निर्धारण बैंक को उनके द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, के समंजन के अधीन [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 16 (2) और (3)] निर्धारित किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी बीमाकृत बैंक जिसका समापन हो चुका हो या वह परिसमापनाधीन है, तो उसके परिसमापक द्वारा निबीप्रगानि द्वारा यथानिर्दिष्ट पद्धति में प्रत्येक जमाकर्ता की जमाराशि और समंजन-राशि को अलग-अलग दर्शाने वाली सूची, इसकी यथार्थता प्रमाणित करते हुए, परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के

तीन महीनों के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को प्रस्तुत की जानी है। (विशिष्ट दावा निपटान प्रक्रिया चार्ट 1 में दी गई है)

(iv) ऐसे बैंक के संबंध में जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी कोई योजना स्वीकृत की गई है, इसी प्रकार की सूची संबंधित अंतरिती बैंक या बीमाकृत बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समामेलन/पुनर्निर्माण आदि जैसी योजना के लागू होने की तारीख [निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 18(1)] से तीन महीनों के अंदर प्रस्तुत की जानी है।

(v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपेक्षित है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक जमाकर्ता के संबंध में देय राशि का भुगतान, ऐसी सूची जो निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और सभी प्रकार से पूर्ण/सही हो, के प्राप्त करने के दो महीनों के अंदर करे। निगम ऐसी सूची का प्रमाणीकरण ऑन-साइट सत्यापन करने वाले सनदी लेखाकारों के फर्म से कराता है।

(vi) सामान्यत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जमाकर्ताओं के मध्य संवितरित करने के लिए पात्र राशि का भुगतान अंतरिती / बीमाकृत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / परिसमापक को करता है। तथापि, अनट्रेसबल जमाकर्ताओं को देय राशि, इसके संबंध में परिसमापक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सभी अपेक्षित ब्यौरे निगम को प्रस्तुत करने तक, रोक कर रखी जाएगी।

(11) निपटाए गए दावों की वसूली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली के विनियम 22 के साथ पठित निबीप्रगानि अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार, परिसमापक या बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक, जैसा भी मामला हो, से अपेक्षित है कि वे विफल बैंकों की आस्तियों से वसूली गई राशि में से व्ययों के लिए प्रावधान करने के उपरांत हाथ में उपलब्ध अन्य राशि में से निबीप्रगानि को चुकौती करें।

(12) निधि, लेखे और कराधान

निगम तीन विभिन्न निधियाँ रखता है : अर्थात् (I) निक्षेप बीमा निधि (डीआइएफ); (II) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ); (III) सामान्य निधि (जीएफ)। पहले दो निधियों का निर्माण क्रमश: बीमा प्रीमियम और गारंटी शुल्क के संचयन से किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। निगम की प्राधिकृत पूँजी ₹50 करोड़ है, जो पूर्णत: रिज़र्व बैंक द्वारा अभिदत्त है। सामान्य निधि का उपयोग निगम के स्थापना और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। सभी तीनों निधियों की अधिशेष राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत अंतर-निधि अंतरण हेतु अनुमति प्राप्त है।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को निगम के बही-खाते बंद किए जाते हैं। निगम के कार्यों की लेखापरीक्षा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षित लेखों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगम की कार्यपद्धति संबंधी रिपोर्ट लेखाबंदी के 3 महीनों के अंदर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है। इन प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ केंद्र सरकार को भेजी जाती हैं, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। सामान्यत: निगम व्यापारिक (मर्केण्टाइल) लेखांकन प्रणाली का उपयोग करता है और 1987 से देयताओं के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है।

निगम 1987-88 से आयकर और 2005-06 से अनुषंगी लाभ कर का भुगतान कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 में यथापरिभाषित किए गए अनुसार आयकर के संबंध में निगम का मूल्यांकन 'कंपनी' के अंतर्गत किया जाता है। निगम सितंबर 2011 से सेवाकर अदा कर रहा है।

बैंक रेजोल्यूशन ढाँचे के अंतर्गत निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से सबक[1]

स्वर्ण जयंती समारोह के एक हिस्से के रूप में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के सहयोग से नवंबर 2011 में ''बैंक रेजोल्यूशन ढाँचे के अंतर्गत निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से सबक'' नामक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का मुख्य विषय वित्तीय संकट के बाद की अवधि में वित्तीय सुरक्षा नेट के ढाँचे से संबंधित विभिन्न तत्वों के बारे में विचार करना था, जिसमें यह आवश्यकता महसूस की गई कि बैंक का समाधान ढाँचा सुपरिभाषित होना चाहिए तथा सुरक्षा नेट के अंतर्गत निक्षेप बीमा एजेंसियों का अन्य खिलाड़ियों के साथ निकट संबंध (क्लोजर इंटीग्रेशन) होना चाहिए।

इस सम्मेलन के दौरान चार प्रमुख विषयों को पुन: प्रस्तुत किया गया। प्रथम, इस संकट से उत्पन्न कवरेज के स्तर की विकृति, भुगतान की लंबी समय-सीमा, पोस्ट-फंडेड प्रणाली (सिस्टम) की अपर्याप्तता, सुसंगत क्रासबार्डर कार्रवाई की कमी, सहबीमा जैसे विधिक प्रावधानों को क्रियाशील न करना तथा जन जागरूकता की कमी के साथ-साथ निक्षेप बीमा प्रणाली की कमजोरी को प्रस्तुत किया गया। दूसरा, इन कमजोरियों के कारण निक्षेप बीमा की भूमिका को संशोधित करने तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है, वसूली से निर्देशित होने के कारण जो वित्तीय स्थिरता को पिछली सोच की तुलना में और अधिक जटिल बनाती हैं तथा निक्षेप बीमा से विकृतियाँ समाप्त नहीं हो रही हैं। इस वसूली के कारण संपूर्ण सुरक्षा नेट के ढाँचे को पुन: आकार देने की आवश्यकता है। तीसरा, बड़े, जटिल बैंकों तथा अन्य वित्तीय कंपनियों, जो कि अर्थक्षम नहीं रह गई हों, को विफल होने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए। ऐसे संस्थानों का सामना करने के लिए पर्यवेक्षी तथा समाधान प्रणाली दोनों की ओवरहालिंग किया जाना अपेक्षित है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि विफल बैंकों का सामना करने के लिए कार्पोरेट बैंकरप्ट्सी रिजीम का प्रयोग करने की सीमाएं हैं। बैंकों की बैंकरप्ट्सी के लिए विशेष समाधान रिजीम की उपयोगिता पर बल दिया गया।

इन विषयों पर की गई चर्चा का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है।

पूरे देश में फैले वित्तीय सुरक्षा नेट संबंधी ढाँचे में अंतर.....

इस संकट ने यह प्रदर्शित किया है कि एक लचीली वित्तीय प्रणाली के लिए ये तीन स्तंभ आवश्यक हैं - प्रभावी पर्यवेक्षण, मजबूत विनियामक ढाँचा तथा समाधान ढाँचा, जो त्वरित और प्रभावी हो एवं अत्यधिक जोखिम उठाने को सीमित करता हो। विभिन्न एजेंसियों के मध्य इन तीनों स्तंभों के अंतर्गत वितरित जिम्मेदारियों में पूरी दुनिया में अंतर है।

सुरक्षा नेट संबंधी ढाँचे के अंतर्गत इस संकट का सामना करने में निक्षेप बीमा एक महत्त्वपूर्ण कारक है और जो विश्वास को आश्रय देता है। वित्तीय संकट से पूर्व निक्षेप बीमा को व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में देखा जाता था जो उनकी जमा को सुरक्षा प्रदान करता था। वित्तीय संकट के दौरान यह प्रकट हुआ कि प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली न केवल जमाकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह वित्तीय प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने तथा विशेष रूप से कठिनाई के समय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यूके का उदाहरण लें जहाँ जमाकर्ताओं की अपर्याप्त सुरक्षा प्रणाली से संबंधित जनता की समझ के कारण नार्दन राक विफल होने से पूर्व एक विशिष्ट बैंक के रूप में जाना जाता था। आइसलैंडिक बैंकों के मामले में क्रास बार्डर परिणामों (कांसीक्वेंसेज) से यह प्रकट हुआ कि उनकी निक्षेप बीमा प्रणाली अपर्याप्त हो सकती है। ये दोनों घटनाएं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में निक्षेप बीमा द्वारा अदा की जा रही भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करती हैं।

वैश्विक संकट से तीन सबक मिले हैं। पहला, वित्तीय स्थिरता अब नीति निर्माण के केंद्र में है। जमाकर्ताओं की सुरक्षा

1 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के सहयोग से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की मेजबानी में 13 से 16 नवंबर 2011 के मध्य जोधपुर राजस्थान में संपन्न ''बैंक समाधान ढाँचे के अंतर्गत निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से सबक'' नामक विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही पर आधारित। डॉ. दुब्बुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्घाटन भाषण तथा डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समापन भाषण पुन:प्रस्तुत किया गया है।

से उत्पन्न होने वाले नैतिक जोखिम, हालांकि यह अब भी वैध है, जो पहले की तुलना में केंद्रीय रूप से, अब कुछ कम संगत रह गया है। दूसरा, सुरक्षा नेट के तीन कार्यों (पर्यवेक्षण, समाधान तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा) को नीति निर्माताओं के लिए अब मूलभूत एकीकृत तत्वों के रूप में देखा जाता है। वित्तीय नीतियाँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में इसमें से प्रत्येक की बराबर की जिम्मेदारी है। अंत में, निक्षेप बीमाकर्ता की भूमिका (अथवा अधिदेश) में विस्तार हो रहा है।

संकट से यह प्रकट हुआ कि विनियामक मानकों को मजबूत बनाने तथा संरचनागत कमजोरियों को समाप्त करने की आवश्यकता.....

दो प्रमुख तथ्य, जो वित्तीय संकट का कारण रहे हैं, विनियामक ढाँचे का क्षरण तथा संरचनागत कमजोरी थे। विनियामक मानकों के क्षरण का आशय अनुरक्षित की जा रही पूँजी की मात्रा तथा गुणवत्ता, कमजोर तरलता मानक तथा कमजोर हामीदारी मानक संबंधी कमजोर पूँजी मानकों से है। इसके अतिरिक्त यहाँ जटिलता तथा पारदर्शिता की कमी का कारण संरचनागत कमजोरी थी, जिसने संस्थानों के मध्य की विभिन्नताओं को कठिन बना दिया। शैडो बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय विनियामक निगरानी में भी अंतराल था। एजेंसियों की परस्पर निर्भरता प्रणालीगत जोखिम का कारण बनी।

वित्तीय विनियामकों की नीति संबंधी कार्यसूची (एजेंडा) में अब बैंक पर्यवेक्षण तथा पूँजी और तरलता मानकों के सुधार संबंधी विनियमों को मजबूत बनाना, संस्थाओं द्वारा की जाने वाली मालिकाना (प्रोपराइटरी) ट्रेडिंग पर रोक, उपभोक्ता एवं निवेशक की सुरक्षा को मजबूत बनाना शामिल है। सिफी के विनियामक मानकों को उच्च स्तर का बनाकर, प्रभावी बैंक समाधान संबंधी मैकेनिज्म संबंधी दिशानिर्देश का विकास करके तथा क्रास बार्डर सहयोग को बेहतर बनाकर प्रणालीगत जोखिम का सामना करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करके बाजार अनुशासन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

संकट ने वित्तीय विनियमों में सुधार हेतु प्रेरित किया.....

वित्तीय विनियमों में सुधार जी-20 सुधार कार्यसूची का प्रमुख तत्व है और विवेकपूर्ण विनियम वित्तीय विनियम सुधार कार्यसूची का प्रमुख क्षेत्र है। इस संकट ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विस्तृत विनियमकारी मरम्मत (ओवरहाल) के लिए प्रेरित किया। बासेल III के अंतर्गत बैंक पूँजी विनियम संबंधी सुधार नए पूँजी अनुपात पर आधारित है जो पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जोखिम कवरेज में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बासेल III मानक के अंतर्गत कुल पूँजी के बफर, जिसमें पूँजी संरक्षण बफर तथा सिफी (एसआईएफआई) बफर शामिल है, 11.5 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के मध्य निकाला (वर्क आउट) जाएगा, जबकि अतिरिक्त घरेलू पूँजी सहित कुल पूँजी 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। नए ढाँचे में तरलता जोखिम और लिवरेज रेशो को कवर करने के लिए नए मैट्रिक्स भी शामिल किए जाएंगे, जो जोखिम-आधारित पूँजी के अनुपूरक हेतु बैकस्टाप तथा मैक्रो विवेकपूर्ण आवरण उपलब्ध कराएगा, जिसका उद्देश्य प्रो-साइक्लिकैलिटी और प्रणालीगत जोखिम को पूरा करना है।

यह इंगित किया गया कि कैपिटल ओवर अनवेटेड एसेट्स के रूप में परिभाषित लीवरेज रेशो यह सुझाता है कि यूएस तथा एशियन बैंक यूरोपियन बैंकों की तुलना में बेहतर रूप में कैपिटलाइज्ड हैं। ऐसे अंतर को देश-विशेष वाले तथ्य जैसे विनियामक, लेखांकन, विधिक और संस्थान का ढाँचा और चूक तथा वसूली दर के रूप में तथा बैंक-विशेष वाले तथ्य जैसे बैंक का व्यवसाय माडल और परिचालनगत ढाँचा के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

यह आशा की जाती है कि कैपिटल और लीवरेज रेशो कुछ बैंकों को छोड़कर एशियाई क्षेत्र के बैंकों पर संगत रूप में उपयुक्त प्रभाव डालेंगे। तथापि वैश्विक तरलता मानकों का प्रभाव इस क्षण कुछ हद तक अनिश्चित है क्योंकि कई बैंक जमाराशियों पर विश्वास करते हैं तथा इस प्रकार तरलता मानकों को पूरा करने के लिए वे अपने को सहज स्थिति में नहीं पाते हैं। कुछ देशों में पर्याप्त मात्रा में पहली टीयर की पात्र तरल आस्तियाँ नहीं हैं और कुछ देशों में दूसरी टीयर की पात्र तरल आस्तियाँ के आपूर्ति की मात्रा कम है।

संकट से यह विश्वास हुआ कि बैंकों के लिए विशेष ऋणशोधनाक्षमता रिजीम अपेक्षित.....

जोखिम तथा महत्व की दृष्टि से अन्य व्यवसायों की तुलना में बैंकिंग के व्यवसाय में काफी अंतर है और इसलिए इसके लिए विशिष्ट ऋणशोधनाक्षमता संबंधी ढाँचा अपेक्षित है, जिसमें कार्पोरेट बैंकरप्ट्सी रिजीम की तुलना में काफी अंतर है। बैंक तीन बड़े रूप में भिन्न हैं। पहला, बैंक की देयताओं (निक्षेप) का महत्त्वपूर्ण भाग अल्पकालिक है और यह जनता का है। माँग पर इस राशि को आहरित करने का जनता को अधिकार है। दूसरा, बैंकिंग से संबंधित आस्तियाँ त्वरित और अप्रत्याशित मूल्य अस्थिरता के कारण अतिसंवेदनशील हैं, जो संस्था की शोधनक्षमता को तेजी से प्रभावित करती हैं। अंत में, एक बैंक की वित्तीय आपदा प्रत्यक्ष संक्रमण के माध्यम से तथा वित्तीय प्रणाली की मजबूती के बारे में जनता की प्रत्याशा में कमी आने पर दूसरे में फैल सकती है।

बैंक की बैंकरप्ट्सी रिजीम का दुहरा उद्देश्य है अर्थात् एक ओर असुरक्षित अथवा कमजोर बैंकिंग संस्थाओं को हटाना तथा दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। अंतिम समाधान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय लेकर कार्पोरेट ऋणशोधनाक्षमता (इनसाल्वेंसी) रिजीम पर लंबा विचार-विमर्श(प्रोट्रैक्ट) किया जा सकता है। जमाकर्ताओं में बैंक से पहले भाग लेने की योग्यता होती है, अत: वे न केवल बैंक को बल्कि वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्पोरेट ऋणशोधनाक्षमता (इनसाल्वेंसी) अपेक्षाकृत रूप से स्थूल (ब्लंट) है। विशेष रूप से यहाँ केवल बंदी तथा परिसमापन जैसे हथियार उपलब्ध हैं। बैंकिग संस्थाओं का समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मूलभूत अच्छे व्यवसाय को सुरक्षित किया जाए तथा हानि की मात्रा को सीमित करने के लिए जमाकर्ताओं को अनुमति दी जाए।

बैंकों के रेजोल्यूशन ढाँचे के लिए संस्थागत ढाँचे से सहारे की आवश्यकता.....

वित्तीय संस्था के प्रभावी समाधान ढाँचे में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए:

- ऋणशोधनाक्षमता (इनसाल्वेंसी) से पूर्व संस्था का आधिकारिक नियंत्रण लेने का प्राधिकार
- आस्तियों के हस्तांतरण, जबरन विलय, अनिवार्य निजी पुन: पूँजीकरण तथा परिसमापन का आदेश देने की अनुमति देने वाले लचीले समाधान संबंधी उपकरण
- ''प्रथम हानि'' को शेयरहोल्डरों द्वारा आत्मसात कर लेने की पहचान
- सरकारी क्षेत्र को यह प्राधिकार होना चाहिए कि वह लोक-निधि का पुन: पूँजीकरण के लिए प्रयोग कर सके।

रेजोल्यूशन रिजीम को समर्थन देने वाला संस्थागत ढाँचा इसकी सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसमें जिम्मेदारियों के परस्पर सीमित व्याप्ति के साथ सभी संस्थाओं के अधिदेशों में स्पष्ट संकेत होना चाहिए। इसी प्रकार विधिक ढाँचे में अंतर एजेंसी सहयोग तथा समन्वयन को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

वर्तमान वित्तीय संकट में बड़े बैंकों का समाधान एक चुनौती के रूप में सामने आया.....

2008 के वित्तीय संकट में बड़े बैंकों का समाधान पहली बार एक चुनौती के रूप में सामने आया और संस्थागत उपाय अब अस्तित्व में आ रहे हैं। अमेरिका का एफडीआईसी राज्य के बैंकों की बड़ी संख्या के कारण बैंकिंग क्षेत्र के तीन चौथाई बैंकों की अस्थिरता का सामना करता है, बड़े बैंकों का अनुभव अर्जित कर रहा है। छोटे बैंकों के साथ डील करने से प्राप्त अनुभव को लागू करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाले वाशिंग्टन म्युचुअल का उदाहरण एक उपाय के रूप में बाजार के महत्त्वपूर्ण खिलाड़ियों के समक्ष रखा जा सकता है।

ऋणशोधनाक्षमता ढाँचे के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति बन रही.....

वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रभावी समाधान रिजीम के रूप में एफएसबी का महत्त्वपूर्ण योगदान है जिसमें राष्ट्रीय ऋणशोधनाक्षमता रिजीम के संदर्भ संबंधी बिंदु के रूप में ऋणशोधनाक्षमता रिजीम के बारे में बन रही अंतर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्रदर्शित हो रही है। एफएसबी के कार्य में वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (जी-एसआईएफआई) के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोई संस्था जो प्रणालीगत खतरे का आभास देती है, उसे महत्त्वपूर्ण योगदान के अंतर्गत इस रिजीम के अधीन कर दिया जाना चाहिए। इस रिजीम की 12 निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सभी फर्में इस रिजीम के अधीन होनी चाहिए।
- समाधान प्राधिकारी को परिचालन की दृष्टि से स्वतंत्र लेकिन पर्यवेक्षण (ओवरसाइट) के अधीन होनी चाहिए।
- देशों के पास समाधान उपकरणों की विस्तृत रेंज होनी चाहिए।
- इस रिजीम के पास विधिक निश्चितता तथा प्रवर्तित करने की सक्षमता होनी चाहिए।
- लेनदारों और पेशेवरों (प्रैक्टिशनर्स) के लिए सुरक्षा उपकरण (सेफगार्ड्स) की आवश्कता है साथ ही दावों का वर्गीकरण (हाइरार्की), प्रणालगत प्रभावों को ध्यान में रखने की योग्यता तथा इसके लिए यथाविधि प्रक्रिया भी होनी चाहिए।
- समाधान प्रक्रिया की लागत के लिए निजी निधियन को वरीयता दी जाए।
- क्रास बार्डर सहयोग के लिए सांविधिक अधिदेश की आवश्कता है तथा राष्ट्रीयता के आधार पर लेनदारों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- क्रास बार्डर फर्मों के लिए संकट प्रबंधन समूहों की पहचान की जाए जिसमें घरेलू तथा मेजबान के अधिकारक्षेत्र वाले प्रतिनिधियों को शामिल किया गया हो।

- क्रास बार्डर सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए तौर-तरीका बनाया जाना आवश्यक है।

- जी-एसआईएफआई के लिए वसूली और समाधान संबंधी योजनाएं बनाई गई हों ताकि यदि संस्थाएं विफल हों तो प्रभावी समाधान के लिए रोड मैप उपलब्ध कराया जा सके।

- समाधान संबंधी रणनीतियों की व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए सभी जी-एसआईएफआई को समस्याओं को हल करने की योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए।

- अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दी गई सभी फर्मों के पास मजबूत सूचना प्रबंधन प्रणाली होना अपेक्षित है।

एक ऋणशोधनाक्षमता रिजीम की इन प्रमुख विशेषताओं को कार्यान्वित करने से प्राधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं मिल सकेंगी तथा प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सबसे बड़ी संस्थाओं के भी विफल होने का सामना आसानी से किया जा सकेगा।

यूएस में सुधार संबंधी महत्त्वपूर्ण पहल की गई है.....

हालांकि यूएस में संस्थाओं के समस्याग्रस्त हो जाने और बैंकों के विफल हो जाने की प्रवृति में कमी आ रही है लेकिन समस्याग्रस्त संस्थाओं की संख्या उच्च स्तर पर बनी हुई है। यूएस में अधिकांश रेजल्यूशन समूचे बैंक की खरीद करके और उसे लेकर किए गए और पे-आउट कार्यविधि बहुत कम बैंकों के लिए अपनाई गई। यूएस के अनुभव से सीखे गए कुछ प्रमुख सबक निम्नानुसार हैं:

- बाजार में अनुशासन फिर से कायम करने के लिए, यदि बड़े, जटिल बैंक तथा अन्य वित्तीय कंपनियाँ अर्थक्षम नहीं रहतीं तो उन्हें विफल हो जाने देना चाहिए। प्रभावशाली रेजोल्यूशन साधनों के अभाव में, सरकारी बेलआउट आवश्यक हो गए थे लेकिन उनके कारण वित्तीय प्रणाली में गंभीर प्रकार के प्रतिकूल परिणाम हुए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सुव्यवस्थित परिसमापन के लिए क्रॉस-बार्डर सहयोग होना आवश्यक है।

- अत्यधिक कर्ज और लीवरेज का प्रबंध न कर सकना खतरनाक है। पर्यवेक्षकों को कठोर तथा त्वरित पूंजी मानक सुनिश्चित करने चाहिए।

यूएस में सुधार के लिए किए गए उपाय इस धारणा को खत्म करने पर केंद्रित हैं कि अधिक बड़ी संस्थाओं के असफल होने की संभावना कम होती है, साथ ही इन उपायों का प्रयोजन वित्तीय लीवरेज को कम करना और निधियन रणनीति में बदलाव लाकर बढ़े हुए कवरेज के साथ निक्षेप बीमा में सुधार लाना था। डॉड-फ्रैंक अधिनियम के तहत, एफडीआईसी को नई भूमिकाएं और जवाबदेहियाँ सौंपी गई हैं, जिसमें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए बढ़ी हुई रीसिवरशिप प्राधिकार, रेजोल्यूशन योजना, मजबूत बैक-अप प्राधिकार और निक्षेप बीमा निधि शामिल है। एफडीआईसी ने अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ कई कार्रवाइयाँ की हैं। इसने एक प्रणालीगत एडवाइजरी समिति भी गठित की है।

यूके में भी व्यापक सुधार किए गए हैं...

यूके में इन सुधारों की शुरुआत एक बहुत ही छोटे बैंक नॉर्दन रॉक के असफल होने से हुई थी, वैसे सामान्य रूप से इस बैंक को प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक नही माना गया है। इस अनुभव ने यूके की वर्तमान दिवालिएपन संबंधी ढाँचे में कई सीमाओं की ओर इशारा किया। विशेषकर :

- प्राधिकारियों के पास सीमित पर्यवेक्षी साधन थे।

- प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं थे।

- निक्षेप बीमा प्रणाली जटिल थी और इसे नहीं समझा गया था (विशेषकर सहबीमा और प्रतितुलन से वास्तविक कवरेज स्तर में अनिश्चितता की स्थिति बन गई)

इसके प्रत्युत्तर में, यूके प्राधिकारियों द्वारा बैंकिंग अधिनियम 2009 लाया गया, जिसमें असफल बैंकों से निपटने के लिए एक विशेष रेजोल्यूशन पद्धति (एसआरआर) लागू किया गया और बैंक ऑफ इंग्लैंड को रेजोल्यूशन प्राधिकार सौंपा गया। नए साधन शुरू किए गए जिसमें आस्तियों के हस्तांतरण की क्षमता, एक ऐसे ब्रिज बैंक प्राधिकारी का गठन जिसमें असफल होने वाले बैंक की आस्तियों और देयताओं को किसी नए गठित सार्वजनिक बैंक में हस्तांतरित किया जा सके और असफल होने वाले बैंक का स्वामित्व अस्थायी रूप से सार्वजनिक स्वामित्व में बदलना शामिल था।

वित्तीय सेवाएं क्षतिपूर्ति योजना (एफएससीएस) की भूमिका और कार्य पद्धति को भी मजबूत किया गया ताकि निक्षेप बीमा प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ाया जा सके। शुरू किए गए सुधार निम्न प्रकार थे (i) अधिकांश जमाकर्ताओं को 7 दिनों के भीतर भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित करना, (ii) प्रतितुलन अर्थात् सेट-ऑफ को खत्म करना, (iii) आवेदन-पत्र को खत्म करना और भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना, और (iv) बैंकों से यह अपेक्षा की कि वे प्रत्येक ग्राहक की जमाओं पर एकल ग्राहक दृष्टिकोण उपलब्ध कराएं। इसके अलावा, एफएससीएस ने

आकस्मिक योजना कार्यक्रम भी शुरू किया और एक उच्च ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम अपनाया। इसके साथ ही, यूके प्राधिकारी एफएससीएस के निधियन ढाँचे की समीक्षा करेंगे, यूरोपीय डिरेक्टिव द्वारा अनुमानित निधियन शुरू किए जाने की संभावना पर विचार करेंगे और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए रिकवरी और रेजोल्यूशन योजना तैयार करेंगे।

भारत में अभी भी बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क का विकास किया जाना शेष है....

भारत के वित्तीय सुरक्षा-नेट ढाँचे में केंद्रीय बैंक की भूमिका किसी अन्य की अपेक्षा काफी महत्त्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक पर बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जवाबदेही सौंपी गई है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में विस्तृत रेजोल्यूशन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर काम करता है। यद्यपि भारत में केंद्रीय बैंक अब तक बैंकों से जुड़ी समस्याओं का निपटान करने में सक्षम रहे हैं, तब भी भारत के संदर्भ में बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित हैं। भारत में बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क से जुड़े विशेष मुद्दे और बाधाएं निम्न प्रकार हैं :

- बैंक रेजोल्यूशन को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा कई सारे कानूनों और विनियमों में फैला हुआ है जिसके चलते यह ढाँचा जटिल, भ्रामक और अपारदर्शी हो जाता है।

- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को जमाकर्ताओं को तुरंत भुगतान करने में विलंब का सामना करना पड़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निगम के पास जमाकर्ताओं से जुड़ी पर्याप्त साझा सूचनाएं नहीं हैं। डीआईसीजीसी को दिए जानेवाले अधिदेश को इस नजरिए से परखने की जरूरत है कि जमाकर्ताओं का निपटान तेज हो, लागत कम रहे और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए संबंधित लाभ के साथ रेजोल्यूशन की गति तेज हो।

- डीआईसीजीसी अलग-अलग प्रकार के बैंकों के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराता है और इन बैंकों के कानून और इनकी संरचना अलग-अलग होती है तथा इस प्रकार उनके असफल होने की दर में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हालांकि, चूंकि प्रीमियम एकसमान दर पर ली जा रही है, इससे क्रॉस-सब्सिडाइजेशन और नैतिक जोखिम से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं।

- डीआईसीजीसी में एक संभावित निधि होती है। बीते समय में असफलताओं के रिकार्ड को देखते हुए डीआईसीजीसी में रखी गई यह निधि पर्याप्त प्रतीत होती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या छोटे और मध्यम आकार के वाणिज्यिक बैंकों के असफल होने की स्थिति में किए गए दावों को पूरा करने में यह निधि सक्षम है। वैसे तो, किसी भी निक्षेप बीमाकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि उसके पास काफी बड़े वित्तीय संकट का सामना करने के लिए पर्याप्त नकदी निधि उपलब्ध हो, बड़े पैमाने पर बैंकों के असफल होने की असाधारण स्थिति में यह अनिवार्य है कि निक्षेप बीमाकर्ता को केंद्रीय बैंक और/या सरकार से तुरंत असीमित निधि प्राप्त हो सके ताकि वित्तीय स्थिरता लचर न होने पाए।

- भारत में सीमा-पार बैंकों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। लेकिन जैसे ही विश्व अर्थव्यवस्था उबरने लगती है और वैश्विक व्यापार तथा वित्तीय लेन-देन में वृद्धि तेज होते जाती है, वैसे ही भारत में भी सीमा-पार जोखिम का खतरा बढ़ जाएगा। हमें विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ संबंध मजबूत करने, सूचना के आदान-प्रदान में तेजी लाने और असफल होनेवाले किसी वैश्विक संस्था को ठीक-ठाक सुलझाने के लिए किसी सर्वसम्मत रास्ते पर विचार करने की जरूरत है।

- अगला विषय प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के प्रभावी रेजोल्यूशन ढाँचे से संबंधित है। भारत में कई बैंक बड़े हो गए हैं तथा बढ़कर वे 'वित्तीय संगुट' बन गए हैं और अलग-अलग बाजारों में वे अलग-अलग वित्तीय उत्पाद मुहैया करा रहे हैं। विनियामक के नजरिए से देखने पर इसमें दो चुनौतियाँ दिखाई देती हैं। पर्याप्त कानूनी ढाँचे का न होना और अंतर-विनियामी समन्वय ढाँचे का सीमित होना। बड़े एवं जटिल वित्तीय संस्थाओं और समूहों के प्रादुर्भाव और बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग दोनों क्षेत्रों में इनके फैले होने के चलते पर्यवेक्षी और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में समन्वय होना अत्यावश्यक है। इस प्रयास में काफी समय, संसाधन दक्षता लगेगा और ऐसे तरीके की जरूरत होगी जिसमें प्रणाली-वार जोखिम का विश्लेषण शामिल हो।

हमें एक तेज, प्रभावी और पारदर्शी रेजोल्यूशन प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। वैश्विक वित्तीय संकट से कई सबक मिले हैं, लेकिन संकट के समाधान किसी देश की परिस्थितियों के अनुरूप और संदर्भ विशेष होने चाहिए। यह तथ्य वित्तीय प्रणाली के समूचे विनियमन और पर्यवेक्षण पर लागू है जिसमें निक्षेप बीमा प्रणाली से संबंधित परिचालन भी शामिल है।

संकट ने निक्षेप बीमा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया....

जैसे ही संकट सामने आया, राष्ट्रों ने गैर-परंपरागत मात्रात्मक हस्तक्षेप का उपयोग करते हुए समन्वित नीतिगत उपाय करना शुरू कर दिया। हालांकि इन उपायों से वित्तीय स्थिरता कायम नहीं रह सकती है। बड़े पैमाने पर बैंकों के बेल-आउट और निर्बंध गारंटियों से रेजोल्यूशन साधनों का अभाव उजागर हुआ। इस संकट से जमाकर्ता के सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियां भी उजागर हुईं : (i) कवरेज स्तर में काफी विरूपण के चलते जमाकर्ताओं में हड़बड़ी; (ii) प्रणाली डिजाइन में समानरूपता की अभाव; (iii) सुव्यवस्थित सीमा-पार कार्रवाई का अभाव; (iv) निधियन पश्चात् अपर्याप्त प्रणाली; (v) लंबी भुगतान समय-सीमा; (vi) अक्षम कानूनी प्रावधान जैसे सहबीमा और एकीकृत ग्राहक सुरक्षा और (vii) लोक जागरूकता का अभाव। इसके प्रत्युत्तर में प्राधिकारियों द्वारा लिए गए उपायों में अस्थायी निर्बंध गारंटी तैयार करना जिससे कई मामलों में कवरेज स्तर में स्थायी वृद्धि संभव हो पाया, नियमों को सरल करना जैसे सहबीमा और प्रतितुलन को खत्म करना, असफल हुए बैंकों को सरकारी सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय स्थापित कर नए मानक तैयार करना और निक्षेप बीमा एजेंसियों के अधिदेश में संशोधन करना शामिल था।

वित्तीय संकट से निक्षेप बीमा प्रणाली और रेजोल्यूशन ढाँचे के संबंध में कई सबक प्राप्त हुए हैं .....

वित्तीय संकट ने निक्षेप बीमा प्रणाली से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण सबक सामने लाए हैं, वे इस प्रकार हैं : निक्षेप बीमा एजेंसियों में स्वायत्तता होनी चाहिए; उनमें तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता होनी चाहिए; ऐसी प्रक्रिया हो कि तेजी से जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जा सके; वित्तीय आंकड़ों की उपलब्धता; कारोबार के सामान्य कामकाज में अभियोग लगाने पर कानूनी सुरक्षा; अन्य सुरक्षा-नेट प्रतिभागियों के साथ गहन, तेज और प्रभावी हस्तक्षेप; पर्याप्त निधियन की उपलब्धता; और लोक जागरूकता तथा निक्षेप बीमा प्रणाली में लोगों का विश्वास कायम रहना चाहिए।

रेजोल्यूशन ढाँचे की महत्त्वपूर्ण विशेषताएं जिससे निक्षेप बीमाकर्ता को अपने लक्ष्य पूरा करने में मदद मिल पाए वे इस प्रकार है: वित्तीय संस्थाओं के लिए एक विशेष रेजोल्यूशन ढाँचा हो; जल्द और समय पर रेजोल्यूशन के लिए निर्दिष्ट रेजोल्यूशन प्राधिकारी हो; रिकवरी और रेजोल्यूशन योजना; बैंकों को असफल होने से रोकने और असफल हो चुके बैंकों को उबारने (जिसमें खरीद और अनुमान, ब्रिज बैंक, विलयन, पूंजी अंतर्वेशन आदि शामिल है) के लिए प्रभावी असफलता रेजोल्यूशन साधन हो (जैसे बेल-इन प्रक्रिया, लिविंग विल) और रिकवरी तथा रेजोल्यूशन उपायों की योजना एवं कार्यान्वयन के सभी चरणों में सुरक्षा-नेट के प्रतिभागियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया हो।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड की विशेषताओं का निक्षेप बीमाकर्ताओं पर असर हुआ है ...

महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का प्रयोजन यह है कि ऐसे प्रमुख तत्व निर्धारित किए जाएं जिन्हें एफएसबी प्रभावी रेजोल्यूशन ढाँचा के लिए आवश्यक समझता हो और जिनसे प्राधिकारियों को बड़े, जटिल और अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय संस्थाओं को असफल होने से इस तरह से बचाने की अनुमति मिल जाए कि प्रणालीगत विघ्नता न्यूनतम हो और लोक निधियों को सहारा न लेना पड़े क्योंकि इससे करदाताओं को नुकसान होने का खतरा रहता है।

ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ महत्त्वपूर्ण विशेषताओं ने निक्षेप बीमा प्रणाली को प्रभावित किया है। ये (1) खुदरा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, (2) एक अस्थायी ब्रिज संस्था की स्थापना, (3) असफल होने वाले फर्म की बंदी और समापन पर बीमित जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान या अंतरण, (4) शासकीय प्रतितुलन अधिकारों के लिए कानूनी ढाँचा, (5) निजी आधार पर किया गया निक्षेप बीमा वित्तीयन या रेजोल्यूशन निधि, (6) विदेशी रेजोल्यूशन प्राधिकारियों के साथ समन्वित समाधान, और (7) रेजोल्यूशन के भीतर बेल-इन से संबंधित हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा रेजोल्यूशन पर किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमा संघ (आईएडीआई) तथा निक्षेप बीमाकर्ताओं के लिए महत्त्वपूर्ण है और निक्षेप बीमाकर्ताओं के लिए जरूरी है कि वे रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के सभी पहलुओं जैसे सूचना, साधन, आकस्मिक योजना आदि से अच्छी तरह जुड़े रहें। महत्त्वपूर्ण विशेषताओं और असफलता रेजोल्यूशन प्रक्रिया में प्रमुख सिद्धांतों की काफी उपयोगिता है। उपयोगी प्रमुख सिद्धांत है: निधियन के सिद्धांत, समस्या का शीघ्र पता लगाना तथा समय पर हस्तक्षेप और रेजोल्यूशन, प्रभावी रेजोल्यूशन प्रक्रिया और जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति।

निक्षेप बीमाकर्ता की बदलती भूमिका...

2008-09 के वैश्विक संकट से मिले सबक के आलोक में निक्षेप बीमाकर्ता की भूमिका में बदलाव आ रहा है। जमाकर्ता संरक्षण वित्तीय स्थिरता बनाए रखने वाली नीतियों का मुख्य केंद्र बन गया है और निक्षेप बीमाकर्ता इस तरह की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाताओं के साथ पूरी तरह से शामिल हो गया है।

संकट की अवधि के तत्काल बाद निक्षेप बीमाकर्ता के

अधिदेश का विस्तार सबसे प्रखर रहा है। कई पे-बाक्स बीमा कंपनियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं जिनमें वित्तपोषण रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन विकल्पों से संबंधित बहस में भाग लेना शामिल था। इस विस्तारित अधिदेश के साथ 2005 से 2011 के बीच सिर्फ पाँच साल की अवधि में बीमा कंपनियों का प्रतिशत 52 से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, कई अधिकार क्षेत्रों ने अपने दिवालिया व्यवस्थाओं को पूरी तरह बदल दिया और निक्षेप बीमाकर्ता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल कर लिया। इसके आगे भी अधिदेश विस्तार की यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। निक्षेप बीमा कंपनियाँ रेजोल्यूशन प्रक्रिया का एक नया पहलू सामने लाती है। उनका स्पष्ट ध्यान कम लागत रेजोल्यूशन और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा पर रहता है जो रेजोल्यूशन विकल्पों के लिए स्पष्ट चयन मानदंड स्थापित करता है और रेजोल्यूशन विकल्पों में से चयन के लिए उचित प्रोत्साहन प्रदान करता है।

बीमाकर्ता के अधिदेश विस्तार के लिए एक मजबूत सुधारवादी एजेंडे की आवश्यकता होगी। इस तरह के सुधारों में कानूनी और विनियामक परिवर्तन और निधियन संरचनाओं/संस्थानों का सुदृढ़ीकरण शामिल है जिससे निक्षेप बीमाकर्ताओं के पास पर्याप्त संसाधन, सुरक्षा प्रदाताओं के बीच मजबूत समन्वय और उपयुक्त स्टाफ हों। इसके साथ ही, इन नए कौशलों का परीक्षण और आकस्मिक स्थिति के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होगी। अंततः और संभवतः अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निक्षेप बीमा कंपनियों के अधिदेश के इस विस्तार को भविष्य में उत्पन्न होने वाली दिवालियेपन की स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत राजनीतिक सहमति द्वारा समर्थन प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी।

कई देशों ने रेजोल्यूशन शामिल करने के लिए निक्षेप बीमा एजेंसियों के अधिदेश का विस्तार किया है ...

मलेशिया ने निम्नलिखित चार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विफलता रेजोल्यूशन में निक्षेप बीमा एजेंसी की भूमिका का विस्तार किया है: (i) रेजोल्यूशन की वित्तीय लागत को कम करने, (ii) जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने, (iii) शेयरधारक बेलआउट रोकने, और (iv) समय पर और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए। मलेशिया के अनुभव के आधार पर प्रभावी रेजोल्यूशन रिजीम के पाँच आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले, रिजीम पर्याप्त कानूनी आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे कानून में स्पष्ट उपयोग और कानूनी संरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए औपचारिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को मजबूत और प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित होना चाहिए। किसी संस्था को एक सुरक्षित और बेहतर संस्था बनाए रखने के औपचारिक प्रयासों की श्रृंखला में संस्था का रेजोल्यूशन अंतिम चरण होना चाहिए। चौथा, सुरक्षा प्रदाताओं को मूल काम करना चाहिए। सूचना और निर्णय को साझा किया जाना चाहिए, सुस्पष्ट संस्थानों से संबंधित भूमिकाओं, और समन्वय की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अंत में, क्षेत्राधिकार इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उसे प्रचालित किया जा सके। सीमित विफलताओं के आधार पर प्रणालियों का एक नियमित आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

रूस ने 2004 में विफल बैंकों के परिसमापन कार्य को अपने हाथ में लिया था और उसे 2008 में प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों की विफलता की रोकथाम के लिए अधिदेश दिया गया। वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रूस की निक्षेप बीमा एजेंसी (डीआईए) ने कवरेज स्तर में वृद्धि की, सहबीमा को समाप्त कर दिया, बैंकों को चलनिधि समर्थन प्रदान करने के लिए प्रीमियम दर में कमी की और भुगतान अवधि को कम कर दिया। बैंक विफलताओं की रोकथाम के लिए रूस की डीआईए द्वारा प्रयोग में लाए गए उपायों में शामिल हैं - (i) संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराना जैसे - किसी असफल बैंक के लिए एक संभावित निजी निवेशक खोजने में, (ii) नए निवेशकों के लिए सुरक्षित ऋण प्रदान कराना, बैंक पुनर्वास के लिए परिसंपत्ति की खरीद, कैपीटल इंजेक्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और (iii) किसी असफल बैंक की परिसंपत्तियों और देयताओं को किसी सुदृढ़ बैंक में अंतरित करना। बैंक रेजोल्यूशन के लिए निधियन के विभिन्न स्रोतों की सहायता ली गई है जिनमें निजी निवेशकों के संसाधन, सरकारी योगदान, केंद्रीय बैंक से ऋण और निक्षेप बीमा निधि से ऋण शामिल हैं।

प्राधिकारियों को उनकी प्रणालियों में सुधार करने में मूल सिद्धांतों ने मार्गदर्शन प्रदान किया है ...

वैश्विक संकट के बाद, वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमाकर्ता संरक्षण को पहले की तुलना में और अधिक प्रमुखता से देखा जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप, निक्षेप बीमा एजेंसियों को पूरी तरह सेफ्टी नेट में एकीकृत किया जा रहा है और निक्षेप बीमा एजेंसियों के अधिदेश का विस्तार किया जा रहा है। निक्षेप बीमा कंपनियों के लिए इस नई दुनिया में निक्षेप बीमा प्रणाली में सुधार और पुनर्गठन को निर्देशित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आया है। प्रमुख सिद्धांतों को विभिन्न क्षेत्राधिकारों में लागू किया जा सकता है क्योंकि वे निक्षेप बीमा के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के संबंध में तब

तक तटस्थ हैं, जब तक अधिभावी लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। यद्यपि, मूल सिद्धांतों के प्रयोग में अनेक चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इनमें सुरक्षा ढाँचे के सिद्धांतों के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इसमें मुख्य चुनौती यह है कि प्रमुख सिद्धांत 'निक्षेप बीमा प्रणाली' पर लागू हैं और अपने-आप में 'निक्षेप बीमा एजेंसी' के लिए लागू नहीं हैं। निक्षेप बीमा प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से किए जाने वाले सुरक्षा उपाय शामिल हैं। निक्षेप बीमा एजेंसी की भूमिका और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से सुरक्षा ढाँचे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मतभेद है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में निक्षेप बीमा एजेंसी और निक्षेप बीमा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है।

डीआईसीजीसी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सबक से लाभान्वित हो सकता है ...

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भारत में बैंकिंग विफलता तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। यहाँ वित्तीय प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रमुखता रही जिसे सरकार का पूर्ण भरोसा और समर्थन प्राप्त था। डीआईसीजीसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अपेक्षाकृत छोटी और बिखरी हुई सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के लिए किया गया। ऐसे संस्थान प्रणालीगत रूप से बहुत कम खतरा उत्पन्न कर रहे थे और उनमें हस्तक्षेप करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पारंपरिक तरीके काफी सफल सिद्ध हुए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति अब बदल गई है। 1990 के दशक के मध्य से निजी बैंकिंग के विस्तार के कारण नई और अधिक आक्रामक संस्थाएं उभर कर सामने आई हैं जोकि बाजार में हिस्से और लाभांश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इन संस्थानों अर्थात् सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है और इनके जोखिम प्रोफाइल की सावधानी पूर्वक निगरानी की जा रही है। लेकिन भारत की बैंकिंग प्रणाली में बदलता परिवेश देश की सुरक्षा ढाँचे में संशोधन की उपयोगिता की ओर इंगित करता है।

अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर और अधिक चर्चा तथा विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विशेष रूप से:

- प्रवर्धित आंतरिक संबध : व्यष्टि आर्थिक नीति के विशेषज्ञों, पर्यवेक्षकों, और निक्षेप बीमा कंपनियों के बीच सहज और प्रभावी सहयोग प्रभावी सुरक्षा तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

- रेजोल्यूशन प्रक्रिया की पूर्वधारिता : रेजोल्यूशन प्रक्रिया धीमी और अप्रत्याशित हो सकती है। कमजोर आईटी प्रणालियाँ डेटा के लिए पर्याप्त प्रावधान में बाधा उत्पन्न करते हैं और विफल संस्थानों के प्रभावी रेजोल्यूशन को सीमित करते हैं।

- रिज़र्व बैंक के साथ संबंध : जमाकर्ताओं को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उनकी कवर निक्षेप का भुगतान प्रभावी ढंग से और जल्दी किया जाएगा। ऐसे भुगतान के निधियन का आश्वासन दिया जाना चाहिए और रिज़र्व बैंक से आपातकालीन निधियन द्वारा समर्थित होना चाहिए।

- निगम के दायरे का विस्तार : निगम रेजोल्यूशन प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सक्षम है। रेजोल्यूशन प्रक्रिया के चयन और निरीक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका और मजबूत आईटी प्रणालियों से हमारे समग्र रेजोल्यूशन क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्षत: भारत में और किसी देशों में निक्षेप बीमा में सुधार अति महत्त्वपूर्ण है ...

वित्तीय समावेशन और स्थिरता के लिए निक्षेप बीमा अति महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संदर्भ में, निक्षेप बीमा प्रणाली में आवश्यक सुधारों में बैंक रेजोल्यूशन को शामिल करने के लिए डीआईसीजीसी के अधिदेश में विस्तार, किसी बैंक के दिवालियेपन से पूर्व रिज़ोल्व करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अधिकार देना, अस्थायी प्रशासक की नियुक्ति के लिए कानून पारित करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ जमाकर्ताओं को की जानेवाली प्रतिपूर्ति में तेजी लाना, बीमा कवरेज की सीमा बढ़ाना, डीआईसीजीसी को परिसमापक की नियुक्ति और निगरानी का अधिकार प्रदान करना, बैक अप निधियन और करों से छूट द्वारा डीआईसीजीसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना, और जोखिम - आधारित अंतर प्रीमियम प्रणाली अपनाना शामिल हैं। डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन करके इनमें से अधिकांश को प्राप्त किया जा सकता है।

निक्षेप बीमा प्रणालियों में वैश्विक स्तर पर जिन अति महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: निक्षेप बीमा एजेंसियों के अधिदेश में विस्तार से समग्र सुरक्षा ढाँचा का एक अभिन्न अंग बनाना, अन्य वित्तीय प्रणाली के साथ महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षा प्रदाताओं के साथ साझा करना, विदेशी बीमा कंपनियों और विदेशी सुरक्षा प्रदाताओं के बीच सूचनाओं का आदान – प्रदान करना, प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों पर आईएडीआई के मूल सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए सार्थक प्रयास करना, नियामकों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे बेहतर नियामक सुधारों द्वारा निक्षेप बीमा कंपनियों से

संबंधित सुविधात्मक उपायों/कार्यों को अपनायें, आने वाले संकट का जल्दी से पता लगाने और उत्कृष्ट आकस्मिक योजना के लिए एक उन्नत संवेदी प्रणाली का संयुक्त रूप से विकास करना, नैतिक खतरों से बचना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से निक्षेप बीमा प्रणाली निश्चित रूप से आदर्श बनेगी, जिससे वित्तीय संकट रुकेगा और वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी।

बैंक रेजोल्यूशन ढाँचा: भारतीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ

(डॉ. दुब्बुरी सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्घाटन भाषण)

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से, मैं *बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में निक्षेप बीमा की भूमिका-वित्तीय संकट से सबक पर* इस आईएडीआई-डीआईसीजीसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे सभी गणमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है जोधपुर के इस सनसिटी में - थार रेगिस्तान का सरहद, किलों और महलों का शहर, झीलों और बागों का शहर और अपनी परंपरा और आधुनिकता के मधुर मिश्रण से सराबोर लोककथाओं और किंवदंतियों का शहर - भारत का सुन्दरतम चेहरा।

डीआईसीजीसी

2. यह सम्मेलन डीआईसीजीसी के स्वर्ण जयंती समारोह का भी हिस्सा है, जिसे दुनिया में दूसरा सबसे पुराना सतत निक्षेप बीमा प्रणाली होने का गौरव प्राप्त है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से डीआईसीजीसी भारत के वित्तीय क्षेत्र के विकास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है, इसमें प्रगति हुई है और बेहतर हुआ है, कई चुनौतियों का सामना किया है और नये जोखिमों के प्रबंधन के लिए खुद को तैयार किया है। भविष्य में तेजी से बढ़ती और संरचनात्मक दृष्टिकोण से बदलती अर्थव्यवस्था की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डीआइसीजीसी को खुद को बदलने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए इसे दुनिया भर के निक्षेप बीमा प्रणाली से जुड़े अनुभवों से और वैश्विक वित्तीय संकट के अनुभवों से सबक लेना पड़ेगा। इसलिए, यह सम्मेलन डीआईसीजीसी को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सीखने का एक बढ़िया मौका प्रदान करता है।

वित्तीय संकट से सीख

3. वित्तीय संकट ने वैश्विक विकास और कल्याण पर एक विनाशकारी छाप छोड़ी है। तीन साल गुजर गए पर संकट अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, भले ही इसका स्थान बदल गया है। कुछ मामलों में 2008 और 2011 के संकट एकसमान हैं। 2008 के संकट का कारण निजी ऋणों का गलत मूल्य निर्धारण था तो 2011 में सार्वजनिक ऋणों का। दोनों के उत्पन्न होने का छोटा पर भ्रामक कारण था। 2008 में यू.एस. में सब-प्राईम ऋण और 2011 में ग्रीस में सरकारी ऋण। दोनों ही मामलों में छूत की बीमारी की तरह प्रभाव काफी व्यापक और विनाशकारी था। 2008 और 2011 के बीच में कुछ ध्यान देने योग्य विभिन्नताएं भी हैं। 2008 में संकट निजी ऋण और जटिल वित्तीय उत्पादों से जुड़ा हुआ था जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर जोखिम किसमें है; जबकि 2011 में जोखिम सार्वजनिक ऋण संकट से संबंधित था जिसमें स्पष्ट पता चल रहा था कि जोखिम का केंद्र कहाँ है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 2008 में, हमें अनजाने अज्ञात का सामना करना पड़ रहा था जबकि 2011 में हमें जाने पहचाने अज्ञात का सामना करना पड़ रहा है।

4. इस सम्मेलन के दृष्टिकोण से जो ध्यान देने योग्य बात है और जो महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वित्तीय संकट कहाँ हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कारण क्या है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे आया, पर हाँ, बैंक केंद्र बिंदु रहते हैं। जब बैंकों पर तनाव बढ़ता है तो संकट पर नियंत्रण रखने और विश्वास कायम करने में निक्षेप बीमा बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटना निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए एक चुनौती है।

5. वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय सुरक्षा तंत्र की कार्य-पद्धति तथा पर्यवेक्षकों, बैंक दिवाला संबंधी एजेंसियों और निक्षेप बीमाकर्ताओं के बीच रहने वाले संबंधों की पुनर्परीक्षा करने को मज़बूर कर दिया है। संकट से यह मालूम पड़ा कि जमाकर्ता जोखिम के प्रति हमारी समझ से कहीं अधिक संवेदनशील हैं। हमें ज्ञात है कि छोटे पैमाने पर हानि होने से पहले की अपेक्षा काफी अधिक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षण, विनियमन, दिवालिया और निक्षेप बीमा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को त्वरित और अच्छी तरह समन्वित रीति से झटकों से निपटने के लिए असल में तालमेलपूर्ण नीति तैयार करना ज़रूरी हो जाता है।

6. संकट से हमें एक और सीख मिली कि सुस्थिर वित्तीय प्रणाली को समर्थन प्रदान करने के लिए तीन स्तंभों का होना आवश्यक है। पहला है प्रभावी पर्यवेक्षण व्यवस्था। संकट से पर्यवेक्षण को और मज़बूत तथा कारगर किए जाने संबंधी कई सबक मिले हैं। दूसरा स्तंभ एक ऐसा सुदृढ़ विनियामक ढाँचा है जो समूची प्रणाली को समन्वित करता हो और जिसमें चक्रीय अस्थिरता से सहजता से निपटने की शक्ति अंतर्निर्मित हो। तथा तीसरा स्तंभ, जो इस सम्मेलन की विषय-वस्तु है, त्वरित व कारगर रेजोल्यूशन ढाँचा है और वह अत्यधिक जोखिम को रोकने के समुचित कारकों को उत्पन्न कर सकता हो।

7. सारे विश्व में विभिन्न एजेंसियों में उपर्युक्त तीन स्तंभों की जिम्मेदारी आबंटित किए जाने में काफी असमानता है। प्रत्येक देश के विशिष्ट विनियामक ढाँचे में निक्षेप बीमा प्रणाली की भूमिका और अधिदेश संबंधी बातें अंतर्विष्ट होती हैं। कुछ मामलों में निक्षेप बीमा प्रणालियाँ रेजोल्यूशन प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़ी रहती है, तो कहीं वे अपेक्षाकृत कम सक्रिय होती हैं और कुछ मामलों

में तो वे बिलकुल निष्क्रिय हैं। भारत में बैंक रेजोल्यूशन का कार्य पूरी तरह विनियामकों और पर्यवेक्षकों द्वारा संपन्न किया जाता है और डीआईसीजीसी मात्र एक पे-बॉक्स की भूमिका अदा करता है। मुझे यह समीचीन लगा कि भारत में बैंक रेजोल्यूशन में हमारे सामने होने वाली कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ इस प्रक्रिया में डीआईसीजीसी की भूमिका को रेखांकित करने के लिए यह एक उचित अवसर है।

भारतीय वित्तीय ढाँचा

8. बैंक रेजोल्यूशन की चुनौतियों पर चर्चा करने से पहले मैं भारतीय वित्तीय प्रणाली की रूप-रेखा का विहंगावलोकन करना चाहता हूँ।

9. हमारी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ, भविष्य निधियाँ व म्यूचुअल फंड और हाल ही में स्थापित पेंशन निधियाँ शामिल हैं, जिनकी समग्र आस्तियाँ सकल देशी उत्पाद के 140 प्रतिशत के बराबर हैं। कुल वित्तीय आस्तियों में वाणिज्यिक बैंकों का 60 प्रतिशत का हिस्सा है, जो कि समूची वित्तीय प्रणाली में बड़ा हिस्सा है। कुल आस्तियों में वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लगभग 75 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा है। भारत स्थित वाणिज्यिक बैंक पूँजी से संपन्न हैं; जून 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार बासेल-II मानदंडों के अंतर्गत प्रणाली स्तरीय जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) 13.9 प्रतिशत रहा, जो कि भारत के संदर्भ में निर्धारित 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से काफी अधिक है।

10. कई संरचनागत व विनियामक विशेषाताओं के चलते भारतीय वित्तीय प्रणाली झटके से निपटने में सक्षम है। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी आस्तियों का एक सर्वाधिक हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक है, वर्तमान में यह 24 प्रतिशत है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) के रूप में उसके पास एक और आरक्षित निधि रखने की अपेक्षा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि अधिकतर वाणिज्यिक बैंक सरकारी स्वामित्व के अधीन हैं। इस वजह से जनसाधारण का विश्वास और बढ़ता है। ज्ञात हो कि उपर्युक्त विनियामक और संरचनागत कारकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाली बीमा पर काफी लागत लगती है तथा हमें सदा इस लागत और लाभ के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र के ढाँचे में अभिभावी भूमिका निभा सकता है, जो केंद्रीय बैंकिंग के कार्यकलापों के साथ-साथ बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी का वहन करता है। रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत वाणिज्यिक बैंकों के रेजोल्यूशन संबंधी कई अधिकार प्राप्त हैं। रिज़र्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था होने के नाते डीआईसीजीसी लघु जमाकर्ताओं के संरक्षण हेतु केंद्रीय बैंक के साथ अच्छी तरह समन्वय स्थापित कर कार्य करता है।

12. माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (एफएसडीसी) का गठन वित्तीय स्थिरता मोर्चे की दिशा में हाल ही में संपन्न एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रणालीगत पर्यवेक्षण, विनियामक समन्वयन, वित्तीय क्षेत्र का विकास और वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन आदि इस परिषद् के अधिदेश में शामिल हैं। रिज़र्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित एक उप-समिति इस एफएसडीसी के परिचालनकारी अंग के रूप में कार्य करती है। इसके अंतर्गत विनियामकों के बीच आपस में तथा विनियामकों एवं सरकार के बीच बेहतर ढंग से समन्वय स्थापित करने का एक ऐसा तंत्र उपलब्ध है जिसकी आवश्यकता विशेष रूप से हमने संकट की अवधि में महसूस की थी।

13. भारत में विरले ही वाणिज्यिक बैंक दिवालिया हुए हैं। इसके पहले 2004 में एक बड़ा वाणिज्यिक बैंक विपदाग्रस्त हो गया तथा उसे इस स्थिति से प्रभावी और त्वरित रूप से बचाने के लिए उसका, एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय करा दिया गया। शहरी सहकारी बैंकों में दिवालियापन एक आम बात है। हमने ऐसे बैंकों पर नेमी रूप से निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया है जो न्यूनतम विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने से चूक जाते हों। कमज़ोर बैंक को पूँजी अंतर्वेश सहित महत्वपूर्ण वित्तीय मानदंडों को पूरा करने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। यदि उस बैंक में कम. जोरी जारी रहने के साथ-साथ निवल मालियत नकारात्मक हो जाती हो और उसकी कायापलट के लिए कोई ठोस कार्य-योजना बनाई जाती हो तो उसे मारटोरियम के अंतर्गत रख दिया जाता है। संकटग्रस्त बैंक को भारी मात्रा में आहरण की दुर्दशा से बचाने, उसकी आस्ति के घटने से रोकने और किसी उपयुक्त मजबूत बैंक को उसका अधिग्रहण करने हेतु समय देने की दृष्टि से उसे इस प्रकार मॉरटोरियम के अंतर्गत रखा जाता है। इस विलय की प्रक्रिया पारदर्शी एवं परामर्शात्मक रीति से यथाशीघ्र संपन्न की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिज़र्व बैंक में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड नामक बोर्ड की एक समिति कार्यरत है जो हमारे बैंक की पर्यवेक्षी गतिविधियों की समीक्षा करती है, साथ ही, बैंकों, विशेष रूप से कमज़ोर बैंकों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करती है।

14. हम भारत में परंपरागत रूप से संकटग्रस्त बैंक की पुनर्संरचना या उसका किसी मज़बूत बैंक के साथ विलय या उसे बंद कराने की रेजोल्यूशन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जब किसी कमज़ोर बैंक

का अन्य बैंक, सामान्य रूप से किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय किया जाता है तो आम तौर पर उस प्रक्रिया के लिए सहायता दी जाती है या अनिवार्य विलयन पद्धति को अपनाया जाता है। स्वैच्छिक विलयन के कई मामले भी देखने को मिले जहाँ किसी सुदृढ बैंक ने कमज़ोर बैंक का अभिग्रहण किया है। डीआईसीजीसी परिसमापन के अंतर्गत रखे गए बैंकों को भुगतान अदा करने के अलावा, निर्धारित कवरेज सीमा तक जमाकर्ताओं के दावों में पाई जाने वाली कमियों की भरपाई करते हुए उस स्थिति में विलयन को साकार करने में सहायता प्रदान करता है जब अधिग्राहक बैंक अपनी देयता को पूरा करने में असमर्थ रह जाता हो। छोटे शहरी सहकारी बैंकों के मामले में आम तौर पर जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति करके उन बैंकों का परिसमापन करने की पद्धति अपनाई जाती है।

बैंक रेजोल्यूशन ढाँचा और निक्षेप बीमा

15. वित्तीय संकट ने यह समझा दिया कि दुष्प्रभाव को रोकने और स्थिरता को बहाल करने में त्वरित रेजोल्यूशन कितना ज़रूरी होता है। हमें एक ऐसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया आवश्यक है जहाँ असुरक्षित या निष्प्रभावी तत्वों को निकालते हुए, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यकलापों को कायम रखते हुए बैंकों का समापन सुव्यवस्थित रूप से संपन्न किया जा सकता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) जैसे निकायों की स्थापना करके इंटरनैशनल फाइनैन्शियल स्टैंडर्ड ने राष्ट्रीय प्राधिकरणों को यह साबित किया है कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों में सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के साथ ऐसे साधनों का प्रयोग करते हुए पेश आएं जो वित्तीय स्थिरता को कायम रखने, प्रणालीगत जोखिम को कम करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा, नैतिक जोखिमों को रोकने और बाज़ार की कार्य-दक्षता बढ़ाने में कारगर हों। खैर, अब यह 'कार्य प्रगति पर' है।

16. भारत में हमारी स्थिति क्या है? यद्यपि अब तक हम बैंकों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में कामयाब रहे हैं, तथापि, यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमारा यह रेजोल्यूशन ढाँचा कड़ी परीक्षा में खरा उतरने में सक्षम है कि नहीं। कई प्रश्न हैं। क्या हमारी रेजोल्यूशन प्रक्रिया त्वरित और प्रभावी है? हमें केवल छोटी-छोटी चूकों से निपटने के लिए नहीं, अपितु मध्यम व बृहत् स्तरीय बैंकों की संभावित विफलताओं का सामना करने के लिए किस प्रकार के मूलभूत रेजोल्यूशन साधनों को अपनाना चाहिए? हमारे वित्तीय फर्मों के वैश्वीकरण होने या वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाने की स्थिति में मूल्य को कायम रखने में हमें किन-किन अड़चनों का सामना करना पड़ेगा? डीआईसीजीसी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण रेजोल्यूशन व्यवस्था में निक्षेप बीमाकर्ता किस प्रकार से कारगर भूमिका निभा सकते हैं? क्या हमें सुरक्षा तंत्र के सहभागियों के बीच दिवालियापन संबंधी दायित्वों का वितरण करने का वैकल्पिक उपाय पर विचार करना चाहिए?

17. इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी विधिक और विनियामक ढाँचे में कतिपय मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं न तो इस संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार करने की चेष्टा कर सकता हूँ और न ही ऐसा करने का कोई मेरा इरादा है। इसके बजाय मैं भारत के बैंक रेजोल्यूशन ढाँचे में रहने वाले विशिष्ट मुद्दों और अड़चनों को प्रस्तुत करूँगा।

I. समुचित विधिक ढाँचा

18. पहली चुनौती है- रेजोल्यूशन का एक ऐसा व्यापक विधिक ढाँचा किस प्रकार तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को समाहित किया जा सके। वर्तमान में प्रबंध तंत्र पर नियंत्रण, वित्तीय संस्था के अधिग्रहण, कारोबार के स्थगन जैसे मुद्दों के नियंत्रण संबंधी उपबंध विभिन्न कानूनों और विनियमों में बंटे हुए हैं। साथ ही, विभिन्न प्रकार के बैंकों को अलग-अलग कानूनों के तहत शामिल किया गया है। उदाहरणार्थ, कंपनियों के रूप में स्थापित किए गए बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 1956 के ज़रिए नियंत्रित किया जाता है (निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक कार्यालय)। भारतीय स्टेट बैंक, उनके अनुषंगी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिन्हें संसद के पृथक् अधिनियमों द्वारा निर्मित किया गया है, संबंधी रेजोल्यूशन व्यवस्था उनसे संबंधित कानूनों में समाविष्ट की गई है। जहाँ तक सहकारी बैंकों का संबंध है, उनके कार्य-संचालन, जिसमें उनका समापन और पुनर्संरचना शामिल है, के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व केंद्र या राज्य के स्तर पर सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार पर है। निक्षेप बीमा को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में अलग से शामिल किया गया है, किंतु उसे किसी बैंकिंग कानून में स्थान नहीं मिला है। अत: बैंक रेजोल्यूशन के नियंत्रण संबंधी विधिक ढाँचा सर्वत्र फैला हुआ है, और यह भ्रामक है, साथ ही इसमें पारदर्शिता का अभाव है।

19. एक बड़े मुद्दे पर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या भारत में बैंक रेजोल्यूशन के संबंध में न्यायालय-चालित प्रक्रिया की गति को और बढ़ाना ज़रूरी है। यदि किसी बैंक का शेयर-धारक बैंक रेजोल्यूशन करने वाले विनियामक के प्राधिकार को चुनौती देता है तो रेजोल्यूशन प्रक्रिया में और देरी हो जाती है। भारत में यदि कोई उद्यम विलय या समामेलन के माध्यम से संयोजन प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहता है तो उसे कम्पिटीशन कमीशन को सूचित करना होगा और इस कमीशन को इस पर निर्णय लेने के लिए चूक संबंधी खंड लागू होने से पहले 210 दिन तक का समय दिया जाता है। इससे विलय के जरिए किए जाने वाले बैंकों की रेजोल्यूशन

प्रक्रिया और जटिल हो जाती है और यह अनिश्चितता अस्थिरकारी प्रभाव छोड़ जाती है। हमने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि बैंक-विलय को इस उपबंध से छूट दे दी जाए।

20. भारत में हमें बैंक रेजोल्यूशन के लिए समय-सीमा संबंधी ''उत्तम व्यवहार'' पर ध्यान देना पड़ता है। यह प्रक्रिया काफी त्वरित रूप से संपन्न हो जाए कि बैंकों के लेनदारों, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को अनावश्यक हानि या देरी का सामना न करना पड़े; बहुलांश मूल्य चूकी हुई या चूकती संस्था से निकाला जाए; चाहे शेयरधारकों को हानि का ही सामना क्यों न करना पड़े। हमें यह भी विदित है कि बाज़ार देरी से लिए जाने वाले निर्णयों और चूकती संस्था के भविष्य की अनिश्चितता को क्षमा नहीं करते। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रकार की ऐसी संस्थाओं के रेजोल्यूशन के संबंध में यथोचित समय-सीमा तय करने पर विचार-विमर्श किया जाए जिनके परस्पर विरोधी हितों में तालमेल हो।

II. निक्षेप बीमाकर्ता की विस्तृत भूमिका

21. हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना ज़रूरी है कि 'रेजोल्यूशन प्राधिकार' किसके पास हो। विशेष रूप से क्या डीआईसीजीसी को बैंक विफलताओं की समय रहते पहचान और उनके प्रभावी रेजोल्यूशन में सहायता देने की दृष्टि से पर्यवेक्षी ढाँचे में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभानी है कि नहीं। पिछले पचास वर्ष के दौरान डीआईसीजीसी ने अपनी 'पे-बाक्स' भूमिका बखूबी निभाया है। किंतु वह जमाकर्ताओं के संबंध में ठोस सूचना विनिमय व्यवस्था के अभाव में जमाकर्ताओं को त्वरित भुगतान करने में असमर्थ है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के चूकने के मामले विरले ही सामने आते हैं और निक्षेप बीमा प्रणाली के अधिकतर लाभार्थी शहरी सहकारी बैंकों के हैं। यद्यपि, कालांतर में शहरी सहकारी बैंकों का विनियामक व पर्यवेक्षी ढाँचा वाणिज्यिक बैंकों के तर्ज पर बन गया है, तथापि, इन बैंकों के रेजोल्यूशन तंत्र के नियंत्रण का कार्य पूर्ण रूप से रिज़र्व बैंक के अंतर्गत नहीं है; तत्संबंधी प्राधिकार में हमारे साथ-साथ केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों का भी हिस्सा है। इस दोहरे नियंत्रण के चलते इस वर्ग के बैंकों के रेजोल्यूशन के अंतर्गत परिसमापकों की नियुक्ति से लेकर जमाकर्ताओं संबंधी सूचना (जो कि सर्वदा इलेक्टानिक रूप में उपलब्ध नहीं होती है) को एकत्रित करने, जमाकर्ता को भुगतान अदा करने और आस्तियों की वसूली करने में देरी होती है।

22. समूचे विश्व में ऐसी निक्षेप बीमा प्रणालियाँ संकटग्रस्त बैंकों के रेजोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगी हैं जिनका अधिदेश व्यापक हो। बैंकों के जोखिम मूल्यांकन संबंधी सूचना तैयार रहने की वजह से वे त्वरित रूप से सुधारात्मक कार्रवाई करने में कामयाब हुई हैं। इस व्यवस्था से बीमाकर्ता महज पे-बाक्स सिस्टम बने रहने की अपेक्षा लागत को कम करने में समर्थ हुए हैं।

23. निक्षेप बीमाकर्ता किसी चूकी हुई संस्था के रेजोल्यूशन के प्रति ''न्यूनतम लागत'' पद्धति को अपनाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार, विनियामक निकाय, केंद्रीय बैंक और निक्षेप बीमाकर्ता जैसे सुरक्षा व्यवस्था के सहभागियों द्वारा की गई समुचित कार्रवाई में सहयोग और तालमेल बिठाना शामिल है। अतीत के अनुभव से यह पता चला कि ऐसे निक्षेप बीमाकर्ता जनसाधारण में विश्वास पैदा करने और उसे कायम रखने तथा वित्तीय संकट की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक कारगर साबित हुए हैं जिनका अधिदेश व्यापक हो, जिनके पास पर्याप्त अधिकार, परिचालनात्मक स्वतंत्रता हो तथा आकस्मिकता निधि प्राप्त करने के ठोस स्रोत हों।

24. कुछ देशों ने अपनी निक्षेप बीमा प्रणालियों एवं रेजोल्यूशन ढाँचों का पुनरीक्षण किया है और उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। भारत में जमाकर्ताओं को त्वरित रूप से और कम लागत पर भुगतान अदा करने, तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का लाभ संबद्ध होने के कारण रेजोल्यूशन को त्वरित रूप से संपन्न करने की दृष्टि से चूकते बैंकों के रेजोल्यूशन में डीआईसीजीसी के अधिदेश को विस्तृत करने पर हमें विचार करना है। सुस्पष्ट दिवालिया निवारण व्यवस्था तैयार करने और एक उपयुक्त रीति से सुगठित रेजोल्यूशन प्रक्रिया तैयार करने से इस मसले का हल हो सकता है। सरकार द्वारा नियुक्त वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग वित्तीय क्षेत्र पर प्रयोज्य सभी कानूनों की व्यापक रूप से इस उद्देश्य के साथ समीक्षा कर रहा है कि विकासशील व उन्नयनशील वित्तीय क्षेत्र को इन कानूनों से समर्थन मिल सके। आशा की जाती है कि यह आयोग कतिपय कानूनों की मूलभूत पुनर्संरचना की सिफारिश करेगा ताकि इस क्षेत्र का कानूनी ढाँचा सरल, पारदर्शी और दक्षतापूर्ण बन सके। रिज़र्व बैंक की ओर से हम आयोग को अपनी राय पेश करेंगे, और हमारे प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत बैंक रेजोल्यूशन संबंधी कानूनों को युक्तियुक्त बनाना और डीआईसीजीसी के अधिदेश की पुनरीक्षा करना भी शामिल है।

III. . क्रॉस-सब्सिडाइजेशन

25. निक्षेप बीमा के अंतर्गत शामिल किए गए बैंकों के विविधतापूर्ण स्वरूप से हमें तीसरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से हमारे यहाँ ऐसे वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक कार्यरत हैं जिनसे संबंधित कानून और संरचना भिन्न-भिन्न हैं और उनकी चूक की दरें भी भिन्न-भिन्न हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। किंतु उन सबको डीआईसीजीसी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समान बीमा प्रीमियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों की क्रॉस-सब्सिडाइजेशन

किए जाने की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले पाँच वर्ष के दौरान डीआईसीजीसी को प्राप्त प्रीमियम की राशि में औसत रूप से वाणिज्यिक बैंकों का 92 प्रतिशत का योगदान रहा, जबकि किए गए भुगतान की संपूर्ण राशि सहकारी बैंकों को मिली थी। डीआईसीजीसी द्वारा बीमाकृत जमाराशियों में इनका केवल 14 प्रतिशत का हिस्सा रहा।

26. इस क्रॉस-सब्सिडाइजेशन या सभी वर्ग के बैंकों से समान रूप से प्रीमियम लगाए जाने से नैतिक जोखिम पैदा हो जाता है। इस क्रॉस-सब्सिडी को कम करने के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम लगाया जा सकता है, किंतु हम पूरे विश्वास के साथ यह बता नहीं सकते कि इससे भारत के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होगी कि नहीं। एक ओर नैतिक जोखिम को कम करने के साथ-साथ ऐसे बैंकों, जो पहले से कमज़ोर हैं, पर उच्चतर प्रीमियम का अतिरिक्त बोझ डालने की स्थिति है तो दूसरी ओर वित्तीय समावेशन के अति महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना है, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के संबंध में मूल्यांकन करना ज़रूरी है। इसमें एक और चिंता की बात यह है कि जोखिम-आधारित प्रीमियम लगाने से बाज़ार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उच्चतर प्रीमियम के बोझ से ये कमज़ोर बैंकों का स्टॉक मूल्यों पर पहले ही नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका होता है। जबकि, वस्तुत: बड़े-बड़े बैंकों पर उच्चतर प्रीमियम लगाने से समग्र प्रणाली में उनकी व्यापक उपस्थिति के अधिभार के रूप में क्रॉस-सब्सिडाइजेशन को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में क्रॉस-सब्सिडाइजेशन और नैतिक जोखिमजन्य जोखिमों को स्थान मिलेगा।

IV. निक्षेप बीमा निधि की पर्याप्तता

27. जो चौथी चुनौती है वह है – निक्षेप बीमा निधि की पर्याप्तता का अनुमान लगाना। निक्षेप बीमा में जनता का विश्वास मुख्यतया इस बात से निर्धारित होगा कि क्या जमा निधि अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। निगम प्रारंभ से ही ऐसी निधि बनाए रखे हुए है जिसकी निधियाँ बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम और निधियों के निवेश से निर्मित आय में से आती हैं। जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए, निधि इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में नेमी तौर पर बैंकों के विफल हो जाने के कारण उत्पन्न दावों की प्रतिपूर्ति की जा सके। विफलताओं के पिछले रिकार्ड को देखते हुए, निगम द्वारा रखी जा रही निधि पर्याप्त लगती है। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ छोटे या मध्यम आकार के वाणिज्यिक बैंकों के विफल हो जाने के कारण उत्पन्न दावों को पूरा करने में निधि पर्याप्त होगी या नहीं। निस्संदेह, किसी व्यापक वित्तीय संकट का सामना करने के लिए कोई भी निक्षेप बीमाकर्ता पर्याप्त चलनिधि नहीं रख सकता। बैंकों की सिस्टैमिक विफलता की असाधारण परिस्थिति में, यह अनिवार्य है कि निक्षेप बीमाकर्ता को केंद्रीय बैंक तथा/या सरकार से असीमित तथा शीघ्र निधियाँ सुलभ हों ताकि वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जैसाकि हम सभी जानते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था ने 2008 के संकट के दौरान जमाकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

V. क्रास-बार्डर बैंक समाधान (रेजोल्यूशन)

28. एक और चुनौतीवाला क्षेत्र, न केवल हमारे लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर है – क्रास-बार्डर बैंक रेजोल्यूशन । मुख्य समस्या है – विभिन्न देशों के बीच कानूनों और विनियामक फ्रेमवर्क में भिन्नताएं जिसके चलते रेजोल्यूशन कठिन, अकुशल और खर्चीला हो जाता है। एक एकीकृत विधिक तथा विनियामक फ्रेमवर्क की ओर अग्रसर होने की बहुत आवश्यकता है।

29. भारत में, क्रास-बार्डर बैंकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेनदेनों में वृद्धि होगी, भारत को उत्तरोत्तर क्रास-बार्डर जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। यही समय है कि फेल्योर रेजोल्यूशन को त्वरित और प्रभावकारी बनाने वाले उपायों की पहचान की जाए चाहे उसका उद्गम कुछ भी हो। हमें विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना होगा, सूचना को शेयर करने में मजबूती लानी होगी, और विफल होती वैश्विक संस्था का समाधान करने के विकल्पों पर मतैक्य बनाना होगा।

30. इस संदर्भ में एक संबद्ध मुद्दा, जिस पर पिछले कई वर्षों से हमारा ध्यान गया है – भारत में विदेशी बैंकों के परिचालनों के लिए यथोचित फ्रेमवर्क। विशेषकर, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम विदेशी बैंकों का स्थानीय निगमन अनिवार्य बना दें। विश्व में क्रास-बार्डर बैंकिंग का संगठनात्मक ढाँचा अलग-अलग है और विभिन्न देशों के कारोबारी माडलों की विविधता और वित्तीय विकास के विभिन्न चरणों को दिखलाता है। शाखा और सहायक माडल दोनों ही के अच्छे गुण भी हैं और उनमें कमियां भी। पूरे विश्व में यह माना जाता है कि शाखा माडल के अधीन किसी विदेशी बैंक के विफल हो जाने पर स्थानीय लेनदारों के दावों और स्थानीय देयताओं का निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा। रेजोल्यूशन प्रक्रिया को सहज बनाने के साथ-साथ सहायक फ्रेमवर्क होस्ट ज्यूरिस्डिक्शन को बेहतर विनियामक नियंत्रण और सहजता प्रदान करता है। संकट की परिस्थितियों में, शाखा तथा शेष बैंक के बीच भेद और आस्तियों तथा देयताओं का कानूनी स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष जनवरी में जारी किए चर्चा पत्र के आधार पर रिज़र्व बैंक भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी करेगा।

VI. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं (सिफी) के लिए रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क

31. आखरी चुनौती जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ – वह है - सिफी का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिफी का पर्यवेक्षण और विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसलिए कि कई देशों में उनकी संख्या काफी बड़ी है और उनमें काफी बड़ा गैर-बैंकिंग क्षेत्र भी आता है। सिफी के लिए कई प्रकार का कौशल तथा ज्ञान जरूरी होता है जिसे समझने के लिए सभी देश मशक्कत कर रहे हैं। सिफी के लिए अतिरिक्त पूँजी बनाए रखने को लेकर 'सिस्टमिक सरचार्ज' की उपयुक्तता को लेकर चर्चा होती है। हालांकि, ऐसी उच्चतर पूँजी से फर्मों पर अतिरिक्त लागत बढ़ जाएगी, लेकिन मजबूत तुलनपत्रों के लाभ, जो प्रखर वित्तीय आघातों का सामना कर सकते हैं, लागत की तुलना में ज्यादा हैं।

32. यह भी महत्वपूर्ण है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए हम एक प्रभावशाली रेजोल्यूशन व्यवस्था विकसित करें। बड़ी और जटिल संस्थाओं के लिए नए जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षी मानक बनाना एक बहुत बड़ा काम है, इनका कार्यान्वयन तो और भी ज्यादा कठिन होगा। अभी तक, बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विनियामक और कानूनी स्थिति के अंतर समझे जा सकते हैं क्योंकि उनकी गतिविधियाँ अलग-अलग बाजारों में केंद्रित है। ऐसे बड़े जटिल वित्तीय संस्थाओं और समूहों का सामने आना जो बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों ही क्षेत्रों में है, ऐसे पर्यवेक्षी और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में समन्वय लाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रयास में काफी समय, संसाधन तथा विशेषज्ञता और ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो जोखिमों का संपूर्ण विश्लेषण कर सके।

33. कई भारतीय बैंक बड़े होकर फाइनान्शियल कांग्लोमरेट हो गए हैं और विभिन्न बाजारों में विभिन्न वित्तीय उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। इन्हें देशी सिफी माना जा सकता है। विनियामक दृष्टिकोण से यह दो चुनौतियाँ देता है : एक, पर्याप्त विधिक फ्रेमवर्क का अभाव और दो, सीमित अंतर-विनियामक सहयोग फ्रेमवर्क।

34. पहला, वर्तमान विधिक और विनियामक फ्रेमवर्क के भीतर रेजोल्यूशन की कुशलता बढ़ाना नए बने एफएसडीसी की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। ऐसी रेजोल्यूशन योजनाएं बनाना बहुत महत्वपूर्ण काम होगा जो विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर सूत्रों के संबंध में सूचना को ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, हमें वैश्विक सिफी के लिए पर्यवेक्षी संस्थाओं के समान ही किसी क्रियाविधि पर विचार करना होगा।

35. दूसरा, ऐसे महासंघों के पर्यवेक्षण की शुरूआत बैंकों के कारोबारी माडलों और जोखिम प्रोफाइल के बारे में समझ से होनी चाहिए। बड़े और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकिंग समूहों की निरंतर और निकट से निगरानी करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक 'वित्तीय महासंघ निगरानी प्रभाग' स्थापित किया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अब बारह संस्थाएं आती हैं जिनके पास बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का 53 प्रतिशत है। हमारी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों के एक भाग के रूप में विभिन्न परिस्थितियों में स्ट्रेस टेस्ट अपनाकर हमने एक नई शुरूआत भी की है। एफएसडीसी उप-समिति इस समय बड़े वित्तीय महासंघों की निगरानी के लिए अंतर-विनियामक समन्वयन के लिए एक संस्थागत फ्रेमवर्क भी विकसित कर रही है।

निष्कर्ष

36. जैसा कि किसी ने कहा है वैश्विक वित्तीय संकट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नि:संदेह, हमने बहुत सबक सीखे हैं। अब हमें मालूम है कि वित्तीय बाजार अपने आप कभी नहीं सुधरते और वित्तीय अस्थिरता का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। हम यह भी जानते हैं कि अस्थिरता होने के संकेत समय रहते आसानी से नहीं दिखलाई देते और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। हम त्वरित, प्रभावशाली और पारदर्शी रेजोल्यूशन प्रणालियों की स्थापना को लेकर भी बहुत संवेदनशील हैं ताकि संक्रामक प्रभाव को कम किया जा सके।

37. संकट से मिला एक और बहुत बड़ा सबक यह है कि हममें से प्रत्येक को अपने सामूहिक अनुभव से सीखना चाहिए, लेकिन जो समाधान हमें अपनाने होंगे वे संदर्भगत होंगे और देश विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। निक्षेप बीमा प्रणालियों के परिचालन सहित यह वित्तीय प्रणालियों के समूचे विनियमन और पर्यवेक्षण पर लागू होता है। मुझे आशा है कि यह सम्मेलन हमें वैश्विक स्तर पर सोचने और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने की ओर बढ़ने में सहायता करेगा। मैं आपके विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूँ।

उभरते वित्तीय परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए निक्षेप बीमा संस्थाओं को सक्षम बनाना – वैश्विक और भारतीय अनुभव

(डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का समापन भाषण)

श्री हिरोकी ओबाटा, उप गवर्नर, डीआईसीजे, जापान, श्री कार्लस इसोर्ड, सेक्रेटरी जनरल, आईएडीआई, स्विट्ज़रलैंड, श्री जर्जी प्रूस्की, प्रेसिडेंट, बीजीएफ, पोलैंड, श्री फ्रेड एस. कार्नस, डायरेक्टर, एफडीआईसी, यूएसए, श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक, प्रख्यात प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों। प्रारंभ में ही, रिज़र्व बैंक की तरफ से, मैं भारत में और विशेषकर वशीभूत कर देनेवाले राजस्थान राज्य में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम निगम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए आईएडीआई के आभारी हैं। जैसाकि आप जानते हैं, 1 जनवरी 2011 को निगम ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया। यह सम्मेलन निगम के स्वर्ण जयंती समारोहों के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है, और इसलिए यह हमारे लिए विशेष महत्व रखता है।

वैश्विक वित्तीय संकट और निक्षेप बीमा

2. हाल ही के वैश्विक वित्तीय संकट ने यह दिखला दिया है कि वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूरे विश्व में वित्तीय प्रणालियाँ सेफ्टी नेट पर निर्भर करती है। वैश्विक संकट के दौरान, अनिश्चितता के कारण अफरा-तफरी फैली और बैंक विफल हो गए। इन परिस्थितियों में, अफरा-तफरी की भावना को कम करने में वित्तीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में निक्षेप बीमा काफी महत्वपूर्ण थी। पूरे विश्व में सरकारें निक्षेप बीमा कवर की सीमा बढ़ाने, निर्बंध गारंटियाँ, आदि प्रदान करने जैसे उपाय करती हैं। इन उपायों के कारण बैंकिंग प्रणालियों में जनता का विश्वास फिर से बना। इस प्रकार, वित्तीय संकट के प्रभाव को रोकने और कम करने में तथा साथ ही वित्तीय प्रणालियों के सुचारू रूप से कार्य करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में निक्षेप बीमा की महत्ता सबने पहचानी है।

3. वैश्विक वित्तीय संकट ने सभी को निक्षेप बीमा प्रणालियों और सेफ्टी नेट संबंधी मुद्दों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यह आमतौर पर माना जाता है कि बैंक विफल हो जाने की पहचान करने और उनका प्रभावी समाधान करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क में निक्षेप बीमा प्रणालियों को और अधिक सक्रियता से भूमिका निभानी चाहिए। निक्षेप बीमा प्रणालियाँ अपनी भूमिका अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें, इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक समाधान में अधिक भूमिका सहित निक्षेप बीमा प्रणालियों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है। जब अलग-अलग संस्थाएं विफल हो जाती हैं, तो जमाकर्ताओं की सहायता केवल बीमा कवर के जरिए नहीं की सकती (जो बड़े जमाकर्ताओं पर व्यापक रूप से लागू नहीं होती), बल्कि शुरू से ही इस प्रक्रिया में बीमाकर्ता को शामिल करना और अधिक प्रभावी होगा। स्टेकधारक समूह के रूप में यह जमाकर्ताओं को एक आवाज देगा जिसके कारण वे बीमा योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ अपने हितों की भी बेहतर सुरक्षा कर सकेंगे।

4. उपर्युक्त को देखते हुए, मुझे प्रसन्नता है कि यह सम्मेलन ''बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में निक्षेप बीमा की भूमिका - संकट से सबक'' विषय पर आयोजित किया गया जो बहुत संगत, यथोचित और सामयिक है। कई देशों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण उप विषयों जैसे कि बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण तत्व, देशों के अनुभव, विनियामकों की प्रतिक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं पर प्रस्तुति दी हैं। इस सम्मेलन में कई पहलुओं पर चर्चा की गई है जैसे कि इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, क्रास-बार्डर इनसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, बैंक रेजोल्यूशन में निक्षेप बीमा की भूमिका, देशों के अनुभव, संकट के लिए फ्रेमवर्क विनियामक सुधार (बासल-III), वित्तीय संकट के प्रति निक्षेप बीमाकर्ताओं की प्रतिक्रिया, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के संबंध में वैश्विक प्रथाओं की समीक्षा, बैंक रेजोल्यूशन के लिए अति महत्वपूर्ण विशेषताएं, प्रभावशाली निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए बुनियादी सिद्धांत तथा सेफ्टी नेट फ्रेमवर्क के आकलन में चुनौतियाँ। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों द्वारा कई मत व्यक्त किए गए हैं और अनुभव बांटे गए हैं और उन पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही, नीति निर्माताओं ने भी कई विकल्प दिए हैं। इनका सारांश इस प्रकार है।

सम्मेलन में प्रमुख विचार-विमर्श

5. इस सम्मेलन में, वैश्विक विनियामक सुधारों का सर्वेक्षण किया गया और एशिया, विशेषकर एशियाई बैंकों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। पूँजी का बफर बनाने, बैंकों के चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने, अल्पकालिक थोक निधियन पर उनकी निर्भरता कम करने, निधियन के और अधिक स्थायी स्रोतों का सहारा लेकर बैंकों को उनकी निधियन गतिविधियों में प्रोत्साहन देने, माइक्रो तथा मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट करने, तथा और अधिक मजबूत पूँजी आधार बनाने की आवश्यकता है। मैक्रो-विवेकपूर्ण नीतिगत फ्रेमवर्क तथा निक्षेप बीमा के बीच संबंध पर भी चर्चा की गई।

चर्चा किए गए मुद्दों में निक्षेप बीमाकर्ताओं द्वारा मैक्रो-विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, वित्तीय स्थिरता में उनकी विशिष्ट भूमिका, निधियन व्यवस्थाएं, निक्षेप बीमा प्रीमियम, व्याप्ति, तथा निक्षेप बीमाकर्ताओं का क्रास-बार्डर समन्वयन शामिल थे। यूएसए (एफडीआईसी) के अनुभव से पता चला कि बाजार में अनुशासन फिर से लाने की आवश्यकता है, यदि बड़ी वित्तीय संस्थाएं अर्थक्षम नहीं रहतीं तो उन्हें असफल हो जाने की अनुमति देना, उनके व्यवस्थित परिसमापन के लिए क्रास-बार्डर सहयोग की आवश्यकता, बैंकों द्वारा मजबूत पूँजी आधार बनाना तथा पर्यवेक्षकों द्वारा वस्तुपरक पूँजी मानकों को लागू करना। अन्य देशों के अनुभव से यह पता चला कि निक्षेप बीमाकर्ताओं के विधिक तथा परिचालनगत साधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, बैंकिंग रेजोल्यूशन की सिम्यूलेशन एक्जरसाइज करना तथा प्रणालीगत संस्थाओं की नियमित निगरानी करना।

6. कुछ अन्य प्रस्तुतियों के अनुसार, वित्तीय जवाबदेही तथा बुनियादी सक्षमताओं सहित निक्षेप बीमा को उत्तरदायी रेजोल्यूशन एजेंसी होना चाहिए। आकस्मिक योजनाएं, प्राधिकारियों के बीच सहयोग, निधीनयन योजना, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता, वसूली और रेजोल्यूशन योजनाएं, त्वरित पे-आउट तथा विनियामक सुधार होने चाहिए। निक्षेप बीमाकर्ता के पास स्वतंत्रता, प्रतिक्रिया देने की त्वरित क्षमता, वित्तीय आँकड़ों तक पहुँच, पर्याप्त निधियन तथा कानूनी सुरक्षा होनी चाहिएं। रेजोल्यूशन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की पहचान की गई जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निक्षेप बीमाकर्ताओं की सहायता करेंगी। पर्यवेक्षी तथा विनियामक कमियों के कारण कमजोर पड़ती निक्षेप बीमा प्रणालियाँ, नये उपायों का धीमा कार्यान्वयन तथा सरकारों द्वारा बढ़े हुए नैतिक जोखिम के संबंध में चिंता प्रकट की गई।

7. एफएसबी के अनुसार, सूचना, साधनों, आकस्मिक योजनाओं, आदि सहित रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के संबंध में निक्षेप बीमाकर्ताओं के लिए एफएसबी को पूरी तरह से विविध होना चाहिए। क्रास-बार्डर इन्सॉल्वन्सी के संदर्भ में, हानि सहन कर सकने की अधिक क्षमता, रेजोल्यूशन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, बाजार में बुनियादी सुविधाएं तथा पर्यवेक्षण सहित एक बहुविध नीतिगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रणालीगत जोखिमों, निक्षेप बीमाकर्ताओं की बदलती भूमिका तथा भावी दिशाओं, उनके डिजाइन लक्षणों, तथा संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। अंत में आकलन संबंधी चुनौतियों सहित कोर प्रिंसिपल की भूमिका को विस्तार से बताया गया।

8. इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श और चर्चा बहुत लाभदायक रही और नि:संदेह उनसे नीति निर्माताओं को कुछ मत मिले हैं। अब मैं भारत की निक्षेप बीमाप्रणाली का दृश्य, भावी सुधारों के संदर्भ में मुद्दों की चर्चा, और वैश्विक निक्षेप बीमा प्रणालियों में भावी दिशाओं पर चर्चा करूँगा।

भारत की निक्षेप बीमा प्रणाली

9. भारत जैसे देश में जहाँ वित्तीय बहिष्करण (एक्लूजन) बहुत अधिक है, और अपनी निधियों की सुरक्षा को लेकर छोटे-छोटे जमाकर्ता बहुत चिंतित रहते हैं, वित्तीय समावेशन के लिए निक्षेप बीमा अति महत्वपूर्ण है और उसमें एक प्रेरक का काम करती है। प्रबंध तंत्र द्वारा की गई त्रुटियों और व्यापक रूप से प्रणालीगत आघातों से भी निक्षेप बीमा छोटे-छोटे जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही, वित्तीय विनिमयन/पर्यवेक्षण सहित वित्तीय सुरक्षा नेट फ्रेमवर्क के अन्य तत्व भी वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत में निक्षेप बीमा की सुविधा के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सरकार या रिज़र्व बैंक की सहायता के कारण यह धारणा बन गई है कि बहुत बड़े आकार के कारण बैंक विफल नहीं होंगे या वे विफल हो ही नहीं सकते। यह धारणा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सही हो सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा बड़ी संख्या में सहकारी बैंकों के मामले में निश्चित रूप से सही नहीं है।

10. मैं भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत के एक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, अर्थात् निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के अधीन 1962 में भारत के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना की गई थी। यह विश्व में दूसरी सबसे पुरानी निक्षेप बीमा एजेंसी है। निगम भारत के केंद्रीय बैंक, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक संस्था है। वस्तुत: यह एक पे-बॉक्स प्रणाली है क्योंकि इसकी भूमिका वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार दावों का निपटान करने तक सीमित है। नीचे दी गई सारणी-1 आपको निगम के दावे निपटान संबंधी परिचालनों के विशाल आकार की एक झलक देगी। निगम का मिशन है – *'निक्षेप बीमा के प्रावधानों के माध्यम से, विशेषकर छोटे-छोटे जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाकर वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाना।'* इसका दृष्टिक्षेत्र है - 'अपने स्टेक धारकों की आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही कुशल तथा प्रभावशाली निक्षेप बीमा देनेवाले के रूप में पहचान बनाना।' सभी वाणिज्यिक बैंक तथा पात्र सहकारी बैंक निक्षेप बीमा में कवर होते हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पास 2,217 बैंक पंजीकृत हैं। प्रत्येक जमाकर्ता को 0.1 मिलियन रु.(लगभग 2,240 यूएस डालर) का बीमा कवरेज प्राप्त है। संख्या के रूप में लगभग 93 प्रतिशत जमा खाते और मूल्य के अनुसार 35 प्रतिशत

जमा राशियाँ बीमा के तहत आती हैं (सारणी-2)। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार यह कवरेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 गुना बैठता है। बीमा प्रीमियम एक समान दर पर लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से काफी हद तक अछूता रहा और इस प्रकार, संकट के बाद भी बीमा कवरेज और प्रीमियम की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सारणी 1: विफल बैंक और डीआईसीजीसी द्वारा भुगतान किए गए दावे

वर्ष	विफल बैंकों की संख्या *	भुगतान किए दावे (राशि यूएस. मिलियन $ में)
2007-08	22	40
2008-09	30	45
2009-10	28	145
2010-11	28	89

* सभी बैंक शहरी सहकारी बैंक थे। बैंकों के परिसमापन पर डीआईसीजीसी ने दावों का निपटान किया।

सारणी 2: जमाराशि संवितरण बनाम बीमा कवरेज

विवरण		2010-11 के अंत की स्थिति के अनुसार (अप्रैल-मार्च)	
		खातों की संख्या (मिलियन में)	कीमत (बिलियन भारतीय रु में)
1	जमाराशि 0 रु. से 0.1 मिलियन रु. तक	977	17,358 (389)
2	जमाराशि 0.1 मिलियन रु. से कुल तक	75	32,166 (720)
3	समग्र जमाराशियाँ	1,052	49,524(1,109)

टिप्पणियाँ: 1. कोष्ठक में दिए गए आँकड़े यूएस बिलियन $ में हैं।
2. इंश्योरेंस का अधिकतम कवरेज 0.1 मिलियन रु. है।

11. मै आपको बताना चाहूँगा कि एक आकलन दल ने, जिसमें आईएडीआई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे, सितंबर 2010 के अंत में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का दौरा किया ताकि प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों हेतु कोर सिद्धांतों के लिए ड्राफ्ट एसेसमेंट मेथडोलॉजी का फील्ड टेस्ट किया जा सके। दल की रिपोर्ट के अनुसार, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों हेतु 18 कोर सिद्धांतों में से लगभग आधे का अनुपालन करता है या अधिकांश रूप में उनका अनुपालन करता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अपनी ''पे-बाक्स'' प्रणाली में सभी कोर सिद्धांतों का पूर्णत: या अधिकांशत: अनुपालन करता है। तथापि, समग्र ऋणशोधनाक्षमता संबंधी ढांचे में पाई गई कमजोरी, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के नियंत्रण के बाहर है, इसके बहुत से कोर सिद्धांतों के समग्र अनुपालन को सीमित कर देती है।

12. स्वर्ण जयंती की पूर्वसंध्या पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने निक्षेप बीमा पर जन - जागरूकता बढाने के लिए ब्रोशर और पोस्टर छपवा कर और बीमित बैंकों को अपनी सभी शाखाओं में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के विषय में इन्हें प्रदर्शित करके जागरूकता फैलाने के संबंध में सूचित किया है। निगम जमाकर्ता-केंद्रित उपकरणों जैसे कि इंटीग्रेटेड क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमएस) को भी लागू करने का प्रयास कर रहा है ताकि जमाराशियों के संबंध में और अधिक सटीक और अद्यतन सूचना एकत्रित की जा सके जो दावों का शीघ्र निपटान करने में मदद प्रदान करेगी।

निक्षेप बीमा प्रणाली में सुधार

13. अब मै भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली में अपेक्षित सुधारों की ओर ध्यान केंद्रित करूँगा और उसमें शामिल मुद्दों को प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम, हाल के संकट ने यह दर्शाया है कि नियामकीय ढाँचों में निक्षेप बीमाकर्ताओं को बैंकों के असफल होने की पूर्व पहचान करने और जनता की निधियों की सुरक्षा और जन विश्वास बनाए रखने की प्रभावी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना होगा। अत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कार्यक्षेत्र को पे-बॉक्स (कानून में बताई गई सीमा और तरीके के अनुसार जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करना) से बढ़ाकर इसे बैंकिंग संकल्पना के सभी क्षेत्रों तक विस्तारित करने की आवश्यकता है। इसे न केवल परिसमापन प्रक्रिया में शामिल किया जाए अपितु बैंकों की निगरानी, परेशानी में पड़े बैंकों हेतु त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करने और अत्यंत कम लागत वाले तरीके को खोजने और निवारण करने की प्रक्रिया में भी शमिल किया जाए। इससे जमाकर्ताओं के दावों का शीघ्रता से निपटान हो सकेगा और कम लागत और निवारण में तीव्रतर गति प्राप्त हो सकेगी और इसके साथ ही वित्तीय प्रणाली की स्थिरता भी इसके साथ संयुक्त रहेगी। इसका एकमात्र रास्ता यही है कि एक सुपरिभाषित ऋण शोधन क्षमता और भली-प्रकार निर्मित निवारण प्रक्रिया की व्यवस्था की जाए। दूसरे यह कि किसी बैंक के दिवालिए होने के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उसे बचाने की शक्तियाँ होनी चाहिए। निवारण शक्तियों को विस्तार देने के लिए बैंक विशेष निवारण विधेयक लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अस्थायी प्रशासक नियुक्त करने के लिए भी एक विधेयक लाए जाने की आवश्यकता है। तीसरे यह कि, असफल बैंकों के जमाकर्ताओं का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जमाकर्ताओं को उनकी निधियाँ त्वरित रूप से उपलब्ध कराई जाएं। अत: निक्षेप

बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के लिए यह आवश्यक है कि वह जमाकर्ताओं को तेजी से प्रतिपूर्ति करने के तरीकों का पता लगाए। इसके लिए तकनीकी प्रोन्नयन करने की आवश्यकता है जिसमें सभी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशंस (सीबीएस) को अपनाना शामिल है ताकि जमाकर्ताओं के डाटाबेस तक पहुँच बनाने के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम और बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशंस के बीच एक प्रभावी इंटरफेस बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, निक्षेप बीमाकर्ताओं को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम में उन परिस्थितियों के संबंध में अवगत करा देना चाहिए जिनमें उनके द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित होगी और अग्रिम रूप में जमाकर्ताओं की सूचना भी प्रदान की जानी चाहिए। चौथे यह कि, 1993 से अभी तक अपरिवर्तनीय रही 0.1 मिलियन रु. की कवरेज सीमा में भी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। ग्राहक सेवा संबंधी हाल की दामोदरन समिति की रिपोर्ट में भी निक्षेप बीमा कवरेज में वृद्धि करने की ओर संकेत दिया गया है। चौथे यह कि सहकारी बैंकों पर होने वाले दोहरे नियंत्रण और इन बैंकों में लागू की गई निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी के चलते जमाकर्ताओं से संबंधित सूचना प्राप्त होने में भी विलंब होता है। इसके अलावा, परिसमापकों की नियुक्ति में भी विलंब होता है। वर्तमान में सूचना एकत्रित करने में शीघ्रता लाने हेतु परिसमापकों को निर्देश देने के लिए भी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। यदि परिसमापक कम समय के भीतर सूचना उपलब्ध करा देते हैं तो इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। अत: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को परिसमापकों की नियुक्ति और निगरानी करने की शक्तियाँ प्रदान करना लाभप्रद होगा। पांचवें यह कि जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए निक्षेप बीमाकर्ता के पास पर्याप्त निधियाँ भी उपलब्ध होनी चाहिएं ताकि वह अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। बैक-अप निधियन (फंडिंग) करने के लिए समुचित व्यवस्था करके निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की वित्तीय स्थिति भी मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रीमियम से प्राप्त होने वाली निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की लगभग आधी आय, जो इसकी निधियों का मुख्य स्रोत है, सरकार को आयकर के भुगतान के रूप में चली जाती है। चूँकि, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम छोटे जमाकर्ताओं के संरक्षण के सामाजिक दायित्व को पूरा करने वाली और लाभार्जन न करने वाली संस्था है, अत: इसे कर के भुगतान से छूट प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि वैश्विक स्तर पर किया जाता है। कर में छूट प्राप्त होने से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अपनी निधियों के आधार को मजबूत कर सकेगा और इस प्रकार जमाकर्ताओं को अधिक कवरेज प्रदान कर सकेगा और इसके साथ ही एक बार वांछित रिज़र्व अनुपात प्राप्त करने के बाद यह बीमित बैंकों को प्रीमियम की दरों में कटौती करके लाभ भी प्रदान कर सकेगा। छठवें यह कि वैश्विक संकट ने यह दर्शाया है कि किसी प्रणालीगत संकट के समय निक्षेप बीमाकर्ता को सरकार/केंद्रीय बैंक से सहायता की आवश्यकता पड़ती है और वांछित राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को की जाने वाली बैकअप फंडिंग नाममात्र की ही राशि है (50 मिलियन रु.)। अत: यह उपयुक्त होगा यदि बैकअप सहायता की उपलब्धता को असीमित बना दिया जाए और इसके साथ ही तीव्र अनुमोदन प्रक्रिया भी अपनायी जाए। सातवें यह कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में एक समान प्रीमियम दर की प्रणाली है। इसे जोखिम आधारित विभेदक प्रीमियम प्रणाली से बदला जा सकता है। परवर्ती पद्धति नैतिकता संबंधी जोखिम कम करेगी और प्रीमियम आकलन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाएगी।

14. भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली को पुन: संरचित करने हेतु, ऊपर की गई चर्चा के अनुसार बहुत से अपेक्षित सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए, यह आवश्यक है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम में काफी परिवर्तन किए जाएं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम में संशोधनों सहित निक्षेप बीमा में सुधारों के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है जो इन सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है।

वैश्विक निक्षेप बीमा प्रणालियाँ : प्रणालीगत मुद्दे और भविष्य

15. 'बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण घटक' पर सत्र ने ऋण शोधन क्षमता संबंधी फ्रेमवर्क के अलावा सीमा-पार ऋणशोधन क्षमता फ्रेमवर्क और बैंक रेजोल्यूशन में निक्षेप बीमा की भूमिका से अवगत कराया। वित्तीय संकट से रोकथाम/ बचाव के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण विश्व में निक्षेप बीमा प्रणालियाँ समग्र सुरक्षात्मक नेटवर्क के ढाँचे का एक महत्वपूर्ण भाग बने। इस परिप्रेक्ष्य में, सभी आकार के बैंकों हेतु प्रभावी रेजोल्यूशन के लिए निक्षेप बीमाकर्ताओं के कर्त्तव्यों को विस्तार प्रदान करने और रोकथाम संबंधी उपाय प्रारंभ करने तथा जोखिम को न्यूनतम करने की भी आवश्यकता है। निक्षेप बीमाकर्ताओं को आवश्यक शक्तियाँ देने की भी आवश्यकता है ताकि वे अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर सकें। निक्षेप बीमाकर्ताओं की भागीदारी से एक प्रभावी बैंक रेजोल्यूशन प्रक्रिया निक्षेप बीमाकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि करेगी ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें, रेजोल्यूशन लागत और बाजार में व्यवधान कम कर सकें, आस्तियों से अधिकतम वसूली कर सकें, विधिक कार्रवाई के जरिए अनुशासन को पुन: सुदृढ़ कर सकें और बैंकों के अधिग्रहण की सुविधा देने जैसे लचीले तंत्र विकसित कर सकें।

16. असफलता के रेजोल्यूशन ढाँचे के समय पर और प्रभावी रूप से काम करने के लिए यह अनिवार्य है कि एक सक्षम राष्ट्रीय

विधिक नेटवर्क का निर्माण किया जाए जो सुचारु रूप से बैंकों का परिसमापन करने और बीमित जमा राशियों का समय पर भुगतान करने और अतंरण करने की अनुमति प्रदान करेगा। निक्षेप बीमाकर्ता के पास इस प्रकार बनाए गए प्रभावी रेजोल्यूशन उपकरण होने चाहिए ताकि उससे बैंक की महत्वपूर्ण गतिविधियों को संरक्षित किया जा सके, खातों या आस्तियों/ व्यापार का अतंरण किया जा सके और /या बैंकिंग सेवाओं की निरंतरता बनाई रखी जा सके। परिसमापन के दौरान जमाकर्ता को प्रतिपूर्ति करने के दौरान इस प्रकार की रेजोल्यूशन प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक होगा कि वे रेजोल्यूशन के लिए कम लागत पर लचीलापन प्रदान करें अन्यथा यह बहुत मंहगी साबित होगी। निक्षेप बीमाकर्ता को बीमित राशि सुदृढ़ बैंकों के पास अंतरित करने की शक्तियाँ देने की आवश्यकता है। रेजोल्यूशन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्वप्रथम बैंक के शेयरधारक घाटे को वहन करें। निक्षेप बीमाकर्ताओं को रिकवरी से होने वाली प्राप्तियों में भागीदारी करनी चाहिए।

17. निक्षेप बीमाकर्ताओं और अन्य वित्तीय प्रणाली सुरक्षा-तंत्र के प्रतिभागियों के बीच निकटवर्ती सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान हेतु (वित्तीय परेशानी में आए बैंकों के संबंध में सामान्य रूप में भी) एक ढाँचे का होना आवश्यक है। इस प्रकार की सूचना सटीक और समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। सीमा-पार मुद्दों के संबंध में गोपनीयता सुनिश्चित करते समय, विभिन्न न्यायाधिकार क्षेत्रों में मौजूद निक्षेप बीमाकर्ताओं और संभाव्य निक्षेप बीमाकर्ताओं और अन्य विदेशी सुरक्षा-तंत्र प्रतिभागियों के बीच सभी संगत सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिए। सीमा-पार बैंकिंग प्रावधानों द्वारा प्रभावित न्यायाधिकार क्षेत्रों में जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा प्रणाली, प्रतिपूर्ति के लिए विधिक उत्तरदायित्व और कवरेज की सीमा और विषयवस्तु के संबंध में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ कोई निक्षेप बीमाकर्ता किसी वास्तविक जोखिम का अनुमान लगाता है वहाँ यह अपेक्षित हो जाता है कि वह अन्य न्यायाधिकार क्षेत्र में जमाकर्ता की सुरक्षा करे अत: उसके पास आकस्मिकता संबंधी योजना होनी चाहिए जो उसे सीमा-पार व्यवस्थाओं या समझौतों के लिए अनुमति प्रदान करे।

18. वैश्विक वित्तीय एकीकरण बढ़ने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकीय स्तर बनाए रखने के लिए निक्षेप बीमा को निर्देशित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों में सामंजस्यता बनाए रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में, निक्षेप बीमाकर्ताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान होना महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बड़ी संख्या में और लगातार बढ़ रही सीमा-पार ऐसी वित्तीय संस्थाएं है जो विभिन्न निक्षेप बीमा न्यायाधिकार क्षेत्रों में काम कर रही हैं। प्रत्येक सीमा-पार संस्था के संबंध में प्रत्येक निक्षेप बीमाकर्ता के दायित्वों के संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। 'प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों के कोर सिद्धांत' जहाँ यह बताते हैं कि घरेलू देशज प्रणाली द्वारा पहले से ही प्रदान किए जा रहे निक्षेप बीमा को, लिए जा रहे प्रीमियम के संदर्भ में देखना चाहिए, हालांकि, इस संबंध में एक सुदृढ़ और आपसी समझ वाली सोच रखने की आवश्यकता है।

19. यूएस, यूरोप, एशिया और लातिन अमेरिका द्वारा अनुभूत क्षेत्रीय/ देशगत अनुभव पर लिए गए सत्र दर्शाते हैं कि इन देशों में निक्षेप बीमा प्रणालियों, विधिकीय ढाँचे, प्रभावकारिता, कर्त्तव्यों, आर्थिक एवं बैंकिंग वातावरणों में काफी विभिन्नता है। मेरा मानना है कि विभिन्नता का तात्पर्य प्रतिकूलता नहीं है। संपूर्ण विश्व में निक्षेप बीमा प्रणालियों को प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणालियों के संबंध में आईएडीआई के कोर सिद्धांतों का पालन करने के लिए सक्रिय प्रयास करना चाहिए। कोर सिद्धांत, निक्षेप बीमा प्रणालियों के लिए निर्देशक ढाँचे की रूपरेखा का निर्माण करते हैं और उसमें अंतर्निहित लचीलापन लाते हैं। उनका अनुपालन देशों को अपनी जरूरत के मुताबिक प्रणालियाँ बनाने से मना नहीं करता है। इस सम्मेलन में सीमा-पार अनुभवों पर पेश की गई प्रस्तुतियों और किए गए विचार-विमर्श से प्राप्त जानकारी निश्चित रूप से आप सभी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी।

20. नियामक की प्रतिक्रिया पर आधारित सत्र ने संकटकालीन ढाँचे, बासल-III वैश्विक परिदृश्य और कार्यान्वयन की चुनौतियाँ और निक्षेप बीमाकर्ताओं की वित्तीय संकट पर प्रतिक्रिया जैसे विषयों को कवर कर लिया है। नियामकों की नीतियाँ/कार्रवाई हमेशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह निक्षेप बीमाकर्ता के कार्य को सुविधा प्रदान करे, जिससे अंतत: संकट को रोकने/कम करने में मदद मिलेगी और इससे वित्तीय स्थिरता और समावेशन भी प्राप्त किया जा सकेगा। सोच-समझ कर लाए गए नियामकीय सुधार वित्तीय प्रणाली को हमेशा निरापद, सामंजस्यपूर्ण और निक्षेप बीमाकर्ताओं के उद्देश्यों और परिचालनों का सहयोगी बनाएगें। इन दोनों के बीच किए जाने वाले सहयोग अपरिहार्य है। जहाँ तक वित्तीय संकट के प्रति निक्षेप बीमाकर्ता की प्रतिक्रिया का संबंध है मैं यह कहना चाहूँगा कि एक नियामक के साथ मिल कर निक्षेप बीमाकर्ता को संकट का पूर्वानुमान लागाने के लिए एक अग्रिम संवेदनशील प्रणाली बनानी चाहिए और माँग आने पर पर्याप्त निधियों के साथ उत्कृष्ट आकस्मिक योजना बनानी चाहिए ताकि संकट की शुरुआत में ही उसे समाप्त किया जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। वित्तीय संकट के दौरान निक्षेप बीमित निधियों की पर्याप्तता और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए निक्षेप बीमाकर्ताओं की वित्तीय ताकत के लिए हाल ही में हुई वैश्विक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

21. बैंक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सत्र में बैंक रेजोल्यूशन के संबंध में वैश्विक प्रथाओं, बैंक रेजोल्यूशन और कोर सिद्धांतों हेतु मुख्य घटकों को कवर किया गया। ये अंतर्राराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं आपके लिए एक अच्छे मानदंड के रूप में कार्य करेंगी। आपको यह मालूम पड़ेगा कि क्या अच्छा है और आपकी क्या स्थिति है और इसके अनुसार ही यह मालूम पड़ेगा कि आपको किस दिशा में और कितना आगे अभी और बढ़ना है।

उपसंहार

22. अंत में मैं आप सबसे यह अपील करना चाहूँगा कि नियमन और पर्यवेक्षण सहित अच्छे बैंकिंग वातावरण, सुरक्षा तंत्र एजेंसियों के ठोस प्रशासन, सुदृढ़ विधिक फ्रेमवर्क और सुदृढ़ लेखापरीक्षा तथा प्रकटन व्यवस्थाओं का निर्माण करके आप अपनी निक्षेप बीमा प्रणालियों के संबंध में कार्य करें ताकि उन्हें आदर्श प्रणाली के रूप में स्थापित कर सकें। नैतिक जोखिमों से बचें, विशिष्ट अधिदेश और आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त करें, ठोस प्रशासन व्यवस्था बनाएं, अन्य सुरक्षा तंत्र भागीदारों से बात-व्यवहार करें, बैंकों की सदस्यता अनिवार्य बनाएं, सुदृढ़ और तीव्र निधियन प्रणालियों को बनाएं, जन जागरूकता पैदा करें और रेजोल्यूशन प्रक्रिया को प्रभावी बनाएं।

23. मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन ने आपको मूल्यवान बातें बताई हैं और इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर हुए विचार-विमर्श के जरिए प्राप्त जानकारी का उपयोग आप सभी नुमाइंदों द्वारा अपने-अपने देश में बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा ताकि वे अपने सुरक्षा तंत्र और निक्षेप बीमा प्रणालियों को आदर्श रूप में विकसित कर सकें और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भविष्य में होने वाले किसी वित्तीय और प्रणालीगत गड़बडियों से बचा सकें। आप सभी के प्रयत्नों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कार्यपद्धति के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अधीन प्रस्तुत)

भाग I: परिचालन और कार्यपद्धति

1.1 बीमाकृत बैंकों का पंजीकरण / पंजीकरण रद्द करना

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बैंकों की संख्या 2,199 है, जिसमें 87 वाणिज्य बैंक, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) और 2,026 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1962 में योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक निगम द्वारा पंजीकृत बैंकों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या दर्शाने वाले विवरण ***संलग्नक I* और II** में दिए गए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 6 वाणिज्य बैंक और 1 सहकारी बैंक को बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया और 1 वाणिज्य बैंक, 24 सहकारी बैंकों का पंजीकरण रद्द किया गया, जिसके विवरण ***संलग्नक III*** में दिए गए हैं।

1.2 निक्षेप बीमा योजना का विस्तार

इस समय निगम द्वारा निक्षेप बीमा के अंतर्गत सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्थित स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़, जहाँ एक सहकारी बैंक है, के लिए निक्षेप बीमा कवर लागू किया गया। संघशासित क्षेत्रों लक्षद्वीप तथा दादरा और नगर हवेली में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

1.3 बीमाकृत जमाराशियाँ

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत खातों की संख्या, निगम में जमाराशि तथा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा सारणी 1 में दिया गया है।

भारत में निक्षेप बीमा के प्रारंभ से जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा और पिछले तीन वर्षों के लिए श्रेणी-वार अलग-अलग आँकड़े क्रमश: ***संलग्नक IV और V*** में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न वर्षों में जमाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा संबंधी ब्यौरा चार्ट 1 में दिया गया है। ₹0.1 मिलियन (1 लाख) का वर्तमान बीमा कवर का स्तर 31 मार्च, 2012 के प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद का 1.64 गुना था।

1.4 निक्षेप बीमा प्रीमियम

1.4.1 वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर उपचित ब्याज सहित) का

सारिणी 1: बीमाकृत जमाराशियाँ *

विवरण		वर्ष के अंत में	
		2010-11	2011-12
1	खातों की कुल सं. (मिलियन में)	1,051.60	1,073.00
2	पूर्णतया सुरक्षित खाते (मिलियन में)	976.90	996.00
3	1 की तुलना में 2 का प्रतिशत	92.9	92.8
4	निर्धारणीय जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	49,524.27	57,674.00
5	बीमाकृत जमाराशियाँ (₹ बिलियन में)	17,358.00	19,043.00
6	4 की तुलना में 5 का प्रतिशत	35.0	33.0

* पिछले वर्षों के 30 सितंबर के कार्यदिवस के रिटर्नों पर आधारित

चार्ट 1 : जमाकर्ताओं को दिए गए सुरक्षा का विस्तार

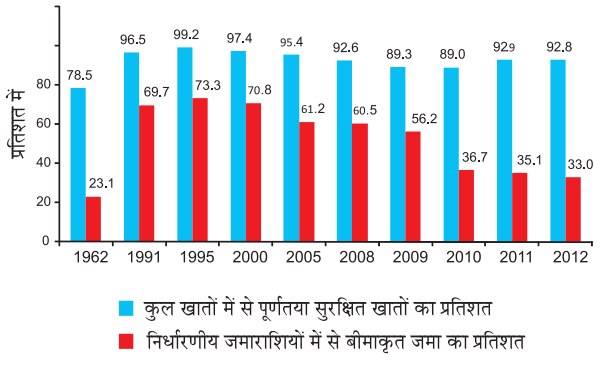

चार्ट 2 : निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) और आरक्षित अनुपात (आरआर)

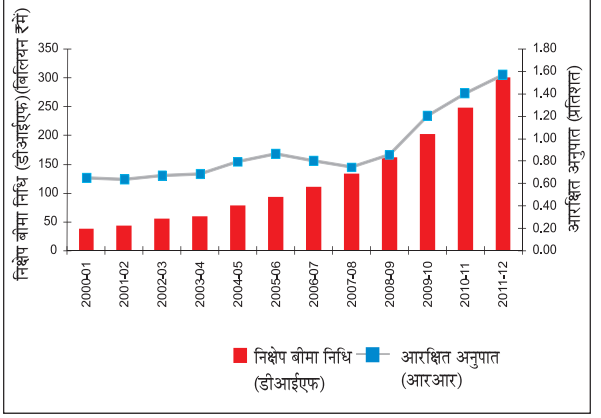

श्रेणीवार विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारिणी 2: प्राप्त प्रीमियम

(₹ मिलियन में)

वर्ष	स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2010-11	44,884	3,558	48,442
2011-12	52,591	3,807	56,397

1.4.2 विलंब से प्राप्त प्रीमियम पर दण्डात्मक ब्याज

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 15 (3) के अनुसार, यदि कोई बीमाकृत बैंक प्रीमियम की कोई भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे चूक की उस अवधि के लिए उस राशि पर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत से अनधिक की दर, जैसा कि निर्धारित किया जाए, से निगम को ब्याज देना होगा। साथ ही, निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 की धारा 20 के अनुसार ब्याज की दर बैंक दर के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पर तय की गई है। बैंक दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत होने के कारण, दण्ड ब्याज की दर को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।

1.5 निक्षेप बीमा निधि

निक्षेप बीमा निधि का प्रमुख स्रोत बीमाकृत बैंकों द्वारा अदा किया गया प्रीमियम और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त कूपन आय (और इसके पुनर्निवेश से) है। इसके साथ ही इसमें परिसमापक / प्रशासक / अंतरिती बैंकों से वसूल की गई छोटी सी राशि का भी अंतर्प्रवाह (इनफ्लो) होता है। इस प्रकार निगम प्रतिवर्ष व्यय से ज्यादा आय को अंतरित करके अपनी निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इस निधि का उपयोग परिसमापन / पुनर्निर्माण / समामेलन आदि के द्वारा बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करने के लिए किया जाता है। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि का आकार (₹253,253 मिलियन के अधिशेष सहित) ₹300,930 मिलियन है, जिसका आरक्षित अनुपात (बीमित जमाराशि की तुलना में निक्षेप बीमा निधि का अनुपात) 1.6 प्रतिशत है। 2000-01 से आरक्षित अनुपात का उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला चार्ट 2 नीचे प्रस्तुत है।

1.6 निक्षेप बीमा दावों का निपटान

वर्ष 2011-12 के दौरान, निगम ने 58 सहकारी बैंकों (18 मूल दावों और 40 अनुपूरक दावों) के संबंध में ₹2,873 मिलियन के कुल दावों का निपटान किया जैसा कि ***संलग्नक VI*** में दर्शाया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की ओर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

2011-12 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ विफल बैंकों की संख्या का विवरण चार्ट 3 में दर्शाया गया है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बैंकों के दावों की संख्या अधिक है।

ऐसे 190 बैंकों के जमाकर्ताओं के संभाव्य दावों की देयताओं के लिए ₹7,835 मिलियन का प्रावधान किया गया है जो समामेलन / समापनाधीन हैं तथा बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए जिनका लाइसेंस / लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द / अस्वीकृत कर दिया गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान निगम ने लंबे समय से विचाराधीन दावों के निपटान हेतु कुछ कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप विचाराधीन मामलों (जिनमें परिसमापनाधीन आदेश जारी करने के बावजूद परिसमापक द्वारा निगम में दावा सूची प्रस्तुत नहीं की गई) में कमी प्रदर्शित हुई, जो 31 मार्च 2011 के कुल 38 अनिर्णीत मामलों के स्थान पर 31 मार्च 2012 को कम होकर 32 हो गई और इस प्रकार वर्ष के दौरान इसमें 16 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष के दौरान निगम ने 12 वर्षों से अधिक समय से परिसमापनाधीन हुबली धारवाड़ अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. के ₹18 मिलियन और 7 वर्ष से अधिक पुराने तीन और बैंकों के ₹66.3 मिलियन की दावा सूची का निपटान कर लिया गया है। परिसमापनाधीन बैंकों की अवधि-वार दावा सूची, जिन्हें परिसमापक द्वारा अभी भी प्रस्तुत किया जाना है, से संबंधित विवरण सारणी 3 में दिया गया है।

चार्ट 3 : 2011-12 के दौरान राज्य-वार निपटाए गए दावे और विफल बैंकों की संख्या

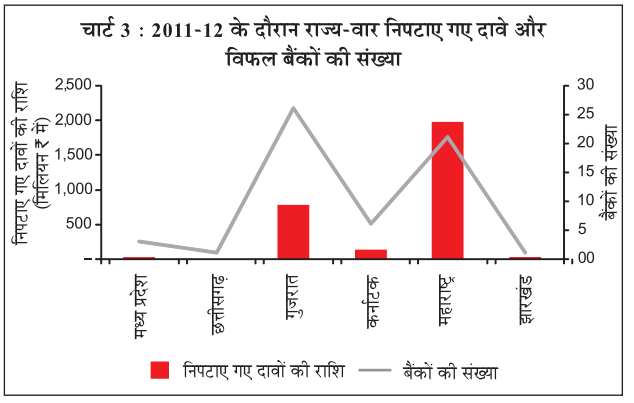

दावा निपटान की औसत अवधि में अत्यल्प वृद्धि हुई और यह 49 दिनों से बढ़कर 52 दिन हो गई (सारणी 4)।

सारिणी 4 : दावों के निपटान में लगने वाली औसत अवधि

वित्तीय वर्ष	दावों के निपटान में लगने वाले औसत दिन
2007-08	53
2008-09	43
2009-10	54
2010-11	49
2011-12	52

1.7 निपटाए गए कुल दावे / प्राप्त चुकौतियाँ

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, निक्षेप बीमा के आरंभ से 27 वाणिज्य बैंकों के संबंध में प्रदत्त और प्रावधानीकृत दावों की संचयी राशि ₹2,959 मिलियन थी (चार्ट 4)। वाणिज्यिक

चार्ट 4 : निपटाए गए दावे और प्राप्त वसूली की संचयी राशि (31 मार्च 2012 के अनुसार)

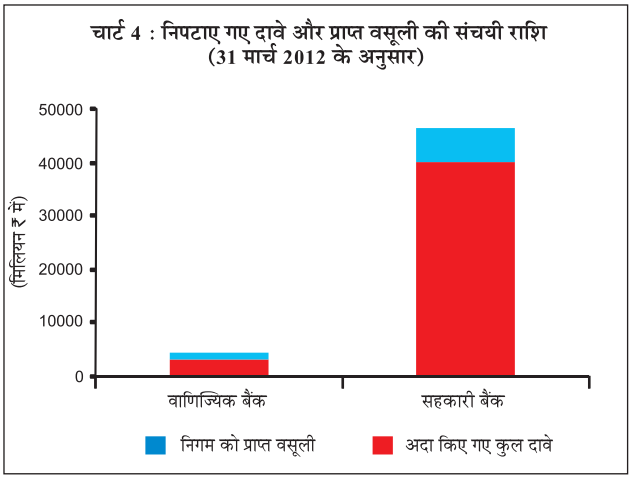

सारिणी 3 : अवधि-वार अनिर्णीत दावों का विवरण

विचाराधीन दावे	अवधि-वार विवरण				
	10 वर्ष से अधिक पुराने	5-10 वर्ष पुराने	1-5 वर्ष पुराने	1 वर्ष से कम पुराने	दावों की कुल संख्या
मार्च 2011 की स्थिति	2	12	14	10	38
मार्च 2012 की स्थिति	1*	10	12#	9	32

* इस बैंक को को-आपरेटिव सोसाइटी में बदलने की प्रक्रिया जारी है।

\# एक बैंक का अब दूसरे सहकारी बैंक में विलय कर दिया गया है।

बैंकों के मामले में, परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹1,390 मिलियन (2011-12 वर्ष के दौरान प्राप्त ₹19.08 मिलियन सहित) की संचयी चुकौतियाँ प्राप्त हुईं।

योजना के प्रारंभ होने से 302 सहकारी बैंकों से ₹40,090 बिलियन की संचयी राशि (वर्ष 2011-12 के दौरान ₹2,870 मिलियन की प्रदत्त राशि सहित) के दावे की राशि का भुगतान / प्रावधान किया गया। सहकारी बैंकों के मामले में परिसमापकों / अंतरिती बैंकों से कुल ₹6,360 मिलियन (वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त ₹801.88 मिलियन सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 31 मार्च 2012 तक बैंकों के दावों के लिए भुगतान / प्रावधान की गई राशि तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि और प्राप्त चुकौतियाँ आदि के संबंध में स्थिति का ब्यौरा ***संलग्नक VII*** में दिया गया है।

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बैंकों के लिए निपटाए गए दावों के लिए किए गए प्रावधानों को ***संलग्नक VIII*** में दर्शाया गया है। 1999 से निपटाए गए दावों की राशि के साथ-साथ परिसमापित बैंकों की संख्या चार्ट 5 दर्शाई गई है।

1.8 कोर्ट-मामले

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, निगम की निक्षेप बीमा गतिविधियों के संबंध में विभिन्न कोर्टों में विचाराधीन कोर्ट-मामलों की शेष संख्या 188 है, जो 31 मार्च 2011 को 201 थी। 188 मामलों में से 32 मामले निगम की ओर से दायर किए गए हैं और 156 निगम के विरुद्ध दायर किए गए हैं। न्यायालय-वार अलग-अलग आँकड़े चार्ट 6 में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2001-02 से कोर्ट-मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तरह के मामलों की संख्या 31 मार्च 2002 के 10 से बढ़कर 31 मार्च 2012 को 188 हो गई है (सारणी 5)। ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत बड़ी संख्या में बैंकों को निदेशों के अंतर्गत रखने अथवा परिसमापन करने के परिणामस्वरूप जमाराशियों को निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुआ है। जमाराशि का भुगतान न मिलने पर असंतुष्ट जमाकर्ता उपभोक्ता न्यायालय में चले जाते हैं और मुकदमा चलाकर निगम को प्रतिवादियों में से एक प्रतिवादी बना देते हैं। कभी-कभी ऐसे मामले बैंकों का परिसमापन होने के पहले अथवा परिसमापक द्वारा दावा सूची प्रस्तुत करने के पहले, जहाँ जमाकर्ताओं को कोई भी राशि देने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं है; दाखिल किए जाते हैं। मुख्यत: ये मामले निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य राशि से अधिक राशि अथवा निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 21 के साथ पठित निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 22 के अंतर्गत निगम के अधिमान्य चुकौती अधिकार के विरुद्ध विवाद और बैंकों को निदेश आदि के अंतर्गत रखे जाने की स्थिति में दावों के संबंध में दायर किए जाते हैं।

चार्ट 5 : पे-आऊट और परिसमापित बैंकों की संख्या

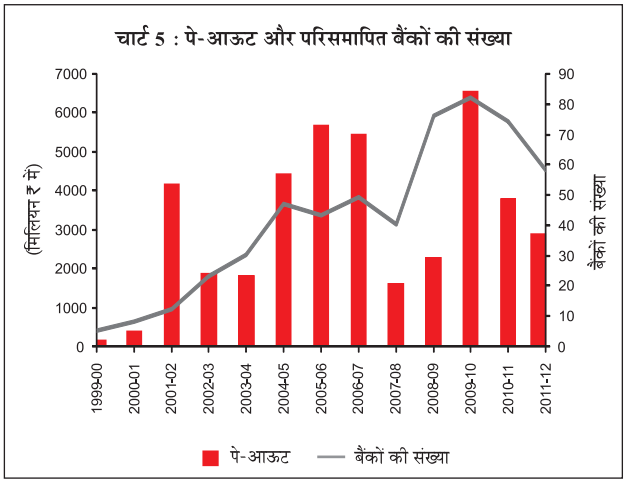

चार्ट 6 : न्यायालय वार अलग-अलग मामले
(31 मार्च 2012 के अनुसार)

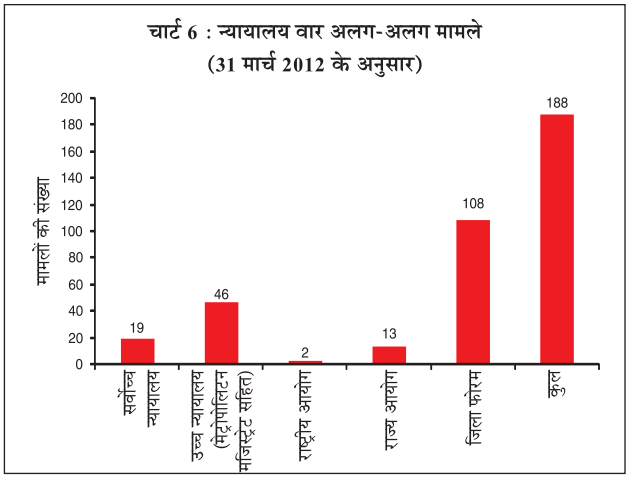

सारिणी 5: कोर्ट मामलों की संख्या

मार्च के अंत में	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
मामलों की सं.	10	66	89	126	126	128	124	122	174	201	188

1.9 ऋण गारंटी योजनाएं

31 मार्च 2012 तक कोई भी ऋण (क्रेडिट) संस्था निगम की ऋण गारंटी योजना में सहभागी नहीं थी। 2003-04 के बाद किसी गारंटी दावे पर गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया **(संलग्नक IX)**।

वर्ष 2011-12 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना 1971 के अंतर्गत निगम के प्रत्यासन अधिकार के आधार पर पिछले वर्ष के ₹18.3 मिलियन की तुलना में ₹2.2 मिलियन की वसूली की गई। लघु ऋण गारंटी योजना 1981 के अंतर्गत पिछले वर्ष के ₹2.8 मिलियन के मुकाबले इस वर्ष ₹1.0 मिलियन की वसूली की गई।

भाग II : हाल ही में की गई नीतिगत पहल

2.1 निक्षेप बीमा दावों का शीघ्र निपटान

निगम परिसमापकों द्वारा दावों की सूची प्रस्तुत कर देने के दो महीने के अंदर निक्षेप बीमा दावों का निपटान करने की सांविधिक आवश्यकता का बहुत कड़ाई से पालन करता रहा है। तथापि, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में परिसमापक लंबी अवधि तक दावा सूची प्रस्तुत नहीं करते हैं, जबकि यह सूची के लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अत: निगम ने पुराने दावों का शीघ्र निपटान करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

2.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ ''एजेंसी बैंक'' की व्यवस्था के माध्यम से जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान

निगम परिसमापकों के माध्यम से जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करता है। कुछ उपभोक्ता संरक्षण मंचों से प्राप्त सुझावों और जमाकर्ताओं के हित में निगम ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के तरीके की समीक्षा की। अत: परिसमानाधीन बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी बीमाकृत निधियों तक त्वरित पहुँच (एक्सेस) उपलब्ध कराने और ई-अभिशासन (गवर्नेंस) की अपनी नीति के अनुसरण में निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ की गई ''एजेंसी बैंक'' व्यवस्था के माध्यम से सीधे जमाकर्ताओं को उनके दावों का भुगतान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं के 100 प्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए ये भुगतान एजेंसी बैंकों द्वारा निम्नलिखित तीन प्रकार से किए जाएंगे :-

i. जिनके खाते बैंक में अनुरक्षित हैं, उन्हें कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से सीधे प्रेषण।

ii. जिनके खाते किसी अन्य बैंक में अनुरक्षित हैं, उन्हें राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से प्रेषण।

iii. जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है और जो कोई बैंक खाता नहीं खोलना चाहते हैं, ऐसे जमाकर्ताओं को प्रीपेड / प्रीलोडेड कार्ड के माध्यम से भुगतान।

जमाराशि के भुगतान के लिए सभी आवश्यक सूचना के माध्यम से दावा सूची तैयार करके परिसमापक निगम को अपना सपोर्ट उपलब्ध करना जारी रखेंगे। यह योजना महाराष्ट्र में 2012-13 से पाइलट आधार पर प्रारंभ की जाएगी और यथासमय अन्य राज्यों में इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

2.3 अनुपूरक दावों का प्रस्तुतीकरण ''सावधि विधि खंड (सनसेट क्लाज)''

अप्रैल 2007 से पूर्व परिसमापनाधीन बैंक में अनुरक्षित संयुक्त खातों (ए बी और बी ए) को ''एक समान क्षमता और एक समान अधिकार''वाला मानकर एक खाते के रूप में मिला दिया गया था और निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16(1) में निर्धारित सीमा (₹0.1 मिलियन) के अधीन निबीप्रगानि द्वारा दावे की राशि का निपटान किया गया था। 26 अप्रैल 2007 से इन खातों को ''भिन्न क्षमता तथा भिन्न अधिकार''वाला खाता माना गया तथा ऐसे प्रत्येक खाते को एक अलग खाता मानकर दावों का निपटान किया गया है। इन संशोधित दिशानिर्देशों के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त दावों, जिन्हें बैंक के परिसमापकों द्वारा अनुपूरक दावों के रूप में प्रस्तुत किया गया था, का निगम द्वारा समय-समय पर निपटान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 26 अप्रैल 2007 के पूर्व परिसमापनाधीन बैंकों को भी इसका लाभ प्रदान किया गया था।

अनुपूरक दावों के निपटान संबंधी इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि 26 अप्रैल 2007 के पूर्व परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों में ए बी / बी ए आधार पर अनुरक्षित संयुक्त खातों से संबंधित अनुपूरक दावों को परिसमापकों द्वारा केवल अगले एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2013 तक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। 31 मार्च 2013 के उपरांत ऐसे किसी अनुपूरक दावे पर निगम द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित प्रेस प्रकाशनी को निगम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

2.4 परिसमापकों के पास पड़ी अवितरित राशि की वापसी की समय सीमा में कटौती

परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों के मामले में जमाराशियों

के दावों का वितरण राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा नियुक्त परिसमापकों के माध्यम से करते है। निगम द्वारा निपटाए गए दावों की अवितरित / अदावी राशियाँ परिसमापकों के पास पड़ी रहती हैं। निबीप्रगानि ने इस मामले में कदम उठाया है और माँग सूचना (डिमांड नोटिस) का एक प्रारूप तैयार किया है, जिसे निगम को अवितरित राशि वापस करने में चूक करने वाले परिसमापकों को प्रेषित किया जाता है। ऐसी माँग सूचना (डिमांड नोटिस) चूककर्ता परिसमापकों को प्रेषित की गई है।

निगम ने यह निर्णय लिया है कि 1 जून 2012 से परिसमापकों के पास पड़ी अवितरित राशि को वापस करने की अवधि को निगम द्वारा जमाकर्ताओं की दावा राशि जारी करने की तिथि से छह माह से कम करके चार माह कर दिया जाए। सभी राज्यों की सहकारी समितियों के पंजीयक को इस संबंध में नोटिस जारी करने तथा परिसमापकों को तत्संबंधी परिपत्र जारी करने के बाद इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

2.5 निवेश प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश

बोर्ड द्वारा अनुमोदित वर्तमान जोखिम प्रबंधन संबंधी फ्रेमवर्क तथा निवेश प्रबंध संबंधी दिशानिर्देश 31 मार्च 2011 तक प्रभावी थे। 12 मार्च 2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2012-13 के संशोधित दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए :

(i) जोखिम प्रबंधन संबंधी कार्यों को शामिल करने के लिए निवेश प्रबंधन समिति की व्याप्ति (स्कोप) को बढ़ाया गया है और समिति का नाम परिवर्तित करके निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति कर दिया गया है।

(ii) निगम के पोर्टफोलियो को दो भागों अर्थात् तरल (लिक्विड) पोर्टफोलियो और दीर्घ कालिक पोर्टफोलियो में बाँट दिया गया है। तरल पोर्टफोलियो के अंतर्गत अगले एक वर्ष में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियाँ तथा अधिकतर ट्रेडिंग की जाने वाली दो प्रतिभूतियाँ रखी गई हैं, जबकि दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में अन्य सभी प्रतिभूतियाँ रखी गई हैं। दीर्घकालिक पोर्टफोलियो से सबंधित बाजार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए इसकी अवधि हेतु सीएएसबीआई (सीसीआईएल आल सावरेन बांड इंडेक्स) की अवधि वाला मानदंड रखा गया था। संशोधित दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि दीर्घकालिक पोर्टफोलियो की अवधि सीएएसबीआई की अवधि से +/-50 आधार बिंदु के भीतर होगी (जबकि यह पूर्व में सीएएसबीआई की अवधि का +/-25 आधार बिंदु था)।

(iii) पूर्व के दिशानिर्देशों की भाँति पोर्टफोलियो के वीएआर की गणना एक वर्ष के टाइम होराइजन के 99% के कांफिडेंस लेवल के एतिहासिक तरीके से किया जाना जारी रखा जाएगा। तथापि संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वीएआर माडल की शुद्धता की जाँच करने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वार्षिक बैक टेस्टिंग किया जाए।

(iv) सघनता (कंसंट्रेशन) जोखिम का सामना करने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि किन्हीं चार प्रतिभूतियों में किया गया निवेश संपूर्ण पोर्टफोलियो के 20% से अधिक न हो।

(v) जैसाकि निवेश और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत तरलता जोखिम और एएलएम मिसमैच के संबंध में पोर्टफोलियो की स्ट्रेस टेस्टिंग किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिचालनगत जोखिम संबंधी मानदंडों को शामिल किया गया है। अबसे डीलरों से यह अपेक्षित होगा कि वे वर्ष में न्यूनतम 10 दिनों का अवकाश (आकस्मिक अवकाश और विशेष बीमारी अवकाश को छोड़कर) अवश्य लें।

इन दिशानिदेशों का प्राथमिक उद्देश्य निक्षेप बीमा निधि की सुरक्षा और तरलता बनाए रखना है। अत: कोषागार (ट्रेजरी) के लिए विवरणियों (रिटर्नों) से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि दीर्घकालिक पोर्टफोलियो से संबंधित रिटर्नों के लिए सीएएसबीआई का टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) का मानदंड (बेंचमार्क) रखा गया है। चूँकि निगम रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है, अत: ये दिशानिर्देश डीलरों को ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से कार्य करने की मनाही करते हैं। तरलता और जोखिम के वर्तमान ढाँचे के अंतर्गत निगम किसी प्रत्याशित (स्पेकुलेटिव) गतिविधि का सहारा लिए बिना अधिक रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

2.6 कोषागार (ट्रेजरी) मिड आफिस

कोषागार (ट्रेजरी) के कार्यकलापों में सुधार लाने की दृष्टि से अक्तूबर 2011 में एक मिड आफिस का निर्माण किया गया है। यह मिड आफिस जोखिम नियंत्रित सीमाओं, डील्स की दर की उपयुक्तता की निगरानी करता है, बाजार का अध्ययन और नए जोखिमों आदि की पहचान करता है तथा उक्त विषय में साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

2.7 निर्धारणीय जमाराशियों की गणना :

सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

यह पाया गया है कि कई बीमाकृत बैंकों द्वारा निर्धारणीय जमाराशियों की गणना सही रूप में नहीं की जा रही है जिससे जमाराशियों के सूचित तथा लेखापरीक्षित आँकड़ों में असमानता रहती है। यह निर्णय लिया गया है कि निगम द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारणीय जमाराशियों तथा प्रीमियम की गणना को बीमाकृत बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षक से सत्यापित कराया जाए और 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष से वार्षिक आधार पर इससे संबंधित प्रमाणपत्र निगम को प्रस्तुत किया जाए। इस संबंध में सितंबर 2011 में निगम द्वारा 'निक्षेप बीमा विवरणियों (रिटर्नों) की तर्कसंगतता- सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना' से संबंधित परिपत्र जारी किया गया है।

2.8 राज्य सरकार के प्रधान सचिव (सहकारिता) तथा सहकारी समितियों के पंजीयकों के साथ बैठकें और परिसमापकों के लिए कार्यशाला

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यपालक निदेशक, शहरी बैंक विभाग, भारिबैं के प्रभारी कार्यपालक निदेशक और चार राज्यों जैसे : कर्नाटक, आँध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जिनके अंतर्गत अधिकतर परिसमापित शहरी सहकारी बैंक आते हैं, के प्रधान सचिव, सहकारिता / सहकारी समितियों के पंजीयकों के मध्य उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निगम ने जमाकर्ताओं के दावों का निपटान किया। इन बैठकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे : अवितरित राशि की वापसी, स्टेटमेंट / रिटर्न निगम को प्रस्तुत न करना / विलंब से प्रस्तुत करना, परिसमापन की धीमी प्रक्रिया और वसूली की राशि में से निगम के हिस्से की राशि की चुकौती न करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।

उच्च स्तरीय बैठक के साथ-साथ इन राज्यों में बैंकों के परिसमापकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें उन्हें रिटर्न / स्टेटमेंट समय से प्रस्तुत करने के महत्व से अवगत कराया गया ताकि निगम परिसमापन की प्रक्रिया की निगरानी कर सके। परिसमापकों पर यह भी जोर दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अवितरित राशि वापस कर दें तथा परिसमापन की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा वसूल की गई राशि में से निगम की बकाया राशि की चुकौती करें।

2.9 बीमांकिक आधार पर देयताओं की गणना संबंधी अध्ययन

'बीमांकिक आधार पर निगम की देयताओं की गणना' से संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय बीमा एकेडमी (एनआईए), पुणे की सेवाएं ली गई हैं। इस अध्ययन के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जा रहे माडलों और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई हाल की गतिविधियों का अध्ययन करने के उपरांत एनआईए निगम की निक्षेप बीमा देयताओं का अनुमान लगाने के लिए एक माडल का विकास करेगा। उपयुक्त सांख्यकीय जाँच की सहायता से इस माडल को मान्यता दी जाएगी।

भाग III : लेखों का स्टेटमेंट[1]

3.1 बीमा देयताएं

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान, बीमा दावों के रूप में ₹2,873.12 मिलियन (₹3,789.45 मिलियन) का भुगतान किया गया, जो 24.18 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। 31 मार्च 2012 के अनुसार बकाया निक्षेप बीमा दावों के रूप में सुनिश्चित देयताएं ₹6,885.46 मिलियन (₹5,615.71 मिलियन) थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

(ख) समीक्षाधीन वर्ष के अंत में अनुमोदित बीमांकक मेसर्स के.ए.पंडित एंड कं. के निर्धारण के अनुसार **निधि शेष (अर्थात् बीमांकिक देयता)** ₹47,677.60 मिलियन (₹37,736.00 मिलियन) रही।

(ग) ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) के संबंध में कोई संभाव्य दावा देयता नहीं है।

3.2 वर्ष के दौरान राजस्व

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान, **निक्षेप बीमा निधि में** कर-पूर्व **राजस्व अधिशेष** पिछले वर्ष ₹61,452.16 मिलियन था, इसमें ₹1,442.73 मिलियन की कमी आई और अब यह ₹60,009.43 मिलियन हो गया अर्थात् लगभग 2.4 प्रतिशत की कमी। राजस्व से प्रभारित (चार्ज्ड) निवल बीमांकिक देयता में ₹4,951.30 मिलियन की वृद्धि, निवल दावों में ₹1,859.11 मिलियन की वृद्धि, निवेशों के मूल्यह्रास में ₹3,433.17 मिलियन की वृद्धि, वसूली में ₹783.18 मिलियन की कमी, आयकर वापसी (रिफंड) पर मिलने वाले ब्याज में ₹1,210.11 मिलियन की कमी और प्रीमियम आय में ₹7,955.49 मिलियन की वृद्धि तथा निवेशों से होने वाली आय में ₹5,520.27 मिलियन

1 कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं।

की वृद्धि के कारण पहली बार लगाए गए ₹2,681.62 मिलियन के सेवाकर का भुगतान उक्त कमी के प्रमुख कारण रहे हैं।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान ऋण गारंटी निधि में कर-पूर्व राजस्व अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹13.01 मिलियन अर्थात् 6.98 प्रतिशत की कमी हुई तथा यह पिछले वर्ष के ₹186.24 मिलियन से घटकर ₹173.23 मिलियन रह गया। यह कमी मुख्यत: निवेशों में होने मूल्यह्रास में ₹23.07 मिलियन की वृद्धि, वसूली में ₹17.85 मिलियन की कमी, कर वापसी पर ब्याज में ₹5.36 मिलियन की कमी तथा निवेश आय में ₹33.27 मिलियन की वृद्धि से हुई है।

(ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **सामान्य निधि में** कर पूर्व **राजस्व अधिशेष** ₹0.63 मिलियन रहा जो पिछले वर्ष ₹161.51 मिलियन था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 99.6 प्रतिशत की कमी हुई। इस कमी का प्रमुख कारण निवेशों से होने वाली आय में ₹99.53 मिलियन की कमी, निवेशों के मूल्यह्रास में ₹78.04 मिलियन की वृद्धि, कर्मचारी लागत में ₹5.84 मिलियन की वृद्धि, मुद्रण, लेखनसामग्री और कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स में ₹4.46 मिलियन की वृद्धि तथा यात्रा और विराम भत्ता व्यय में ₹27.47 मिलियन की कमी रहे हैं।

3.3 संचित अधिशेष

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में संचित अधिशेष / रिज़र्व (कर के बाद) क्रमश: ₹253,252.71 मिलियन (₹209,299.94 मिलियन), ₹3,000.61 मिलियन (₹3,103.30 मिलियन) तथा ₹4,303.15 मिलियन (₹4,382.79 मिलियन) था।

3.4 निवेश

वर्ष के अंत में तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में निवेशों का बही मूल्य (लागत पर) क्रमश: ₹3,20,203.70 मिलियन (₹2,65,816.65 मिलियन), ₹3,803.97 मिलियन (₹3,592.24 मिलियन) और ₹5,410.09 मिलियन (₹5,310.97 मिलियन) है। 31 मार्च 2012 को उक्त तीनों निधियों के निवेशों का संचित मूल्यह्रास क्रमश: ₹13,662.60 मिलियन (₹8,675.53 मिलियन); ₹495.20 मिलियन (₹398.27 मिलियन) तथा ₹631.50 मिलियन (₹519.62 मिलियन) था, जिनका निवेश आरक्षित निधि के अंतर्गत पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

3.5 कराधान

3.5.1 आयकर

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) के अग्रिम आयकर खाते में संचित शेष क्रमश: ₹60,525.01 मिलियन (₹92,059.43 मिलियन), ₹303.70 मिलियन (₹2,151.68 मिलियन) और ₹209.46 मिलियन (₹339.49 मिलियन) है। तद् दिनांक को निक्षेप बीमा निधि (डीआईईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) तथा सामान्य निधि (जीएफ) में कराधान खाते में प्रावधान के लिए संचित शेष क्रमश: ₹52,647.06 मिलियन (₹89,059.37 मिलियन); ₹431.41 मिलियन (₹2,059.04 मिलियन) तथा ₹57.36 मिलियन (₹121.42 मिलियन) था। इन खातों के शेष में कमी इसलिए आई क्योंकि निर्धारण वर्ष 2001-02, 2005-06, 2006-07, 2008-09 तथा 2009-10 में इन खातों में राशि बकाया थी, जिनका रिज़र्व तथा अधिशेष में विनियोजन कर दिया गया है।

3.5.2 सेवा कर

सितंबर 2011 से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने यह कहते हुए निगम द्वारा बैकों से एकत्रित प्रीमियम पर सेवाकर लगाया है कि निगम की बीमा संबंधी गतिविधियाँ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(डी) की परिधि में आती हैं। इस प्रकार यह सेवाकर लगाए जाने योग्य है। अत: निगम ने सेवाकर संबंधी पंजीकरण करा लिया है और 1 अक्तूबर 2011 और 1 अप्रैल 2012 के बकाया प्रीमियम पर क्रमश: ₹2,900 मिलियन तथा ₹3,430 मिलियन का सेवाकर अदा कर दिया है। इस कारण प्रतिवर्ष के प्रीमियम के 12.36 प्रतिशत के समकक्ष की राशि का बहिर्प्रवाह (आउटफ्लो) होगा, जिससे अतिरिक्त राशि (सरप्लस) के जेनरेशन पर प्रभाव पड़ेगा। निगम प्रीमियम और निवेश आय पर आयकर पहले से ही अदा कर रहा है।

भाग IV : खजाना परिचालन

4.1 निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अनुसार निगम केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। 31 मार्च 2012 को निगम के निवेश पोर्टफोलियो का कुल आकार ₹329.42 बिलियन रहा। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹54.70 बिलियन (19.91 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित हुई। वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो जेनरेटेड कूपन यील्ड 7.92 प्रतिशत रहा। निवेश में मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत वर्ष 2011-

12 का पोर्टफोलियो का टाइम वेटेड औसत रिटर्न 6.40 प्रतिशत रहा।

4.2 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित माडल प्राइस के आधार पर किया जाता है। यद्यपि मूल्यवृद्धि (एप्रीसिएशन) को नजरंदाज कर दिया गया है तथापि मूल्यह्रास के लिए पूरी तरह प्रावधान किया गया है तथा इसे निवेश रिजर्व (आईआर) के अंतर्गत बुक किया गया है। 31 मार्च 2012 को निवेश रिजर्व (आईआर) का शेष (बैलेंस) ₹14.79 बिलियन था। पुन: निगम बाजार जोखिम के विरुद्ध कुशन के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) अनुरक्षित करता है। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार ₹11.84 बिलियन के बाजार जोखिम (स्टैंडराइज्ड ड्युरेशन मेथड से परिकलित) के विरुद्ध आईएफआर में ₹12.16 बिलियन की राशि अनुरक्षित थी। 31 मार्च 2012 को पोर्टफोलियो का माडीफाइड ड्युरेशन 5.87 था।

भाग V : संगठनात्मक मामले

5.1 निदेशक मंडल

निगम की सामान्य निगरानी, निदेश तथा कार्यों और कारोबार का प्रबंधन निदेशक बोर्ड में निहित है, जो सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे सभी कार्य व कारोबार करता है, जो निगम कर सकता है।

5.1.1 निबीप्रगानि सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 6 के अनुसार निगम के निदेशक बोर्ड से अपेक्षित है कि वह सामान्यत: प्रत्येक वर्ष में प्रति तिमाही एक बैठक करे। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं ।

5.1.2 निदेशकों का नामांकन / सेवानिवृत्ति

डॉ. प्रकाश बक्शी (नाबार्ड के अध्यक्ष) को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत 19 अगस्त 2011 को निगम के बोर्ड में नामित किया गया। श्री कमलेश विकमसे को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत 5 सितंबर 2011 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रो. जी.शिवकुमार को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत 20 सितंबर 2011 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री बी.एल.पटवर्धन को निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत 12 अक्तूबर 2011 को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री एम.रामदास, जो निदेशक तथा लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के सदस्य भी थे, ने निगम के बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया, अत: 14 अक्तूबर 2011 से वे निगम के निदेशक नहीं रहे।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

डॉ. प्रकाश बक्शी तथा श्री कमलेश विकमसे के नामांकन के बाद बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का निम्नानुसार पुर्नगठन हुआ :

1. श्री कमलेश विकमसे	अध्यक्ष
2. डॉ. प्रकाश बक्शी	निदेशक
3. डॉ. शशांक सक्सेना	भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक
4. श्री जी.गोपालकृष्ण	निदेशक

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

5.2.1 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी मामलों को हल करने के लिए दिसंबर 2011 में बोर्ड-स्तर की उप-समिति का गठन किया गया। जिसकी संरचना निम्नानुसार है:

1. प्रो. जी.शिवकुमार	अध्यक्ष
2. श्री कमलेश विकमसे	सदस्य
3. श्री जी.गोपालकृष्ण	सदस्य
4. डॉ. ए.एस.रामशास्त्री	आमंत्रित

अब तक आईटी समिति की एक बैठक मार्च 2012 में हुई है।

5.3 आंतरिक नियंत्रण

5.3.1 बजट नियंत्रण

निगम ने अपने राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के लिए अपनी तीन निधियों, अर्थात् निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ), ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) और सामान्य निधि (जीएफ) के अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। निगम द्वारा निक्षेप बीमा निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत व्यय का वार्षिक बज़ट तैयार किया जाता है, जो विविध मानदंडों पर आधारित है जैसेकि बीमाकृत बैंकों का लाईसेंस रद्द करना / परिसमापन करना, स्टाफ और स्थापना से संबंधित भुगतान आदि। प्रत्येक लेखा वर्ष के पूर्व बजट को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तीनों निधियों के अंतर्गत होने वाली प्राप्तियाँ अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति, वसूलियाँ और निवेश आय से संबंधी अनुमानों को भी बजट में सम्मिलित किया जाता है। बज़ट किए गए व्यय और प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक व्यय / प्राप्ति

की हर तिमाही समीक्षा की जाती है।

5.3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने 24 जनवरी से 15 फरवरी 2011 के मध्य प्रबंध लेखापरीक्षा और प्रणाली निरीक्षण 2011 का आयोजन किया। निरीक्षण दल (टीम) के पर्यवेक्षणों द्वारा वर्गीकृत 3 ''प्रमुख'' पैराग्राफों में से 2 का अनुपालन कर दिया गया है। ''अन्य'' 101 पैराग्राफों में से 94 का पूरी तरह अनुपालन कर दिया गया है।

5.3.3 समवर्ती लेखापरीक्षा

निगम ने अपने सभी परिचालनों के लिए वर्ष 2004-05 से सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा (ऑन साइट) की प्रणाली प्रारंभ की है। लेखापरीक्षा के मासिक निष्कर्ष लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.3.4 नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए)

निगम ने अतिरिक्त रूप से एक नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) फॉर्मेट (समकक्ष समीक्षा) प्रारंभ की है, जिसके द्वारा निगम के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे ऐसे क्षेत्रों में, जिनसे वे कार्यकारी तौर पर संबद्ध नहीं हैं, की लेखापरीक्षा जाँच करें और महाप्रबंधक को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5.4 प्रशिक्षण और कौशल विकास

अपने मानव संसाधन कौशल को अद्यतन रखने हेतु निगम अपने स्टाफ को सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त करता है। ये कार्यक्रम मुख्य: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, भारत के साथ साथ विदेशों की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय निक्षेप बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) और अन्य विदेशी संस्थाएं आयोजित करती हैं। 2011-12 के दौरान 29 कर्मचारीयों जिसमें 26 अधिकारी, 1 श्रेणी III और 2 श्रेणी IV स्टाफ को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों और भारत में बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आईएडीआई) तथा अन्य निक्षेप बीमा संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बारा अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। तीन अधिकारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईएमआई), दिल्ली तथा भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ के कोलाबरेटिव मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया। साथ ही एक अधिकारी को कुचिंग, मलेशिया में प्रबंधन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया।

5.5 स्टाफ संख्या

निगम में संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है। निगम के कुल स्टाफ की संख्या 31 मार्च 2011 के 93 की तुलना में 31 मार्च 2012 को 88 रह गई। उनका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:

कुल स्टाफ में, श्रेणी I में 55 प्रतिशत, श्रेणी III में 25 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत श्रेणी IV में था। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 14 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है (सारिणी 6)।

सारिणी 6: स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति

वर्ग	संख्या	जिसमें		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	48	7	7	14.6	14.6
श्रेणी III	22	2	2	9.1	9.1
श्रेणी IV	18	4	3	22.2	16.7
कुल	**88**	**13**	**12**	**14.8**	**13.6**

अजा -अनुसूचित जाति अजजा - अनुसूचित जन जाति

5.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार ने 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ। अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते निगम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है। समीक्षाधीन वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 77 अनुरोधों का निपटान किया गया जिसमें से 4 मामलों को अपीलीय प्राधिकारी के अंतर्गत निपटाया गया।

5.7 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2011-12 के दौरान, निगम ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अपना प्रयास जारी रखा। निगम द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। निगम के प्रधान कार्यालय को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। निगम हिंदी के प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। निगम प्रतिवर्ष

सितम्बर महीने में ''हिंदी पखवाड़ा'' आयोजित करता है। सितम्बर 2011 के दूसरे पखवाड़े में आयोजित ''हिंदी पखवाड़ा'' में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम के दैनिक कार्यकलाप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और उसकी निगरानी के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित तिमाही बैठकें होती हैं।

5.8 निबीप्रगानि में ग्राहक देख-रेख कक्ष

निगम एक सार्वजनिक संस्था है और इसका मुख्य कार्य विफल बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का निपटान करना है। निगम के विरुद्ध जनता से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के लिए निगम में एक ग्राहक देख-रेख कक्ष स्थापित किया गया है।

5.9 एफएसएलआरसी-सुधारों के संबंध में सुझाव

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2011 को (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश श्री बी.एन.श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र विधाई सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया। एफएसएलआरसी के नियमों (टर्म्स आफ रेफरेंस) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ भारत के वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली विधाई और विनियामक प्रणाली की संरचना जाँच करना, वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वर्तमान विधि की समीक्षा, विनियामकों के अधिकारक्षेत्र के इंटरप्ले की समीक्षा, विनियामकों के हितों के टकराव से संबंधित मुद्दे आदि शामिल किए गए थे। निगम ने भारत में निक्षेप बीमा प्रणाली के प्रभावी रूप से कार्य करने की दृष्टि से संबंधित कुछ सुझाव एफएसएलआरसी को अग्रेषित करने हेतु रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया था।

इसमें जमाकर्ताओं को भुगतान करने की क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से कई सुझाव दिए गए थे। इनमें भुगतान की समय-सीमा को कम करने, निबीप्रगानि को जमाराशियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए परिसमापकों को दिए जाने वाले समय में कमी करने तथा जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान करने के लिए निबीप्रगानि को अधिकार दिए जाने से संबंधित सुझाव सम्मिलित थे। एक प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली से यह अपेक्षित है कि पर्याप्त निधियों तक निक्षेप बीमाकर्ता की पहुँच हो, इस संबंध में निगम का निधि आधार मजबूत करने के लिए करों से मुक्ति प्रदान करने, प्राधिकृत पूँजी में वृद्धि करने, प्रीमियम की सीमा (सीलिंग) बढ़ाने, अग्रिम रूप में प्रीमियम एकत्रित करने के अधिकार, निवेश संबंधी विकल्पों के क्षेत्र को विस्तारित करने और निगम को सपोर्ट प्रदान करने के लिए असीमित आपातकालीन निधियन उपलब्ध कराने संबंधी उपाय निगम द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। विफल होने वाले बैंकों के बारे में आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में निबीप्रगानि और भारिबैं के मध्य सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। निगम ने वसूली को शेयर करने के तरीके के बारे में स्पष्टीकरण माँगा है और सुझाव दिया है कि परिसमापकों के पास पड़ी अवितरित राशि निगम को वापस करने में तेजी लाई जाए। इसके अतिरिक्त चूँकि निगम ऋण (क्रेडिट) गारंटी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है, अत: निबीप्रगानि के अधिदेश (मेंडेट) से ऋण गारंटी को हटा देने की अनुशंसा की गई। निगम ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक समाधान तथा निगम को मजबूत बनाने संबंधी विभिन्न पक्षों को इसके अधिदेश में शामिल किया जाए।

5.10 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की निक्षेप बीमा की समकक्ष समीक्षा

प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली से संबंधित बीसीबीएस-आईएडीआई के प्रमुख सिद्धांतों और आकलन (असेसमेंट) मेथडोलाजी के आधार पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने इसके सदस्य संस्थानों में निक्षेप बीमा प्रणाली की समकक्ष (पीयर) समीक्षा की। इस समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि वैश्विक वित्तीय संकट ने जमाकर्ताओं की क्षतिपूर्ति संबंधी प्रभावी व्यवस्था का महत्व उजागर किया है। यह संकट विभिन्न क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपनाए जा रहे व्यवहारों (प्रैक्टिस) के प्रति अत्यधिक झुकाव (ग्रेटर कन्वरजेंस) का परिणाम था और इससे उपयुक्त डिजाइन वाली ऐसी विशेषताओं को अपनाए जाने के प्रति आम सहमति हुई, जिसमें उच्चतर कवरेज का स्तर, सह-बीमा को समाप्त करना, भुगतान की प्रक्रिया में सुधार, जमाकर्ताओं में और अधिक जागरूकता, और अधिक क्षेत्राधिकारों द्वारा प्रत्याशित (एक्स-एन्टे) निधियन को अपनाना, अन्य सुरक्षा नेट प्रतिभागियों द्वारा सूचना के आदान-प्रदान तथा परस्पर सहयोग को मजबूत बनाना शामिल था।

इस समकक्ष समीक्षा की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं इन संदर्भों में विशेष रूप से भारत से संबंधित हैं जैसे:- (i) कवरेज के स्तर की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बाजार अनुशासन के मध्य उपयुक्त संतुलन को प्रभावित करता है; (ii) बैंक के विफल होने के दौरान भुगतान का एकमात्र विकल्प रह जाने की स्थिति में जमाकर्ताओं को त्वरित प्रतिपूर्ति; इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंक डाटा तक गहन तथा त्वरित पहुँच (एक्सेस), एकल ग्राहक की दृष्टि से सूचनाओं तक उसकी शीघ्र पहुँच, सूचना प्रणाली संबंधी मजबूत ढाँचा; (iii) प्रभावी समाधान संबंधी आयोजना और जमाकर्ताओं को त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु निक्षेप बीमा एजेंसियों तथा अन्य सुरक्षा नेट संबंधी खिलाड़ियों के मध्य सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना; (iv) वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियन के विश्वसनीय स्रोतों (किसी बैक-अप निधियन संबंधी विकल्प सहित) तक असंदिग्ध तथा तुरत पहुँच।

5.11 निबीप्रगानि का स्वर्ण जयंती वर्ष

1 जनवरी 2011 को निबीप्रगानि ने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया। स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में निबीप्रगानि ने ''बैंक समाधान ढाँचे में निक्षेप बीमा की भूमिका - वित्तीय संकट से सबक'' नामक विषय पर इंटरनेशनल एसोसिएशन आफ डिपाजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) के सहयोग से जोधपुर, राजस्थान में 13 से 16 नवंबर 2011 के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सम्मेलन के प्रमुख विषय (थीम) में वित्तीय संकट के बाद की अवधि में वित्तीय सुरक्षा नेट संबंधी ढाँचे के विभिन्न तत्वों के बारे में विचार प्रकट करना रखा गया था, जहाँ इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि बैंकों का समाधान ढाँचा सुपरिभाषित होना चाहिए और निक्षेप बीमा एजेंसी का सुरक्षा नेट के अन्य खिलाड़ियों के साथ निकट संबंध (इंटीग्रेशन) होना चाहिए। इस सम्मेलन के प्रमुख वक्ताओं में गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक; अध्यक्ष, निबीप्रगानि; अध्यक्ष, आईएडीआई; अध्यक्ष, आईएडीआई की एशिया-पैसिफिक रीजनल कमेटी; महासचिव, आईएडीआई; निक्षेप बीमा एजेंसियों के प्रधान / वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि तथा निजी बीमा-व्यवसायी सम्मिलित थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 25 देशों की निक्षेप बीमा एजेंसियों के लगभग 80 प्रतिभागियों तथा भारिबैं और निबीप्रगानि के वरिष्ठ प्राधिकारियों ने भाग लिया। आईएडीआई समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधिकारियों द्वारा की जा रही लंबी बहस के ऐसे मुद्दे पर समय से सम्मेलन आयोजित करने तथा विचारों के आदान-प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निबीप्रगानि के कदम की सराहना की। इसके माध्यम से निबीप्रगानि को आईएडीआई में नेतृत्व की भूमिका अदा करने का अवसर मिला और इस प्रकार आईएडीआई का लर्निंग इनीसिएटिव्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भविष्य के मार्गदर्शक की भूमिका के लिए निबीप्रगानि को दिशानिर्देश मिलता है।

5.12 आईएडीआई में भूमिका

5.12.1 श्री जी.गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, निबीप्रगानि ने अक्तूबर 2011 में वारसा, पोलैंड में संपन्न आईएडीआई की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया और उन्हें एक्जीक्यूटिव काउंसिल (एक्सको) के लिए चुना गया। वे एक्सको द्वारा आईएडीआई की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य भी नामित किए गए। फरवरी 2012 में उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में आईएडीआई की एक्सको बैठक में भाग लिया।

5.12.2 प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांतों के अनुपालन के आकलन संबंधी विषय पर आईएडीआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों / कार्यशालाओं हेतु निबीप्रगानि द्वारा प्रशिक्षक / फेसिलीटेटर के रूप में सपोर्ट उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान वाशिंग्टन डीसी, अमेरिका; बासेल, स्विट. जरलैंड और कुआलालंपूर, मलेशिया में आयोजित कार्यशालाओं के लिए सपोर्ट उपलब्ध कराया गया।

5.13 लेखापरीक्षक

निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार मेसर्स सारडा एंड पारीक, सनदी लेखाकार, मुंबई को रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से वर्ष 2011-12 के लिए निगम के समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

परिचालनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड निगम के स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
मुंबई

(एस.वी.गोकर्ण)
अध्यक्ष

दिनांक: **13 जून, 2012**

संलग्नक - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत सम्मिलित बैंकों की संख्या

वर्ष / अवधि	वर्ष / अवधि के प्रारंभ में	वर्ष / अवधि के दौरान पंजीकृत	वर्ष / अवधि के दौरान ऐसे विपंजीकृत बैंक, जहाँ निगम की देयता			वर्ष / अवधि के अंत में पंजीकृत (2+3-6)
			विद्यमान	विद्यमान नहीं	कुल (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	0	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2011-12	2,217	7	12	13	25	2,199

* पिछले वर्षों में 60 बैंक विपंजीकृत किए गए परंतु उन्हें संबंधित वर्षों में नहीं गिना गया ।

संलग्नक - II

ए. बीमाकृत बैंकों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण

वर्ष (मार्च माह की समाप्ति पर)	बीमाकृत बैंकों की संख्या				
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2009-10	83	82	4	2,080	2,249
2010-11	82	82	4	2,049	2,217
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

बी. बीमाकृत सहकारी बैंकों का राज्य-वार अलग-अलग विवरण
(मार्च 2012 की समाप्ति पर)

क्र.सं.	राज्य	अपेक्स	केंद्रीय	प्राथमिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	1	22	105	128
2	असम	1	0	8	9
3	अरुणांचल प्रदेश	1	0	0	1
4	बिहार	1	21	3	25
5	छत्तीसगढ़	1	6	11	18
6	गोवा	1	0	6	7
7	गुजरात	1	18	239	258
8	हरियाणा	1	19	7	27
9	हिमाचल प्रदेश	1	2	5	8
10	जम्मू और कश्मीर	1	3	4	8
11	झारखंड	0	8	2	10
12	कर्नाटक	1	21	266	288
13	केरल	1	14	60	75
14	मध्य प्रदेश	1	38	53	92
15	महाराष्ट्र	1	31	527	559
16	मणिपुर	1	0	2	3
17	मेघालय	1	-	3	4
18	मिजोरम@	1	-	1	2
19	नागालैंड@	1	-	-	1
20	उड़ीसा	1	17	12	30
21	पंजाब	1	20	4	25
22	राजस्थान	1	29	39	69
23	सिक्किम	1	0	1	2
24	तमिलनाडु	1	24	129	154
25	त्रिपुरा	1	0	1	2
26	उत्तर प्रदेश	1	50	68	119
27	उत्तराखंड	1	10	7	18
28	पश्चिम बंगाल	1	17	46	64
	केंद्र शासित प्रदेश				
1	एनसीटी दिल्ली	1	0	15	16
2	अंदमान और नीकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1
3	दमन और दीव	0	0	0	0
4	पुडुचेरी	1	0	1	2
5	चण्डीगड़	1	0	0	1
	कुल	**31**	**370**	**1,625**	**2,026**

संलग्नक - III

वर्ष 2011-12 के दौरान पंजीकृत तथा विपंजीकृत बैंक

बैंक का प्रकार / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
क. पंजीकृत (7)		
वाणिज्य बैंक (6)	1	सबेर बैंक, नई दिल्ली
	2	राबो बैंक इण्टरनेशनल, मुंबई
	3	आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि., मुंबई
	4	इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैंक आफ चाइना लि., मुंबई
	5	वूरी बैंक, चेन्नई
	6	नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक, मुंबई
सहकारी बैंक (1)		
केंद्र शासित प्रदेश		
चण्डीगढ (1)	1	दि चण्डीगढ़ स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., चण्डीगढ़
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (0)	कोई नहीं	
ख. विपंजीकृत (25)		
वाणिज्य बैंक (1)	1	एसबीआई कमर्शियल एण्ड इण्टरनेशनल बैंक लि., (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिगृहीत)
सहकारी बैंक (24)		
आंध्र प्रदेश (1)	1	तांदूर महिला को-आपरेटिव अरबन बैंक लि., तांदूर
गुजरात (6)	1	वेपार विकास को-आपरेटिव अरबन बैंक लि., वडोदरा (अहमदाबाद मर्केटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., गुजरात में समामेलित)
	2	श्री लिम्बडी विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि., सुरेन्द्रनगर (जूनागढ कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लि., जूनागढ में विलय)
	3	मर्केण्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., गोधरा (प्राइम को-आपरेटिव बैंक लि., गुजरात में विलय)
	4	पालनपुर पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक लि., पालनपुर (अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर में विलय)
	5	डाकोर नागरिक सहकारी बैंक लि., खेडा (को-आपरेटिव बैंक आफ राजकोट लि., गुजरात में विलय)
	6	गुजरात इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
कर्नाटक (2)	1	निपाणी अरबन सौहार्द को-आपरेटिव बैंक लि., बेलगाम (विश्वेश्वर सहकारी बैंक लि., पुणे में विलय)

संलग्नक - III (समाप्त)

बैंक का प्रकार / राज्य	क्रम सं.	बैंक का नाम
	2	नवकल्याण को-आपरेटिव बैंक लि., हुबली (कल्लप्पअण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि. में विलय)
महाराष्ट्र (14)	1	श्री बालाजी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक
	2	इंदिरा श्रमिक महिला नागरी सहकारी बैंक लि., सोलापुर
	3	सिद्धेश्वर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., माजलगांव
	4	दि अग्रसेन अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., पुणे (महानगर को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई में विलय)
	5	चोपड़ा अरबन को-आपरेटिव बैंक लि.,जलगांव
	6	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., पुणे
	7	मेमन को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई (बैंक आफ बडौदा में विलय)
	8	श्री बालभीम अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर (अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई में विलय)
	9	सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित., सोलापुर
	10	भंडारी को-आपरेटिव बैंक लि., मुंबई
	11	भारत अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., सोलापुर
	12	जलगांव मर्चेंट्स सहकारी बैंक लि., जलगांव (देवगिरि नागरी सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद में विलय)
	13	वीराशैवा को-आपरेटिव बैंक लि., चेंबूर
	14	यावल पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लि., जलगांव (को-आपरेटिव बैंक आफ राजकोट लि., गुजरात में विलय)
मध्य प्रदेश (1)	1	भोज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, धार (शिवालिक मर्केण्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., सहारनपुर में विलय)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (0)	कोई नहीं	

संलग्नक - IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा सहकारी बैंक)

(जून 1990 से सितंबर 2011 के अंतिम कार्यदिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या (मिलियन में)*	खातों की कुल संख्या (मिलियन में)	(3) की तुलना में (2) का प्रतिशत	बीमित जमाराशि * (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशि (बिलियन ₹ में)	(6) की तुलना में (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2007-08	962	1039	92.6	18,051	29,848	60.5
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0

* खातों की संख्या, जिनमें शेषराशियाँ 1 जनवरी 1962 के बाद से ₹ 1,500; 1 जनवरी 1968 के बाद से ₹ 5,000; 1 अप्रैल 1970 के बाद से ₹ 10,000; 1 जनवरी 1976 के बाद से ₹ 20,000; 1 जुलाई 1980 के बाद से ₹30,000 तथा 1 मई 1993 के बाद से ₹1,00,000 से अधिक नहीं थीं।

नोट :- 2009-10 से डाटा नये रिपोर्टिंग फार्मेट के अनुसार।

संलग्नक - V

बीमाकृत बैंकों (श्रेणीवार) के जमाकर्ताओं को प्रदान की गई सुरक्षा की सीमा दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (बिलियन ₹ में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2009-10	I. वाणिज्य बैंक (I से v)	87	13,519	40,948	33.0
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	7	4,099	10,147	40.4
	ii) सरकारी क्षेत्र	19	7,419	19,105	38.8
	iii) विदेशी बैंक	34	187	4,423	4.2
	iv) निजी बैंक	23	1,811	7,266	24.9
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	4	7	53.5
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	957	1,199	79.8
	III.सहकारी बैंक	2,080	2,348	3,732	62.9
	कुल (I+II+III)	**2,249**	**16,824**	**45,880**	**36.7**
2010-11	I. वाणिज्य बैंक (I से v)	86	13,979	44,530	31.4
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	3,695	9,929	37.2
	ii) सरकारी क्षेत्र	19	7,867	22,309	35.3
	iii) विदेशी बैंक	35	240	2,464	9.8
	iv) निजी बैंक	22	2,172	9,819	22.1
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	4	8	54.6
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	1,019	1,305	78.0
	III.सहकारी बैंक	2,049	2,360	3,689	64.0
	कुल (I+II+III)	**2,217**	**17,358**	**49,524**	**35.1**
2011-12	I. वाणिज्य बैंक (I से v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) भारतीय स्टेट बैंक समूह	6	4,046	11,546	35.0
	ii) सरकारी क्षेत्र	20	8,797	27,956	31.5
	iii) विदेशी बैंक	41	221	2,650	8.4
	iv) निजी बैंक	20	2,336	9,958	23.5
	v) स्थानीय क्षेत्र बैंक	4	5	10	51.9
	II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	82	1,120	1,522	73.6
	III.सहकारी बैंक	2,026	2,518	4,033	62.4
	कुल (I+II+III)	**2,199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**

संलग्नक - VI

2011-12 के दौरान निपटाए गए निक्षेप बीमा दावे

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (मिलियन ₹ में)
1	2	3	4	5
	सहकारी बैंक			
	छत्तीसगढ़ (1)			
1	इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.,	अनुपूरक	1	0.01
	उप जोड़		**1**	**0.01**
	गुजरात (27)			
2	नदियाद मर्केण्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,	अनुपूरक	34	1.60
3	नटपुर कोआपरेटिव बैंक लि.,	अनुपूरक	25	0.87
4	नवसारी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., नवसारी	अनुपूरक	22	0.97
5	पेटलाद कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	2	0.10
6	साबरमती कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	1	0.10
7	सेठ बी.बी.श्राफ बुल्सर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.,	अनुपूरक	590	32.64
8	दी सिधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि.	मुख्य	6,706	33.51
9	सुरेंद्रनगर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., सुरेंद्रनगर	अनुपूरक	45	0.27
10	अहमदाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	93	1.80
11	विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	61	2.38
12	भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	66	0.16
13	श्री स्वामीनारायण कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	79	4.26
14	आनन्द पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	50	2.08
15	अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	190	0.81
16	सूर्यपुर कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	190	10.83
17(क)	अन्योन्या कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	70,846	577.90
17(ख)	अन्योन्या कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	4	0.34
18	कॅम्बे हिंदू मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	9,336	86.76
19	श्री विकास कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	80	1.88
20	बहादुरपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	4	0.29

संलग्नक - VI (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (मिलियन ₹ में)
21	दि रॉयले कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	15	0.75
22	मेट्रो कोआपरेटिव बैंक लि	अनुपूरक	2	0.10
23	भावनगर मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	1	0.01
24	चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	106	7.14
25	डभोई नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	61	2.50
26	दि जनरल कोआपरेटिव बैंक लि	अनुपूरक	64	1.26
27	दि जनता कोआपरेटिव बैंक लि	अनुपूरक	17	0.66
	उप जोड़		**88,690**	**771.97**
	कर्नाटक (6)			
28	मराठा कोआपरेटिव बैंक लि	अनुपूरक	1	0.09
29	रबकवि अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	10,462	67.39
30	श्री मौनेश्वर कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	1,640	2.57
31	रायचुर जिला महिला पट्टन सहकारी बैंक लि.	मुख्य	6,021	11.16
32	दि चाडचन श्री संगमेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	6,075	38.15
33	हलीयाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	1	0.00
	उप जोड़		**24,200**	**119.36**
	महाराष्ट्र (21)			
34	राहुरी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	5	0.15
35	रोहे अष्टमी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	6	0.19
36	साउथ इंडियन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	104	0.81
37	सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि.,	अनुपूरक	1	0.10
38	इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुलिया	अनुपूरक	9	0.26
39	दी परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि..	मुख्य	54,918	402.55
40	नागपुर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	46	0.68
41	यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज	अनुपूरक	22	0.38

संलग्नक - VI (समाप्त)

क्रम सं.	बैंक का नाम	मुख्य दावे / अनुपूरक दावे	जमाकर्ताओं की संख्या	दावे की राशि (मिलियन ₹ में)
42	वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	131	3.73
43	समता सहकारी बैंक लि.	मुख्य	33,474	403.72
44	कुपवाड़ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	365	6.22
45	श्रीराम सहकारी बैंक लि. .	अनुपूरक	2	0.07
46	साधना कोआपरेटिव बैंक लि.	अनुपूरक	2	0.03
47	हिना शाहिन नागरिक सहकारी बैंक लि.	मुख्य	9,798	112.96
48	श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि.	मुख्य	2,292	26.55
49	श्री जोतिबा सहकारी बैंक लि.	मुख्य	7,596	22.00
50	दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि.	मुख्य	16,324	197.71
51	विदर्भ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	11,304	159.54
52	चोपड़ा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	10,264	71.27
53	श्री महेश सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	3	0.05
54	इचलकरंजी अरबन सहकारी बैंक लि.	मुख्य	43,785	553.01
	उप जोड़		**1,90,451**	**1,962.01**
	मध्य प्रदेश (3)			
55	सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि..	मुख्य	2,729	12.25
56	महाराष्ट्र ब्रह्मिण सहकारी बैंक लि.	अनुपूरक	22	0.84
57	सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लि	अनुपूरक	58	2.53
	उप जोड़		**2,809**	**15.61**
	पश्चिम बंगाल (1)			
58	आसनसोल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.	मुख्य	1,012	4.16
	उप जोड़		**1,012**	**4.16**
	कुल		**3,07,163**	**2,873.12**

संलग्नक - VII

निपटाए गए बीमा दावे तथा वसूल की गई चुकौतियाँ - 31 मार्च 2012 तक परिसमापित / समामेलित / पुनर्निर्मित सभी बैंक

(मिलियन ₹ में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
I	**वाणिज्यिक बैंक**			
	i) पूरी चुकौती प्राप्त हुई है			
	1) बैंक आफ चायना, कोलकाता (1963)	0.93	0.93	-
	2) श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि. बीजापुर (1965)*	0.01	0.01	-
	3) बैंक आफ बिहार लि. पटना (1970)*	4.63	4.63	-
	4) कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964)*	0.70	0.70	-
	5) लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964)*	0.21	0.21	-
	6) बैंक आफ कराड लि., मुंबई (1992)	370.00	370.00	-
	7) मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज (1987)*	14.66	14.66	-
	कुल 'ए'	**391.14**	**391.14**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और देय शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई			
	8) यूनिटी बैंक लि., चेन्नई (1963)*	0.25	0.14 (0.12)	-
	9) उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)*	0.11	0.03 (0.08)	-
	10) चावला बैंक लि., देहरादून (1969)*	0.02	0.01 (0.01)	-
	11) मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि., कोलकाता (1964)*	0.88	0.44 (0.44)	-
	12) सदर्न बैंक लि., कोलकाता (1964)*	0.73	0.37 (0.36)	-
	13) बैंक आफ अलगापुरी लि., अलगापुरी (1963)*	0.03	0.02 (0.01)	-
	14) हबीब बैंक लि., मुंबई (1966)*	1.73	1.68 (0.05)	-
	15) नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कोलकाता (1966)*	0.10	0.09 (0.01)	-
	16) परूर सेंट्रल बैंक लि.,नार्थ परूर, महाराष्ट्र (1990)*	26.02	23.19 (2.83)	-
	कुल 'बी'	**29.87**	**25.97 (3.89)**	**-**
	iii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई			
	17) नेशनल बैंक आफ लाहौर लि., दिल्ली (1970)*	0.97	0.97	-
	18) बैंक आफ कोचीन लि., कोचीन (1986)*	116.28	105.58	10.70
	19) लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., बेंगलूर*	334.06	91.36	242.70
	20) हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1988)*	219.17	105.38	113.79
	21) यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., कोलकाता*	350.16	32.63	317.53

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	22) ट्रेडर्स बैंक लि., दिल्ली (1990)*	30.63	13.48	17.15
	23) बैंक आफ तंजावूर लि., तंजावूर, त.ना. (1990)*	107.84	93.49	14.35
	24) बैंक आफ तमिलनाडु लि., तिरुनेलवेली, त.ना. (1990)*	76.45	75.90	0.55
	25) पूर्वांचल बैंक लि., गुवाहाटी (1990)*	72.58	9.76	62.82
	26) सिक्किम बैंक लि., गंगटोक (2000)*	172.96	0.00	172.96
	27) बनारस स्टेट बैंक लि., उ.प्र. (2002)*	1,056.44	441.66	614.79
	कुल सी	**2,537.53**	**970.20**	**1,567.33**
	कुल (ए + बी + सी)	**2,958.54**	**1,387.31 (3.89)**	**1,567.33**
II	**सहकारी बैंक**			
	i) पूरी चुकौतियाँ प्राप्त हुईं			
	1) मालवन कोआपरेटिव बैंक लि., मालवन (1977)	0.18	0.18	-
	2) बाम्बे पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)	1.07	1.07	-
	3) दधीच सहकारी बैंक लि., मुंबई (1984)	1.84	1.84	-
	4) रामदुर्ग अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)	0.22	0.22	-
	5) बाम्बे कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1976)	0.57	0.57	-
	6) मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1992)	12.50	12.50	-
	7) हिंदूपुर कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आं.प्र. (1996)	0.12	0.12	-
	8) वसुंधरा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2005)	0.63	0.63	-
	कुल 'डी'	**17.14**	**17.14**	**-**
	ii) आंशिक चुकौती प्राप्त हुई और देय शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गई			
	9) घाटकोपर जनता कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1977)	0.28	0.00 (0.28)	-
	10) भद्रावती टाउन कोआपरेटिव बैंक लि., भद्रावती (1994)	0.03	0.00 (0.03)	-
	11) आरे मिल्क कालोनी कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (1978)	0.06	0.00 (0.06)	-
	12) आरमूर कोआपरेटिव बैंक लि., आं.प्र.(2003)	0.71	0.53 (0.18)	-
	13) रत्नागिरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी महाराष्ट्र (1978)*	4.64	1.26 (3.39)	-
	14) दि नीलगिरी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र.(2005)	2.12	0.55 (1.57)	-
	कुल ई	7.83	2.33 (5.49)	-
	iii) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ			
	15) विश्वकर्मा कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई महाराष्ट्र (1979)*	1.16	0.56	0.60
	16) प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*	0.70	0.31	0.40

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	17) कलाविहार कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1979)*	1.32	0.34	0.98
	18) वैश्य कोआपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक (1982)*	9.13	1.30	7.84
	19) कोल्लूर पार्वती कोआपरेटिव बैंक लि., कोल्लूर आं.प्र. (1985)	1.40	0.71	0.69
	20) आदर्श कोआपरेटिव बैंक लि., मैसूर, कर्नाटक (1985)	0.27	0.07	0.21
	21) कुरुडुवाड़ी मर्चेण्ट्स अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र(1986)*	0.49	0.40	0.08
	22) गदग अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1986)	2.29	1.32	0.97
	23) मणिहाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1987)	0.96	0.23	0.73
	24) हिंद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उ.प्र. (1988)	1.10	0.00	1.10
	25) येलमंचिलि कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (1990)	0.44	0.05	0.38
	26) वसावी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., गुरजाला आं.प्र. (1991)	0.39	0.05	0.34
	27) कुण्डारा कोआपरेटिव बैंक लि., केरल (1991)	1.74	0.91	0.83
	28) मनोली श्री मंचलिंगेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1991)	1.74	1.14	0.61
	29) सरदार नागरिक सहकारी बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (1991)	7.49	1.80	5.69
	30) बेलगाम मुस्लिम कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (1992)*	3.71	0.27	3.44
	31) भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (1994)	1.98	0.10	1.88
	32) सिटीजंस अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., इंदौर, म.प्र.(1994)	22.02	1.00	21.02
	33) चेतना कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1995)	87.55	0.76	86.79
	34) बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1996)	2.41	0.00	2.41
	35) दि पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., इचलकरंजी, महाराष्ट्र (1996)	36.55	0.00	36.55
	36) स्वस्तिक जनता कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)	22.66	0.00	22.66
	37) कोल्हापुर जिला जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1998)	80.12	0.00	80.12
	38) धारवाड़ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (1998)	0.92	0.92	0.00
	39) दादर जनता सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)	51.80	0.50	51.30
	40) विनकर सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (1999)	18.07	0.00	18.07
	41) त्रिमूर्ति सहकारी बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (1999)	28.56	10.03	18.53
	42) अवामी मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)	46.24	3.00	43.24
	43) रविकिरण अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)	62.16	0.26	61.90
	44) गुडूर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2000)	6.74	0.96	5.77
	45) अनकापल्लि कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र.(2000)	2.45	0.14	2.31
	46) इंदिरा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2000)	157.01	0.08	156.93
	47) नांदगांव मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)	2.24	0.00	2.24
	48) सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि., जलगांव महाराष्ट्र (2000)	5.40	1.10	4.30
	49) सोलापुर जिला महिला सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2000)	27.50	9.00	18.50
	50) दि सामी तालुका नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2000)	2.02	0.00	2.02

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	51) अहिल्यादेवी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., कलमनुरी, महाराष्ट्र (2001)	1.70	0.00	1.70
	52) नागरिक सहकारी बैंक लि., सागर, म.प्र. (2001)	7.01	0.00	7.01
	53) इंदिरा सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद, महाराष्ट्र (2001)	21.86	0.47	21.40
	54) नागरिक कोआपरेटिव कमर्शियल बैंक मर्यादित, बिलासपुर म.प्र. (2001)	26.14	0.00	26.14
	55) इचलकरंजी कामगार नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2001)	5.07	3.36	1.71
	56) परिषद कोआपरेटिव बैंक लि., नई दिल्ली (2001)	3.95	3.78	0.17
	57) सहयोग कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद गुजरात (2002)	29.95	1.55	28.40
	58) माधवपुरा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद गुजरात (2001)	4,009.40	0.00	4,009.40
	59) कृषि कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., सिकंदराबाद, आं.प्र. (2001)	232.40	28.51	203.90
	60) जबलपुर नागरिक सहकारी बैंक लि. (विपंजीकृत) जबलपुर, म.प्र. (2002)	19.49	15.07	4.41
	61) श्री लक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2002)	138.74	22.38	116.36
	62) मराठा मार्केट पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2002)	37.96	0.00	37.96
	63) लातूर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि. (विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2002)	3.05	0.00	3.05
	64) श्री लक्ष्मी महिला कोआपरेटिव बैंक लि. (विपंजीकृत), आं.प्र. 2002)	7.82	0.00	7.82
	65) फ्रेंड्स कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई (2002)	48.46	0.12	48.34
	66) भाग्यनगर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि. (विपंजीकृत), आं.प्र. (2002)	9.70	9.36	0.33
	67) आस्का कोआपरेटिव अरबन बैंक लि. (विपंजीकृत), उड़ीसा (2002)	7.03	0.00	7.03
	68) दि वेरावल रत्नाकर सहकारी बैंक लि. (विपंजीकृत), गुजरात (2002)	26.55	0.00	26.55
	69) श्री वेरावल विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि. (विपंजीकृत), गुजरात (2002)	25.87	0.00	25.87
	70) श्रव्य कोआपरेटिव बैंक लि., आं.प्र. (2002)	74.38	2.42	71.96
	71) मजूर सहकारी बैंक लि. अहमदाबाद, गुजरात (2002)	14.78	0.32	14.46
	72) मीरा भायंदर कोआपरेटिव बैंक लि.,(विपंजीकृत), महाराष्ट्र (2003)	22.45	0.00	22.45
	73) श्री लाभ कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2003)	47.51	0.34	47.17
	74) खेड अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)	46.37	0.50	45.87
	75) जनता सहकारी बैंक मर्यादित, देवास, म.प्र. (2003)	71.74	66.14	5.60
	76) निजामाबाद कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	11.29	10.04	1.25
	77) दि मेगासिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	16.20	14.68	1.52
	78) दि कर्नूल अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., आं.प्र. (2003)	47.43	46.56	0.88
	79) यमुनानगर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., हरियाणा (2003)	30.05	2.80	27.25
	80) प्रजा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	9.25	8.61	0.64
	81) चारमिनार कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	1,432.34	819.17	613.17
	82) राजमपेट कोआपरेटिव टाउन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	16.35	7.25	9.10
	83) श्री भाग्यलक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)	34.03	3.60	30.43

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	84) आर्यन कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	46.78	43.63	3.15
	85) दि फर्स्ट सिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	12.87	11.24	1.63
	86) कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)	48.88	0.03	48.86
	87) अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2003)	33.33	0.96	32.37
	88) थेनी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., त.ना. (2003)	33.18	0.01	33.17
	89) दि मंदसौर कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., म.प्र. (2003)	141.14	115.80	25.34
	90) मदर थेरेसा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	57.25	1.40	55.85
	91) धना कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	23.86	0.00	23.86
	92) अहमदाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)	37.34	2.20	35.14
	93) दि स्टार कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र.(2003)	2.63	0.00	2.63
	94) दि जनता कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2003)	41.13	0.00	41.13
	95) मनिकांता कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	21.68	17.30	4.38
	96) भावनगर वेलफेयर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)	35.51	0.00	35.51
	97) नवोदय सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2003)	3.04	2.52	0.52
	98) पिठापुरम कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2003)	7.70	7.69	0.01
	99) श्री आदिनाथ सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2003)	42.97	18.52	24.46
	100) संतराम कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2003)	115.87	2.82	113.05
	101) पालना कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., गुजरात (2003)	22.95	21.79	1.16
	102) नायक मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)	25.53	0.00	25.53
	103) जनरल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2004)	711.10	19.16	691.94
	104) वेस्टर्न कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2004)	44.09	0.06	44.03
	105) चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)	2,060.65	101.38	1,959.27
	106) प्रतिभा महिला सहकारी बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2004)	34.19	6.20	27.99
	107) विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2004)	3,823.55	15.42	3,808.12
	108) नरसारावपेट कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2004)	1.79	0.13	1.66
	109) भंजनगर कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., उड़ीसा (2004)	9.80	0.00	9.80
	110) दि साईं कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2004)	10.17	6.17	4.00
	111) दि कल्यान कोआपरेटिव बैंक लि., आं.प्र. (2005)	13.51	0.90	12.61
	112) ट्रिनिटी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2005)	19.31	6.20	13.11
	113) गुलबर्गा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2005)	25.44	0.79	24.65
	114) विजया कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र. (2005)	12.23	9.50	2.73
	115) श्री सत्यसाईं कोआपरेटिव बैंक लि., आं.प्र. (2005)	7.39	2.00	5.39
	116) श्रीगंगानगर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., राजस्थान (2005)	4.79	4.79	0.00
	117) सितारा कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद, आं.प्र.(2005)	3.74	0.00	3.74
	118) महालक्ष्मी कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद आं.प्र. (2005)	42.00	0.39	41.61
	119) माँ शारदा महिला नागरी सहकारी बैंक लि., अकोला, महाराष्ट्र (2005)	13.35	0.45	12.90

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	120) परतूर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र	15.84	0.00	15.84
	121) सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)	107.56	10.36	97.21
	122) दि बड़ौदा पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (2005)	583.77	21.79	561.99
	123) दि कोआपरेटिव बैंक आफ उमरेथ लि., गुजरात (2005)	49.44	2.92	46.51
	124) श्री पटनी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	86.53	2.60	83.93
	125) क्लासिक कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	5.73	0.50	5.23
	126) दि साबरमती कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	318.79	32.60	286.20
	127) मातर नागरिक सहकारी बैंक लि. गुजरात (2005)	30.89	1.87	29.03
	128) डायमंड जुबिली कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2005)	606.40	606.40	0.00
	129) पेटलाद कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	73.74	5.50	68.24
	130) नडीयाद मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	296.24	6.97	289.27
	131) श्री विकास कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	223.15	10.24	212.91
	132) टेक्सटाइल प्रोसेसर्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	53.76	2.54	51.22
	133) प्रगति कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	129.74	4.52	125.22
	134) उजावर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	15.71	0.00	15.71
	135) सुनव नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)	17.57	0.09	17.48
	136) संस्कारधनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., जबलपुर, म.प्र. (2005)	3.03	0.00	3.03
	137) सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लि., दामोह, म.प्र. (2005)	8.50	0.00	8.50
	138) दरभंगा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2005)	19.00	0.00	19.00
	139) बेल्लमपल्ली कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र.(2005)	7.50	0.00	7.50
	140) श्री विट्ठल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	79.73	0.85	78.88
	141) सूर्यापुर कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	571.15	24.04	547.11
	142) श्री सर्वोदय कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	10.90	0.00	10.90
	143) पेटलाद नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2005)	24.39	2.09	22.30
	144) रघुवंशी कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2005)	120.66	0.10	120.56
	145) सोलापुर मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)	30.70	0.00	30.70
	146) औरंगाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2005)	29.93	7.43	22.50
	147) अर्बन कोआपरेटिव बैंक लि. टिहरी, उत्तरांचल (2005)	16.29	1.72	14.57
	148) श्रीनाथजी कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2005)	40.83	0.73	40.10
	149) दि सेंचुरी कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत (2006)	67.28	6.94	60.34
	150) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लि., राजगढ़, छत्तीसगढ़ (2006)	181.64	0.00	181.64
	151) मधेपुरा सुपौल सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)	65.05	0.00	65.05
	152) नवसारी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)	300.21	26.81	273.40
	153) सेठ भगवानदास बी.ऑफ - बुलसार पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., वलसाड़, गुजरात (2006)	264.65	50.83	213.82
	154) महाराष्ट्र ब्रह्मिण सहकारी बैंक लि., म.प्र. (2006)	301.96	17.78	284.18
	155) मित्र मंडल सहकारी बैंक लि., इंदौर, म.प्र. (2006)	145.66	31.43	114.23
	156) छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार (2006)	82.53	0.00	82.53
	157) श्री वितराग कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)	92.89	1.65	91.24

संलग्नक- VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	158) श्री स्वामीनारायण कोआपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा, गुजरात (2006)	433.82	21.13	412.69
	159) जनता कोआपरेटिव बैंक लि., नडियाद, गुजरात (2006)	322.97	34.85	288.11
	160) दि नटपुर कोआपरेटिव बैंक लि., नडियाद, गुजरात (2006)	549.58	15.03	534.55
	161) मेट्रो कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)	120.63	0.16	120.47
	162) दि रॉयल कोआपरेटिव बैंक लि., सूरत, गुजरात (2006)	91.57	1.09	90.48
	163) दि जयहिंद कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2006)	118.90	50.32	68.58
	164) दि मदुरै अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., त.ना. (2006)	257.76	34.76	223.00
	165) कर्नाटक कांट्रैक्टर्स सहकारी बैंक नियामित, बंगलौर, कर्नाटक (2006)	29.76	0.61	29.14
	166) आनन्द पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)	368.91	24.51	344.40
	167) कोटागिरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कोटागिरी, त.ना. (2006)	24.59	0.55	24.04
	168) दि रिलीफ मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद गुजरात (2006)	11.40	0.00	11.40
	169) कावेरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., बेंगलूर, कर्नाटक (2006)	4.85	0.00	4.85
	170) बड़ौदा मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)	12.83	0.61	12.21
	171) दाभोई नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2006)	165.49	4.20	161.29
	172) धनसुरा पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2006)	58.80	1.65	57.15
	173) समस्तनगर कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2006)	116.05	3.42	112.63
	174) प्रुडेंसियल कोआपरेटिव बैंक लि., सिकंदराबाद, आं.प्र. (2007)	755.96	490.96	265.00
	175) लोकविकास अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर, राजस्थान (2007)	6.61	0.00	6.61
	176) नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रतलाम, म.प्र. (2007)	20.39	0.00	20.39
	177) सिंध मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)	103.90	4.00	99.90
	178) श्रीराम सहकारी बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र (2007)	323.22	117.80	205.41
	179) परभणी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)	367.81	0.02	367.79
	180) पूर्णा नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2007)	47.58	0.03	47.55
	181) यशवंत सहकारी बैंक लि. मुंबई, महाराष्ट्र (2007)	5.94	0.00	5.94
	182) दि कन्यका परमेश्वरी म्युचुअली एडेड कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., कुकटपल्ली, आं.प्र. (2007)	29.75	0.77	28.98
	183) महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., खरगोण, म.प्र. (2007)	4.31	0.44	3.86
	184) दि करमसद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., आनन्द, गुजरात (2007)	124.76	1.88	122.88
	185) भारत मर्केण्टाइल कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद, आं.प्र. (2007)	31.23	0.28	30.96
	186) लार्ड बालाजी कोआपरेटिव बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2007)	27.29	0.10	27.19
	187) वसुंधरा महिला कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., वरंगल, आं.प्र.(2007)	2.30	0.00	2.30
	188) बेगुसराय अरबन डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक लि., बिहार(2007)	5.94	0.00	5.94
	189) दतिया नागरिक सहकारी बैंक लि. दतिया, म.प्र. (2007)	1.49	0.00	1.49
	190) आदर्श महिला कोआपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा, गुजरात (2007)	12.98	0.08	12.90
	191) दि उमरेथ पिपल्स कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., गुजरात (2007)	22.08	0.14	21.94

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	192) सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर, गुजरात (2007)	160.29	0.70	159.59
	193) श्री कोआपरेटिव बैंक लि., इंदौर, म.प्र. (2007)	2.48	0.00	2.48
	194) ओनाके ओबावा महिला कोआपरेटिव बैंक लि., चित्रदुर्ग, कर्नाटक (2007)	54.85	0.06	54.79
	195) दि विकास कोआपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद, गुजरात (2007)	10.26	0.34	9.92
	196) श्री जामनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2007)	11.24	0.00	11.24
	197) आनन्द अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2008)	184.56	0.20	184.36
	198) राजकोट महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	68.22	4.01	64.21
	199) सेवालाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., मन्डूप, महाराष्ट्र (2008)	0.67	0.00	0.67
	200) नागांव अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., नागांव, असम (2008)	6.13	0.00	6.13
	201) सर्वोदय महिला कोआपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, म.प्र. (2008)	8.39	0.00	8.39
	202) चेतक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2008)	7.44	4.89	2.56
	203) बसवकल्यान पट्टना सहकारी बैंक लि.,बसगंज, कर्नाटक (2008)	2.67	0.18	2.50
	204) इंडियन कोआपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लि. मेरठ, उ.प्र. (2008)	37.59	0.33	37.26
	205) तलोद जनता सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	24.52	1.04	23.49
	206) दि चल्लकेरे अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2008)	32.64	0.12	32.52
	207) दि डाकोर महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	6.38	1.09	5.29
	208) जिला सहकारी बैंक लि., गोंडा, उ.प्र. (2008)	454.37	0.26	454.11
	209) दि मराठा कोआपरेटिव बैंक लि. हुबली, कर्नाटक (2008)	185.52	59.21	126.31
	210) श्री जनता सहकारी बैंक लि., रधनपुर, गुजरात (2008)	47.52	1.10	46.42
	211) परिवर्तन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2008)	183.65	16.07	167.58
	212) इंदिरा प्रियदर्शनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ (2008)	164.57	32.87	131.71
	213) इचलकरंजी जीवेश्वर सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2008)	24.17	14.35	9.82
	214) कित्तुर रानी चन्नम्मा महिला पत्तना सहकारी बैंक लि., हुबली, कर्नाटक (2008)	22.85	0.72	22.13
	215) भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2008)	99.66	28.15	71.51
	216) दि हरुगेरी अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	36.45	4.44	32.01
	217) वरदा कोआपरेटिव बैंक लि., हवेरी, करजगी, कर्नाटक (2009)	25.24	1.28	23.96
	218) रवी कोआपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर, महाराष्ट्र (2008)	169.23	1.73	167.50
	219) श्री बालासाहेब सातभाई मर्चेण्ट्स कोआपरेटिव बैंक लि., कोपरगांव, महाराष्ट्र (2008)	268.25	38.88	229.38
	220) जयलक्ष्मी कोआपरेटिव बैंक लि., दिल्ली (2008)	1.24	1.24	-
	221) अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., सिद्दपुर, कर्नाटक (2009)	112.93	34.35	78.58
	222) श्री बी.जे.खताल जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	78.97	11.25	67.72
	223) श्री कलमेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., होले-अलूर, कर्नाटक (2009)	25.29	0.00	25.29
	224) श्री लक्ष्मेश्वर अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2009)	67.66	0.00	67.66
	225) प्रियदर्शिनी महिला सहकारी बैंक लि., लातूर, महाराष्ट्र (2009)	65.79	20.20	45.59

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	226) श्री स्वामी ज्ञानानन्द योगेश्वर महिला कोआपरेटिव बैंक लि., पुत्तुर, आं.प्र. (2009)	3.63	0.00	3.63
	227) अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., इलाहाबाद, उ.प्र. (2009)	10.03	2.43	7.60
	228) फिरोजाबाद अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., उ.प्र. (2009)	4.02	0.00	4.02
	229) सिद्दापुर कमर्शियल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	37.18	2.59	34.59
	230) नूतन सहकारी बैंक लि., वडोदरा, गुजरात (2009)	128.90	29.45	99.45
	231) भावनगर मर्केण्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2009)	374.29	159.00	215.29
	232) संत जनाबाई नागरी सहकारी बैंक लि., गागाखेड़, महाराष्ट्र (2009)	101.96	7.46	94.50
	233) श्री एस.के.पाटिल कोआपरेटिव बैंक लि., कुरुंदवाड़, महाराष्ट्र (2009)	133.06	6.90	126.16
	234) श्री वर्धमान कोआपरेटिव बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2009)	51.82	29.99	21.84
	235) ज्ञानोपासक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	16.22	0.00	16.22
	236) अचलपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	52.91	12.25	40.65
	237) रोहे अष्टमी सहकारी अरबन बैंक लि., रोहा, महाराष्ट्र (2009)	370.68	21.25	349.42
	238) साउथ इंडियन कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2009) *	359.77	5.68	354.09
	239) दि अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2009)	238.24	164.84	73.41
	240) अजित कोआपरेटिव बैंक लि., पुणे, महाराष्ट्र (2009)	292.98	46.75	246.23
	241) श्री सिद्धि वेंकटेश सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	20.82	9.32	11.50
	242) हिरेकेरुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	137.35	0.00	137.35
	243) श्री पी.के.अन्ना पाटिल जनता सहकारी बैंक लि., नन्दुरबार, महाराष्ट्र (2009)	564.82	0.00	564.82
	244) चालीसगांव पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., जलगांव, महाराष्ट्र (2009)	300.92	151.12	149.80
	245) दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक लि., खांडवा, म.प्र. (2009)	97.45	27.00	70.45
	246) सुवर्णा नागरी सहकारी बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2009)	19.59	10.60	8.99
	247) वसंतदादा शेतकरी सहकारी बैंक लि., सांगली, महाराष्ट्र (2009)	1,671.83	72.50	1599.34
	248) दि हलियाल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2009)	43.38	13.51	29.86
	249) मिरज अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	418.31	30.09	388.21
	250) फैजपुर जनता सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2009)	33.46	7.06	26.40
	251) डाल्टेनगंज सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., झारखंड (2010)	93.93	0.05	93.87
	252) इंदिरा सहकारी बैंक लि., धुले, महाराष्ट्र (2010)	124.82	0.26	124.55
	253) अकोत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	143.91	16.39	127.52
	254) गोरेगांव कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (2010)	435.65	28.62	407.03
	255) दि अनुभव कोआपरेटिव बैंक लि., बसवकल्याण, कर्नाटक (2010)	8.75	0.00	8.75
	256) यशवंत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., परभणी, महाराष्ट्र (2010)	116.81	10.25	106.56
	257) प्रांतिज नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	70.16	32.80	37.36
	258) सुरेंद्रनगर पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	487.01	179.51	307.50

संलग्नक - VII (जारी)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	259) बेल्लाटी अरबन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	0.06	0.00	0.06
	260) श्री परोला अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	51.24	0.69	50.56
	261) साधना कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	15.63	0.13	15.50
	262) प्राइमरी टीचर्स कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., कर्नाटक (2010)	64.92	7.34	57.58
	263) श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात (2010)	54.17	0.00	54.17
	264) सिटीजन कोआपरेटिव बैंक लि., बुरहानपुर, म.प्र. (2010)	232.08	232.08	0.00
	265) यशवंत सहकारी बैंक लि.मिरज, महाराष्ट्र (2010)	115.16	52.06	63.09
	266) अरबन इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि., आसाम (2010)	4.32	0.00	4.32
	267) अहमदाबाद पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात (2010)	446.93	201.61	245.32
	268) सूरत महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., गुजरात (2010)	260.37	102.01	158.36
	269) कटकोल कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2010)	146.20	34.91	111.30
	270) श्री सिन्नर व्यापारी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	403.74	78.34	325.41
	271) नागपुर महिला नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2010)	476.56	283.54	193.02
	272) राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	24.91	3.23	21.69
	273) बहादरपुर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2010)	49.31	6.95	42.36
	274) श्री संपिगे सिद्देश्वरा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	49.35	0.66	48.70
	275) विजयनगरम कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., आं.प्र.,(2010)	71.14	26.06	45.08
	276) अवध सहकारी बैंक लि., उ.प्र., (2010)	23.26	0.80	22.46
	277) अन्नासाहेब पाटिल अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र,(2010)	28.00	0.53	27.47
	278) कुपवाड़ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	114.00	35.57	78.43
	279) राहुरी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2010)	167.65	54.79	112.86
	280) रायबाग अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2010)	14.77	0.00	14.77
	281) चंपावती अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	145.54	60.95	84.59
	282) श्री महेश सहकारी बैंक मर्यादित, महाराष्ट्र, (2011)	84.04	13.06	70.98
	283) राजवाड़े मंडल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	133.72	0.00	133.72
	284) श्री चामराजा कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक, (2011)	0.18	0.00	0.18
	285) अन्योय कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात, 2011 (मुख्य और अनुपुरक)	578.24	258.44	319.80
	286) कॅम्बे हिंदू मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि., गुजरात, (2011)	86.76	5.59	81.17
	287) रबकवि अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	67.39	30.90	36.49
	288) श्री मौनेश्वर कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	2.57	0.00	2.57
	289) दि चाडचन श्री संगमेश्वर अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक (2011)	38.15	12.75	25.40
	290) दि परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक लि.. महाराष्ट्र, (2011)	402.55	86.62	315.93
	291) समता सहकारी बैंक लि.महाराष्ट्र, (2011)	403.72	15.33	388.39
	292) हिना साहिन नागरिक सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	112.97	0.18	112.79
	293) श्री लक्ष्मी सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र (2011)	26.55	0.92	25.63
	294) दादासाहेब डॉ. एन.एम.काबरे नागरिक सहकारी बैंक लि. महाराष्ट्र (2011)	197.71	28.90	168.81
	295) विदर्भ अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2011)	159.54	5.83	153.71

संलग्नक - VII (समाप्त)

क्रम सं.	बैंक का नाम	निपटाए गए दावे	प्राप्त चुकौतियाँ (बट्टे खाते डाली गई)	शेष (3)-(4)
1	2	3	4	5
	296) इचलकरंजी अरबन सहकारी बैंक लि. महाराष्ट्र, (2011)	553.01	65.60	487.41
	297) सुविधा महिला नागरिक सहकारी बैंक लि., मध्य प्रदेश (2011)	12.25	11.74	0.51
	298) असनसोल पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि., पश्चिम बंगाल (2011)	4.16	1.14	3.02
	299) श्री जोतिबा सहकारी बैंक लि., महाराष्ट्र, (2012)	22.00	0.00	22.00
	300) रायचुर जिला महिला पट्टन सहकारी बैंक लि., कर्नाटक (2012)	11.16	6.53	4.63
	301) चोपड़ा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि., महाराष्ट्र, (2012)	71.27	38.42	32.85
	302) दि सिधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि. गुजरात, (2012)	33.51	5.38	28.13
	कुल 'एफ'	**40,063.50**	**6,340.69**	**33,722.81**
	कुल (डी+ई+एफ)	**40,088.46**	**6,360.16 (5.49)**	**33,722.81**
	कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**43,047.00**	**7,747.47 (9.39)**	**35,290.14**

* समामेलन की योजना तथा पुनर्निर्माण की योजना

$$ ₹ 3.98 मिलियन की चुकौती की राशि को अवितरित दावा राशि की वापसी के रूप में समायोजित किया गया

नोट: 1. मूल दावे जिस वर्ष में निपटाए गए हैं उन्हें कोष्ठक में दिया गया है।

2. चुकौती कालम में कोष्ठक में प्रदर्शित आँकड़े 31 मार्च 2012 तक बट्टेखाते डाली गई राशि प्रदर्शित करते हैं।

संलग्नक - VIII

निक्षेप बीमा दावों के लिए प्रावधान - अवधि वार विश्लेषण (31 मार्च 2012 की स्थिति)

क्रम सं.	बैंक के विपंजीकरण/ परिसमापन की तिथि	बैंक का नाम	राशि (₹ बिलियन में)	ऐसे बैंक जो अधिक समय वाले भाग (बकेट) में चले गए हैं
क	**10 वर्ष से अधिक पुराने**			
1	3 अगस्त 1999	झारग्राम पिपल्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि.	29.23	
	कुल (क)	**(01 बैंक)**	**29.23**	
ख	**5 और 10 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	27 मई 2002	मधेपुरा अरबन डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक	0.54	
2	22 जुलाई 2002	नालंदा अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	6.86	
3	6 अगस्त 2002	प्रणवनंदा कोआपरेटिव बैंक लि.,	225.71	
4	23 सितंबर 2002	मणिपुर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लि.,	18.13	
5	28 सितंबर 2002	फेडरल कोआपरेटिव बैंक लि.,	13.69	
6	16 दिसंबर 2002	सिल्चर कोआपरेटिव बैंक लि.,	18.14	
7	3 जून 2003	लम्का अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	0.27	
8	19 जून 2003	शिवसागर जिला केंद्रीय कोआपरेटिव बैंक	188.68	
9	7 मार्च 2006	हैदराबाद कोआपरेटिव अरबन बैंक लि.,	6.48	
10	29 दिसंबर 2006	गुवाहाटी कोआपरेटिव टाउन बैंक लि.,	82.43	√
	कुल (ख)	**(10 बैंक)**	**560.92**	**1**
ग	**1 से 5 वर्ष के मध्य के पुराने**			
1	10 अप्रैल 2007	रोहुता अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	145.69	
2	25 सितंबर 2008	भद्रक अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	27.24	
3	31 मार्च 2010	धनश्री महिला सहकारी बैंक लि.	26.60	
4	31 मार्च 2010	ढेनकनाल अरबन कोआपरेटिव बैंक	110.43	
5	7 अप्रैल 2010	नेशनल कोआपरेटिव बैंक लि.,	2.28	√
6	9 अप्रैल 2010	राजेश्वर युवक विकास सहकारी बैंक लि.	26.29	√
7	17 जून 2010	रामकृष्णपुर कोआपरेटिव बैंक लि.,	750.24	√
8	3 अगस्त 2010	बेलगाम कैथोलिक कोआपरेटिव बैंक लि.,	18.48	√
9	19 नवंबर 2010	बोरियावी पिपल्स कोआपरेटिव बैंक लि.,	64.75	√
10	16 दिसंबर 2010	गोलघाट अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	5.22	√
11	4 जनवरी 2011	दादासाहेब रावल कोआपरेटिव बैंक लि.,	436.61	√
12	15 फरवरी 2011	अग्रसेन अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	94.42	√
	कुल (ग)	**(12 बैंक)**	**1,708.25**	**8**

संलग्नक - VIII (समाप्त)

क्रम सं.	बैंक के विपंजीकरण/ परिसमापन की तिथि	बैंक का नाम	राशि (₹ बिलियन में)	ऐसे बैंक जो अधिक समय वाले भाग (बकेट) में चले गए हैं
घ	**1 वर्ष से पुराने**			
1	18 अप्रैल 2011	मेमन कोआपरेटिव बैंक लि.,	1,008.38	
2	25 अप्रैल 2011	इंदिरा श्रमिक महिला नियामित सहकारी बैंक लि.,	32.85	
3	25 अप्रैल 2011	श्री बालाजी कोआपरेटिव बैंक लि.,	15.25	
4	13 जून 2011	सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि.	334.09	
5	4 अक्तूबर 2011	कोआपरेटिव बैंक आफ राजकोट लि.,	1.78	
6	5 नवंबर 2011	शोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक लि.	679.50	
7	11 नवंबर 2011	भंडारी कोआपरेटिव बैंक लि.,	1,007.75	
8	25 नवंबर 2011	भारत अरबन कोआपरेटिव बैंक लि.,	27.00	
9	30 दिसंबर 2011	दि वीराशैवा कोआपरेटिव बैंक लि.,	1,480.46	
	कुल (घ)	**(9 बैंक)**	**4,587.06**	
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**(32 बैंक)**	**6,885.46**	

संलग्नक - IX

प्राप्त गारंटी शुल्क / दावे तथा अदा किए गए दावे

(₹ मिलियन)

वर्ष	गारंटी शुल्क संबंधी प्राप्तियाँ	प्राप्त गारंटी दावे	अदा किए गए दावे	अंतर (2)-(3)	अंतर (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-) 0.7
2003-04	0.2*	-	-	-	-
2004-05 to 2011-12	-	-	-	-	-

* वर्ष 2003-04 के दौरान निर्धारित समय के बाद प्राप्त गारंटी शुल्क को बैंक को लौटा दिया गया था।

नोट : विस्तृत विवरण के लिए कृपया 2010-11 की रिपोर्ट देखें।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार

1. हमने 31 मार्च 2012 को **निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम** (जिसे इसके आगे निगम कहा गया है।) की निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के संलग्न तुलन-पत्रों तथा निगम के तीन निधियों की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न राजस्व लेखों और नकदी प्रवाह विवरणों की भी लेखापरीक्षा की है।

2. इन वित्तीय विवरणों के लिए निगम का प्रबंध तंत्र जिम्मेदार है। हमारी जिम्मेदारी है लेखों के आधार पर रखे गए और हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना अभिमत देना।

3. भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानक के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण दोष से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर राशियों और उनके वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण के साक्ष्य की जाँच शामिल है। लेखापरीक्षा में परीक्षण में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंध तंत्र द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय अनुमानों सहित समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए यथोचित आधार उपलब्ध कराती है।

4. हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i) हमें सारी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ii) हमारे विचार से उपर्युक्त तुलन-पत्र और राजस्व लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं।

iii) निगम के उक्त तुलन पत्रों तथा राजस्व लेखों में लागू अनिवार्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

iv) हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खातों में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा उन पर टिप्पणियों के साथ पठित सभी आवश्यक ब्यौरे निहित हैं तथा यथोचित रूप से तैयार किए गए हैं, जो भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार निम्नांकित का सत्य और सही स्वरूप दर्शाते हैं:

   क) उपर्युक्त तुलन-पत्र के मामले में, जो संपूर्ण और सही हैं, 31 मार्च 2012 के अनुसार निगम के कार्यकलापों की स्थिति;

   ख) उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निगम के निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निधि के संबंध में उक्त राजस्व लेखे के मामले में अधिशेष और सामान्य निधि के मामले में आय की तुलना में व्यय के अधिशेष की स्थिति; और

   ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह संबंधी नकदी प्रवाह विवरणों की स्थिति।

वास्ते : सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
एफ.आर.सं.109262 डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार
सदस्यता सं.16617

13 जून 2012
मुंबई

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2012 को कारोबार की समाप्ति
I. निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा

पिछला वर्ष		देयताएं	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
3,77,360.00	-	**1. निधि :** (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में शेष)		4,76,776.00		
		2. राजस्व खाते के अनुसार शेष				
16,87,725.85	29,790.60	वर्ष के प्रारंभ में शेष	20,92,999.37		31,033.01	
0.00	0.00	**जोड़ें** : अन्य निधि / यों को / से अंतरित	0.00		0.00	
4,05,273.52	1,242.41	जोड़ें : राजस्व खाता से अंतरित	4,39,527.76		(1,026.90)	
20,92,999.37	31,033.01	वर्ष के अंत में शेष		25,32,527.13		30,006.11
		3. (क) निवेश रिजर्व				
71,216.24	3,243.97	वर्ष के प्रारंभ में शेष	86,755.26		3,982.66	
15,539.02	738.68	**जोड़ें** : राजस्व खाते से अंतरित	49,870.75		969.38	
86,755.26	3,982.65	वर्ष के अंत में शेष		1,36,626.01		4,952.04
		(ख) निवेश घट-बढ़ रिज़र्व				
94,921.96	2,789.89	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,02,853.21		2,789.89	
7,931.25	0.00	**जोड़ें** : राजस्व खाते से अंतरित	12,870.00		0.00	
1,02,853.21	2,789.89	वर्ष के अंत में शेष		1,15,723.21		2,789.89
15,120.00		**4. सूचित और प्राप्त किंतु प्रदत्त न किए गए दावे**		9,495.17		
40,380.26		**5. सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों से संबंधित अनुमानित देयताएं**		57,443.91		
15,776.82		**6. विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशियाँ**		11,410.71		
6,005.81		**7. दावा न की गई बीमित जमाराशि**		9,959.31		
		8. अन्य देयताएं				
1,786.01	0.00	(i) विविध लेनदार	2,864.38			
8,90,593.70	20,590.40	(ii) आयकर के लिए प्रावधान	5,26,470.58		4,314.14	
2.35	0.00	(iii) विविध जमाराशियाँ	819.37			
0.00	0.00	(iv) वितरणयोग्य प्रतिभूतियाँ	3,869.88			
8,92,382.06	**20,590.40**			5,34,024.21		4,314.14
36,29,632.79	**58,395.95**	कुल		**38,83,985.66**		**42,062.18**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

सुबीर वी. गोकर्ण	जी. गोपालकृष्ण	कमलेश विकमसे	जी. शिवकुमार
अध्यक्ष	कार्यपालक निदेशक	निदेशक	निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष		आस्तियाँ	निक्षेप बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
राशि	राशि		राशि	राशि	राशि	राशि
54.56	2.06	**1. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि**		60.78		3.67
		2. मार्गस्थ नकदी				
		3. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)				
0.00	0.00	खजाना बिल	3,882.22		0.00	
26,58,166.50	35,922.36	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	31,98,154.75		38,039.69	
26,58,166.50	35,922.36			32,02,036.97		38,039.69
26,26,943.16	*34,181.01*	*अंकित मूल्य*	*32,01,333.49*		*36,399.97*	
25,75,604.87	*31,942.38*	*बाजार मूल्य*	*30,68,587.41*		*33,094.08*	
49,230.11	954.72	**4. निवेशों पर उपचित ब्याज**		63,703.38		981.80
		5. अन्य आस्तियाँ				
1,587.34	0.00	(i) विविध देनदार	3,008.70			
9,20,594.28	21,516.81	(ii) अग्रिम आयकर / टीडीएस	6,05,250.09		3,037.02	
9,22,181.62	21,516.81	(iii) प्राप्त होने वाले रिवर्स रेपो / रिवर्स रेपो ब्याज	3,872.07			
		(iv) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियाँ	3,869.88			
		(v) वापसी योग्य सेवाकर खाता	2,183.79			
				618,184.53		3,037.02
36,29,632.79	**58,395.95**	**कुल**		**38,83,985.66**		**42,062.18**

बी. एल. पटवर्धन
निदेशक

एन. के. भाटिया
महाप्रबंधक

पी. एस. खुआल
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
फार्म
31 मार्च 2012 को समाप्त
I. जमा बीमा निधि (डीआईएफ) तथा

पिछला वर्ष		व्यय		निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि				
राशि	राशि			राशि	राशि
		1. दावे:			
37,894.52	-	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त		28,731.19	
(529.01)	-	(ख) स्वीकृत परंतु भुगतान न किए गए		(5,704.63)	
		(ग) सूचित परंतु स्वीकृत न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयता			
40,380.26		वर्ष के अंत में	57,443.91		
(54,193.10)		घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(40,380.26)		
(13,812.84)				17,063.65	
		(घ) विपंजीकृत बैंकों से संबंधित बीमाकृत जमाराशि			
15,776.82	-	वर्ष के अंत में	11,410.71		
(22,196.52)	-	घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में	(15,776.82)		
(6,419.70)				(4,366.11)	
17,132.97		**निवल दावे**		35,724.10	
3,77,360.00		**2. वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)**		4,76,776.00	
15,539.02	738.68	**3. निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान**		49,870.74	969.38
		4. सेवा कर		26,816.22	
6,14,521.64	1,862.41	**नीचे लाया गया निवल अधिशेष**		6,00,094.25	1,732.34
10,24,553.63	**2,601.09**	**कुल**		**11,89,281.31**	**2,701.72**
		कराधान के लिए प्रावधान			
2,04,130.00	620.00	वर्तमान वर्ष		1,94,730.59	562.15
(2,813.13)	0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)			2,197.09
7,931.25	0.00	उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में निवेश		12,870.00	0.00
4,05,273.52	1,242.41	तुलन पत्र में ले जाए गए शेष		4,39,527.76	(1,026.90)
6,14,521.64	**1,862.41**			**6,47,128.35**	**1,732.34**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

सुबीर वी. गोकर्ण
अध्यक्ष

जी. गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक

कमलेश विकमसे
निदेशक

जी. शिवकुमार
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
'ख')
वर्ष के लिए राजस्व खाता
ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष				
निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	आय	निक्षेप बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
राशि	राशि		राशि	राशि
3,27,457.00	-	**1. वर्ष के प्रारंभ में निधि शेष के द्वारा**	3,77,360.00	
4,84,419.51	-	**2. निक्षेप बीमा प्रीमियम के द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)**	5,63,974.41	
-	-	**3. गारंटी शुल्क के द्वारा (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)**	-	-
16,041.43	211.37	**4. प्रदत्त / निपटाए गए दावों संबंधी वसूलियों के द्वारा (अतिदेय चुकौती पर ब्याज सहित)**	8,209.62	32.92
		5. निवेशों पर आय के द्वारा		
1,94,150.64	2,538.98	(क) निवेशों पर ब्याज	2,39,176.91	2,675.91
(14,060.44)	(233.90)	(ख) प्रतिभूतिया की बिक्री / मोचन पर लाभ (हानि) (निवल)	(3,918.28)	(38.10)
		ग) रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	34.21	0.00
180,090.20	2,305.08		2,35,292.84	2,637.81
		6. अन्य आय		
16,545.49	84.64	आयकर वापसी पर ब्याज	4,444.43	31.00
10,24,553.63	**2,601.09**	**कुल**	**11,89,281.31**	**2,701.72**
6,14,521.64	1,862.41	नीचे लाया गया निवल अधिशेष	6,00,094.25	1,732.34
		पिछले वर्षों के आयकर वापसी के द्वारा	47,034.10	0.00
		अधिशेष खाते से अंतरित शेष के द्वारा	0.00	0.00
6,14,521.64	**1,862.41**		**6,47,128.35**	**1,732.34**

बी. एल. पटवर्धन
निदेशक

एन. के. भाटिया
महाप्रबंधक

पी. एस. खुआल
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी
(विनियम 18 -
31 मार्च 2012 को कारोबार की समाप्ति
II. सामान्य

पिछला वर्ष राशि	देयताएं	राशि	राशि
5,000.00	**1. पूँजी : निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार भारिबैं द्वारा प्रावधानीकृत (भारिबैं की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी)**		5,000.00
	2. रिज़र्व		
	क) सामान्य रिज़र्व		
42,752.72	वर्ष के प्रारंभ में शेष	43,827.84	
0.00	ऋण गारंटी निधि से अंतरित	0.00	
1,075.13	राजस्व खाते से अंतरित अधिशेष (घाटा)	(796.31)	
43,827.85			43,031.53
	ख) निवेश रिज़र्व		
4,857.71	वर्ष के प्रारंभ में शेष	5,196.17	
338.46	राजस्व खाते से अंतरित	1,118.80	
5,196.17			6,314.97
	(ग) निवेश घट-बढ़ रिज़र्व		
3,048.97	वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,048.98	
0.00	राजस्व अधिशेष से अंतरित	0.00	
3,048.97			3,048.98
	3. वर्तमान देयताएं और प्रावधान		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत	0.00	
187.79	बकाया व्यय	80.70	
44.25	फुटकर लेनदार	8.76	
1,214.23	आयकर के लिए प्रावधान	573.61	
13.00	अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) के लिए प्रावधान	0.00	
1,459.27		663.07	663.07
58,532.26	**कुल**		**58,058.55**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

सुबीर वी. गोकर्ण
अध्यक्ष

जी. गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक

कमलेश विकमसे
निदेशक

जी. शिवकुमार
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)
फार्म 'क')
की स्थिति के अनुसार तुलन - पत्र
निधि (जीएफ)

(₹ लाख रुपये में)

पिछला वर्ष राशि	आस्तियाँ	राशि	राशि
	1. नकद		
0.01	(i) हाथ में	0.14	
39.21	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	23.24	
39.22			23.38
	2. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		
0.00	खजाना बिल		
48,288.21	दिनांकित प्रतिभूतियाँ	49,279.38	
4,821.49	सीसीआईएल में जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य 4500.00)	4,821.49	
53,109.70			54,100.87
51,067.86	*अंकित मूल्य*	*53,485.18*	
47,935.32	*बाजार मूल्य :*	*47,785.90*	
1,241.82	**3. निवेशों पर उपचित ब्याज**		1,112.54
	4. अन्य आस्तियाँ		
17.22	फर्नीचर, जुड़नार और उपस्कर (मूल्यह्रास काटकर)	40.39	
6.49	लेखनसामग्री का स्टाक / लाउंज कूपन	6.79	
141.27	स्टाफ अग्रिम	146.58	
33.28	स्टाफ अग्रिम पर उपचित ब्याज	29.54	
35.37	फुटकर लेनदार	3.87	
500.00	सीसीआईएल में मार्जिन जमाराशि	500.00	
3,394.91	अग्रिम आयकर / टीडीएस	2,094.58	
12.97	अग्रिम अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी)	0.00	
4,141.52			2,821.75
58,532.26	**कुल**		**58,058.55**

बी. एल. पटवर्धन
निदेशक

एन. के. भाटिया
महाप्रबंधक

पी. एस. खुआल
उप महाप्रबंधक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(फार्म'ख')
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाता
II. - सामान्य निधि (जीएफ)

(₹ लाख में)

पिछला वर्ष. राशि	व्यय		राशि	पिछला वर्ष. राशि	आय	राशि	राशि
745.06	**स्टाफ लागत का भुगतान / प्रतिपूर्ति**		803.43		**निवेश से आय**		
0.38	**निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क**		0.25	3,747.15	(क) निवेश पर ब्याज	3,583.20	
0.72	**निदेशकों / समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते / व्यय**		1.95	(119.35)	(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन से लाभ (हानि)	(950.71)	
				3,627.80			2,632.48
97.88	**किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि**		97.70				
622.39	**स्थापना, यात्रा तथा विराम भत्ते**		347.72				
23.55	**मुद्रण, लेखन सामग्री और कंप्यूटर उपभोग्य सामग्री**		68.17		**विविध प्राप्तियाँ**		
22.83	**डाक, तार और टेलीफोन**		20.74				
3.16	**लेखापरीक्षकों का शुल्क**		2.79	6.37	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज	6.51	
43.43	**विधि प्रभार**		28.52	0.18	जड़वस्तु की बिक्री पर लाभ (हानि) (निवल)	0.00	
0.00	**विज्ञापन**		1.67	12.47	आयकर की वापसी पर ब्याज	2.66	
338.45	**निवेश रिज़र्व में जमा निवेशों के मूल्य पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान**		1,118.80	0.36	अन्य विविध प्राप्तियाँ	11.41	
				19.38			20.58
	विविध व्यय						
27.66	व्यावसायिक कर	24.96					
29.66	सेवा करार / अनुरक्षण	24.85					
3.59	पुस्तकें, समाचारपत्र, आवधिक पत्रिकाएं	3.68					
3.59	पुस्तक अनुदान	2.38					
0.57	कार्यालय परिसंपत्ति - जड़वस्तु की मरम्मत	0.22					
23.84	लेनदेन प्रभार - सीसीआईएल	23.03					
33.05	अन्य	64.22					
121.96			143.34				
12.24	मूल्यह्रास		11.65				
1,615.13	वर्ष के लिए व्यय की तुलना से अधिक आय के शेष को नीचे लाया गया		6.34	0.00	वर्ष के लिए आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया		0.00
3,647.18	**कुल**		**2,653.06**	**3,647.18**	**कुल**		**2,653.06**
0.00	आय की तुलना से अधिक व्यय का शेष - नीचे लाया गया		0.00	1,615.13	वर्ष के लिए आय की तुलना से अधिक व्यय के शेष को नीचे लाया गया		6.34
	आयकर के लिए प्रावधान						
540.00	वर्तमान वर्ष		2.06				
0.00	पिछले वर्ष - कम (अधिक)		800.59				
0.00	अनुषंगी लाभकर (एफबीटी) के लिए प्रावधान		0.00				
0.00	निवेश घट-बढ़ रिज़र्व (आईएफआर)		0.00		**सामान्य रिज़र्व**		796.31
1,075.13	सामान्य रिज़र्व खाता		0.00				
1,615.13	**कुल**		**802.65**	**1,615.13**	**कुल**		**802.65**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

सुबीर वी. गोकर्ण
अध्यक्ष

जी. गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक

कमलेश विकमसे
निदेशक

जी. शिवकुमार
निदेशक

पी.एस.खुआल
उप महाप्रबंधक

एन.के.भाटिया
महाप्रबंधक

बी. एल. पटवर्धन
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
I - निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) तथा ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ)

(₹ लाख में)

पिछले वर्ष निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) राशि	पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) राशि			निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) राशि	ऋण गारंटी निधि (सीजीएफ) राशि
		परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
6,14,521.64	**1,862.41**	व्यय की तुलना में अधिक आय	**(क)**	**6,00,094.25**	**1,732.34**
		परिचालनों से निवल नकदी में व्यय की तुलना में अधिक आय के मिलान के लिए समायोजन :			
(1,94,150.64)	(2,538.97)	निवेशों पर ब्याज		(2,39,211.12)	(2,675.91)
14,060.44	233.90	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		3,918.28	38.10
49,903.00	0.00	निधि शेष में वृद्धि (बीमांकिक मूल्यांकन)		99,416.00	0.00
15,539.02	738.68	निवेश रिज़र्व को अंतरित		49,870.74	969.38
455.07	(51.10)	कर		(5,16,264.03)	(19,066.50)
12,497.13	53.16	वापसी (रिफंड) पर प्राप्त ब्याज		4,444.43	31.00
(1,01,695.98)	**(1,564.33)**		**(ख)**	**(5,97,825.70)**	**(20,703.93)**
		परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :			
		आस्तियाँ :			
		कमी (वृद्धि)			
(1,48,180.97)	(385.84)	अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		3,15,344.19	18,479.79
(1,519.74)	0.00	फुटकर देनदार		(1,421.36)	0.00
0.00	0.00	अन्य आस्तियाँ		(6,055.86)	0.00
(1,49,700.71)	**(385.84)**		**(ग)**	**3,07,866.97**	**18,479.79**
		देयताएं :			
		वृद्धि (कमी)			
(20,761.54)	0.00	सूचित परंतु स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में अनुमानित देयताओं		7,072.71	0.00
475.88	0.00	अदावी जमाराशियों में वृद्धि		3,953.50	0.00
(1,068.12)	0.00	फुटकर लेनदार		1,078.37	0.00
(1.75)	0.00	फुटकर जमाराशि खाते		817.02	0.00
(21,355.53)	0.00		**(घ)**	**12,921.60**	**0.00**
3,41,769.42	**(87.76)**	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह** (क+ख+ग+घ)	**(क)**	**3,23,057.12**	**(491.80)**
		निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
177,266.22	2,536.12	निवेशों पर प्राप्त ब्याज		2,24,737.85	2,648.84
(14,060.44)	(233.90)	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		(3,918.28)	(38.10)
0.00	0.00	सामान्य निधि में अंतरित		0.00	0.00
(5,04,941.94)	(2,215.52)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश में वृद्धि		(5,43,870.47)	(2,117.33)
(3,41,736.16)	**(86.70)**	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	**(ख)**	**(3,23,050.90)**	**493.41**
0.00	**0.00**	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	**(ग)**	**0.00**	**0.00**
33.26	**(1.06)**	**नकदी में निवल वृद्धि**	(क+ख+ग+घ)	**6.22**	**1.61**
21.30	3.12	अवधि के प्रारंभ में नकदी शेष		54.56	2.06
54.56	**2.06**	**अवधि के अंत में नकदी शेष**		**60.78**	**3.67**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

पी.एस.खुआल
उप महाप्रबंधक

(एन.के.भाटिया)
महाप्रबंधक

जी.गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
II - सामान्य निधि

(₹ लाख में)

पिछले वर्ष राशि			राशि
	परिचालनात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
1,615.13	व्यय की तुलना में अधिक आय	(क)	6.34
12.24	मूल्य ह्रास		11.65
(3,747.15)	निवेशों पर ब्याज		(3583.20)
119.35	प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन से लाभ / (हानि)		950.71
338.45	निवेश रिज़र्व को अंतिरत		1,118.80
0.00	प्रतिलेखित अधिक प्रावधान		0.00
(6.37)	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		(6.51)
(0.18)	जड़वस्तु की बिक्री से लाभ / (हानि)		0.00
0.00	आयकर / एफबीटी		(14.07)
(12.83)	अन्य - विविध प्राप्तियाँ		(1456.27)
(3,296.49)		(ख)	**(2978.89)**
	परिचालनात्मक आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन :		
	आस्तियाँ :		
	कमी (वृद्धि)		
(0.34)	लेखनसामग्री / अधिकारी लाउंज के कूपनों का स्टाक		(0.30)
(14.83)	भारिबैं आदि से प्राप्य स्टाफ व्यय / भत्ते संबंधी अग्रिम		(5.31)
(972.54)	अग्रिम आयकर तथा टीडीएस		1,300.33
0.00	सीसीआईएल के पास मार्जिन जमा		0.00
(7.09)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज		3.74
0.26	अग्रिम अनुषंगी लाभ कर		12.97
(34.28)	फुटकर देनदार		31.50
(1,028.82)		(ग)	**1342.93**
	देयताएं :		
	वृद्धि (कमी)		
0.00	बकाया कर्मचारी लागत		0.00
111.61	बकाया व्यय		(107.09)
29.40	फुटकर लेनदार		(35.49)
0.00	अन्य जमा		0.00
141.01		(घ)	**(142.58)**
(2,569.17)	**परिचालनात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह : (कःखःगःघ)**	[क]	**(1772.20)**
	निवेशात्मक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
3,678.65	निवेशों से प्राप्त ब्याज		3,712.48
(119.35)	प्रतिभूतियों की बिक्री / मोचन से लाभ / (हानि)		(950.71)
6.37	स्टाफ को अग्रिम पर ब्याज		6.51
0.00	निक्षेप बीमा निधि से प्राप्त निधियाँ		0.00
13.01	अन्य		14.07
	कमी (वृद्धि)		
(18.49)	अचल आस्तियाँ		(34.82)
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश :		
0.00	खजाना बिल		0.00
(1,089.66)	दिनांकित प्रतिभूतियाँ		(991.17)
114.29	सीसीआईएल के पास जमा दिनांकित प्रतिभूतियाँ		0.00
2,584.82	**निवेशात्मक कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह**	[ख]	**1,756.36**
0.00	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**	[ग]	**0.00**
15.65	**नकदी में निवल वृद्धि**	[क+ख+ग]	**(15.84)**
	अवधि के प्रारंभ में नकद शेष		
0.06	हाथ में		0.01
23.51	भारिबैं के पास		39.21
39.22	**अवधि के अंत में नकद शेष**		**23.38**

नोट : निवेशों के समकक्ष नकद राशि अलग करने योग्य नहीं है, अत: इसे नकदी शेष में समाविष्ट नहीं किया गया है।

कृते सारडा एंड पारीक
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.109262डब्ल्यू

सीताराम पारीक
भागीदार (सदस्य सं.16617)

मुंबई
13 जून 2012

पी.एस.खुआल
उप महाप्रबंधक

(एन.के.भाटिया)
महाप्रबंधक

जी.गोपालकृष्ण
कार्यपालक निदेशक

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा आधार

प्रतिष्ठान की निरंतरता की अवधारणा का अनुपालन करते हुए और पिछली लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। प्रबंधतंत्र अनुमान तथा पुर्वानुमान करता है, जिसका प्रभाव वित्तीय विवरणों तथा संलग्न नोटों में, विशेष रूप से निक्षेप बीमा के अंतर्गत दावों के संबंध में रिपोर्ट की गई राशियों पर होता है। दावों से संबंधित देयताओं का अनुमान अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व का निर्धारण

(i) जबतक अन्यथा रूप से न कहा जाए आय और व्यय की मदें उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

(ii) प्रीमियम / ऋण गारंटी शुल्क :

(क) निक्षेप बीमा प्रीमियमों और गारंटी शुल्कों तथा उनके विलंबित भुगतान के कारण संबंधित अवधि के दण्ड ब्याज का, जमाराशियों और गारंटीकृत अग्रिमों के संबंधित विवरण प्राप्त होने पर, राजस्व के रूप में विनियोग किया जाता है और जहाँ खातों को अंतिम रूप देने तक विवरण प्राप्त नहीं होते, वहाँ पिछले स्टेटमेंट / विवरणी (रिटर्न) के आधार पर आय की अस्थाई रूप से पहचान की जाती है, बशर्ते कि प्रीमियम भुगतान में पिछली चूक, यदि कोई हो, दो लगातार अवधियों से अधिक न हो।

(ख) किसी विशेष अवधि के संबंध में प्रीमियम भुगतान को उस स्थिति में चूक में माना जाता है, यदि, उस अवधि के दूसरे बाद के महीने के अंत में अथवा बाद में समीक्षा की तारीख को, उस अवधि की डीआई-01 विवरणी के आधार पर किसी बीमाकृत बैंक द्वारा प्रीमियम के भुगतान / विलंब से भुगतान पर ब्याज में कमी प्रदर्शित होती है। यदि उस अवधि के लिए बीमाकृत बैंक द्वारा डीआई-01 विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो चूक की राशि की गणना पिछली अद्यतन डीआई-01 विवरणी / अन्य सूचना के अनुसार देय प्रीमियम के आधार पर की जाती है।

(ग) बीमाकृत बैंकों से प्राप्त विप्रेषणों को विभिन्न छमाहियों के संबंध में बैंक से प्राप्य प्रीमियम पर ब्याज / प्रीमियम के कालक्रमानुसार विनियोजित किया जाता है।

(घ) निगम के बोर्ड द्वारा निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी / कार्यपालक निदेशक को प्रीमियम के भुगतान में होने वाले विलंब पर लगने वाले ₹ पाँच लाख तक के दण्ड ब्याज को कुछ शर्तों के अधीन माफ करने का अधिकार प्रदान किया गया है। निगम के अध्यक्ष द्वारा ₹ पाँच लाख से अधिक के दण्ड ब्याज को माफ किया जा सकता है।

(ड.) ऋण गारंटी योजनाओं, जिनके संबंध में उनके द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, का विकल्प देने वाले बैंकों / ऋण संस्थाओं से प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क का आकलन दावे प्रस्तुत किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है।

(च) बीमा प्रीमियम / गारंटी शुल्कों की वापसी संबंधी दावे और निपटाए गए दावों की प्रतिपूर्ति संबंधी दावों का लेखांकन निगम द्वारा ऐसे दावों के प्राप्त होने और स्वीकार करने पर किया जाता है।

(छ) विपंजीकृत बैंकों के संबंध में असमायोजित प्रीमियमों (देय) को बैंक को भुगतान हेतु लंबित फुटकर लेनदार के अंतर्गत रखा जाता है अथवा इसे संबंधित बैंक को अदा किए गए दावों के फलस्वरुप होने वाली वसूली में समायोजन अथवा उसके लिए प्रावधान करने के संबंध में प्रयोग किया जाता है।

(iii) निक्षेप बीमा / ऋण गारंटी दावे

(क) दावों के संबंध में वर्ष-अंत देयता के लिए प्रावधान, खाते तैयार करने के समय तक उपलब्ध सूचना के अनुसार तुलन-पत्र की तारीख तक हुई घटनाओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) ऐसे परिसमाप्त बैंकों के संबंध में जहाँ निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 16 के अधीन निगम दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी है, निक्षेप बीमा दावा देयताओं के लिए प्रावधान तब तक किया और रखा जाता है, जब तक कि निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 19 के अधीन या परिसमापन प्रक्रिया के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो, निगम द्वारा

वास्तविक दावे का पूरी तरह निपटान नहीं कर दिया जाता।

(ग) पाए न गए जमाकर्ताओं या आसानी से न उपलब्ध जमाकर्ताओं के संबंध में निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 20 के अधीन अलग प्रावधान तब तक किए जाते हैं, जब तक कि दावे का भुगतान नहीं हो जाता या परिसमापन प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो।

(घ) वर्ष के अंत में निधि शेषों के प्रति देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(iv) चुकौतियाँ

(क) परिसमापक / ऋण संस्थाओं / अन्य प्राधिकरणों से चुकौती की पुष्टि करने संबंधी सूचना अपेक्षित है, ऐसे निपटाए गए निक्षेप बीमा दावों / प्रदत्त गारंटी दावों के संबंध में प्रत्यासन (सबरोगेशन) अधिकारों के जरिए वसूली (दण्डस्वरूप ब्याज सहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जब उनसे यह सूचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटाए गए दावों और बाद में अपात्र पाए गए दावों के संबंध में वसूलियों को वसूली / समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।

(ख) निगम अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार उसे प्राप्य चुकौतियों की निगरानी करने के लिए निबीप्रगानि अधिनियम, 1961 की धारा 17 या 18 के अधीन प्रदत्त निक्षेप बीमा दावों / प्रावधान किए गए दावों के ज्ञापन खाते रखता है।

(ग) परिसमापकों अथवा बीमाकृत बैंकों अथवा अंतरिती बैंकों के ऐसे प्रत्यासन संबंधी दावों के संबंध में प्राप्त निवल चुकौतियों को, परिसमापन / पुनर्निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर बट्टे खाते डाला जाता है।

(v) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है ।

(vi) आयकर वापसी पर ब्याज को इस प्रकार के ब्याज की सूचना से संबंधित कर निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर इसे उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है।

(vii) ''स्टेल चेक खातों'' सहित ट्रांजिटरी खातों में लगातार तीन वर्ष से अधिक दावा न किए गए और बकाया शेषों की समीक्षा की जाती है और उन्हें फिर से आय के रूप में लिखा जाता है। इस संबंध में दावों को भुगतान के वर्ष में विचार में लिया जाता है और आय के विरुद्ध प्रभारित किया जाता है।

3. निवेश

(i) सभी निवेश नए निवेश हैं। इनका मूल्यांकन भारित औसत लागत या बाज़ार मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर स्क्रिपवार किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन से नियत आय मुद्रा बाज़ार (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट) और भारतीय व्युत्पन्न संघ (डेरिवेटिव्स एसोसिएशन आफ इंडिया) (फिमडा) द्वारा भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दरों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों पर यथाप्रयोज्य बाज़ार दरों के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रतिभूतियों के मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान को तुलन-पत्र में निवेशों से नहीं घटाया जाता है, परंतु स्टेटमेंट आफ एकाउंट्स के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निवेश आरक्षित खाता (इन्वेस्टमेंट रिजर्व एकाउंट) में संचयन के रूप में रखा जाता है।

(iii) भविष्य में पोर्टफोलियो के मूल्य में होने वाले ह्रास के कारण उत्पन्न बाजार जोखिम को पूरा करने हेतु निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) रखी जाती है। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो के बाज़ार जोखिम के आधार पर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) की पर्याप्तता निर्धारित की जाती है। यदि बाज़ार जोखिम से अतिरिक्त निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) है तो, उसे बनाए रखा जाता है तथा अगले वर्ष आगे ले जाया जाता है। जब भी निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) अपेक्षित मात्रा से कम हो जाती है तो निधि अधिशेष / सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने से पहले व्यय की तुलना में अधिक आय का विनियोग के रूप में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) में जमा किया जाता है।

(iv) प्रतिभूतियों का अंतर निधि अंतरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(v) रेपो / रिवर्स रेपो संबंधी लेन-देन इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

(i) अचल आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास को कम कर के दिखाया जाता है।

(ii) आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :

(क) कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण तथा कार्यालय के विद्युतीय उपस्कर - सीधी रेखा पद्धति पर 33.33 प्रतिशत।

(ख) फर्नीचर तथा जुड़नार एवं अन्य कार्यालय उपस्कर - सीधी रेखा पद्धति पर 20 प्रतिशत।

(ग) कंप्यूटर तथा सहायक उपकरणों से संबंधित अतिरिक्त परिसंपत्तियों, यदि वे छः महीनों से कम अवधि के लिए उपयोग में हैं, तो भी उनके संबंध में पूरे वर्ष का मूल्यह्रास निकाला जाता है और अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के संबंध में छः माह से अधिक की अवधि तक प्रयोग में रहने पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। वर्ष के दौरान बेची / निपटाई गई परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया जाता।

5. पट्टे

पट्टे के अधीन प्राप्त की गई ऐसी आस्तियाँ जहाँ जोखिमों और स्वामित्व के लाभों का एक महत्वपूर्ण अंश पट्टेदार (लैसर) के पास है, उन्हें आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पट्टा किरायों को वास्तविक आधार पर लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

6. कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ / उनकी लागत

(i) कर्मचारियों के संबंध में व्यय जैसे कि वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी निधि में अंशदान रिज़र्व बैंक के साथ की गई व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है क्योंकि निगम का सारा स्टाफ रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्त पर है।

(ii) निगम में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी के नकदीकरण आदि से संबंधित बीमांकिक प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखा जाता है।

(iii) कुछ स्थापना व्ययों जैसे कि वेतन और भत्तों को रिज़र्व बैंक से प्रतिपूर्ति के दावों की प्राप्ति पर हिसाब में लाया जाता है।

(iv) अहमदाबाद में स्थित निबीप्रगानि कक्ष का परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक के वहाँ के केंद्र के नियंत्रण में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालयों से दावों की प्राप्ति होने तक कर्मचारियों पर किये गये व्यय का अनुमान के आधार पर सामान्य निधि में प्रावधान किया गया है।

7. खण्ड-वार रिपोर्टिंग

वर्तमान में निगम मुख्य रूप से बैंकों / ऋण संस्थाओं को उनकी अवस्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रीमियम के एक समान दर पर निक्षेप बीमा प्रदान करता है। अतएव प्रबंध तंत्र के विचारानुसार कारोबार अथवा भौगोलिक तौर पर रिपोर्ट करने योग्य कोई पृथक खंड नहीं है।

8. आय पर कराधान

कराधान संबंधी देयता आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। आस्थगित कर आस्ति और देयता का मूल्यांकन (अनुमान), ऐसी कर दरों और कर नियमों, जिनको अधिनियमित किया जा चुका है या तुलनपत्र की तारीख तक महत्वपूर्ण अधिनियम तथा जिन्हें उपयोगी समझा गया है, के अनुसार किया जाता है।

9. पूर्वावधि आय / व्यय

(i) भूल-चूकवश चालू अवधि में पूर्वावधि मदों से संबंधित हर मामले में ₹10,00,000/- से अधिक के आय-व्यय को पूर्वावधि नामे / जमा माना जाता है।

(ii) पूर्वदत्त व्यय तब तक मान्य नहीं होते जब तक कि प्रत्येक मामले में यह राशि ₹1,00,000/- से अधिक न हो।

खातों के बारे में टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: निगम के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा अपील में विवादित आय कर देयता के लिए कोई राशि नहीं रखी गई है (निर्धारणीय वर्ष 2002-03 के लिए पिछले वर्ष के लिए ₹2,260.67 लाख)।

2. एक पुनर्गठित बैंक के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकार (सबरोगेशन राइट) के द्वारा वसूलियों में अंश की ₹7.60 लाख की राशि (पिछले वर्ष ₹325.49 लाख) को पुनर्गठन की योजना के अनुरूप पुनर्गठित बैंक के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाते में रखा गया है और प्राप्ति के वर्ष में इसका लेखा जोखा किया जाएगा।

3. तीनों निधियों में निवेश के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा ₹80,000 लाख की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ आरटीजीएस के अंतर्गत निगम को प्रदत्त इंट्रा डे लिक्विडिटी (आइडीएल) सुविधा के रूप में प्रदान की गई है।

4. रेपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित फार्मेट के अनुसार)

प्रकटीकरण :

अंकित मूल्य के अनुसार (₹.लाख में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसतन बकाया	31 मार्च 2012 की स्थिति
रेपो के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii. कार्पोरेट डेट प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिर्वस रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	97.00	2,699.00	3.82	**3,900.00**
ii. कार्पोरेट डेट प्रतिभूतियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

5. कर संबंधी कोई महत्त्वपूर्ण आस्थगित आस्ति नहीं है, अत: इसे शामिल नहीं किया गया है।

6. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

(1) प्रमुख कार्मिक प्रबंध :

(1) जुलाई 2011 से 31 मार्च 2012 तक श्री जी. गोपालकृष्ण, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निगम के मामलों के प्रभारी हैं। उन्होंने अपना वेतन और अन्य लाभ भारतीय रिज़र्व बैंक से आहरित किया है।

(2) अप्रैल 2011 से जून 2011 तक श्री बी. श्रीनिवास मुख्य महाप्रबंधक निगम के प्रभारी थे।

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

पारिश्रमिक ₹11.86 लाख (उपदान और अनुलाभ सहित) (पिछले वर्ष ₹34.85 लाख)

7. वर्तमान वर्ष के आँकड़ों से तुलना करने योग्य बनाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों में सुधार / पुनर्वर्गीकरण / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

मुद्रा यूनिट पर टिप्पणी

- प्रमुख विदेशी मुद्राओं के संबंध में भारतीय ₹ (आइएनआर / ₹) की संदर्भ दर/परिवर्तन दर www.rbi.org.in पर देखी जा सकती है।
- ₹1 लाख = ₹100,000.00 अथवा ₹0.10 मिलियन
- ₹10 लाख = ₹1 मिलियन
- ₹1 करोड़ = ₹10 मिलियन
- ₹100 करोड़ = ₹1 बिलियन

बीमाकृत और पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार के अनुसार)
NUMBER OF INSURED AND FULLY PROTECTED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

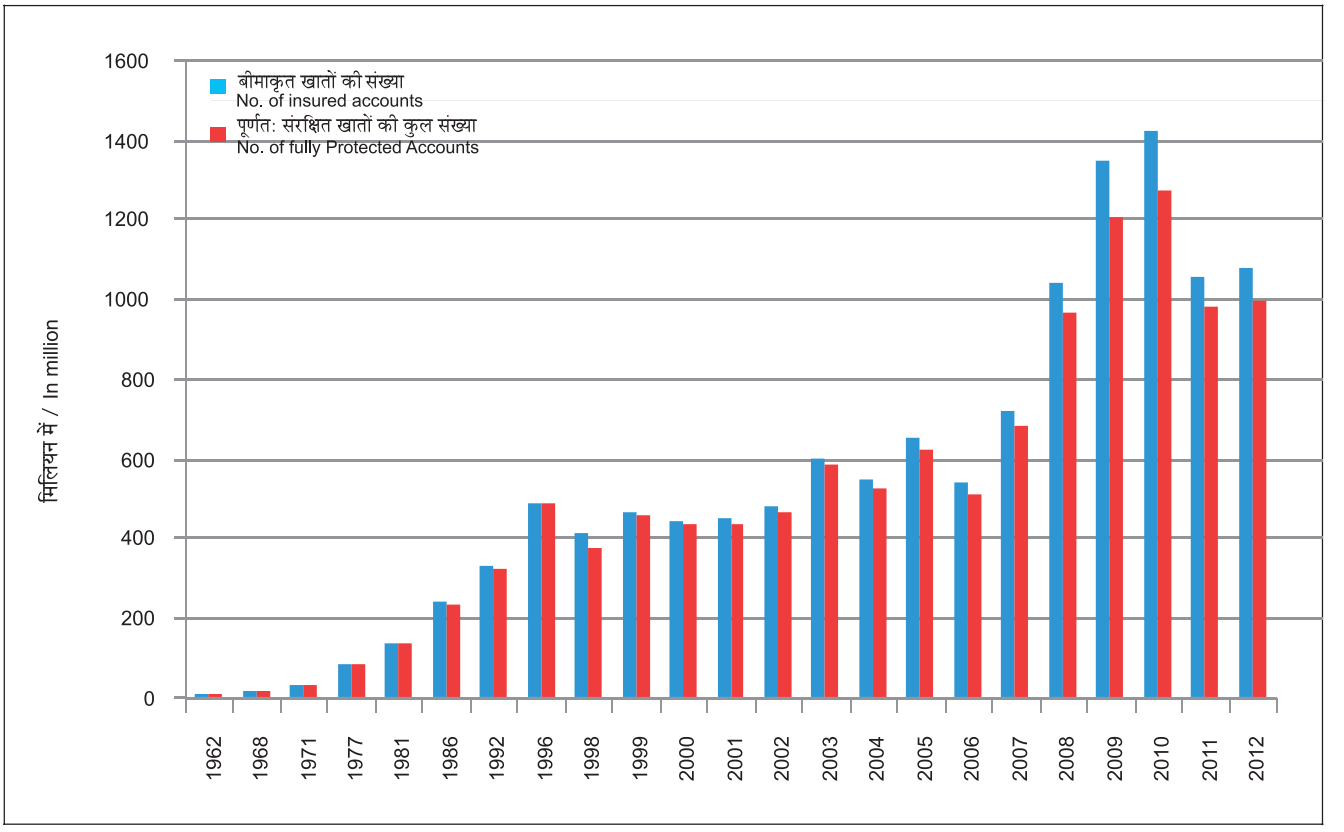

निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार के अनुसार)
AMOUNT OF ASSESSABLE AND INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

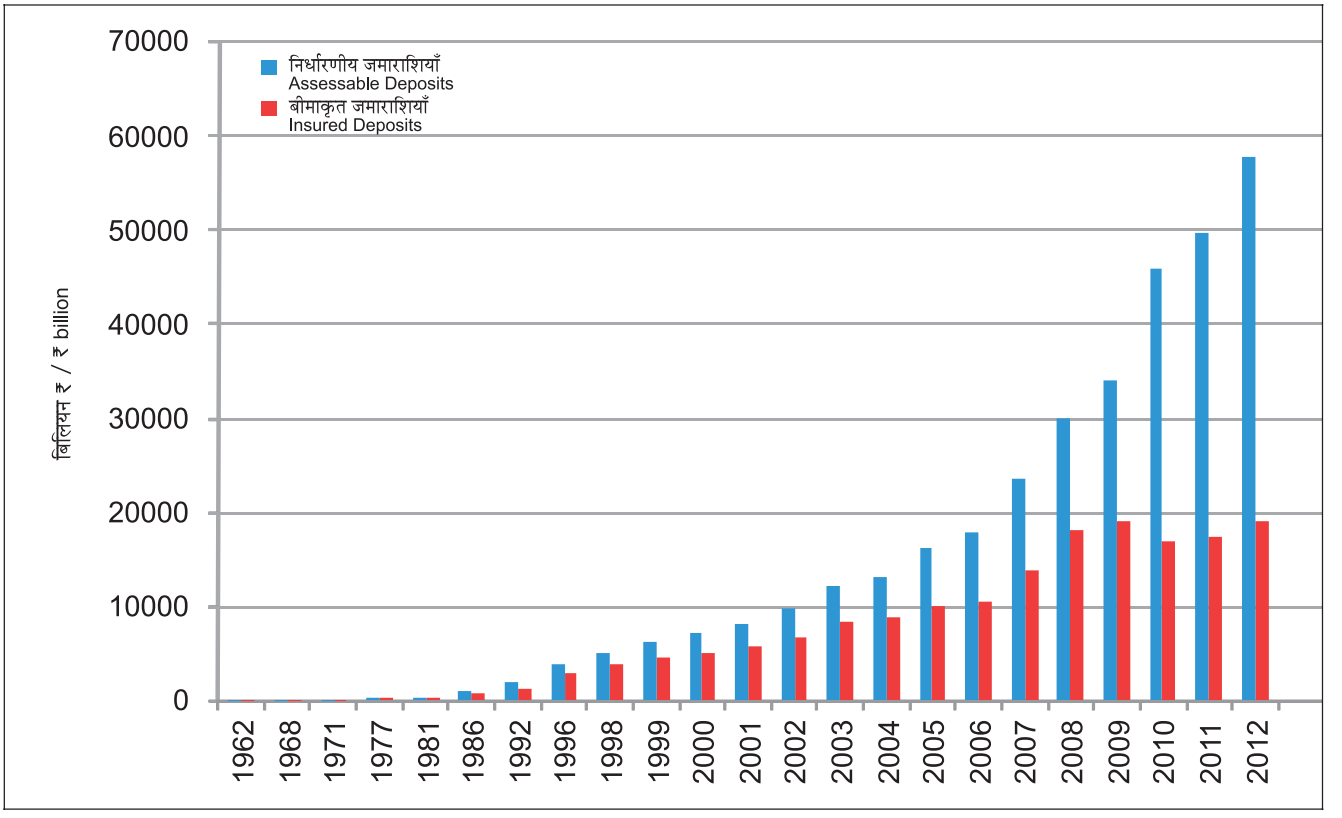

बीमाकृत बैंकों की तुलना में जमाराशि के लिए बीमा कवरेज का विस्तार
(मार्च 2012 के अंत में)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS OF INSURED BANKS
(END MARCH 2012)

खातों की कुल संख्या 1,073 मिलियन

Total Number of Accounts 1,073 million

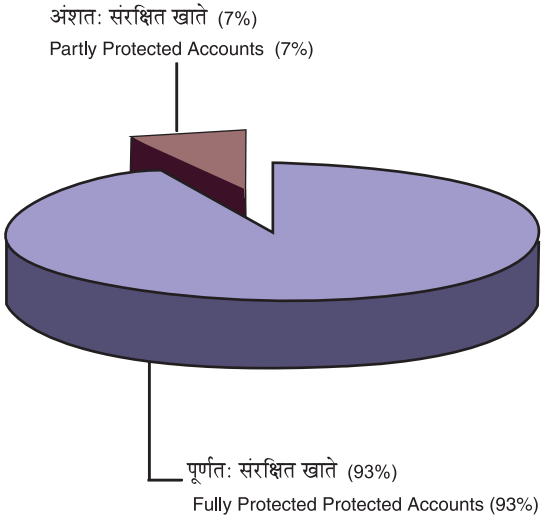

निर्धारणीय जमाराशियों की कुल राशि 57,674 बिलियन ₹

Total Amount of Assessable Deposits

₹ 57,674 billion

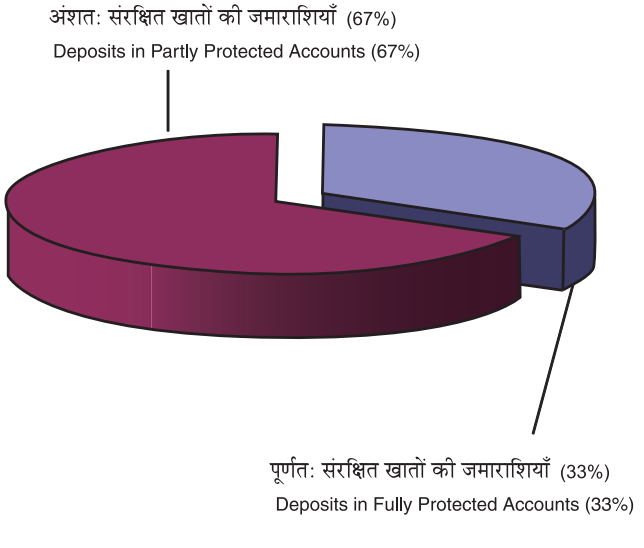

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

50th Annual Report of the Board of Directors

Balance Sheet and Accounts

for the year ended

31st March 2012

Mission

To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors.

Vision

To be recognised as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders.

Contents

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iv-v
2.	Board of Directors	vi
3.	Organisation Chart	vii
4.	Contact information of the Corporation	viii
5.	Principal Officers of the Corporation	ix
6.	Abbreviations	x
7.	Highlights	xi-xiii
8.	An Overview of DICGC	1-5
9.	Management Discussion and Analysis	6-26
10.	Directors' Report	27-38
11.	Annexes to Directors' Report	39-61
12.	Auditors' Report	63
13.	Balance Sheet and Accounts	64-76

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

DICGC/SD/1633/01.01.016 /2012-13 June 25, 2012

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Reserve Bank of India)

The Chief General Manager and Secretary
Secretary's Department
Reserve Bank of India
Central Office
Central Office Building
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai - 400 001

Dear Madam,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2012

In pursuance of the provisions of Section 32 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2012 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2012.

2. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

(Kumudini Hajra)
Secretary

Encls: As above

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400008.
टेलिफोन सं. : +91 22 2301 1991 फैक्स : +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008.
Tel: +91 22 2301 1991 Fax: +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

DICGC/SD/1633/01.01.016 /2012-13 June 25, 2012

LETTER OF TRANSMITTAL
(To the Government of India)

The Secretary to the Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs (Banking Division)
Jeevan Deep Building, Parliament Street
New Delhi-110 001

Dear Sir,

Balance Sheet, Accounts and Report on the Working of the Corporation for the year ended March 31, 2012

In pursuance of the provisions of Section 32 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended March 31, 2012 together with the Auditors' Report, and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended March 31, 2012.

2. Copies of the material mentioned as at (i) and (ii) above (i.e., Balance Sheets, Accounts and Report on the working of the Corporation) have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (*viz.,* the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32 (2) of the Act *ibid*. The printed copies of the Annual Report of the Corporation will be sent to you shortly.

Yours faithfully,

(Kumudini Hajra)
Secretary

Encls: As above

भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400008.
टेलिफोन सं. : +91 22 2301 1991 फैक्स : +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai Central, Mumbai-400 008.
Tel: +91 22 2301 1991 Fax: +91 22 2301 8165, 2301 5662, 2302 1131 e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

Board of Directors

CHAIRMAN

Dr. Subir V. Gokarn **Deputy Governor, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (a) of of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 24.11.2009)

DIRECTORS

Shri G. Gopalakrishna **Executive Director, Reserve Bank of India**	Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6 (1) (b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 17.3.2011)
Dr. Shashank Saksena **Director, Ministry of Finance** **Department of Financial Services** **Government of India**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.06.2008)
Dr. Prakash Bakshi **Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 19.08.2011)
Shri B. L. Patwardhan **Adviser,** **Saraswat Co-operative Bank Ltd.**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 12.10.2011)
Shri Kamlesh Vikamsey **Chartered Accountant**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 05.09.2011)
Shri G. Sivakumar **Professor, IIT Bombay**	Nominated by the Central Government under Section 6 (1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. (from 20.09.2011)

ORGANISATION CHART

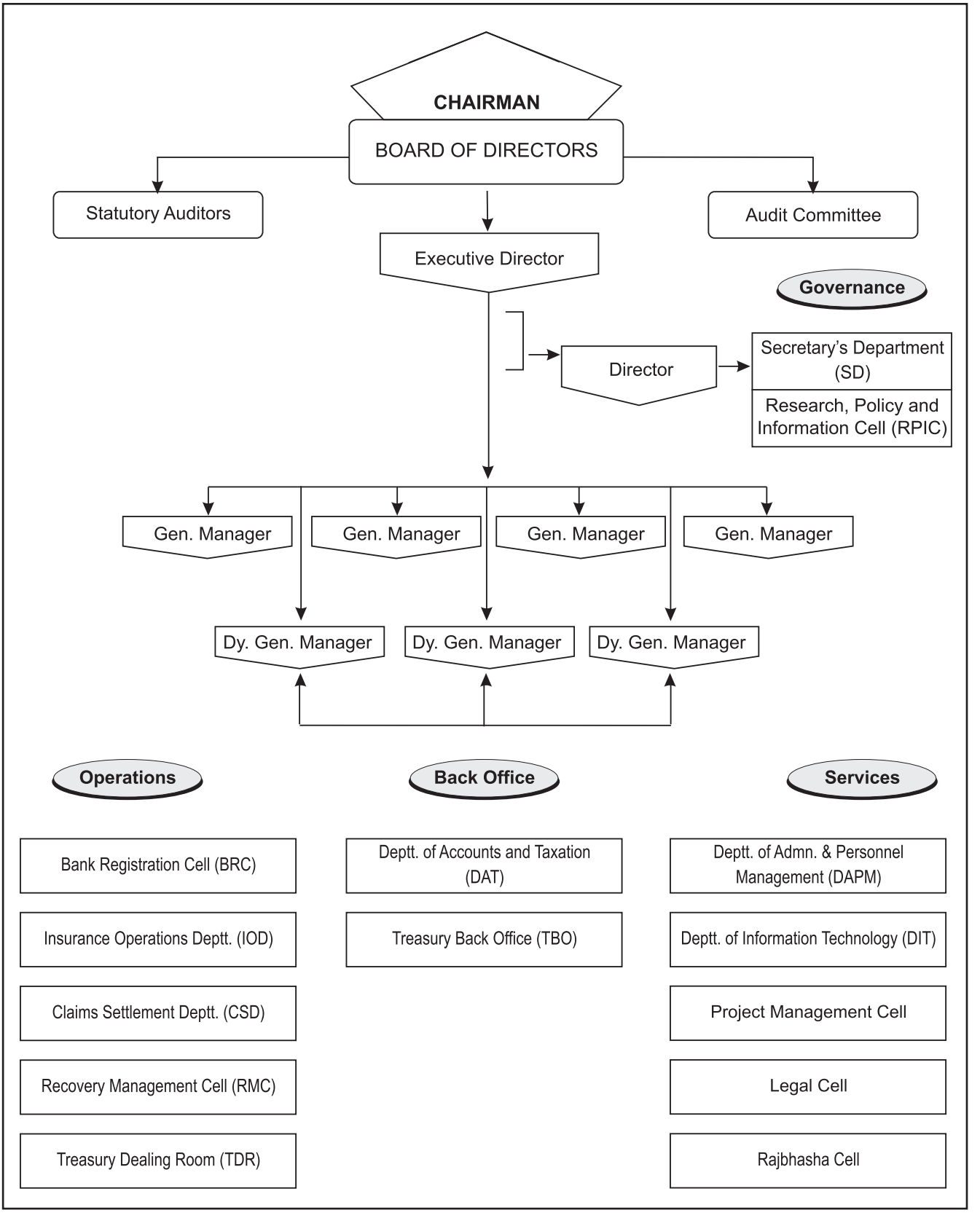

CONTACT INFORMATION OF THE CORPORATION

Fax No. 022 - 2301 5662
022 - 2301 8165

Telegram CREDITGUARD

Tel.Nos.

022-2308 4121	General
022-2306 2161	Premium
022-2306 2162	Claims
022-2301 9570	RTI
022-2302 1150	Customer Care Cell

HEAD OFFICE

Deposit Insurance and
Credit Guarantee Corporation
Reserve Bank of India,
2nd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station,
Byculla, Mumbai – 400 008.
INDIA

(i)	Executive Director	022-2301 9460
(ii)	General Manager	022-2301 9645
(iii)	Director	022-2301 9570
(iv)	General Manager	022-2302 1146
(v)	General Manager	022-2302 1150
(vi)	General Manager	022-2301 8840
(vii)	Deputy General Manager	022-2302 1149
(viii)	Deputy General Manager	022-2302 1158
(ix)	Deputy General Manager	022-2301 4655

Email – dicgc@rbi.org.in
Website : www.dicgc.org.in

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

EXECUTIVE DIRECTOR

Shri G. Gopalakrishna

GENERAL MANAGERS

Shri M. K. Samantaray
Shri N. K. Bhatia
Shri Rajesh Kumar
Smt. Molina Chowdhury
Smt. Pratibha Raghavan

SECRETARY & DIRECTOR

Smt. Kumudini Hajra

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Shri Dwijaraj Sethi
Shri P.S.K. Khual
Shri V.K. Maurya

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Smt. Kumudini Hajra

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA, MUMBAI

TAX CONSULTANTS

M/s. Habib & Co.
Chartered Accountants
75, Mohammed Ali Road
Mumbai - 400 003

AUDITORS

Sarda & Pareek
Chartered Accountants
Mahavir Apartments,
3rd Floor, 598, M.G. Road,
Near Suncity Cinema,
Vile Parle (East),
Mumbai - 400 057

ACTUARIES

M/s. K. A. Pandit
Consultants & Actuaries
2nd Floor, Churchgate House
Veer Nariman Road, Fort
Mumbai - 400 001

ABBREVIATIONS

ACB	:	Audit Committee of Board
ALM	:	Asset Liability Management
BCBS	:	Basel Committee on Banking Supervision
BIS	:	Bank for International Settlements
CA	:	Chartered Accountant
CBS	:	Core Banking Solutions
CCIL	:	Clearing Corporation of India Limited
CGCI	:	Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
CGF	:	Credit Guarantee Fund
CGO	:	Credit Guarantee Organization
CRAR	:	Capital to Risk Weighted Assets Ratio
CRR	:	Cash Reserve Ratio
CSAA	:	Control and Self Assessment Audit
DIA	:	Deposit Insurance Agency
DIC	:	Deposit Insurance Corporation
DICGC	:	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation
DIF	:	Deposit Insurance Fund
EXCO	:	Executive Council
FDIC	:	Federal Deposit Insurance Corporation
FIMMDA	:	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
FSB	:	Financial Stability Board
FSCS	:	Financial Services Compensation Scheme
FSDC	:	Financial Stability and Development Council
FSLRC	:	Financial Sector Legislative Reforms Commission
GDP	:	Gross Domestic Product
GF	:	General Fund
GoI	:	Government of India
G-SIFIs	:	Globally Systemically Important Financial Institutions
IADI	:	International Association of Deposit Insurers
IFR	:	Investment Fluctuation Reserve
IMF	:	International Monetary Fund
IR	:	Investment Reserve
IT	:	Information Technology
LABs	:	Local Area Banks
NEFT	:	National Electronic Fund Transfer
NIA	:	National Insurance Academy
RBI	:	Reserve Bank of India
RCS	:	Registrar of Co-operative Societies
RR	:	Reserve Ratio
RRBs	:	Regional Rural Banks
RTGS	:	Real Time Gross Settlement
SRR	:	Special Resolution Regime
TRI	:	Total Return Index
UCBs	:	Urban Co-operative Banks
UTs	:	Union Territories
VaR	:	Value at Risk

HIGHLIGHTS - I : DEPOSIT INSURANCE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end	1962	1972	1982	1992-93	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1 CAPITAL*	0.01	0.02	0.15	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
2 DEPOSIT INSURANCE																				
(i) Deposit Insurance Fund**	0.01	0.25	1.54	3.12	2.99	20.22	31.07	33.10	37.06	42.50	55.14	59.08	78.18	91.03	109.79	133.62	161.55	201.52	247.04	300.93
(ii) Insured Banks (Nos.)	276	476	1683	1931	2296	2438	2583	2676	2728	2715	2629	2595	2547	2531	2392	2356	2307	2249	2217	2199
(iii) Assessable Deposits@	18.95	74.58	423.60	2443.75	4506.74	4923.80	6099.62	7040.68	8062.60	9687.52	12131.63	13182.68	16198.15	17909.19	23443.51	29847.99	33985.65	45879.67	49524.27	57674.00
(iv) Insured Deposits@	4.48	46.56	317.74	1645.27	3376.71	3705.31	4396.09	4985.58	5724.34	6740.51	8288.85	8709.40	9913.65	10529.88	13725.97	18050.81	19089.51	16823.97	17358.00	19043.00
(v) Total number of Accounts (in million)	7.7	34.1	159.8	354.3	435.1	410.9	464.2	441.7	446.2	481.7	600.2	544.0	649.5	537.3	716.9	1038.9	1348.9	1423.9	1051.6	1073.0
(vi) Number of Fully Protected Accounts (in million)	6.0	32.8	158.1	339.5	427.3	371.3	454.4	430.2	432.5	464.5	578.2	518.9	619.5	505.5	682.9	961.7	1204.0	1266.9	976.9	996.0
(vii) Claims paid since inception	–	0.01	0.03	1.78	1.94	1.96	2.09	2.25	2.62	6.77	8.63	10.44	14.85	20.50	25.94	27.55	29.84	36.38	40.17	43.05

* Under General Fund of the Corporation.

** Includes both actuarial Fund and fund surplus.

@ Data since 2009-10 are as per new reporting format.

HIGHLIGHTS - II : CREDIT GUARANTEE AT A GLANCE

(₹ in billion)

At year-end	1962	1972	1982	1992-93	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1 CREDIT GUARANTEE																					
(i) Credit Guarantee Fund*	-	-	0.89	9.07	17.75	29.26	6.79	7.58	11.88	11.33	12.62	13.93	15.11	2.50	3.45	3.49	3.67	3.85	2.98	3.10	3.00
(ii) Guaranteed Advances																					
a) Small Borrowers	–	2.08	48.40	263.48	172.61	39.39	32.41	2.78	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	38.22	155.03	112.71	33.76	28.13	0.39	0.05	0.01	0.01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	–	–	–
(iii) Claims Received (for the year)																					
a) Small Borrowers	–	–	0.25	8.83	18.41	18.42	1.84	2.18	2.19	0.22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.30	2.60	5.24	2.70	1.20	0.34	0.26	0.14	0.01	0.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) Claims Disposed off (for the year)																					
a) Small Borrowers	–	–	0.15	5.66	10.31	4.03	4.01	11.88	11.95	1.71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b) Small Scale Industries	–	–	0.27	2.43	3.08	2.91	2.21	2.25	1.39	0.54	0.05	0.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Includes both actuarial and fund surplus.

NA : Not applicable since no credit institution is participating under the schemes.

OPERATIONAL HIGHLIGHTS - III : DEPOSIT INSURANCE

(₹ in billion)

PARTICULARS	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
REVENUE STATEMENTS						
Premium Income	56.40	48.44	41.55	34.53	28.44	23.21
Investment Income	23.53	18.01	15.13	12.89	11.45	10.79
Net Claims	3.57	1.71	4.07	9.09	1.80	3.23
Revenue Surplus Before Tax	60.01	61.45	37.53	39.73	37.43	30.47
Revenue Surplus After Tax	40.54	41.32	28.93	26.89	22.51	16.91
BALANCE SHEET						
Fund Balance (Actuarial)	47.68	37.74	32.75	18.17	15.53	12.11
Fund Surplus	253.25	209.30	168.77	143.39	118.09	97.68
Outstanding Liability for Claims	6.89	6.03	7.64	10.75	4.88	6.16
PERFORMANCE METRICS						
1. Average No. of days between receipt of a claim and claim settlement@	52	49	54	43	53	60
2. Average No. of days between de-registration of a bank and claim settlement (First claims)@	533	388	361	825	604	625
3. Operating Costs as percentage of total premium income	0.27	0.35	0.26	0.30	0.33	0.38
(With a sub part employee cost as percentage of total premium income)	(0.14)	(0.15)	(0.14)	(0.16)	(0.17)	(0.21)

@ Actual number of average days has been arrived at by weighting the number of days with the corresponding sanctioned amount involved.

AN OVERVIEW OF DICGC

1) Introduction

The functions of the DICGC are governed by the provisions of "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961" (DICGC Act) and "The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961" framed by the Reserve Bank in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 50 of the said Act. As no credit institution is participating in any of the credit guarantee schemes administered by the Corporation, presently it is not operating any of the schemes and deposit insurance remains the principal function of the Corporation.

(2) History

The concept of insuring deposits kept with banks received attention for the first time in the year 1948 after the banking crisis in Bengal. The issue came up for reconsideration in the year 1949, but was held in abeyance till the Reserve Bank set up adequate arrangements for inspection of banks. Subsequently, in the year 1950, the Rural Banking Enquiry Committee supported the concept. Serious thought to insuring deposits was, however, given by the Reserve Bank and the Central Government after the failure of the Palai Central Bank Ltd., and the Laxmi Bank Ltd., in 1960. The Deposit Insurance Corporation (DIC) Bill was introduced in Parliament on August 21, 1961. After it was passed by Parliament, the Bill got the assent of the President on December 7, 1961 and the Deposit Insurance Act, 1961 came into force on January 1, 1962.

Deposit Insurance Scheme was initially extended to all functioning commercial banks. This included the State Bank of India and its subsidiaries, other commercial banks and the branches of the foreign banks operating in India.

With the enactment of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, deposit insurance was extended to co-operative banks also and the Corporation was required to register "eligible co-operative banks" as insured banks under the provisions of Section 13 A of the DICGC Act.

The Government of India, in consultation with the Reserve Bank, introduced a credit guarantee scheme in July 1960. The Reserve Bank was entrusted with the administration of the scheme, as an agent of the Central Government, under Section 17(11A)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 and was designated as the Credit Guarantee Organisation (CGO) for guaranteeing the advances granted by banks and other credit institutions to small scale industries. The Reserve Bank operated the scheme up to March 31, 1981.

The Reserve Bank also promoted a public limited company on January 14, 1971, named the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (CGCI). The credit guarantee schemes introduced by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit needs of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of the society engaged in non-industrial activities, by providing guarantee cover to the loans and advances granted by the credit institutions to small and needy borrowers covered under the priority sector as defined by the RBI.

With a view to integrating the functions of deposit insurance and credit guarantee, the two organisations, viz., the DIC and the CGCI, were merged and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) came into existence on July 15, 1978. The Deposit Insurance Act, 1961 was thoroughly amended and it was renamed as 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961'.

With effect from April 1, 1981, the Corporation extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after the cancellation of the Government of India's credit guarantee scheme. With effect from April 1, 1989, guarantee cover was extended to the entire priority sector advances.

(3) Institutional Coverage

(i) All **commercial banks** including the branches of foreign banks functioning in India, Local Area Banks and Regional Rural Banks are covered under deposit insurance.

(ii) All eligible **co-operative banks** as defined in Section 2(gg) of the DICGC Act are covered under deposit insurance. All State, Central and Primary co-operative banks functioning in the States/Union Territories, which have amended their Co-operative Societies Act, as required under the DICGC Act, 1961, empowering Reserve Bank to order the Registrar of Co-operative Societies of the respective States/Union Territories to wind up a co-operative bank or to supersede its committee of management and requiring the Registrar not to take any action for winding up, amalgamation or reconstruction of a co-operative bank without prior sanction in writing from the Reserve Bank, are treated as eligible co-operative banks. At present all co-operative banks are covered under the Scheme. UTs of Lakshadweep and Dadra & Nagar Haveli do not have any co-operative Bank.

(4) Registration of Banks

(i) In terms of Section 11 of the DICGC Act, 1961, all new commercial banks are required to be registered by the Corporation soon after they are granted licence by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. All Regional Rural Banks are required to be registered with the Corporation within 30 days from the date of their establishment, in terms of Section 11A of the DICGC Act, 1961.

(ii) A new eligible co-operative bank is required to be registered with the Corporation soon after it is granted a licence by the Reserve Bank.

(iii) When the owned funds of a primary co-operative credit society reach the level of ₹1 lakh, it has to apply to the Reserve Bank for a licence to carry on banking business as a primary co-operative bank and is to be registered with the Corporation within 3 months from the date of its application for licence.

(iv) A co-operative bank which has come into existence after the commencement of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968, as a result of the division of any other co-operative society carrying on business as a co-operative bank, or the amalgamation of two or more co-operative societies carrying on banking business at the commencement of the Banking Laws (Application to Co-operative Societies) Act, 1965 or at any time thereafter, is to be registered within three months of its making an application for licence. However, a co-operative bank will not be registered, if it has been informed by the Reserve Bank, in writing, that a licence cannot be granted to it.

In terms of Section 14 of the DICGC Act, after the Corporation registers a bank as an insured bank, it is required to send, within 30 days of such registration, intimation in writing to the bank to that effect. The letter of intimation, apart from the advice of registration and registration number, gives details of the requirements to be complied with by the bank, *viz.*, the rate of premium payable to the Corporation, the manner in which the premium is to be paid, the returns to be furnished to the Corporation, *etc*.

(5) Insurance Coverage

Under the provisions of Section 16(1) of the DICGC Act, the insurance cover was originally limited to ₹1,500/- only per depositor for deposits held by him in “the same capacity and in the same right” at all the branches of a bank taken together. However, the Act also empowers the Corporation to raise this limit with the prior approval of the Central Government. Accordingly, the insurance limit was enhanced from time to time as follows:

Effective from	Insurance Limit (₹)
May 1, 1993	1,00,000/-
July 1, 1980	30,000/-
January 1, 1976	20,000/-
April 1, 1970	10,000/-
January 1, 1968	5,000/-

(6) Types of Deposits Covered

The Corporation insures all bank deposits, such as savings, fixed, current, recurring, etc. except the (i) deposits of foreign governments; (ii) deposits of Central / State Governments; (iii) deposits of State Land Development Banks with the State co-operative banks; (iv) inter-bank deposits; (v) deposits received outside India, and (vi) deposits specifically exempted by the Corporation with the previous approval of the Reserve Bank.

(7) Insurance Premium

The Corporation collects insurance premia from insured banks for administration of the deposit insurance system. The premia to be paid by the insured banks are computed on the basis of their assessable deposits. Insured banks pay advance insurance premia to the Corporation semi-annually within two months from the beginning of each financial half year, based on their deposits as at the end of previous half year. The premium paid by the insured banks to the Corporation is required to be borne by the banks themselves and is not passed on to the depositors. For delay in payment of premium, an insured bank is liable to pay interest at the rate of 8 per cent above the Bank Rate on the default amount from the beginning of the relevant half-year till the date of payment.

Premium Rates per deposit of ₹100

Date from	Premium (in ₹)
1-04-2005	0.10
1-04-2004	0.08
1-07-1993	0.05
1-10-1971	0.04
1-01-1962	0.05

(8) Cancellation of Registration

Under Section 15A of the DICGC Act, the Corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for three consecutive half-year periods. However, the Corporation may restore the registration if the deregistered bank makes a request, paying all the dues in default including interest, provided the bank is otherwise eligible to be registered as an insured bank.

Registration of an insured bank may be cancelled if the bank is prohibited from accepting fresh deposits; or its licence is cancelled or a licence is refused to it by the Reserve Bank; or it is wound up either voluntarily or compulsorily; or it ceases to be a banking company or a co-operative bank within the meaning of Section 36A(2) of the Banking Regulation Act, 1949; or it has transferred all its deposit liabilities to any other institution; or it is amalgamated with any other bank or a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned by a competent authority where the said scheme does not permit acceptance of fresh deposits. In the case of a co-operative bank, its registration also gets cancelled if it ceases to be an eligible co-operative bank.

In the event of the cancellation of registration of a bank, for reason other than default in payment of premium, deposits of the bank as on the date of cancellation remain covered by the insurance.

(9) Supervision and Inspection of Insured Banks

The Corporation is empowered to have free access to the records of an insured bank and to call for copies of such records. On Corporation's request, the Reserve Bank is required to undertake / cause the inspection / investigation of an insured bank.

(10) Settlement of Claims

(i) In the event of the winding up or liquidation of an insured bank, every depositor is entitled to payment of an amount equal to the deposits held by

him at all the branches of that bank put together in the same capacity and in the same right, standing as on the date of cancellation of registration (*i.e*, the date of cancellation of licence or order for winding up or liquidation) subject to set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(1) read with 16(3) of the DICGC Act]. However, the payment to each depositor is subject to the limit of the insurance coverage fixed from time to time.

(ii) When a scheme of compromise or arrangement or re-construction or amalgamation is sanctioned for a bank by a competent authority, and the scheme does not entitle the depositors to get credit for the full amount of the deposits on the date on which the scheme comes into force, the Corporation pays the difference between the full amount of deposit and the amount actually received by the depositor under the scheme or the limit of insurance cover in force at the time, whichever is less. In these cases too, the amount payable to a depositor is determined in respect of all his deposits held in the same capacity and in the same right at all the branches of that bank put together, subject to the set-off of his dues to the bank, if any [Section 16(2) and 16(3) of the DICGC Act].

(iii) Under the provisions of Section 17(1) of the DICGC Act, the liquidator of an insured bank which has been wound up or taken into liquidation, has to submit to the Corporation a list showing separately the amount of the deposit in respect of each depositor and the amount of set off, in such a manner as may be specified by the Corporation and certified to be correct by the liquidator, within three months of his assuming charge as liquidator (Typical claim settlement process in Chart I).

(iv) In the case of a bank/s under scheme of amalgamation/reconstruction, etc. sanctioned by competent authority, a similar list has to be submitted by the chief executive officer of the concerned transferee bank or insured bank, as the case may be, within three months from the date on which the scheme of amalgamation / reconstruction, etc. comes into effect [Section 18(1) of the DICGC Act].

(v) The Corporation is required to pay the amount due under the provisions of the DICGC Act in respect of the deposits of each depositor within two months from the date of receipt of such lists prepared in accordance with guidelines issued by the Corporation and complete / correct in all respects. The Corporation gets the list certified by a firm of Chartered Accountants which conducts on-site verification.

(vi) The Corporation generally makes payment of the eligible claim amount to the liquidator / chief executive officer of the transferee / insured bank, for disbursement to the depositors. However, the amounts payable to the untraceable depositors are held back till such time as the Liquidator / Chief Executive Officer is in a position to furnish all the requisite particulars to the Corporation.

(11) Recovery of Settled Claims

In terms of Section 21(2) of the DICGC Act read with Regulation 22 of the DICGC General Regulations, the liquidator or the insured bank or the transferee bank, as the case may be, is required to repay to the Corporation out of the amounts realised from the assets of the failed bank and other amounts in hand after making provision for the expenses incurred.

(12) Funds, Accounts and Taxation

The Corporation maintains three distinct Funds, *viz.*, (i) Deposit Insurance Fund (DIF); (ii) Credit Guarantee Fund (CGF), and (iii) General Fund (GF). The first two Funds are created by accumulating the insurance premia and guarantee fees respectively and are applied for settlement of the respective claims. The authorised capital of the Corporation is ₹ 50 crore which is entirely subscribed to by the Reserve Bank. The General Fund is utilised for meeting the establishment and administrative

Chart I : Typical Process of Settlement of Claims for Co-operative Banks in India

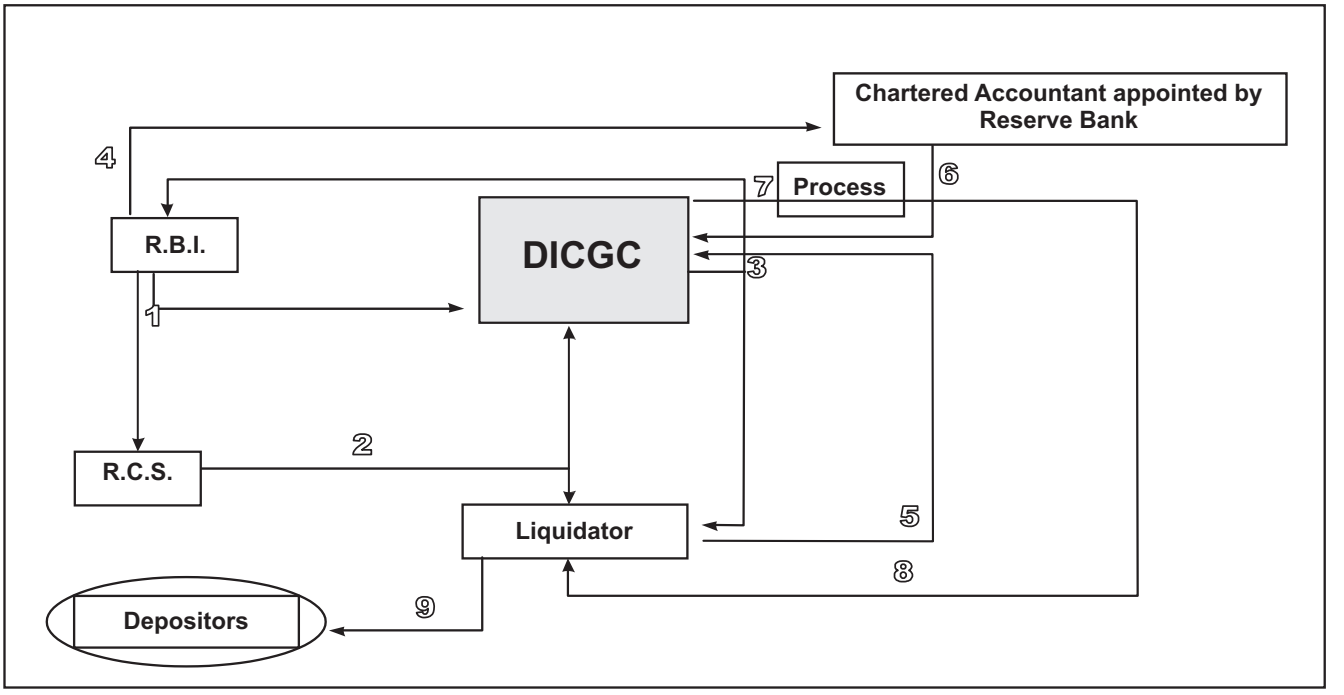

1. The Reserve Bank cancels the licence / rejects the application for licence of a bank and recommends its liquidation to the concerned Registrar of Co-operative Societies (RCS) with endorsement to the DICGC.
2. The RCS appoints a Liquidator for the liquidated bank with endorsement to the DICGC.
3. The DICGC cancels the registration of the bank as an insured bank and issues guidelines for submission of the claim list by the liquidator within 3 months and requests Reserve Bank to appoint an external auditor [Chartered Accountant (CA)] for on-site verification of the list.
4. The Reserve Bank appoints C.A. and the DICGC conducts briefing and orientation session for C.A. to check the claim list.
5. The Liquidator submits the claim list for payment to the depositors (both hard and soft forms).
6. The external auditors (C.A.) submit their report on the aspects of the claim list.
7. The claim list is computer-processed and payment list is generated.
8. Consolidated payment is released to the Liquidator and further information sought on incomplete / doubtful claims. The release of claims is announced through the website of the Corporation.
9. The liquidator releases the payment to the depositors.

expenses of the Corporation. The surplus balances in all the three Funds are invested in Central Government securities. Inter-Fund transfer is permissible under the Act.

The books of accounts of the Corporation are closed as on March 31 every year. The affairs of the Corporation are audited by an Auditor appointed by its Board of Directors with the previous approval of Reserve Bank. The audited accounts together with Auditor's report and a report on the working of the Corporation are required to be submitted to Reserve Bank within three months from the date on which its accounts are balanced and closed. Copies of these documents are also submitted to the Central Government, which are laid before each House of the Parliament. The Corporation follows mercantile system of accounting and it has been adopting the system of actuarial valuations of its liabilities from the year 1987 onwards.

The Corporation has been paying income tax since the financial year 1987-88. The Corporation is assessed to Income Tax as a 'company' as defined under the Income Tax Act, 1961. The Corporation has started paying service tax since September 2011.

Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework – Lessons from the Financial Crisis[1]

As part of its Golden Jubilee Celebrations, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) hosted an international conference in collaboration with International Association of Deposit Insurers (IADI) on "Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework – Lessons from the Financial Crisis" in November 2011. The theme of the conference reflected the evolving thinking on the various elements of financial safety net framework in post-financial crisis period wherein need was felt for a well-defined resolution framework for banks and closer integration of the deposit insurance agency with other players in the safety net.

Four broad themes reoccurred during the conference. First, the crisis revealed weaknesses in depositor protection systems including distortions in coverage levels, long payout timeframe, inadequate post-funded systems, lack of harmonised cross-border actions, dysfunctional legal provisions like coinsurance and lack of public awareness. Second, these weaknesses have led to a revision and strengthening of the role for deposit insurance, guided by realisation that financial stability is more complex than previously thought and that distortions are not arising from deposit insurance. This realisation is leading to steps to redesign the entire safety net framework. Third, large, complex banks and other financial companies must be allowed to fail if they become nonviable. Addressing problems in such institutions requires an overhaul of both supervisory and resolution systems. Finally, there are limitations of using corporate bankruptcy regimes for addressing failing banks. The usefulness of having a special resolution regime for the bankruptcy of banks was emphasised.

These themes are discussed in greater detail below.

Financial safety net frameworks across countries differ...

The crisis showed that three pillars are required to support a resilient financial system – effective supervision, robust regulatory framework and a resolution framework that is quick and effective and limits excessive risk-taking. The distribution of responsibilities for the three pillars across different agencies differs around the world.

Within the safety net framework, deposit insurance is a critical variable in containing the crisis and restoring confidence. Prior to the financial crisis, deposit insurance was seen as protecting individual depositors, giving them security on their deposits. During the course of the financial crisis, it has become apparent that effective deposit insurance systems are critical not only for depositor protection but to maintain general public confidence in a financial system and to maintain financial stability particularly during times of stress. Taking example of UK, where Northern Rock witnessed a typical bank run before it failed partly because of public perception of inadequate depositor protection system. The case of Icelandic banks revealed cross border consequences that inadequate deposit insurance systems can have. These two events demonstrated to the international community the role that deposit insurance can play in maintaining financial stability.

Three lessons stand out from the global crisis. First, financial stability is now at the centre of policy making. Concerns about the moral hazard arising from depositor protection,

1 Based on proceedings of international conference hosted by DICGC in collaboration with International Association of Deposit Insurers (IADI) on "Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework – Lessons from the Financial Crisis" from November 13 to 16, 2011 at Jodhpur, Rajasthan. The inaugural address by Dr. Duvvuri Subbarao, Governor, Reserve Bank of India and Valedictory Address by Dr. K.C. Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India are also reproduced.

while still valid, have become relatively less central than before. Second, the three safety net functions (supervision, resolution and depositor protection) are now seen as fundamentally integrated elements for policy makers, each with an equal responsibility for the design and implementation of financial policies. Finally, the role (or mandate) of the deposit insurer is expanding.

Crisis revealed need to strengthen regulatory standards and remove structural weaknesses...

Two key factors that led to the financial crisis were the erosion of regulatory standards and structural weaknesses. The erosion of regulatory standards implied weak capital standards in terms of amount and quality of capital being maintained, weak liquidity standards and weak underwriting standards. In addition, there were structural weaknesses arising from complexity and lack of transparency that made it difficult to differentiate between institutions. There were also gaps in financial regulatory oversight of shadow banking system. The interdependencies among agencies led to systemic risk.

The policy agenda for financial regulators now includes steps to strengthen bank supervision and regulation, improvements in capital and liquidity standards, curbs on proprietary trading by institutions and strengthened consumer and investor protection. Steps are also being taken to address systemic risk by design of higher regulatory standards for SIFIs, development of guidance on effective bank resolution mechanisms and better cross-border coordination. There is need to enhance market discipline by ensuring greater transparency.

Crisis prompted reform in financial regulation...

Reform in financial regulation is a key element of G-20 reform agenda and prudential regulation is key area in the financial regulation reform agenda. The crisis has prompted a broad regulatory overhaul, both domestic and international. The reform of bank capital regulation under Basel III is based on a new capital ratio which focuses on raising the quality of capital and enhancing risk coverage. Total capital under Basel III standard buffers that include capital conservation buffer and SIFI buffer would work out between 11.5 per cent and 13 per cent, while total capital with additional domestic buffers could go up to 19 or 20 per cent. The new framework would also incorporate new metrics for covering liquidity risk and leverage ratio would provide backstop to supplement risk-based capital, and a macro prudential overlay that aims to mitigate pro-cyclicality and systemic risk.

It was pointed out that leverage ratios defined as capital over unweighted assets seem to suggest that the US and Asian banks are better capitalised than European banks. Such differences can be explained in terms of country-specific factors such as regulatory, accounting, legal and institutional framework and default and recovery rates, and bank-specific factors like banks' business model and operational framework.

Capital and leverage ratios are expected to have a relatively moderate effect on the banks in the Asian region except for a few banks. However, impact of global liquidity standards is somewhat uncertain at the moment as many banks rely on deposits and are not in a comfortable position to meet the liquidity standards. Some countries do not have enough first-tier eligible liquid assets and in some countries even second-tier eligible liquid assets are also in short supply.

Crisis brought realization that banks require a special insolvency regime...

The business of banking differs in critical and important ways from other businesses, and therefore, requires a specialised insolvency framework that differs from the corporate bankruptcy regimes. Banks are different in three major ways. First, a significant portion of bank liabilities (deposits) are short term and are owed to the public. The public has the right to withdraw those deposits on demand. Second, banking assets are vulnerable to rapid and unexpected price volatility that can quickly affect the solvency of the institution. Finally, financial distress in one bank can spread to others through both direct contagion and by a worsening of public expectations about the

strength of the financial system.

Bank bankruptcy regime has the dual objectives of removing unsafe or unsound banking institutions while, at the same time, preserving financial stability. Corporate insolvency regimes can be protracted, taking considerable time to come to a final resolution. Depositors have the ability to pre-emptively run from the banks, therefore, undermining not only the bank but the financial system. In addition, corporate insolvency is relatively blunt. Typically, closure and liquidation is the only tool available. Resolving banking institutions must be done in a way that preserves the underlying good business and allows depositors to limit their exposure to loss.

Resolution framework for banks needs to be supported by an institutional framework...

An effective resolution framework for financial institutions should have the following elements:

- Authority to take official control of the institution before insolvency.
- Flexible resolution tools that allow for the transfer of assets, forced mergers, mandatory private recapitalisation and orderly liquidation.
- Recognition that shareholders must absorb the "first loss".
- The public sector should have the authority to use public funds for recapitalisation.

The institutional framework supporting the resolution regime is critical to its success. There must be clear designation of the mandates of all institutions with limited overlap in responsibilities. At the same time, inter-agency cooperation and coordination must be included in the legal framework.

Resolution of big banks has emerged as a challenge in the ongoing financial crisis...

In the 2008 financial crisis, resolution of big banks emerged as the challenge for the first time and institutional solutions are now coming into existence. FDIC of US, which mitigates the risk of instability in three-fourth of the banking sector due to a large number of state banks, is applying the acquired experience to bigger banks. The example of Washington Mutual demonstrated the capacity to apply the experience gained from dealing with small banks to measures directed towards significant market players.

International consensus on insolvency frameworks is emerging...

The FSB's Key attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions that reflect emerging international consensus on insolvency regimes serve as a point of reference for national insolvency regimes. A central focus of FSBs work is the treatment of global systemically important financial institutions (G-SIFIs). Any institution that could pose a systemic threat should be subject to a regime in line with the key attributes. Such a regime has 12 characteristics:

- All systemically important firms should be subject to the resolution regime.
- The resolution authority should be operationally independent but subject to oversight.
- Countries should have a broad range of resolution tools.
- The regime must have legal certainty and enforceability.
- Safeguards for creditors and for practitioners are needed including the hierarchy of claims, the ability to take systemic effects into consideration, and due process.
- Private funding for the costs of resolution is preferred.
- A statutory mandate is needed for cross border cooperation and no discrimination against creditors by nationality.
- Crisis management groups for cross-border firms should be identified that include representatives of home and host jurisdictions.
- Modalities need to be established for cross border cooperation and information sharing.
- Establishment of recovery and resolution

plans are needed for G-SIFIs that provide a road map for the effective resolution if the institutions were to fail.

- All G-SIFIs should conduct resolvability assessments to evaluate the feasibility of resolution strategies.
- A robust information management system is required allowing firms to produce up-to-date information.

Implementation of these key attributes of an insolvency regime will give the authorities the needed information and flexibility to address the failure of even the largest systemically important institutions.

Important reform initiatives have been taken in the US...

Although the trend of bank failures in US has started tapering off, the number of problem institutions remains high. Most of the resolutions in the US were done by purchase and assumption of whole bank and payout mechanism was used for only a very small number of banks. Key lessons learnt from US experience are:

- To restore discipline in the marketplace, large, complex banks and other financial companies must be allowed to fail if they become non-viable. In the absence of effective resolution tools, government bailouts were necessary, but they brought serious adverse consequences for the financial system. Cross-border cooperation is essential for orderly liquidation of large, international financial institutions.
- Failure to manage excessive debt and leverage is dangerous. Supervisors need to enforce hard and fast objective capital standards.

The reform measures in the US are aimed at ending too-big-to-fail, limiting financial leverage and introducing reforms in deposit insurance with increased coverage and change in funding strategy. Under Dodd-Frank Act, the FDIC has been granted new roles and responsibilities that include expanded receivership authority for SIFIs, resolution plans, strengthened back-up authority and deposit insurance fund. The FDIC has taken several actions in line with its expanded powers. It has also set up a Systemic Resolution Advisory Committee.

UK too has done extensive reforms...

The reforms in the UK were triggered by the failure of a smallish bank which would not usually be regarded as a systemic bank, Northern Rock. This experience pointed to several limitations in the UK's existing insolvency regime. Specifically:

- the authorities had limited supervisory tools,
- there were no means of addressing the spill over effects, and
- the deposit insurance system was complex and not understood (particularly coinsurance and set off caused uncertainty about real coverage levels).

In response, the UK authorities introduced the Banking Act 2009, which implemented a Special Resolution Regime (SRR) to deal with failing banks and gave resolution authority to the Bank of England. New tools were introduced, including the ability to transfer assets, a bridge bank authority where the assets and liabilities of a failing bank could be transferred into a newly created public bank, and the ability to put a failing bank into temporary public ownership.

The role and function of the Financial Services Compensation Scheme (FSCS) was also strengthened to promote public confidence in the deposit insurance system. Reforms introduced include (i) setting an objective of depositor payout within 7 days for most depositors, (ii) eliminating set off, (iii) eliminating the application form and simplifying payout procedures, and (iv) requiring that banks be able to provide the FSCS with a single customer view of each customer's deposits by institution. Additionally, the FSCS initiated contingency planning programs and adopted a heightened consumer awareness program. Going forward, the UK authorities will review FSCS's funding structure, with the possible introduction of *ex-ante* funding by European Directive, and institute recovery and resolution plans for systemically important financial institutions.

Bank resolution framework in India is yet to evolve...

The central bank in India has an over-riding role in the financial safety-net architecture in India – it has responsibility for regulation and supervision of banks and has broad resolution powers over commercial banks – and DICGC works in close coordination with the central bank to offer protection to small depositors. Several questions need to be answered regarding bank resolution framework in the Indian context even though the central bank has been able to resolve problem banks so far. Specific issues and constraints in bank resolution framework in India are:

- The legal framework governing bank resolution is spread over a large number of laws and regulations, making the framework complex, confusing and non-transparent.
- DICGC faces delays in making quick payments to depositors as it is handicapped by inadequate information sharing arrangements regarding depositors. The benefits of granting an extended mandate to the DICGC needs to be examined from the point of view of faster settlement to depositors, lower costs and speed of resolution with associated benefits for the stability of the financial system.
- DICGC provides insurance cover to a heterogeneous range of banks whose laws and structure differ and so also their failure rates. However, as premium is being charged at uniform rate, this leads to cross-subsidisation and raises moral hazard issues.
- DICGC maintains an ex-ante fund. Going by the past record of failures, the fund maintained by DICGC appears adequate, but it is not clear if the fund will be able to meet claims arising from failure of a couple of small or medium size commercial banks. Although no deposit insurer can maintain enough liquid funds to face a widespread financial crisis, in extraordinary situation of widespread failure of banks, it is imperative that the deposit insurer is armed with unlimited and quick access to funds from the central bank and/or the government so that financial stability is not jeopardized.
- In India, the presence of cross border banks is relatively small. But as the world economy recovers and global trade and financial transactions multiply, India will increasingly be exposed to cross border risks. We will need to strengthen relations with foreign supervisory authorities, intensify information sharing and consider ways to develop a consensus on options for resolving a failing global institution.
- Another issue is regulation of systemically important financial institutions (SIFIs) and effective resolution regime for non-bank financial institutions. Many Indian banks have grown and expanded to become 'financial conglomerates' offering different financial products in different markets. This poses two challenges from a regulatory perspective - absence of adequate legal framework and limited inter-regulatory co-operation framework. The emergence of large complex financial institutions and groups that straddle both banking and non-banking space makes the integration of supervisory and resolution frameworks imperative. This effort will require considerable time, resources, expertise and approach that incorporates a system-wide analysis of risks.

There is a need for putting in place quick, effective and transparent resolution system so that contagion can be arrested. Several lessons have been learnt from the global financial crisis, but the solutions have to be contextual and tailored to country circumstances. This applies to whole gamut of regulation and supervision of financial systems including operation of deposit insurance system.

Crisis exposed weaknesses in deposit insurance systems...

As crisis erupted, countries took coordinated policy measures, using at times even unorthodox quantitative interventions. However, such measures cannot sustain financial stability. Widespread bail-outs of banks and blanket guarantees revealed lack of resolution tools. The crisis also revealed weaknesses in depositor protection systems: (i) large distortions in coverage levels leading to depositor flight; (ii) lack of convergence in

system design; (iii) lack of harmonised cross-border actions; (iv) inadequate post-funded systems; (v) long payout timeframe; (vi) dysfunctional legal provisions like coinsurance and consolidated consumer protection, and (vii) lack of public awareness. The response from authorities included temporary blanket guarantees that in many cases resulted in permanent increase in coverage levels, simplification of rules like abolition of coinsurance and set-off, government support for failing banks, establishment of new standards by international standard-setting bodies and revisions in mandates of deposit insurance agencies.

Financial crisis has taught several lessons for deposit insurance system and resolution regime...

Key lessons that have emerged from the financial crisis for the deposit insurance system are that the deposit agencies should have independence; ability to respond quickly; mechanism to promptly reimburse depositors; access to financial data; legal protection from lawsuits in the normal course of business; close, prompt and effective interventions with other safety net participants; access to adequate funding; and public awareness of and confidence in deposit insurance system.

The key features of resolution regime that help the deposit insurer to meet its objectives are a special resolution regime for financial institutions; designated resolution authority for exercising early and timely resolution; recovery and resolution planning; effective failure resolution tools both for preventing bank failures (such as bail-in mechanisms, living wills) and for resolving failed banks (including purchase and assumption, bridge bank, assisted mergers, capital injections, etc.); and mechanism for information sharing among safety-net participants at all stages of planning and implementation of recovery and resolution measures.

FSB's Key Attributes have implications for deposit insurers...

The purpose of Key Attributes is to set out the core elements that the FSB considers to be necessary for an effective resolution regime and allow authorities to manage the failure of large, complex and internationally active institutions in a way that minimises systemic disruption and avoids recourse to public funds that expose taxpayers to the risk of loss.

There are several areas where Key Attributes have an impact on deposit insurance systems. These relate to (1) protection of interests of retail customers, (2) establishment of a temporary bridge institution, (3) closure and orderly wind-down of a failing firm with timely payout or transfer of insured deposits, (4) legal framework for governing set-off rights, (5) privately financed deposit insurance or resolution funds, (6) cooperative solution with foreign resolution authorities, and (7) bail-in within resolution. FSB work on resolution is critical for IADI and deposit insurers and deposit insurers need to be well connected with all aspects of the resolution framework including information, tools, contingency planning, etc. Core Principles also have relevance for the Key Attributes and failure resolution mechanism. The relevant Core Principles are Principles on funding, early detection and timely intervention and resolution, effective resolution processes, and reimbursing depositors.

Evolving role of deposit insurance...

The role of the deposit insurer is evolving in light of the lessons learnt from the 2008/09 global crisis. Depositor protection has become the core of policies to maintain financial stability and the deposit insurer is becoming more fully involved with the safety net players charged with responsible for ensuring such stability.

The expansion of the deposit insurer's mandate was most marked in the immediate post crisis period. A number of paybox insurers were handed responsibilities that included financing resolution and participating in the debate about resolution options. The percentage of insurers with an expanded mandate increased from 52 percent to almost 65 percent in the space of just five years between 2005 and 2011. In addition, several jurisdictions completely overhauled their insolvency regimes and embedded the deposit insurer firmly in decision making process. Looking forward, this trend of expanding mandates is likely to continue.

Deposit insurers bring a unique perspective to the resolution table. Their clear focus on least cost resolution and protecting depositor funds establishes clear selection criteria for resolution options and introduces appropriate incentives for selecting among resolution alternatives.

This expansion of the insurer's mandate will need to be supported by a robust reform agenda. Such reforms may include legal and regulatory changes, the strengthening of funding structures so the deposit insurer has adequate resources, stronger coordination among safety net player, and appropriate staffing. Moreover, these new skills will require testing and contingency planning. Finally, and possibly more importantly, this expansion of the mandate of deposit insurers will need to be supported by a strong political consensus on the future direction of insolvency regimes.

Several countries have expanded mandates of deposit insurance agencies to encompass resolution...

Malaysia has expanded role of deposit insurance agency in failure resolution to meet four objectives: (i) minimise financial costs of resolution, (ii) protect depositors, (iii) prevent shareholder bailout, and (iv) ensure timely and transparent actions. Based on Malaysia's experience, there are five essential elements of effective resolution regimes. First, the regime must be founded on an adequate legislation. Such legislation should provide clear triggers and legal protection. Second, there must be formal procedures that guide the resolution process. Third, the resolution process must be supported by strong and effective supervision. The resolution of an institution should be the last step in a series of official efforts to maintain a safe and sound institution. Fourth, the safety net players must operate seamlessly. Information and decision making must be shared, the respective roles of institutions unambiguous, and a mechanism for coordination should be in place. Finally, the jurisdiction must be operationally prepared. In the face of limited failures, systems should be tested on a regular basis.

Russia took over the function of liquidation of failed banks in 2004 and was granted mandate for prevention of failure of systemically important banks in 2008. In order to deal with challenges from the financial crisis, the Deposit Insurance Agency (DIA) of Russia increased coverage level, abolished coinsurance, reduced premium rate to provide liquidity support to banks and shortened payout period. The tools employed by the DIA of Russia for prevention of bank failures include (i) providing organisational assistance such as finding a potential private investor for a failing bank; (ii) financial assistance by providing secured loans to new investors, purchasing assets in the course of bank rehabilitation, capital injection, and (iii) transfer of a failing bank's assets and liabilities to a sound bank. Various sources of funds have been employed for bank resolution including private investors' resources, government contribution, loans from central bank and deposit insurance fund.

Core principles have provided guidance to authorities in reforming their systems...

Post-global crisis, depositor protection is being seen to be far more central to achieving the goal of financial stability than previously thought. As a result, deposit insurance agencies are being more fully integrated into the safety net framework and the mandates of deposit insurance agencies are expanding. In this new world for deposit insurers, the Core Principles have emerged as an important tool in guiding the reform and restructuring of deposit insurance systems. Core principles can be applied in different jurisdictions as they are neutral with regard to different approaches to deposit insurance so long as overriding goals are achieved. However, core principles pose challenges in their application as they cover diverse areas in the safety net framework principles. The key challenge is that the Core Principles apply to 'deposit insurance system' and not to 'deposit insurance agency' by itself. The deposit insurance system comprises the broad range of safety net measures aimed at maintaining financial stability. Within the safety net framework, significant differences exist internationally in the role and responsibility of deposit insurance agency. Deposit insurance agency as well as deposit insurance system play a role in the stability of the financial system and better coordination among the

agencies helps in achieving the goal of maintaining financial stability.

DICGC can benefit from the lessons learnt in several areas...

Historically, there have been relatively few banking failures in India. The financial system had been dominated by public sector banks that had the full faith and support of the government. DICGC's role and responsibility largely devolved on the relatively small and scattered cooperative banking institutions. Such institutions posed little systemic threat and the traditional methods for intervening and resolving them were quiet successful. This situation however is evolving. The expansion of private sector banking since the mid-1990s has led to the introduction of new, more aggressive institutions that are competing for market share and yield. These institutions – public as well as private sector - remain well supervised and risk profiles are carefully monitored. But this changing environment in India's banking system points to the usefulness of a revision in the country's safety net framework.

A number of important areas stand out where further discussion and evaluation of options could be fruitful. Specifically:

- Enhanced internal relationships: A critical aspect of an effective safety net is the seamless and effective cooperation among the macroeconomic policy experts, supervisors, and the deposit insurers.
- Predictability of the resolution process: The resolution process can be slow and unpredictable. Weak IT systems hamper the adequate provision of data and limit the effective resolution of failed institutions.
- Relationships with the RBI: Depositors must be assured that their covered deposits will be paid out effectively and quickly. Funding for such payout must be assured and supported by emergency back-up funding from the RBI.
- Expanding the scope of the DICGC: The Corporation is well placed to assist in the strengthening of the resolution process. Greater role in the selection and oversight of liquidators as well as strengthened IT systems could enhance overall resolution capacities.

To conclude, reforms in deposit insurance in India and elsewhere are critical...

Deposit insurance is critical for financial inclusion and stability. In the Indian context, the reforms required in deposit insurance system are: broadening the mandate of DICGC to cover bank resolution, giving powers to RBI to resolve a bank before insolvency, passing legislation for appointment of temporary administrator, expediting reimbursement to depositors with technology upgradation, increasing the insurance coverage limit, granting DICGC the power to appoint and monitor liquidators, strengthening financial position of DICGC with back-up funding and exemption from taxes, and adopting risk-based differential premium system. Most of these can be achieved through amendments in DICGC Act.

The critical issues facing deposit insurance systems globally include: making deposit insurance agencies a more integral part of the overall safety net framework by broadening the mandates, sharing of critical information with other financial system safety-net participants, exchange of information with cross-border deposit insurers and foreign safety net participants, make earnest efforts to comply with IADI's Core Principles on Effective Deposit Insurance Systems, pursue the regulators for adopting the facilitating measures/actions pertaining to deposit insurers with help of well-crafted regulatory reforms, jointly develop an advanced sensory system for early detection of crisis and excellent contingency planning, avoid moral hazards, and adopt best international practices. Implementation of above measures would certainly make the deposit insurance systems ideal, thereby preventing financial crisis and attaining financial stability.

Bank Resolution Framework : Challenges in the Indian Context

(Inaugural Address by Dr. Duvvuri Subbarao,
Governor, Reserve Bank of India)

On behalf of the Reserve Bank of India, let me once again extend a hearty welcome to all the delegates to this IADI-DICGC International Conference on the *Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework - Lessons from the Financial Crisis*. Welcome also to this Sun City of Jodhpur - on the edge of the Thar Desert - a city of forts and palaces, lakes and gardens, and folklore and legend that represents - in its mellifluous blend of tradition and modernity - the best face of India.

DICGC

2. This conference is also a part of the golden jubilee celebrations of DICGC which has the distinction of being the second oldest continuing deposit insurance system in the world. Over the past 50 years, the DICGC has been an important part of India's financial sector development; it has grown and evolved, met many challenges and adapted to managing new risks. On the way forward, the DICGC will have to reinvent itself to meet the rising demands of a rapidly growing and structurally transforming economy. To do so, it has to learn from the experience of deposit insurance systems around the world and also from the experience of the global financial crisis. This conference, therefore, is an important learning opportunity for DICGC to move up the value chain in its business.

Lessons from the Financial Crisis

3. The financial crisis has taken a devastating toll on global growth and welfare. Three years on, the crisis is still with us; it has just shifted geographically. In some respects, the 2008 and 2011 crises are similar. Both trace their origins to the mispricing of risk - of private debt in 2008 and public debt in 2011. Both began from deceptively small sources - sub-prime lending in the US in 2008 and government debt in Greece in 2011. The contagion impact in both cases was enormous and destructive. There are striking dissimilarities between 2008 and 2011 as well. In 2008, the crisis revolved around private debt and complex financial products making it difficult to determine where risk lay; in 2011, the crisis is centred around public debt with much greater clarity on where exposure and risk lie. Most importantly, in 2008, governments were a part of the solution; in 2011, governments are the problem. In 2008, we were dealing with unknown unknowns; in 2011, we are dealing with known unknowns.

4. What is striking, and what is important from the view point of this conference, is that no matter where a financial crisis originates, no matter what the causes are and no matter how it evolves, banks become the centre of the crisis. And when banks come under stress, deposit insurance becomes a critical variable in containing the crisis and restoring confidence. To be able to discharge this responsibility efficiently and effectively is then the challenge for the deposit insurance system.

5. The global financial crisis has triggered a re-examination of how financial safety nets function and of the relationships among supervisors, bank insolvency agencies and deposit insurers. The crisis made us realize that depositors are more risk-sensitive than we had thought. More than ever before, we know that the threat of even small losses can lead to destabilizing runs. This reinforces the case for a truly integrated policy response to shocks, where agencies responsible for supervision, regulation, insolvency and deposit insurance act quickly and in a well-coordinated manner.

6. We also learnt from the crisis that three pillars are required to support a resilient financial system. The first pillar is effective supervision. Important lessons have emerged from the crisis on making supervision stronger and more effective. The second pillar is a robust regulatory framework that integrates a system-wide approach and has built-in buffers to smooth cyclical volatility. And the third pillar, the theme of this conference, is a resolution framework that is quick and effective, and one that creates the proper backstop to efforts at limiting excessive risk.

7. There are varying models around the world on how responsibilities for the above three pillars are allocated across different agencies. The specific regulatory architecture of a country has implications for the role and mandate of the deposit insurance system. In some cases, deposit insurance systems are actively involved in the resolution process, in some cases less actively so, and in some cases not at all. In India, bank resolution rests entirely with the regulators and supervisors, and the DICGC plays only a pay-box role. I thought it appropriate, therefore, to use the platform provided by this conference to highlight some of the challenges that we face in India in bank resolution, and in the process identify the tasks ahead for DICGC.

Indian Financial Architecture

8. Before going on to discussing the challenges of bank resolution, let me set the context by giving a broad picture of the financial system in India.

9. Our financial system comprises commercial banks, co-operative banks, non-banking financial companies, insurance companies, provident and mutual funds, and the newly emerging pension funds, with overall assets close to 140 per cent of GDP. The commercial banks, comprising 60 per cent of the total financial assets, dominate the financial system. Within commercial banks, public sector banks, with nearly 75 per cent of total assets, have a commanding presence. Commercial banks in India are well-capitalized; system-level capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) under the Basel II norms stood at 13.9 per cent as at end-June 2011, well above the Indian regulatory minimum of 9 per cent.

10. There are certain structural and regulatory features that make India's financial system resilient to stress. Commercial banks are required to hold a significant proportion, currently 24 per cent, of their assets in government securities. The Reserve Bank also mandates a reserve requirement whereby banks are required to hold reserves with the central bank to the extent of the Cash Reserve Ratio (CRR). And importantly, the fact of government ownership of a large segment of commercial banks inspires public confidence. Needless to say, all the insurance implied by the above regulatory and structural factors comes at a cost, and we struggle with balancing the costs and benefits.

11. The Reserve Bank of India has an over-riding role in the financial safety-net architecture in India - it has responsibility for regulation and supervision of banks in addition to its traditional central banking functions. The Reserve Bank has broad resolution powers over commercial banks under the Banking Regulation Act. DICGC, being a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank, works in close co-ordination with the central bank to offer protection to small depositors.

12. A recent and significant development on the financial stability front has been the setting up of the Financial Stability and Development Council (FSDC) under the chairmanship of the Finance Minister with a wide mandate of systemic oversight, regulatory co-ordination, financial sector development and promotion of financial literacy and financial inclusion. A sub-committee under the chairmanship of Governor of the Reserve Bank acts as the operational arm of the FSDC. It provides a mechanism for co-ordination among regulators, and between regulators and the government which, as we realized during this crisis, is critically important, especially during the stressed times.

13. Failures of commercial banks in India have been rare. The last time when we had a major commercial bank coming under distress was in 2004 and that was resolved by effectively and quickly merging it with another strong public sector bank. Failures among urban co-operative banks are, however, quite common. For banks that fail to meet the minimum prescribed requirements, we institute a regular monitoring mechanism. A weak bank is required to put in place a plan of action indicating targets for critical financial parameters including capital infusion. If weakness in the bank persists with net worth turning negative and there is no credible action plan for a turnaround, it is put under a moratorium. The purpose of imposing a moratorium is to prevent a run on the bank, stop asset stripping and give time to the regulators to identify a suitable strong bank for takeover. The process of merger is put through as expeditiously as possible in a transparent

and consultative manner. Importantly, in the Reserve Bank, we have a committee of the Board, the Board for Financial Supervision, which reviews our bank supervisory function and monitors the performance of banks, especially weak banks.

14. The typical resolution methods that we have used in India are assisting the troubled bank in restructuring or merging it with a strong institution or closure. The most common method has been an assisted or compulsory merger when the weak bank is merged with another bank, usually a public sector bank. There have been also cases of voluntary merger where a healthy bank voluntarily took over a weak bank. Apart from making payouts to banks that are put under liquidation, DICGC assists in mergers by meeting the shortfalls in depositors' claims up to the coverage limit, when the acquiring bank is unable to meet this liability. In case of smaller urban cooperative banks, the general approach has been to liquidate them with reimbursement made to depositors.

Bank Resolution Framework and Deposit Insurance

15. The financial crisis has underscored the importance of rapid resolution to arrest contagion and restore stability. We need a resolution process where banks can be wound down in an orderly fashion, removing the unsafe or unsound elements but preserving the vital financial activities. International financial standard setting bodies like the Financial Stability Board (FSB) and the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) have emphasized the need for national authorities to have appropriate tools to deal with all types of financial institutions in difficulty so as to help maintain financial stability, minimize systemic risk, protect consumers, limit moral hazard and promote market efficiency. It is, of course, still a 'work in progress'.

16. Where do we in India stand on this? Even as we have been able to resolve problem banks so far, it is not clear whether our resolution framework has been put to severe test. There are several questions. Is our resolution process quick and effective? What are the fundamental resolution tools that we must have to confront not only small failures but the possible failures of medium and large banks? What constraints would we face in preserving value if our financial firms become globalized or systemically important? And importantly, for DICGC, what is the optimal role for the deposit insurer in the resolution? Should we consider an alternative distribution of insolvency responsibilities among the safety net players?

17. Addressing these questions will require some fundamental changes in our legal and regulatory framework. I cannot, and do not, intend to attempt an action plan in this regard. What I will do, instead, is to present some specific issues and constraints in the bank resolution framework of India.

I. Appropriate Legal Framework

18. The first challenge is to develop a comprehensive legal framework for resolution that covers all different types of financial institutions. Currently, the relevant provisions on governing issues such as control of management, acquisition of the financial institution, suspension of business and winding up, are all spread over different laws and regulations. Moreover, different types of banks are covered by different statutes. For example, banks which are constituted as companies are governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 1956 (private sector banks and foreign bank offices). The resolution regimes for public sector banks, viz., State Bank of India, its subsidiaries, nationalised banks and Regional Rural Banks, which have been created by separate Acts of Parliament, are contained in their respective statutes. In the case of co-operative banks, the Registrars of Co-operatives at the Central or State level are responsible for oversight of some aspects of their functioning, including their winding-up and restructuring. Deposit insurance is covered separately in the DICGC Act, 1961, but is not integrated with banking laws. Thus, the legal framework governing bank resolution is spread all over, making the framework complex, confusing and often non-transparent.

19. One big issue that needs to be addressed is whether the court-driven procedure as

followed in India for bank resolution can be made faster. The resolution process can be further delayed if the share-holders of a bank challenge the authority of the regulator to resolve the bank. In India, an enterprise proposing to enter into a combination via a merger or an amalgamation is required to notify the Competition Commission, and the Commission has been allowed up to 210 days to decide on it before the default clause kicks in. This further complicates the resolution of banks through mergers and the uncertainty can be potentially destabilizing. We have made a proposal to the Government to exempt bank mergers from this provision.

20. We in India need to watch for "best practice" regarding the time frame for resolving a bank. The process has to be quick enough so that creditors of banks, especially small depositors, do not suffer undue losses and delays; maximum value is derived from the failed or failing institution; and the shareholders bear the brunt of the loss. We also know that markets penalize delay in decision-making and uncertainty over the future of a failing institution. This conference should deliberate on what is a reasonable time-frame for resolution for different types of institutions that harmonizes various competing interests.

II. Extended Role for Deposit Insurer

21. The second issue that we need to address is where the 'resolution authority' should lie. In particular, whether DICGC should have a more proactive role in the supervisory framework to aid early identification of bank failures and their effective resolution. Over the last fifty years, DICGC has done a good job in performing its 'pay box' role. But in making quick payments to depositors, it is handicapped by inadequate information sharing arrangements regarding depositors. In India, the failures of commercial banks have been rare and the beneficiaries of the deposit insurance system have mainly been the urban co-operative banks. While the regulatory and supervisory framework for urban co-operative banks has over time been brought on par with that for commercial banks, the resolution mechanism for these banks is not fully in the hands of the Reserve Bank; we share authority with the Central or State governments concerned. Because of this dual control, there are delays in resolution of this segment of banks right from the appointment of liquidators, gathering of information about depositors (which may not always be available in electronic form), depositor payouts and recovery of assets.

22. Globally, deposit insurance systems with broad mandates are assuming a significant role in the resolution of troubled banks. With access to information on risk assessment of banks, they are able to take prompt corrective action. This arrangement gives the insurer greater ability to address costs as compared to pure pay-box systems.

23. Deposit insurers adopt a "least cost" approach for resolving a failed institution. This involves closer co-operation and co-ordination of appropriate actions taken by the safety-net participants, *viz*., the government, regulatory bodies, the central bank and the deposit insurer. Experience shows that deposit insurers with sufficiently broad mandates, with adequate powers, operational independence, and assured sources of contingency funding, have been more effective in building and maintaining public confidence and dealing with financial crises.

24. Some countries have undertaken a review of their deposit insurance systems and resolution frameworks and instituted important changes. In India, we need to examine the benefits of granting an extended mandate to the DICGC in resolution of failing banks from the point of view of faster settlement to depositors, and lower the costs and speed of resolution with associated benefits for the stability of the financial system. A solution to the problem lies in putting in place a clearly defined solvency regime and a properly designed resolution process. The Financial Sector Legislative Reforms Commission appointed by the Government is comprehensively reviewing all the laws that apply to the financial sector with the aim of making them supportive of an expanding and modernizing financial sector. It is expected that the Commission will recommend a fundamental restructuring of some laws so as to make the legal framework simple, transparent and efficient. From the Reserve Bank, we will present our view before

the Commission, and streamlining of laws relating to bank resolution and reviewing the mandate of the DICGC will be a part of our presentation.

III. Cross-Subsidization

25. A third challenge that we have been facing arises from the heterogeneity of the banks being covered under deposit insurance. In particular, we have commercial banks and co-operative banks whose laws and structures are different and their failure rates, as I said earlier, are also different. But they are all covered by a uniform premium for insurance under the DICGC. This inevitably leads to cross-subsidization of co-operative banks by commercial banks. Illustratively, over five years, on an average, commercial banks contributed 92 per cent of the premium received by DICGC while the entire amount of payout was to co-operative banks, which account for only 14 per cent of the deposits insured by DICGC.

26. This cross-subsidization, or charging premium at a uniform rate from all categories of banks, obviously raises a moral hazard. One option for reducing cross-subsidy is to charge a risk-based premium, but we are not sanguine that this is necessarily optimal in India. There needs to be a clearer assessment of the trade-off between minimizing the moral hazard and placing the additional burden of a higher premium on banks that are already weak and yet serve the very important objective of financial inclusion. Another concern is that imposition of risk-based premiums can have a market impact, with stock prices of already weak banks negatively affected by the burden of higher premiums. On the other hand, cross-subsidization can, in fact, be justified by viewing higher premiums on larger banks as a surcharge for their larger externalities on the rest of the system. I hope some of these cross-subsidization and moral hazard issues will figure in the deliberations of this conference.

IV. Adequacy of Deposit Insurance Fund

27. The fourth challenge I want to raise relates to estimating the adequacy of the Deposit Insurance Fund. Public confidence in deposit insurance will be determined largely by whether the public believes that the deposit fund is large enough to meet its commitments. DICGC maintains an ex-ante fund that is funded by the premium collected from insured banks and income generated from investment of funds. For maintaining depositor confidence, the fund is required to be robust enough to meet claims arising out of routine failure of banks under normal situations. Going by the past record of failures, the fund maintained by DICGC appears adequate. But it is not clear that the fund will be able to meet claims arising from the putative failure of a couple of small or medium size commercial banks. Admittedly, no deposit insurer can maintain enough liquid funds to face a widespread financial crisis. In an extraordinary situation of systemic failure of banks, it is imperative that the deposit insurer is armed with unlimited and quick access to funds from the central bank and/ or the government so that financial stability is not jeopardized. As we all know, it was the arrangements such as this that played a crucial role in containing panic among depositors during the 2008 crisis.

V. Cross-border Bank Resolution

28. Another challenging area, not only for us but also at the global level, is cross-border bank resolution. The main problem is differences in the laws and regulatory frameworks across the countries which makes resolution difficult, inefficient and costly. There is clearly a strong case for moving towards a more harmonized legal and regulatory framework.

29. In India, the presence of cross-border banks is relatively small. But as the world economy recovers and global trade and financial transactions grow, India will increasingly be exposed to cross-border risks. Now is the time to identify steps to make failure resolution both fast and effective regardless of its provenance. We will need to strengthen relations with foreign supervisory authorities, intensify information sharing, and consider ways to develop a consensus on options for resolving a failing global institution.

30. A connected issue in this context, one that has been engaging our attention for the past few years, is the appropriate framework

for operations of foreign banks in India. In particular, we are debating whether we should require compulsory local incorporation of foreign banks. The organizational structure for cross-border banking groups differs across the world and reflects the diversity of their business models and the varying stages of financial development of different countries. Both the branch and subsidiary models have merits as well as limitations. The predominant view globally is that under a branch mode, it may be difficult to determine the assets that would be available in the event of the failure of the foreign bank to satisfy local creditors' claims and the local liabilities that can be attributed to the branch. The subsidiary framework provides greater regulatory control and comfort to the host jurisdictions, apart from easing the resolution process. In crisis situations, the distinction between the branch and the rest of the bank and the legal location of assets and liabilities can be really important. The Reserve Bank will bring out guidelines for the presence of foreign banks in India based on the discussion paper that was released in January this year.

VI. Resolution Framework for SIFIs

31. The last challenge I want to raise is regarding regulation of systemically important financial institutions (SIFIs). Oversight and regulation of SIFIs is currently high on the international agenda, especially as they have a large presence in many countries and also encompass a huge non-banking sector. The treatment of SIFIs requires a host of skills and knowledge that all countries are struggling to understand. There is a debate on the appropriateness of "systemic surcharges" that require SIFIs to hold additional capital. While such higher capital will impose additional costs on the firms, the benefits by way of stronger balance sheets that are able to withstand sharp financial shocks are expected to outweigh the costs.

32. Equally importantly, we need to develop an effective resolution regime for non-bank financial institutions. Setting new risk management and supervisory standards for large and complex institutions is a huge task; their implementation will be even more demanding. So far, the differences in the regulatory and legal treatment of banks and non-banks have been understandable as their activities were concentrated in different markets. The emergence of large complex financial institutions and groups that straddle both banking and non-banking space makes the integration of such supervisory and resolution frameworks imperative. This effort will require considerable time, resources, expertise and approach that incorporates a system-wide analysis of risks.

33. Many Indian banks have grown and expanded to become 'financial conglomerates' offering different financial products in different markets. These can be construed as 'domestic SIFIs'. This poses two challenges from a regulatory perspective; one, the absence of adequate legal framework and two, the limited inter-regulatory co-operation framework.

34. First, enhancing the efficiency of resolution within the existing legal and regulatory framework is one of the key responsibilities of the newly created FSDC. An important task will be the drawing up of resolution plans that explicitly take into consideration information on inter-linkages among institutions. In addition, we also need to think in terms of a mechanism similar to supervisory colleges for global SIFIs.

35. Second, the supervision of such conglomerates must start with an understanding of banks' business models and risk profiles. The Reserve Bank has carved out a 'Financial Conglomerates Monitoring Division' to institute a system of close and continuous supervision of large and systemically important banking groups. There are currently twelve institutions falling under this category, accounting for 53 per cent of total assets of the banking sector. We have also begun the application of a forward-looking approach by carrying out the stress tests under various scenarios as part of our half-yearly Financial Stability Reports. The FSDC Sub-Committee is currently engaged in developing an institutional framework for inter-regulatory co-ordination for monitoring large financial conglomerates.

Conclusion

36. The global financial crisis, as someone

said, is too important to waste. We have, of course, learnt a lot of lessons. We now know that financial markets do not self-correct and that the costs of financial destabilization can be huge. We also know that the signals of instability can be difficult to see in real time and therefore we have to be extra watchful. We are also more sensitive to the need for putting in place the quick, effective and transparent resolution systems so that the contagion can be arrested.

37. Another big lesson from the crisis has been that, even as each of us has to learn from the sum total of our collective experience, the solutions that we adopt have to be contextual and tailored to country circumstances. This is applicable to the whole gamut of regulation and supervision of financial systems including the operation of deposit insurance systems. I hope this Conference will take us closer to 'thinking global and acting local'. I wish your deliberations all success.

Empowering Deposit Insurance Entities to Face Challenges posed by an Emerging Financial Landscape – Global and Indian Experience

(Valedictory Address by Dr. K.C. Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India)

Mr. Hiroyuki Obata, Deputy Governor, DICJ, Japan, Mr. Carlos Isoard, Secretary General, IADI, Switzerland, Mr. Jerzy Pruski, President, BGF, Poland, Mr. Fred S. Carns, Director, FDIC, USA, Mr. G. Gopalakrishna, Executive Director, RBI, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, on behalf of RBI, I extend a hearty welcome to all of you to India and especially to this fascinating state of Rajasthan. We thank IADI for agreeing to hold this conference jointly with DICGC. As you are aware, DICGC entered its Golden Jubilee year on January 1, 2011. This event is being hosted as a part of the Golden Jubilee celebrations of DICGC, and hence holds a special significance for us.

Global Financial Crisis and Deposit Insurance

2. Recent global financial crisis has revealed that financial systems around the world rely on safety nets to reduce the adverse impact of financial crisis as also to prevent the re-occurrence of the crisis. During the global crisis, uncertainty triggered panic reactions and collapse of banks. Under these circumstances, deposit insurance emerged as an important part of financial safety net in arresting panic reaction. Governments across the globe took measures such as raising the deposit insurance coverage limits, providing blanket guarantees, etc. These measures restored the public confidence in banking systems. Thus, the importance of deposit insurance as a tool for preventing and mitigating the impact of financial crises as also for the smooth running of financial systems and maintaining financial stability has been fully appreciated.

3. The global financial crisis thus evoked rethinking on the role of deposit insurance systems and broader safety net issues. It is now widely felt that the important safety nets such as deposit insurance systems should play a more pro-active role in regulatory frameworks for early identification of bank failures and their effective resolution. In order to enable the deposit insurance systems to play their roles more effectively, a need has been felt for redesigning the deposit insurance systems with, inter-alia, an increased role in bank resolutions. When individual institutions fail, rather than let depositors be rescued solely by insurance cover, which is anyway not comprehensive for larger depositors, it is more effective to involve the insurer in the process right from the beginning. This will give depositors, as a stakeholder group, a voice in the process, allowing them to better protect their interests, while simultaneously increasing the capacity of the insurance scheme.

4. In the light of the above, I am happy to note that this Conference has been held on the theme "Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework – Lessons from the Crisis" which is very relevant, appropriate and timely. The experts from a number of countries have made presentations on significant sub-themes viz., critical elements in bank resolution framework, country experiences, regulators' responses and international best practices. Various aspects have been covered in this Conference such as elements of insolvency framework, cross-border insolvency framework, role of deposit insurance in bank resolution, country experiences, crisis framework, regulatory reform (Basel III), deposit insurers' response to financial crisis, review of global practices with respect to resolution framework, key attributes for bank resolution, core principles for effective deposit insurance systems and challenges to assessment of safety net framework. Several thoughts, views and experiences have been shared and discussed in this Conference by the experts and delegates, along with prescriptions for policy makers. I would like to summarise these.

Key Deliberations at the Conference

5. In this Conference, global regulatory reforms were overviewed and their impact on Asia, especially on Asian banks, was analysed. There is a need to create a buffer of capital,

improve liquidity risk management of banks, reduce their reliance on short-term wholesale funding, promote resilience through incentives for banks to fund activities with more stable sources of funding, perform the micro and macro stress testing, and create stronger capital base. The relationship between macro-prudential policy framework and deposit insurance was discussed. The issues covered a macro-prudential perspective by deposit insurers, their specific role in financial stability, funding arrangements, deposit insurance premium, coverage, and cross-border co-ordination of deposit insurance. USA (FDIC)'s experience revealed the need to restore discipline in the marketplace, allowing the failure of large financial entities if they become non-viable, necessity of cross-border co-operation for their orderly liquidation, strong capital base by banks and enforcing objective capital standards by supervisors. Other country experiences showed the need for strengthening the legal and operative tools of deposit insurers, making banking resolution simulation exercises, and regular monitoring of systemic institutions.

6. According to some other presentations, deposit insurance should be the responsible resolution agency with financial accountability and core competencies. There should be contingency planning, collaboration of authorities, ex-post funding scheme, consumer awareness, recovery and resolution plans, faster payouts, and regulatory reforms. Deposit insurer needs to have independence, quick responding ability, access to financial data, adequate funding, and legal protection. Key attributes of resolution regime were identified that would help the deposit insurers to meet their objectives. Concern was expressed on weakening of deposit insurance systems due to supervisory and regulatory lacunae, slow implementation of new measures, and apprehensions about increased moral hazards by governments.

7. FSB's work on resolution stressed the need for deposit insurers to be well connected to all aspects of the resolution framework including Information, tools, contingency planning, etc. In the context of cross-border insolvency, there should be a multi-prong policy approach comprising increasing loss absorbency, strengthening the resolution regimes, market infrastructures and supervision. Discussions also hovered around addressing systemic risks, changing role and future directions for deposit insurers, their design features and organizational issues with implications for expanded resolution role. Finally, role of Core Principles was elaborated, along with assessment challenges.

8. The deliberations and discussions in this Conference have been fruitful and have certainly provided food for thought for the policy-makers. I will now give you a snapshot of India's deposit insurance system, flag the issues in the context of the required reforms ahead and look at the way forward for the global deposit insurance systems.

India's Deposit Insurance System

9. In a country like India where there is a significant extent of financial exclusion, and small depositors are worried about safety of their funds, deposit insurance is critical for financial inclusion and plays a role of a catalyst therein. Deposit insurance also protects small depositors from strategic errors by management and wider systemic shocks. At the same time, other elements of financial safety net framework including financial regulation / supervision also work towards promoting financial inclusion. It is surprising that in India, there is inadequate awareness of the facility of deposit insurance. One reason for this could be that in India, banks are perceived to be either too-big-to-fail or impossible to fail on account of the Government or RBI backing. While this may be true for the public sector banks, it certainly does not hold good in the case of private sector banks, foreign banks operating in India and the large number of co-operative banks.

10. Let me give you a broad overview of the deposit insurance system in India. India's Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) was set up way back in 1962 as per the provisions of an Act of Parliament, i.e., DICGC Act, 1961. It is the second oldest ongoing deposit insurance agency in the world. DICGC is a wholly-owned subsidiary of India's central bank, viz., Reserve Bank of India. It is virtually a Pay-Box System

as its role is limited to settlement of claims as per extant rules and regulations. Table 1 would give you an idea of the magnitude of claim settlement operations of DICGC. DICGC's Mission is 'To contribute to financial stability by securing public confidence in the banking system through provision of deposit insurance, particularly for the benefit of the small depositors'. Its Vision is 'To be recognized as one of the most efficient and effective deposit insurance providers, responsive to the needs of its stakeholders'. All commercial banks and eligible co-operative banks are covered under deposit insurance. The number of banks registered with DICGC as on March 31, 2011 stood at 2,217. The insurance coverage is INR 0.1 million per depositor (about US$ 2,240). About 93 per cent of deposit accounts by number and 35 per cent of deposits by value are covered under deposit insurance (Table 2). This coverage stands at 1.6 times India's per capita GDP as on March 31, 2011. The insurance premium is charged at a flat rate. It may be mentioned that the banking sector in India remained largely buffered from the recent global financial crisis and as such, post-global financial crisis, there is no change in the insurance coverage and the rate of premium.

Table 1: Bank Failures and Claims Paid by DICGC

Year	No. of Failed Banks*	Claims Paid (Amount in US$ million)
2007-08	22	40
2008-09	30	45
2009-10	28	145
2010-11	28	89

***** All the banks were urban co-operative banks.
DICGC settles claims upon liquidation of a bank.

Table 2: Deposit Distribution *vis-à-vis* Insurance Coverage

Particulars	As at the end of 2010-11 (April-March)	
	Number of Accounts (in million)	Value (in INR billion)
1. Deposits from INR 0 to INR 0.1 million	977	17,358 (389)
2. Deposits from INR 0.1 million to total	75	32,166 (720)
3. Aggregate Deposits	1,052	49,524 (1,109)

Notes: 1. Data in brackets are in US$ billion.
2. Maximum insurance coverage level is INR 0.1 million.

11. I would like to inform you that an Assessment Team comprising representatives of IADI and IMF visited DICGC at end-September 2010 to undertake a field test of the Draft Assessment Methodology for the Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. According to the Report of the team, DICGC is compliant or largely compliant with about half of the eighteen Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. In its "paybox" function, the DICGC is fully or largely compliant on all Core Principles. However, weaknesses in the overall insolvency framework that are outside the control of the DICGC makes overall compliance with many Core Principles limited.

12. On the eve of the Golden Jubilee, DICGC has initiated measures to enhance public awareness on deposit insurance through printing of brochures and posters and communication to the insured banks to spread awareness by displaying information about DICGC in all bank branches. The Corporation is also trying to roll out depositor-centric tools such as Integrated Claims Management System (ICMS) for capturing more accurate and up-to-date information on deposits that would aid in faster settlement of claims.

Reforms in Deposit Insurance System

13. I now turn to the reforms required to be made in India's deposit insurance system and flag the issues therein. First, the recent crisis has shown that deposit insurers should play a proactive role in regulatory frameworks for early identification of bank failures and their effective resolution with the aim of protecting their funds and maintaining public confidence. Therefore, it is necessary to broaden the mandate of DICGC from pay-box (to pay the claims of depositors to the extent and in the manner stipulated in the law) to attending all aspects of bank resolution, not only as part of the liquidation process, but in monitoring of banks, prompt corrective action and finding and implementing the least cost method of resolution of troubled banks. This would lead to faster settlement to depositors, lower costs and higher speed of resolution with associated benefits for the stability of the financial system. The ultimate way-out is to put in place a clearly defined bank solvency regime and a

properly designed resolution process. Second, RBI should have powers to resolve a bank before insolvency. A special bank resolution legislation is needed to expand resolution powers. Also, a legislation is needed for appointment of temporary administrator. Third, for depositors of failed banks to maintain confidence in banking system, it is essential to provide depositors quick access to their funds. Therefore, DICGC needs to look into ways to expedite reimbursement to depositors. This requires technology upgradation, including the adoption of CBS by all urban co-operative banks (UCBs) and an effective interface between the DICGC and banks' Core Banking Solutions (CBS) to access depositor databases. Moreover, deposit insurers should be informed sufficiently in advance of the conditions under which a reimbursement may be required and be provided with access to depositor information in advance. Fourth, it is necessary to increase the coverage limit that has remained unchanged at INR 0.1 million since 1993. The increase in deposit insurance coverage has also been alluded to in the recent Damodaran Committee report on Customer Service. Fourth, due to the dual nature of control over co-operative banks and low level of technology deployed in these banks, there are delays in receiving information regarding depositors. Also, there are delays in appointment of liquidators. Currently, DICGC, has little powers over liquidators to expedite the collection of information. The process can be expedited if liquidators provide the information within a shorter time-frame. Therefore, it will be beneficial to grant DICGC the power to appoint and monitor liquidators. Fifth, for maintaining depositors' confidence, the deposit insurer should have sufficient funds available to fulfil its mandate. The financial position of DICGC needs to be strengthened with appropriate arrangements for back-up funding. About half of the premium income of DICGC, which is its main source of funds, is paid as income tax to Government. Since DICGC is a non-profit organisation serving social obligations of protection of small depositors, it should be exempted from payment of tax, as is done globally. The tax exemption would enable DICGC to build up its fund base and thereby provide higher coverage to depositors and even pass on the benefits to insured banks by reducing the rate of premium, after the desired reserve ratio is attained. Sixth, global crisis has shown that deposit insurer does need assistance from government/central bank in case of any systemic crisis and the required amount is unpredictable. The back-up funding to DICGC from RBI is a small amount (INR 50 million). Therefore, it would be ideal if availability of back-up support can be made unlimited and with a quick approval process. Seventh, DICGC has been having a flat rate premium system. This could be replaced by a risk-based differential premium system. The latter would reduce moral hazard and bring greater fairness in the premium assessment process.

14. For redesigning India's deposit insurance system by making many of the requisite reforms as discussed above, it would be necessary to make thorough changes in the DICGC Act. A Working Group on Reforms in Deposit Insurance, including Amendments to DICGC Act, has been set up by us which would be looking into these aspects.

Global Deposit Insurance Systems: Policy Issues and the Road Ahead

15. The session on 'Critical Elements in Bank Resolution Framework' presented, apart from the elements on insolvency framework, the cross-border insolvency framework and role of deposit insurance in bank resolution. For prevention/insulation of an economy from financial crisis, deposit insurance systems across the globe need to be a more integral part of the overall safety net framework. In this context, there is a need to broaden the mandate of deposit insurers for effective resolution of banks of all sizes, as also to initiate preventive action and risk minimization. It is also necessary to give powers to deposit insurers to fulfil their mandates. An effective bank resolution process with participation of deposit insurers would facilitate the ability of deposit insurers to meet their obligations, minimize resolution costs as well as disruption in markets, maximize recoveries on assets, reinforce discipline through legal actions and set up flexible mechanisms such as those facilitating bank acquisitions.

16. It is imperative to create an enabling

national legal architecture for effective and timely functioning of the failure resolution framework, which would permit orderly liquidation of banks and timely payout and transfer of insured deposits. Deposit insurer should have effective resolution tools designed to help preserve critical bank functions, achieve transfer of accounts or assets/businesses and/or maintain continuity of banking services. It would be necessary to establish such resolution procedures which will allow flexibility for resolution at a lesser cost than otherwise likely during depositor reimbursement due to liquidation. It is essential to equip the deposit insurer with the powers to provide for transfer of insured deposits to stronger banks. Resolution procedures should clearly ensure that first, the banks' shareholders take the losses. Deposit insurers should share in the proceeds of recoveries.

17. A framework needs to be in place for close co-ordination and information sharing (on routine basis as also regarding banks in financial difficulty) among the deposit insurer and other financial system safety-net participants. Such information should be accurate and timely. Regarding cross-border issues, while ensuring confidentiality, all relevant information should be exchanged between deposit insurers in different jurisdictions and possibly between deposit insurers and other foreign safety-net participants, when appropriate. Depositors in the jurisdictions affected by cross-border banking arrangements should be provided with the information on deposit insurance system legally responsible for reimbursement and the limits and scope of coverage. Where a deposit insurer perceives a real risk that it may be required to protect depositors in another jurisdiction, it should have contingency planning that allows for cross-border arrangements or agreements.

18. With increasing global financial integration, consistency in the basic principles that guide deposit insurance is essential for maintaining a level playing field internationally. In this context, information exchange among deposit insurers gains importance. Today, there are a large and growing number of cross-border financial institutions functioning across multiple deposit insurance jurisdictions. There is a need for clarity regarding the obligation of each deposit insurer in respect of each cross-border institution. While the 'Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems' state that the deposit insurance already provided by the home country system should be recognised in the determination of levies of premium, there is a need for a firm and shared understanding on this.

19. Sessions on country/regional experiences by US, Europe, Asia and Latin America show that there is a large diversity in the deposit insurance systems, legal frameworks, efficiency, mandates, economic and banking environments in these economies. My view is that diversity does not mean adversity. The deposit insurance systems across the globe should make earnest efforts to comply with IADI's Core Principles on Effective Deposit Insurance Systems'. Core Principles outline the guiding framework for deposit insurance systems and incorporate inherent flexibility. Compliance to them does not forbid countries from making their own tailor-made systems. The presentations and discussions in this Conference on cross-country experiences would certainly help all of you to utilise this knowledge in attaining your goals.

20. The Session on Regulators' Response covered the crisis framework, Basel III – global perspectives and challenges to implementation, and deposit insurers' response to financial crisis. The regulator's policies/actions should always be such that these facilitate the deposit insurer's job, which will ultimately help in preventing/curing the crisis as also attain financial stability and inclusion. Well-crafted regulatory reforms will always make the financial systems immune, adaptable and complementary to deposit insurers' aims and operations. Close and continuous co-ordination between the two is a sine qua non. As regards deposit insurer's response to financial crisis, I would like to say that a deposit insurer, in collaboration with the regulator, should develop an advanced sensory system for early detection of crisis and excellent contingency planning with adequate funds on demand so as to nip the crisis in the bud and safeguard depositors' interests. The adequacy of deposit insurance funds and the financial strength of deposit insurers to meet their obligations during financial crises

requires specific attention in the light of the global events of the recent past.

21. The Session on Bank Resolution Framework - International Best Practices has covered global practices with respect to bank resolution, key attributes for bank resolution and Core Principles. These best international practices would act as good benchmarks for you. You would know what is best and where do you stand, accordingly how far you have to march ahead and in which direction.

Conclusion

22. I conclude with an appeal to all of you to work upon your deposit insurance systems to make them ideal by creating an environment comprising good bank regulation and supervision, sound governance of safety net agencies, strong legal framework and strong accounting and disclosure regimes. Avoid moral hazards, have a specified mandate and necessary powers, build up sound governance, have appropriate interaction with other safety net participants, make banks' membership compulsory, build up strong and quick funding mechanisms, create public awareness and make the resolution process effective.

23. I am sure that this Conference has given you valuable inputs and the knowledge gained through the discussions on crucial aspects in this Conference will be utilized by all the delegates for attaining the best outcomes in their countries so as to make their safety nets and deposit insurance systems ideal and insulating their economies from any financial and systemic disturbances in future. My best wishes for all your endeavors.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2012

(Submitted in terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

PART I: OPERATIONS AND WORKING

1.1 REGISTRATION / DE-REGISTRATION OF INSURED BANKS

The number of registered insured banks as on March 31, 2012 stood at 2,199 comprising 87 commercial banks, 82 regional rural banks (RRBs), 4 local area banks (LABs) and 2,026 co-operative banks. Year-wise and category-wise particulars showing the number of registered banks since inception of the deposit insurance in 1962 are furnished in ***Annex I and II***. During the year 2011-12, 6 commercial banks and 1 co-operative bank were registered as insured banks and 1 commercial bank and 24 co-operative banks were de-registered, the details of which are furnished in ***Annex III***.

1.2 EXTENSION OF DEPOSIT INSURANCE SCHEME

At present, the deposit insurance extended by the Corporation covers all commercial banks, including LABs and RRBs, and co-operative banks in all the States and Union Territories (UTs). During the year, deposit insurance cover was extended to the UT of Chandigarh, which has one co-operative bank. UTs of Lakshadweep and Dadra and Nagar Haveli do not have any co-operative bank.

1.3 INSURED DEPOSITS

The number of accounts and the amount of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection accorded to depositors at the end of 2010-11 and 2011-12 are furnished in Table 1.

The extent of protection accorded to depositors since the introduction of deposit insurance and bank group-wise break-up for last three years are furnished in ***Annex IV and V***, respectively. Extent of protection accorded to the depositors over the years is shown in Chart 1. The current level of insurance cover at ₹0.1 million (₹1 lakh) works out to 1.64 times per capita GDP as on March 31, 2012.

Table 1: Insured Deposits*

Particulars		As at the end of	
		2010-11	2011-12
1	Total no. of Accounts (in million)	1,051.60	1,073.00
2	Fully Protected Accounts (in million)	976.90	996.00
3	Percentage of 2 to 1	92.9	92.8
4	Assessable Deposits (₹ in billion)	49,524.27	57,674.00
5	Insured Deposits (₹ in billion)	17,358.00	19,043.00
6	Percentage of 5 to 4	35.0	33.0

* Based on returns as on 30th September of the previous year.

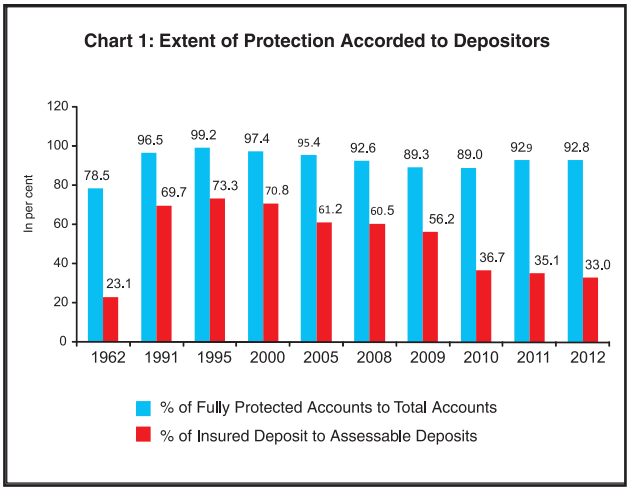

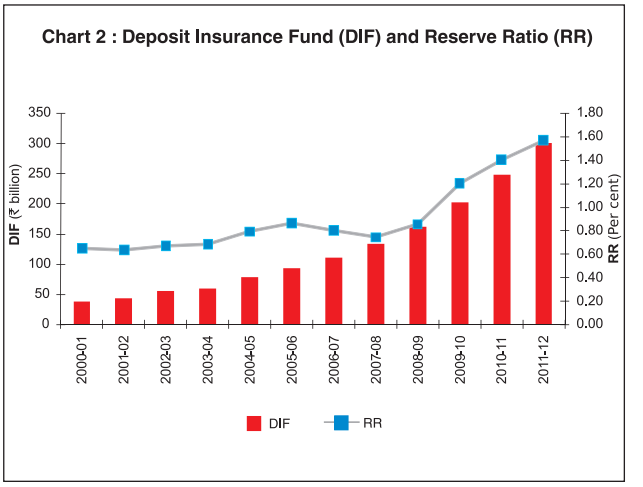

1.4 DEPOSIT INSURANCE PREMIUM

1.4.1 The bank category-wise break-up of premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during 2010-11 and 2011-12 is presented in Table 2. Premium received from banks increased by 16.4 per cent during the year.

Table 2: Premium Received

(₹ million)

Year	Commercial Banks including LABs & RRBs	Co-operative Banks	Total
2010-11	44,884	3,558	48,442
2011-12	52,591	3,807	56,397

1.4.2 PENAL INTEREST ON DELAYED PREMIUM

In terms of Section 15(3) of DICGC Act, 1961, if any insured bank makes default in payment of any amount of premium, it shall, for the period of such default, be liable to pay to the Corporation interest on such amount at such rate not exceeding eight per cent over and above the Bank Rate, as may be prescribed. Further, in terms of Section 20 of the DICGC General Regulations, 1961, the rate of interest is fixed at 8 per cent above the Bank Rate. With the increase in Bank Rate from 6 per cent to 9 per cent, the rate of penal interest was revised to 17 per cent.

1.5 DEPOSIT INSURANCE FUND

The Deposit Insurance Fund (DIF) is sourced out of the premium paid by the insured banks and the coupon income received from (and reinvested in) the Central Government securities. There is also an inflow of small amounts into this fund out of the recoveries made by the liquidators / administrators / transferee banks. Thus, the Corporation builds up its DIF through transfer of excess of income over expenditure each year. This fund is used for settlement of claims of depositors of banks taken into liquidation / reconstruction / amalgamation, etc. The size of DIF is ₹300,930 million including surplus of ₹253,253 million as on March 31, 2012 implying a Reserve Ratio (ratio of Deposit Insurance Fund to Insured Deposits) of 1.6 per cent. Trend in reserve ratio since 2000-01 is furnished in Chart 2.

1.6 SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

During the year 2011-12, the Corporation settled aggregate claims for ₹2,873 million in respect of 58 co-operative banks (18 main claims and 40 supplementary claims) as detailed in ***Annex VI***. There was no claim from commercial banks.

State-wise number of failed banks along with the amount of claims settled for the year 2011-12 is furnished in Chart 3. Majority of the claims were from banks in Gujarat and Maharashtra.

A provision of ₹7,835 million was held towards the estimated claim liability in respect of 190 banks which are under amalgamation/ liquidation and whose licence / application for licence to carry on banking business has been cancelled / rejected by Reserve Bank of India.

During the year 2011-12, the Corporation made efforts to settle claims that were pending for a long time. The total number of pending claims (where an order for liquidation has been issued but the liquidator has not submitted claim list to the Corporation) has come down from 38 as on March 31, 2011 to 32 as on March 31, 2012 showing about 16 per cent decline during the year. During the year, the Corporation has settled the claim of Hubli Dharwad Urban Co-operative Bank Ltd., which was under liquidation for more than twelve years involving ₹18 million. Claim lists of three more banks involving ₹66.3 million which were pending for more than 7 years were also settled by the Corporation. The age-wise break-up of banks under liquidation where the liquidators are yet to submit the claim lists to the Corporation is given in Table 3.

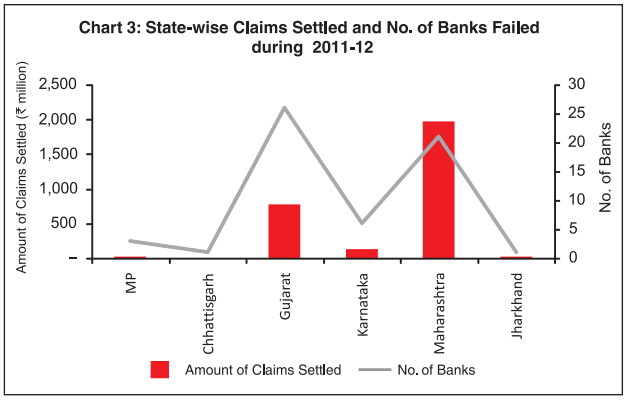

The average period for settlement of claims increased marginally to 52 days from 49 days (Table 4).

Table 4: Average Period for Settlement of Claims

Financial Year	Average Number of Days for Claim Settlement
2007-08	53
2008-09	43
2009-10	54
2010-11	49
2011-12	52

1.7 TOTAL CLAIMS SETTLED / REPAYMENTS RECEIVED

Upto March 31, 2012, a cumulative amount of ₹2,959 million was paid and provided towards claims in respect of 27 commercial banks since the inception of deposit insurance (Chart 4). Cumulative repayment received in case of commercial banks from the liquidators

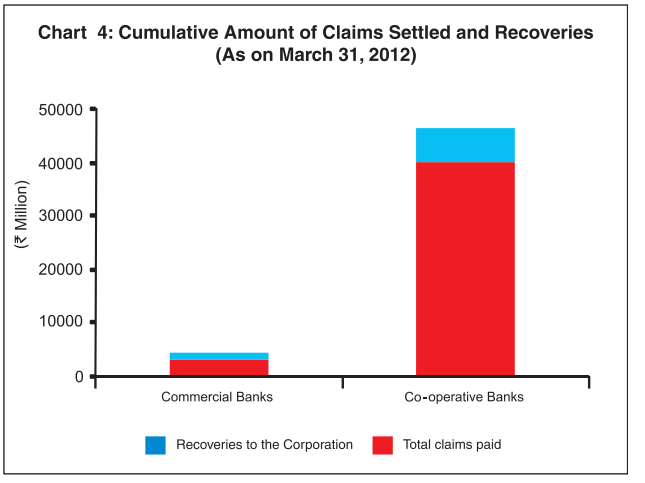

Table 3: Position of Age-wise Break-up of Pending Claims

Pending Claims	Age-wise break-up				
	More than 10 years old	5-10 years old	1-5 years old	Less than 1 year old	Total number of Claims
As on March 2011	2	12	14	10	38
As on March 2012	1*	10	12 #	9	32

* The bank is in the process of converting itself into a co-operative society.
# One bank out of 12 banks has since merged with another co-operative bank.

/ transferee banks aggregated ₹1,390 million (including ₹19.08 million received during 2011-12).

The cumulative amount of claims paid / provided in respect of 302 co-operative banks since inception amounted to ₹40,090 million (including ₹2,870 million paid during the year 2011-12). In the case of co-operative banks, cumulative repayments received from the liquidators / transferee banks aggregated ₹6,360 million (including ₹801.88 million received during the year 2011-12). The particulars of banks in respect of which claims have been paid / provided for and repayments received / written off till March 31, 2012 are furnished in ***Annex VII.***

The details of banks for which provision for settlement of claims as on March 31, 2012 is made are presented in ***Annex VIII.*** Number of liquidated banks along with amount of claims settled from 1999 onwards is shown in Chart 5.

1.8 COURT CASES

As on March 31, 2012, the number of court cases relating to deposit insurance activity of the Corporation, pending in various courts stood at 188 as against 201 cases as at the end of March 2011. Out of 188 cases, 32 were filed by the Corporation and 156 were filed against the Corporation. Court-wise break-up of cases is given in Chart 6.

There has been substantial increase in the number of court cases since the year 2001-02. The number of such cases has gone up from 10 as on March 31, 2002 to 188 as on March 31, 2012 (Table 5). This has been on account of large number of banks placed under liquidation or directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 by RBI, resulting in restrictions on withdrawal of deposits. Aggrieved with non-payment of deposits, depositors approach Consumer Courts and implead the Corporation as one of the respondents. Sometimes, such cases have been filed before liquidation of the banks or submission of claim list by the liquidators in which the Corporation is not liable to pay any amount to the depositors. The issues raised in the cases mainly relate to payment of amounts in excess of maximum permissible limit or those inadmissible under DICGC Act, 1961, dispute over Corporation's preferential right of repayment in terms of Section 21 of DICGC Act 1961 read with Regulation 22 of DICGC General Regulations, 1961, payment of claims when a bank is placed under direction, etc.

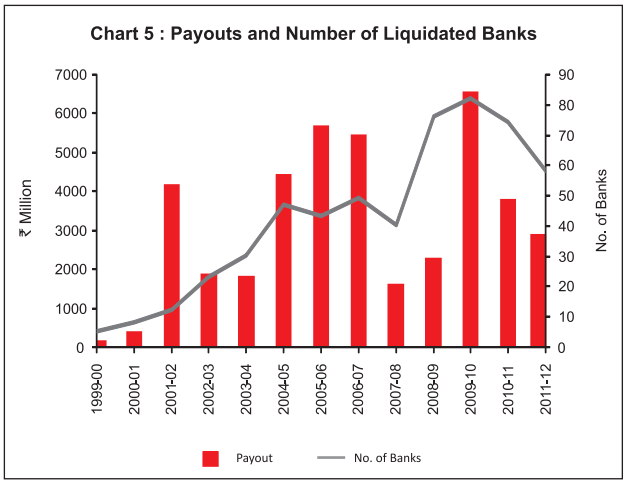

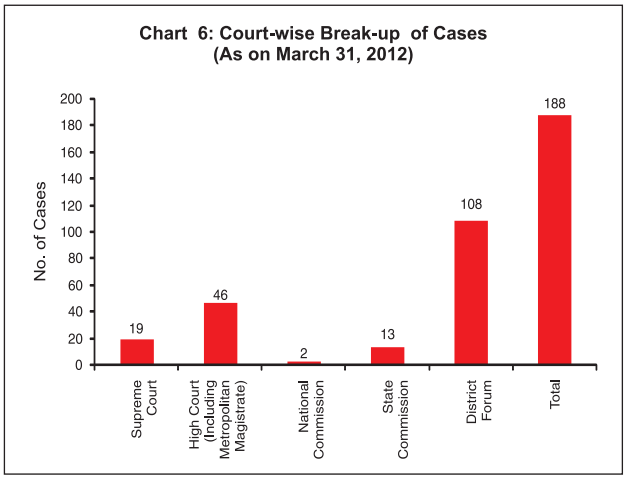

Table 5: Number of Court-Cases

As at End-March	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
No. of Cases	10	66	89	126	126	128	124	122	174	201	188

1.9 CREDIT GUARANTEE SCHEMES

As on March 31, 2012, no credit institution was participating in any of the credit guarantee schemes of the Corporation. Subsequent to 2003-04, no guarantee fees on guarantee claims have been received and no claims have been paid (***Annex IX***).

By virtue of Corporation's subrogation rights, recoveries received under the Small Loan Guarantee Scheme 1971 during 2011-12 aggregated ₹2.2 million as against ₹18.3 million received during the previous year. The recoveries under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 aggregated ₹1.0 million as against ₹2.8 million received during the previous year.

PART II: RECENT POLICY INITIATIVES

2.1 EXPEDITIOUS SETTLEMENT OF DEPOSIT INSURANCE CLAIMS

The Corporation has been adhering to the statutory requirement of settling deposit insurance claims within two months of submission of claim list by liquidators. However, it has been observed that in certain cases, at times, the liquidators had not submitted the claim list for long period, although the stipulated period for submission of claims was three months in terms of Section 17(1) of DICGC Act, 1961. The Corporation has therefore prescribed comprehensive guidelines in order to expedite settlement of old claims.

2.2 DIRECT PAYMENT TO DEPOSITORS THROUGH "AGENCY" ARRANGMENTS WITH PUBLIC SECTOR BANKS

The Corporation has been paying the claims of the depositors through liquidators. Based on the feedback and suggestions from several consumer protection fora and in the interest of depositors, the Corporation has reviewed the manner of payment to the depositors. Therefore, in pursuance of its policy of providing depositors of banks under liquidation prompt access to their insured funds and in accordance with its e-governance policy, it has been decided to make payment to the depositors directly through "agency" arrangements with a few public sector banks. Under the Scheme, the payments will be made by the agency banks through combination of the following three scenarios to ensure 100 per cent coverage of the depositors:

i. Direct remittance through core banking system (CBS) for those who hold accounts with the bank.

ii. Remittance through national electronic fund transfer (NEFT) for those who hold account with other banks.

iii. Payment through prepaid / preloaded cards to those depositors who do not hold a bank account and also do not wish to open an account.

The liquidator would continue to provide support to the Corporation by preparing the claim list capturing all the information necessary for electronic payment of the deposit amount. The scheme will be implemented on pilot basis in Maharashtra during 2012-13 and extended to other states in due course.

2.3 SUBMISSION OF SUPPLEMENTARY CLAIMS - "SUNSET" CLAUSE

Prior to April 2007, the joint accounts (AB & BA) in a bank under liquidation were aggregated as one account held "in the same capacity and in the same right" and the claim amount was settled by the DICGC subject to the limit (₹0.1 million) as prescribed in Section 16(1) of the DICGC Act, 1961. With effect from April 26, 2007, these joint accounts were treated as held in "different capacity and different right" and claim amounts were settled treating each account as a separate account. Additional claims arising on account of the revised guidelines as submitted by the liquidators of banks in the form of supplementary claims were settled by the Corporation from time to time. Subsequently, the benefits were also extended to banks taken up for liquidation prior to April 26, 2007.

On a review of its guidelines on settlement of supplementary claims, it has been decided to introduce the "Sunset" clause in terms of which the liquidators would be allowed to submit the supplementary claims in respect of joint accounts held on AB/BA basis in co-operative banks taken up for liquidation

prior to April 26, 2007 for one more year only, i.e., up to March 31, 2013. No supplementary claims submitted after March 31, 2013 would be considered by the Corporation. The Press Release in this regard has been placed on the website of the Corporation and Reserve Bank of India.

2.4 REDUCTION IN TIME FOR REFUNDING UNDISBURSED AMOUNT BY LIQUIDATORS

In the case of urban co-operative banks under liquidation, the claims of depositors are disbursed through the liquidators appointed by the Registrar of Co-operative Societies in the States. Undisbursed / unclaimed amount keeps lying with liquidators out of claims settled amount by Corporation. DICGC took initiative in the matter and devised a format of demand notice to be served upon the liquidators defaulting in refunding the undisbursed amount to the Corporation. Demand notices were issued to the defaulting liquidators.

The Corporation has also decided with effect from June 1, 2012 to reduce the time period for refund of amount remaining undisbursed with liquidator from 6 months to 4 months from the date of release of depositors' claim amount by Corporation. This would be implemented after giving notices to Registrar of Co-operative Societies of all States and issuing circular to all liquidators.

2.5 INVESTMENT MANAGEMENT GUIDELINES

The existing risk management framework and investment management guidelines as approved by Board were effective up to March 31, 2011. The Board of the Corporation in its meeting held on March 12, 2012 approved the revised guidelines for the financial year 2012-13. The following major changes were brought about in the revised guidelines :

(i) The scope of the Investment Management Committee has been widened to include the risk management functions and the committee has been renamed as Investment and Risk Management Committee.

(ii) The portfolio of the Corporation has been divided in two parts – Liquid Portfolio and Long Term Portfolio. While Liquid Portfolio would consist of securities maturing in next one year and the two most traded securities, the Long Term Portfolio would consist of all the remaining securities. To contain the market risk in Long Term Portfolio, its duration has been benchmarked with the CASBI (CCIL All Sovereign Bond Index) duration. The revised Guidelines stipulate that the duration of the Long Term Portfolio shall be within CASBI Duration +/- 50 basis points (as against CASBI Duration +/-25 bps hitherto).

(iii) As in the earlier guidelines, the VaR of the portfolio shall be continued to be computed by historical method at 99 per cent confidence level over time horizon of one year. However, an annual back testing exercise has been stipulated in the revised guidelines to check the accuracy of VaR model.

(iv) To take care of concentration risk, it has been stipulated that investment in any four securities shall not be more than 20 per cent of the entire portfolio.

(v) The revised Guidelines propose stress testing of the portfolio with respect to liquidity risk and ALM mismatch as fixed by the Investment and Risk Management Committee.

(vi) Parameters for operational risk have been included in the revised Guidelines. Now the dealers would be required to go on leave (excluding casual leave and special sick leave) for a minimum period of 10 days in a year.

The Guidelines primarily aim at safety and liquidity of the deposit insurance fund. Therefore, no target returns have been fixed for the Treasury. However, returns of the Long Term Portfolio have been benchmarked to the CASBI Total Return Index (TRI). The Corporation being a subsidiary of the Reserve Bank, the Guidelines prohibit the dealers from taking a view on the interest rate movement. Within the given framework of the liquidity

and risk, the Corporation will try to generate superior returns without resorting to any speculative activity.

2.6 TREASURY MID OFFICE

In October 2011, with a view to improving the functioning of Treasury, a Mid Office, was created. The Mid Office carries out monitoring of risk control limits, rate reasonability of the deals, study of markets, identification of new risks, etc. and submits weekly reports on the above aspects.

2.7 COMPUTATION OF ASSESSABLE DEPOSITS: CERTIFICATE BY STATUTORY AUDITORS

It was observed that the assessable deposits were not being computed correctly by many insured banks leading to disagreement between the reported and audited deposit figures. It has, therefore, been decided that the computation of assessable deposits and premium should be verified by Statutory Auditors of the insured banks based on guidelines issued by the Corporation and a certificate submitted to the Corporation on annual basis with effect from the year ended March 31, 2012. In this regard, a circular on 'Rationalisation of Deposit Insurance Returns - Submission of Certificates by Statutory Auditors' was issued by the Corporation in September 2011.

2.8 MEETINGS WITH THE PRINCIPAL SECRETARY (COOPERATION) AND RCS OF STATE GOVERNMENTS AND WORKSHOP FOR LIQUIDATORS

During the year under review, high level meetings were arranged between Executive Director of the Corporation, Executive Director in-charge of Urban Banks Department, RBI and Principal Secretary, Cooperation / Registrars of Cooperative Societies of four states, viz. Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat and Maharashtra, which cover majority of liquidated urban co-operative banks where Corporation has settled the claims of depositors. During these meetings, important issues such as non-refund of undisbursed amount, non-submission / delayed submission of statements / returns to the Corporation, slow progress in liquidation process and non-repayment of Corporation's share in recoveries by the liquidated urban co-operative banks were discussed.

Along with the high level meeting, workshops were also organised for liquidators of banks in these states to sensitise them regarding importance of timely submission of returns/statements to enable corporation to monitor the liquidation process. Liquidators were also impressed upon for refund of undisbursed amount within stipulated time schedule and timely repayment of dues of the corporation out of recoveries made by them during liquidation process.

2.9 STUDY ON COMPUTATION OF LIABILITY ON ACTUARIAL BASIS

The Corporation has engaged the services of National Insurance Academy (NIA), Pune to conduct a study on the 'Computation of Liability of the Corporation on Actuarial Basis'. As a part of the study, NIA would also develop a model for estimating deposit insurance liabilities of the Corporation after studying the models used internationally and recent developments in domestic as well as international markets. The model would be validated with the help of suitable statistical tests.

PART III: STATEMENT OF ACCOUNTS[1]

3.1. INSURANCE LIABILITIES

(a) During the year 2011-12, an amount of ₹2,873.12 million (₹3,789.45 million) was paid towards insurance claims indicating a decline of 24.18 per cent. The ascertained liabilities towards deposit insurance claims outstanding as on March 31, 2012, have been estimated at ₹6,885.46 million (₹5,615.71 million), indicating an increase of 22.61 per cent.

(b) The **Balance of Fund (*i.e.*, actuarial liability)** as at the end of the year under review stood at ₹47,677.60 million (₹37,736.00 million) as per assessment by approved Actuaries M/s. K. A. Pandit & Co.

1 Figures in bracket pertain to the previous year.

(c) There is no likely claim liability in respect of the Credit Guarantee Fund.

3.2. REVENUE DURING THE YEAR

(a) The pre-tax **revenue surplus in the DIF** during the year 2011-12 decreased by ₹1,442.73 million from ₹61,452.16 million to ₹60,009.43 million, *i.e.*, by 2.4 per cent. This was mainly on account of increase in net actuarial liability charged to revenue by ₹4,951.30 million, increase in net claims by ₹1,859.11 million, increase in depreciation on investments by ₹3,433.17 million, decrease in recovery by ₹783.18 million, decrease in interest on IT refund by ₹1,210.11 million and payment of service tax of ₹2,681.62 million for the first time which was offset by increase in premium income by ₹7,955.49 million and increase in income from investments by ₹5,520.27 million.

(b) The pre-tax revenue surplus in the CGF during 2011-12 decreased by ₹13.01 million, *i.e.*, by 6.98 per cent over the previous year from ₹186.24 million to ₹173.23 million. This was mainly on account of increase in depreciation on investments by ₹23.07 million, decrease in recovery by ₹17.85 million, decrease in interest on IT Refund by ₹5.36 million offset by an increase in income from investments by ₹33.27 million.

(c) The pre-tax **revenue surplus in General Fund** for the year under review was ₹0.63 million as against revenue surplus of ₹161.51 million representing a decrease of 99.6 per cent over the previous year. This was mainly on account of decrease in income from investments by ₹99.53 million, increase in depreciation on investments by ₹78.04 million, increase in staff cost by ₹5.84 million, increase in expenses on printing, stationery & computer consumables by ₹4.46 million, offset by decrease in travelling and halting expenses by ₹27.47 million .

3.3. ACCUMULATED SURPLUS

As on March 31, 2012, the accumulated surpluses/reserves (post tax) in the DIF, CGF and GF stood at ₹253,252.71 million (₹209,299.94 million), ₹3,000.61 million (₹3,103.30 million), and ₹4,303.15 million (₹4,382.79 million), respectively.

3.4 INVESTMENTS

The book (at cost) value of investments of the three Funds, viz., DIF, CGF and GF stood at ₹3,20,203.70 million (₹2,65,816.65 million), ₹3,803.97 million (₹3,592.24 million) and ₹5,410.09 million (₹5,310.97 million), respectively, as at the end of year. The accumulated depreciation in the value of Investments in the above three funds at ₹13,662.60 million (₹8,675.53 million); ₹495.20 million (₹398.27 million) and ₹631.50 million (₹519.62 million), respectively as on March 31, 2012 have been fully provided for under Investment Reserve.

3.5. TAXATION

3.5.1 Income Tax

As on March 31, 2012, the accumulated balance in advance income tax account in respect of DIF, CGF and GF stood at ₹60,525.01 million (₹92,059.43 million), ₹303.70 million (₹2,151.68 million) and ₹209.46 million (₹339.49 million), respectively. The accumulated balance in provision for taxation account in the DIF, CGF and GF stood at ₹52,647.06 million (₹89,059.37 million), ₹431.41 million (₹2,059.04 million) and ₹57.36 million (₹121.42 million), respectively, as on that date. Balance in the accounts has come down as the amount outstanding in the accounts for assessment years 2001-02, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10 has been appropriated to Reserves and Surplus.

3.5.2 Service Tax

From September 2011, Ministry of Finance, Government of India has imposed service tax on the premium collected by the Corporation from banks stating that the insurance activity of DICGC would fall under the ambit of Section 65(105)(d) of the Finance Act, 1994 and is, therefore, chargeable to service tax. Accordingly, the Corporation has obtained service tax registration and paid service tax amounting to ₹2,900 million and ₹3,430 million for the premium due on October

1, 2011 and April 1, 2012, respectively. There will be an outflow of an amount equivalent to 12.36 per cent of the premium per year, which will have impact on the surplus generated. The Corporation is already paying Income Tax on the premium and investment income.

PART IV: TREASURY OPERATIONS

4.1 In terms of Section 25 of the DICGC Act, 1961, the Corporation invests its surplus in the Central Government Securities. The overall size of the investment portfolio of the Corporation stood at ₹329.42 billion as on March 31, 2012 representing an increase of ₹54.70 billion (19.91 per cent) over the previous year. The portfolio generated coupon yield of 7.92 per cent during the year. After adjusting the depreciation on investment, the time weighted average return of the portfolio stood at 6.40 per cent for the year 2011-12.

4.2 The Central Government securities are valued at model prices published by FIMMDA. While the appreciation is ignored, the depreciation is being fully provided for and booked under the Investment Reserve (IR). As on March 31, 2012, the balance in IR was ₹14.79 billion. Further, the Corporation maintains the Investment Fluctuation Reserve (IFR) as a cushion against market risk. As on March 31, 2012, the amount maintained in IFR was ₹12.16 billion against the market risk of ₹11.84 billion (calculated under Standardised Duration method). The Modified Duration of the portfolio was 5.87 as on March 31, 2012.

PART V: ORGANISATIONAL MATTERS

5.1. BOARD OF DIRECTORS

The general superintendence, direction and the management of the affairs and business of the Corporation vest in a Board of Directors which exercises all powers and does all acts and things which may be exercised or done by the Corporation.

5.1.1 In terms of Regulation 6 of the DICGC General Regulations, 1961, the Board of Directors of the Corporation is required to meet ordinarily once in a quarter. During the year ended March 31, 2012 four meetings of the Board were held.

5.1.2 NOMINATION/RETIREMENT OF DIRECTORS

Dr. Prakash Bakshi (Chairman, NABARD) was nominated on the Board of the Corporation on August 19, 2011 under Section 6(1)(d) of the DICGC Act 1961. Shri Kamlesh Vikamsey was appointed as Director on September 05, 2011 under Section 6(1)(e) of the DICGC Act 1961. Prof. G. Sivakumar was appointed as Director on September 20, 2011 under Section 6(1)(e) of DICGC Act, 1961. Shri B.L Patwardhan was appointed as Director on October 12, 2011 under Section 6(1)(d) of DICGC Act, 1961. Shri M. Ramadoss, Director and also a member of the Audit Committee of the Board (ACB) resigned from the Board of the Corporation and ceased to be a Director with effect from October 14, 2011.

5.2 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

Consequent upon the nominations of Shri Prakash Bakshi and Shri Kamlesh Vikamsey on the Board of the Corporation, the ACB was reconstituted as follows:

1. Shri. Kamlesh Vikamsey	Chairman
2. Shri Prakash Bakshi	Director
3. Dr. Shashank Saksena	GOI nominee Director
4. Shri G.Gopalakrishna	Director

During the year ended March 31, 2012 four meetings of the Audit Committee of the Board were held.

5.2.1 IT Committee

A Board-level sub-committee to deal with information technology (IT) related issues was constituted in December 2011. The composition of the same was as under:

1. Prof. G. Sivakumar	Chairman
2. Shri Kamlesh Vikamsey	Member
3. Shri G. Gopalakrishna	Member
4. Dr. A. S. Ramasastri	Invitee

So far, one meeting of the IT Committee has been held in March 2012.

5.3 INTERNAL CONTROLS

5.3.1 BUDGETARY CONTROL

The Corporation has devised a system of exercising control over revenue and expenditure under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund (DIF), Credit Guarantee Fund (CGF) and General Fund (GF). The yearly budget for the expenditure under DIF and GF are prepared by the Corporation, based on various parameters, viz., cancellation of licence / liquidation of insured banks, staff and establishment related payments etc. The budget is approved by the Board before commencement of each accounting year. Estimates of receipts under the three funds, viz., premium receipts, recoveries and investment income are also included in the budget. The budgeted expenditure and receipts vis-a-vis actual expenditure / receipt is reviewed at quarterly interval.

5.3.2 MANAGEMENT AUDIT AND SYSTEMS INSPECTION BY RBI

Management Audit and Systems Inspection, 2011 was conducted by Inspection Department of Reserve Bank of India between January 24 and February 15, 2011. The observations of Inspection Team categorised 3 paragraphs as 'major', of which 2 have been complied with. Out of 101 'other' paragraphs, 94 paragraphs have been complied with.

5.3.3 CONCURRENT AUDIT

The Corporation has introduced a system of concurrent audit (on site) of all its operations by a firm of Chartered Accountants since the year 2004-05. The monthly audit findings are placed before the Audit Committee of the Board.

5.3.4 CONTROL AND SELF ASSESSMENT AUDIT (CSAA)

The Corporation has additionally put in place a Control and Self Assessment Audit (CSAA) system (peer review) whereby officers of the Corporation are required to conduct audit of areas with which they are not functionally associated and submit report to General Manager.

5.4 TRAINING AND SKILL ENHANCEMENT

In order to upgrade the skills of its human resources, the Corporation deputes its staff to various training programmes, conferences, seminars and workshops. These programmes are mostly conducted by various training establishments of RBI, reputed training institutes in India as well as abroad, International Association of Deposit Insurers and other foreign Deposit Insurance Institutions. During 2011-12, 29 employees comprising 26 officers, 1 class III staff and 2 class IV staff were deputed to RBI training establishments and external training institutes in India. Twelve officers were deputed to participate in trainings / conferences organised by IADI and other foreign deposit insurance institutions.Three officers were deputed for collaborative Management Development Programme of Indian Management Institute, Delhi and Indian Institute of Management, Lucknow arranged by RBI. Further, one officer was deputed for Management Programme at Kuching, Malaysia.

5.5 STAFF STRENGTH

The entire staff of the Corporation is on deputation from Reserve Bank of India. The Staff strength of the Corporation as on March 31, 2012 stands at 88 as against 93 as on March 31, 2011. Category-wise position of staff is as under:

Of the total staff, 55 per cent were in Class I, 25 per cent in Class III and the remaining 20 per cent in Class IV. Of the total staff, 15 per cent belonged to Scheduled Castes and 14 per cent belonged to Scheduled Tribes as on March 31, 2012 (Table 6).

Table 6: Category-wise Position of Staff

Category	Number	of which		Percentage %	
		SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6
Class I	48	7	7	14.6	14.6
Class III	22	2	2	9.1	9.1
Class IV	18	4	3	22.2	16.7
Total	**88**	**13**	**12**	**14.8**	**13.6**

SC: Scheduled Castes. ST: Scheduled Tribes.

5.6 THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Government of India enacted the Right to Information Act, 2005 in June 2005. The Act came into effect from October 12, 2005. The Corporation, as a public authority, as defined in the Act, is obliged to provide information to the members of public. During the year 2011-12, total 77 requests were resolved including 4 cases under Appellate Authority.

5.7 PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the year 2011-12, the Corporation continued its efforts to promote the use of Hindi in its working. The Corporation ensures compliance of Section 3(3) of the Official Languages Implementation Act. The Head Office of the Corporation has been notified under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976. The Corporation prepares quarterly progress reports on use of Hindi. The Corporation also organizes 'Hindi Fortnight' every year. Many programmes including competitions were conducted during Hindi fortnight organised in the second half of September 2011. The Official Languages Implementation Committee meets regularly once in a quarter to monitor and promote the use of Hindi in the day-to-day functioning of the Corporation.

5.8 CUSTOMER CARE CELL IN THE CORPORATION

The Corporation is a public institution and its main function is to settle the claims of depositors of failed insured banks. The Corporation operates a customer care cell for prompt redressal of complaints from the members of public against the Corporation.

5.9 SUGGESTIONS GIVEN TO FSLRC: REFORMS IN DEPOSIT INSURANCE

The Central Government on March 24, 2011 constituted the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) under the Chairmanship of Shri Justice (Retd.) B.N. Srikrishna. The terms of reference of FSLRC, inter alia, included examining the architecture of the legislative and regulatory system governing the financial sector in India, review of existing laws governing the financial sector, review of inter-play of jurisdictions occupied by regulators, issues relating to conflict of interest of regulators etc. The Corporation has forwarded several suggestions to the Reserve Bank for forwarding to FSLRC aimed towards effective functioning of the deposit insurance system in India.

A number of suggestions are aimed at improving the efficiency in making payouts to depositors. These include, shortening the time frame for payouts, reducing the time given to liquidators to submit information on deposits to DICGC and empowering DICGC to make interim payments to depositors. As an effective deposit insurance system requires that the deposit insurer has access to adequate funds, the Corporation has proposed measures to strengthen the fund base of the Corporation by seeking exemption from taxes, increase in authorised capital, increase in ceiling on premium, power to collect premium in advance, widening the range of investment options and provide unlimited emergency funding support to the Corporation. There is also need to strengthen information sharing arrangements between DICGC and RBI with regard to banks likely to fail. The Corporation has sought clarification in the manner of sharing recoveries and suggested that undisbursed amounts lying with liquidators be returned to Corporation quickly. In addition, as the Corporation is no longer providing credit guarantee services, it is recommended that credit guarantee may be removed from the mandate of DICGC. The Corporation has also suggested broadening of its mandate to involve it in various aspects of bank resolution and strengthening of the Corporation.

5.10 FSB'S DEPOSIT INSURANCE PEER REVIEW

The Financial Stability Board (FSB) undertook a peer review of deposit insurance systems among its member institutions based on the BCBS-IADI Core Principle for Effective Deposit Insurance Systems and the assessment methodology. The peer review report observes that the global financial crisis has illustrated the importance of effective depositor compensation arrangements. The crisis resulted in greater convergence in practices across jurisdictions and emerging consensus about appropriate design features that include higher coverage levels, elimination of co-insurance, improvements in the payout process, greater depositor

awareness, adoption of ex-ante funding by more jurisdictions, and strengthening of information sharing and coordination with other safety net participants.

Some of the recommendations given in the peer review report are especially relevant for India in the context of (i) review of coverage levels to ensure that it strikes an appropriate balance between depositor protection and market discipline; (ii) prompt depositor reimbursement in situations when payout is the only choice to deal with a bank failure; this needs to be supported by comprehensive and prompt access to bank data, early information access via a single customer view, and robust information technology infrastructure; (iii) strengthening of degree of coordination between the deposit insurance agency and other safety net players to ensure effective resolution planning and prompt depositor payment; (iv) unambiguous and immediate access to reliable funding sources (including any back-up funding options) to meet the financing requirements.

5.11 GOLDEN JUBILEE OF DICGC

DICGC entered its Golden Jubilee year on January 1, 2011. As part of its Golden Jubilee Celebrations, DICGC hosted an international seminar in collaboration with International Association of Deposit Insurers (IADI) on "Role of Deposit Insurance in Bank Resolution Framework – Lessons from the Financial Crisis" from November 13 to 16, 2011 at Jodhpur, Rajasthan. The theme of the conference reflected the evolving thinking on the various elements of financial safety net framework in post-financial crisis period wherein need was felt for a well-defined resolution framework for banks and closer integration of the deposit insurance agency with other players in the safety net. The speakers at the Conference included Governor, Reserve Bank of India, Chairman, DICGC, President, IADI, Chairman, Asia-Pacific Regional Committee of IADI, Secretary-General, IADI, heads/senior representatives of deposit insurance agencies, representatives of international bodies including International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB) and Bank for International Settlements (BIS), and private practitioners. The international conference was attended by around 80 participants from deposit insurance agencies of around 25 countries and senior officials from RBI and DICGC. The IADI community appreciated DICGC's initiative in organising this timely conference on a topic that is being highly debated by the authorities across countries and provide a platform for sharing of views and provide future guidance. This gave DICGC an opportunity to play a leadership role in IADI and is significant for guiding future role of DICGC in IADI's learning initiatives.

5.12 ROLE IN IADI

5.12.1 Shri G. Gopalakrishna, Executive Director, DICGC attended the Annual General Meeting of the IADI held in Warsaw, Poland in October 2011 and was elected to the Executive Council (EXCO) of IADI. He was also nominated by the EXCO to be member on the Audit Committee of the IADI. He attended the EXCO meeting of the IADI held in Istanbul, Turkey in February 2012.

5.12.2 DICGC has been providing support as instructor / facilitator to trainings / workshops being organised by IADI on assessment of compliance with Core Principles for Effective Deposit Insurance System. During 2011-12, support was provided to workshops held at Washington DC, USA; Basel, Switzerland; and Kuala Lumpur, Malaysia.

5.13 AUDITORS

In terms of Section 29(1) of the DICGC Act, 1961, M/s. Sarda & Pareek, Chartered Accountants, Mumbai were appointed as Auditors of the Corporation for the year 2011-12 with the approval of the Reserve Bank.

The Board appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

For and on behalf of Board of Directors

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI

(S. V. Gokarn)
Chairman

Dated: **June 13, 2012**

ANNEX - I

NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year/Period	At the beginning of the year/ period	Registered during the year/ period	De-registered during the year / period where Corporation's Liability			At the end of the year/ period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	0	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	0	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1,582
1981 to 1985	1,582	280	8	17	25	1,837
1986 to 1990	1,837	102	8	10	18	1,921
1990-91	1,921	8	5	2	7	1,922
1991-92	1,922	14	2	3	5	1,931
1992-93	1,931	3	2	1	3	1,931
1993-94	1,931	63	1	3	4	1,990
1994-95	1,990	36	0	1	1	2,025
1995-96	2,025	99	1	1	2	2,122
1996-97	2,122	176	1	1	2	2,296
1997-98	2,296	145	1	2	3	2,438
1998-99	2,438	149	4	0	4	2,583
1999-2000	2,583	103	8	2	10	2,676
2000-01	2,676	62	9	1	10	2,728
2001-02	2,728	15	18	10	28	2,715
2002-03	2,715	10	29	7	36	2,629*
2003-04	2,629	9	39	4	43	2,595
2004-05	2,595	3	47	4	51	2,547
2005-06	2,547	3	17	2	19	2,531
2006-07	2,531	46	24	161	185	2,392
2007-08	2,392	10	18	28	46	2,356
2008-09	2,356	13	33	29	62	2,307
2009-10	2,307	10	26	42	68	2,249
2010-11	2,249	3	22	13	35	2,217
2011-12	2,217	7	12	13	25	2,199

* Net of 60 banks deregistered in past years, but not reckoned in the respective years.

ANNEX - II

A. CATEGORY-WISE BREAK-UP OF INSURED BANKS

Year (as at end March)	No. of Insured banks				
	Commercial Banks	RRBs	LABs	Co-operative Banks	Total
2009-10	83	82	4	2,080	2,249
2010-11	82	82	4	2,049	2,217
2011-12	87	82	4	2,026	2,199

RRBs: Regional Rural Banks LABs: Local Area Banks

B. STATE WISE BREAK-UP OF INSURED CO-OPERATIVE BANKS

(AS AT END MARCH 2012)

Sr. No.	State / Union Territory	Apex	Central	Primary	Total
1	Andhra Pradesh	1	22	105	128
2	Assam	1	0	8	9
3	Arunachal Pradesh	1	0	0	1
4	Bihar	1	21	3	25
5	Chhattisgarh	1	6	11	18
6	Goa	1	0	6	7
7	Gujarat	1	18	239	258
8	Haryana	1	19	7	27
9	Himachal Pradesh	1	2	5	8
10	Jammu & Kashmir	1	3	4	8
11	Jharkhand	0	8	2	10
12	Karnataka	1	21	266	288
13	Kerala	1	14	60	75
14	Madhya Pradesh	1	38	53	92
15	Maharashtra	1	31	527	559
16	Manipur	1	0	2	3
17	Meghalaya	1	-	3	4
18	Mizoram	1	-	1	2
19	Nagaland	1	-	-	1
20	Orissa	1	17	12	30
21	Punjab	1	20	4	25
22	Rajasthan	1	29	39	69
23	Sikkim	1	0	1	2
24	Tamil Nadu	1	24	129	154
25	Tripura	1	0	1	2
26	Uttar Pradesh	1	50	68	119
27	Uttarakhand	1	10	7	18
28	West Bengal	1	17	46	64
	Union Territory				
1	NCT Delhi	1	0	15	16
2	Andaman & Nicobar Islands	1	0	0	1
3	Daman & Diu	0	0	0	0
4	Puducherry	1	0	1	2
5	Chandigarh	1	0	0	1
	Total	**31**	**370**	**1,625**	**2,026**

ANNEX - III

BANKS REGISTERED AND DE-REGISTERED DURING THE YEAR 2011-12

Bank Type / State	Sr. No.	Name of the Bank
A. REGISTERED (7)		
Commercial Banks (6)	1	Sber Bank, New Delhi
	2	Rabo Bank International, Mumbai
	3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Mumbai
	4	Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Mumbai
	5	Woori Bank, Chennai
	6	National Australia Bank, Mumbai
Cooperative Banks (1)		
U.T. of Chandigarh (1)	1	The Chandigarh State Co-op. Bank Ltd., Chandigarh
Regional Rural Banks (0)	Nil	
B. DEREGISTERED (25)		
Commercial Banks (1)	1	SBI Commercial and International Bank Ltd. (Acquired by State Bank of India)
Cooperative Banks (24)		
Andhra Pradesh (1)	1	Tandur Mahila Co-op. Urban Bank Ltd., Tandur
Gujarat (6)	1	Vepar Vikas Co-op. Urban Bank Ltd.,Vadodara (Amalgamated with Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat)
	2	Shri Limbdi Vibhagiya Nagrik Sahakari Bank Ltd.,Surendranagar (Merged with Junagadh Commercial Co-op. Bank Ltd.,Junagadh)
	3	Mercantile Co-op. Bank Ltd.,Godhra (Merged with Prime Co-op. Bank Ltd.,Gujarat)
	4	Palanpur Peoples Co-op. Bank Ltd.,Palanpur (Merged with Urban Co-op. Bank Ltd.,Jaipur)
	5	Dakor Nagrik Sahakari Bank Ltd.,Kheda (Merged with Co-op. Bank of Rajkot Ltd.,Gujarat)
	6	Gujarat Industrial Co-op.Bank Ltd.,Ahmedabad

ANNEX- III (Concld.)

Bank Type / State	Sr. No.	Name of the Bank
Karnataka (2)	1	Nippani Urban Souharda Co-op.Bank Ltd. ,Belgaum (Merged with Vishweshwar Sahakari Bank Ltd.,Pune)
	2	Navkalyan Co-op.Bank Ltd.,Hubli (Merged with Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.)
Maharashtra (14)	1	Shri Balaji Co-op. Bank Ltd.,Nasik
	2	Indira Shramik Mahila Nagari S. Bank Ltd.Solapur
	3	Sidheshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Majalgaon
	4	The Agrasen Urban Co-op. Bank Ltd.,Pune (Merged with Mahanagar Co-op. Bank Ltd.,Mumbai)
	5	Chopda Urban Co-op. Bank Ltd.,Jalgaon
	6	Siddharth Sahakari Bank Ltd.,Pune
	7	Memon Co-op.Bank Ltd.,Mumbai (Merged with Bank of Baroda)
	8	Shree Balbhim Urban Co-op.Bank Ltd.,Kolhapur (Merged with Apna Sahakari Bank Ltd.,Mumbai)
	9	Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit,Solapur
	10	Bhandari Co-op.Bank Ltd.,Mumbai
	11	Bharat Urban Co-op.Bank Ltd.,Solapur
	12	Jalgaon Merchants Sahakari Bank Ltd.,Jalgaon (Merged with Deogiri Nagari .S. Bank Ltd.,Aurangabad)
	13	The Veerashaiva Co-op.Bank Ltd.,Chembur
	14	Yawal Peoples Co-op.Bank Ltd.,Jalgaon (Merged with Co-op. Bank of Rajkot Ltd.,Gujarat)
Madhya Pradesh (1)	1	Bhoj Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Dhar (Merged with Shivalik Mercantile Co-op. Bank Ltd., Saharanpur)
Regional Rural Banks (0)	Nil	

ANNEX - IV

EXTENT OF PROTECTION ACCORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks, Local Area Banks and Co-operative Banks)
(As on last working day of June 1990 through September 2011)

Year	No. of Fully Protected Accounts (in millions)*	Total No. of Accounts (in millions)	Percentage of (2 to 3)	Insured Deposits* (₹ billion)	Total Assesable Deposits (₹ billion)	Percentage of (5 to 6)
1	2	3	4	5	6	7
1962	6	7	78.5	4	17	23.1
1990-91	298	309	96.5	1,093	1,569	69.7
1991-92	317	329	96.4	1,279	1,863	68.7
1992-93	340	354	95.8	1,645	2,444	67.3
1993-94	350	353	99.1	1,684	2,490	67.6
1994-95	496	499	99.2	2,667	3,641	73.3
1995-96	482	487	99.0	2,956	3,921	75.4
1996-97	427	435	98.2	3,377	4,507	74.9
1997-98	371	411	90.4	3,705	4,923	75.3
1998-99	454	464	97.9	4,396	6,100	72.1
1999-00	430	442	97.4	4,986	7,041	70.8
2000-01	432	446	96.9	5,724	8,063	71.0
2001-02	464	482	96.4	6,741	9,688	69.6
2002-03	578	600	96.3	8,289	12,132	68.3
2003-04	519	544	95.4	8,709	13,183	66.1
2004-05	620	650	95.4	9,914	16,198	61.2
2005-06	506	537	94.1	10,530	17,909	58.8
2006-07	683	717	95.3	13,726	23,444	58.5
2007-08	962	1039	92.6	18,051	29,848	60.5
2008-09	1,204	1,349	89.3	19,090	33,986	56.2
2009-10	1,267	1,424	89.0	16,824	45,880	36.7
2010-11	977	1,052	92.9	17,358	49,524	35.1
2011-12	996	1,073	92.8	19,043	57,674	33.0

* Number of accounts with balance not exceeding ₹1,500 from January 1, 1962 onwards, ₹ 5,000 from January 1, 1968 onwards, ₹10,000 from April 1, 1970 onwards, ₹20,000 from January 1, 1976 onwards, ₹30,000 from July 1, 1980 onwards and ₹ 1,00,000 from May 1, 1993 onwards.
Note:- Data from 2009-10 are as per new reporting format.

ANNEX - V

EXTENT OF PROTECTION ACCORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE)

Year	Category of Banks	No. of Insured Banks	Insured Deposits (₹ billion)	Total Assessable Deposits (₹ billion)	Percentage of Insured Deposits to Assessable Deposits
1	2	3	4	5	6
2009-10	I. Commercial Banks (i to v)	87	13,519	40,948	33.0
	i) SBI Group	7	4,099	10,147	40.4
	ii) Public Sector	19	7,419	19,105	38.8
	iii) Foreign Banks	34	187	4,423	4.2
	iv) Private Banks	23	1,811	7,266	24.9
	v) Local Area Banks	4	4	7	53.5
	II. RRBs	82	957	1,199	79.8
	III. Co-operative Banks	2080	2,348	3,732	62.9
	TOTAL (I+II+III)	**2249**	**16,824**	**45,880**	**36.7**
2010-11	I. Commercial Banks (i to v)	86	13,979	44,530	31.4
	i) SBI Group	6	3,695	9,929	37.2
	ii) Public Sector	19	7,867	22,309	35.3
	iii) Foreign Banks	35	240	2,464	9.8
	iv) Private Banks	22	2,172	9,819	22.1
	v) Local Area Banks	4	4	8	54.6
	II. RRBs	82	1,019	1,305	78.0
	III. Co-operative Banks	2049	2,360	3,689	64.0
	TOTAL (I+II+III)	**2217**	**17,358**	**49,524**	**35.1**
2011-12	I. Commercial Banks (i to v)	87	15,405	52,119	29.6
	i) SBI Group	6	4,046	11,546	35.0
	ii) Public Sector	20	8,797	27,956	31.5
	iii) Foreign Banks	41	221	2,650	8.4
	iv) Private Banks	20	2,336	9,958	23.5
	v) Local Area Banks	4	5	10	51.9
	II. RRBs	82	1,120	1,522	73.6
	III. Co-operative banks	2026	2,518	4,033	62.4
	TOTAL (I+II+III)	**2199**	**19,043**	**57,674**	**33.0**

ANNEX- VI

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS SETTLED DURING 2011-12

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ in million)
1	2	3	4	5
	Co-operative Banks			
	Chattisgarh (1)			
1	Indira Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	1	0.01
	Sub Total		**1**	**0.01**
	Gujarat (27)			
2	Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	34	1.60
3	Natpur Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	25	0.87
4	The Navsari Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	22	0.97
5	Petlad Commercial Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	2	0.10
6	Sabarmathi Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.10
7	Seth B.B. Shroff Bulsar Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	590	32.64
8	The Sidhpur Nagarik Sahakari Bank Ltd.	Main	6,706	33.51
9	Surendranagar Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	45	0.27
10	Ahmedabad Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	93	1.80
11	Visanagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	61	2.38
12	Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	66	0.16
13	Shri Swaminarayan Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	79	4.26
14	Anand Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	50	2.08
15	Ankaleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	190	0.81
16	Suryapur Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	190	10.83
17(a)	Anyonya Co-operative Bank Ltd.	Main	70,846	577.90
17(b)	Anyonya Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	4	0.34
18	Cambay Hindu Merchants Co-operative Bank Ltd.	Main	9,336	86.76
19	Shree Vikas Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	80	1.88
20	Bahadurpur Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	4	0.29
21	The Royale Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	15	0.75
22	Metro Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	2	0.10
23	Bhavnagar Mercantile Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.01
24	Charotar Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	106	7.14
25	Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	61	2.50

ANNEX- VI (contd.)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ in million)
26	The General Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	64	1.26
27	The Janata Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	17	0.66
	Sub Total		**88,690**	**771.97**
	Karnataka (6)			
28	Maratha Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.09
29	Rabkavi Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	10,462	67.39
30	Sri Mouneshwara Co-operative Bank Ltd.	Main	1,640	2.57
31	Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd.	Main	6,021	11.16
32	The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	6,075	38.15
33	Haliyal Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.00
	Sub Total		**24,200**	**119.36**
	Maharashtra (21)			
34	Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	5	0.15
35	Rohe Ashtami Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	6	0.19
36	South Indian Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	104	0.81
37	Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	1	0.10
38	Indira Sahakari Bank Ltd. , Dhulia	Supplementary	9	0.26
39	The Parmatma Ek Sewak Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Main	54,918	402.55
40	Nagpur Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	46	0.68
41	Yashwant Sahakari Bank Ltd., Miraj	Supplementary	22	0.38
42	Vasantdada Shetkari Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	131	3.73
43	Samata Sahakari Bank Ltd.	Main	33,474	403.72
44	Kupwad Urban Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	365	6.22
45	Shriram Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	2	0.07
46	Sadhna Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	2	0.03
47	Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Main	9,798	112.96
48	Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd.	Main	2,292	26.55
49	Shri Jyotiba Sahakari bank Ltd.	Main	7,596	22.00
50	Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Main	16,324	197.71
51	Vidarbha Urban Co-operative Bank Ltd.	Main	11,304	159.54
52	Chopda Urban Co-operative Bank Ltd	Main	10,264	71.27

ANNEX- VI (concld.)

Sr. No.	Name of the Bank	Main Claim/ Supplementary Claim	No. of Depositors	Amount of Claims (₹ in million)
53	Shree Mahesh Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	3	0.05
54	Ichalkaranji Urban Co-operative Bank Ltd	Main	43,785	553.01
	Sub Total		**19,0451**	**1,962.01**
	Madhya Pradesh (3)			
55	Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.	Main	2,729	12.25
56	Maharashtra Brahmin Sahakari Bank Ltd.	Supplementary	22	0.84
57	Citizen Co-operative Bank Ltd.	Supplementary	58	2.53
	Sub Total		**2,809**	**15.61**
	West Bengal (1)			
58	Asansol Peoples Co-operative Bank Ltd.	Main	1,012	4.16
	Sub Total		**1,012**	**4.16**
	Grand Total		**30,7163**	**2,873.12**

ANNEX - VII

INSURANCE CLAIMS SETTLED AND REPAYMENT RECEIVED - ALL BANKS LIQUIDATED /AMALGMATED / RECONSTRUCTED UPTO MARCH 31, 2012

(Amount in ₹ million)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
I	**COMMERCIAL BANKS**			
	i) Full repayment received			
	1) Bank of China, Kolkata (1963)	0.93	0.93	-
	2) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)*	0.01	0.01	-
	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)*	4.63	4.63	-
	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)*	0.70	0.70	-
	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)*	0.21	0.21	-
	6) Bank of Karad Ltd., Mumbai (1992)	370.00	370.00	-
	7) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)*	14.66	14.66	-
	TOTAL 'A'	**391.14**	**391.14**	**-**
	ii) Repayment received in part and balance due written off			
	8) Unity Bank Ltd., Chennai (1963)*	0.25	0.14	-
			(0.12)	
	9) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)*	0.11	0.03	-
			(0.08)	
	10) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)*	0.02	0.01	-
			(0.01)	
	11) Metropolitan Co-op Bank Ltd., Kolkata (1964)*	0.88	0.44	-
			(0.44)	
	12) Southern Bank Ltd., Kolkata (1964)*	0.73	0.37	-
			(0.36)	
	13) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)*	0.03	0.02	-
			(0.01)	
	14) Habib Bank Ltd., Mumbai (1966)*	1.73	1.68	-
			(0.05)	
	15) National Bank of Pakistan, Kolkata (1966)*	0.10	0.09	-
			(0.01)	
	16) Parur Central Bank Ltd., North Parur, Maharashtra (1990)*	26.02	23.19	-
			(2.83)	
	TOTAL 'B"	**29.87**	**25.97**	**-**
			(3.89)	
	iii) Part repayment received			
	17) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)*	0.97	0.97	-
	18) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)*	116.28	105.58	10.70
	19) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Banglore*	334.06	91.36	242.70
	20) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)*	219.17	105.38	113.79
	21) United Industrial Bank Ltd., Kolkata (1990)*	350.16	32.63	317.53

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	22) Traders Bank Ltd., Delhi (1990)*	30.63	13.48	17.15
	23) Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur, T.N (1990)*	107.84	93.49	14.35
	24) Bank of Tamilnad Ltd., Tirunelveli, T.N (1990)*	76.45	75.90	0.55
	25) Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)*	72.58	9.76	62.82
	26) Sikkim Bank Ltd., Gangtok (2000)*	172.96	0.00	172.96
	27) Benares State Bank Ltd., U.P (2002)*	1,056.44	441.66	614.79
	TOTAL 'C'	**2,537.53**	**970.20**	**1,567.33**
	TOTAL (A+B+C)	**2,958.54**	**1,387.31**	**1,567.33**
			(3.89)	
II	**CO-OPERATIVE BANKS**			
	i) Full repayment received			
	1) Malvan Co-op. Bank Ltd., Malvan (1977)	0.18	0.18	-
	2) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1978)	1.07	1.07	-
	3) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Mumbai (1984)	1.84	1.84	-
	4) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	0.22	0.22	-
	5) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1976)	0.57	0.57	-
	6) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1992)	12.50	12.50	-
	7) Hindupur Co-operative Town Bank Ltd., A.P (1996)	0.12	0.12	-
	8) Vasundhara Co-op. Urban Bank Ltd.,A.P (2005)	0.63	0.63	-
	TOTAL 'D'	**17.14**	**17.14**	**-**
	ii) Repayments received in part and balance due written off			
	9) Ghatkopar Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai (1977)	0.28	0.00	-
			(0.28)	
	10) Bhadravati Town Co-operative Bank Ltd., Bhadravati (1994)	0.03	0.00	-
			(0.03)	
	11) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd, Mumbai (1978)	0.06	0.00	-
			(0.06)	
	12) Armoor Co-op. Bank Ltd., A.P (2003)	0.71	0.53	-
			(0.18)	
	13) Ratanagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri, Maharashtra (1978)*	4.64	1.26	-
			(3.39)	
	14) The Neelagiri Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)	2.12	0.55	-
			(1.57)	
	TOTAL 'E'	**7.83**	**2.33**	**-**
			(5.49)	
	iii) Part repayment received			
	15) Vishwakarma Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*	1.16	0.56	0.60
	16) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*	0.70	0.31	0.40

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	17) Kalavihar Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1979)*	1.32	0.34	0.98
	18) Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore, Karnataka (1982)*	9.13	1.30	7.84
	19) Kollur Parvati Coop. Bank Ltd., Kollur, A.P (1985)	1.40	0.71	0.69
	20) Adarsh Co-operative Bank Ltd., Mysore, Karnataka (1985)	0.27	0.07	0.21
	21) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (1986)*	0.49	0.40	0.08
	22) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1986)	2.29	1.32	0.97
	23) Manihal Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1987)	0.96	0.23	0.73
	24) Hind Urban Co-operative Bank Ltd.,Lucknow, U.P (1988)	1.10	0.00	1.10
	25) Yellamanchilli Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (1990)	0.44	0.05	0.38
	26) Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, A.P (1991)	0.39	0.05	0.34
	27) Kundara Co-operative Bank Ltd., Kerala (1991)	1.74	0.91	0.83
	28) Manoli Shri Panchligeshwar Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (1991)	1.74	1.14	0.61
	29) Sardar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Baroda, Gujarat (1991)	7.49	1.80	5.69
	30) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., Karnataka (1992)*	3.71	0.27	3.44
	31) Bhiloda Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (1994)	1.98	0.10	1.88
	32) Citizens Urban Co-operative Bank Ltd., Indore, M.P (1994)	22.02	1.00	21.02
	33) Chetana Co-operative Bank Ltd., Mumbai Maharashtra (1995)	87.55	0.76	86.79
	34) Bijapur Dist Industrial Co-op Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1996)	2.41	0.00	2.41
	35) Peoples Co-operative Bank Ltd.Ichalkaranji, Maharashtra (1996)	36.55	0.00	36.55
	36) Swastik Janata Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)	22.66	0.00	22.66
	37) Kolhapur Zilha Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1998)	80.12	0.00	80.12
	38) Dharwad Industrial Co-op. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (1998)	0.92	0.92	0.00
	39) Dadar Janata Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)	51.80	0.50	51.30
	40) Vinkar Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (1999)	18.07	0.00	18.07
	41) Trimoorti Sahakari Bank Ltd.,Pune, Maharashtra (1999)$$	28.56	10.03	18.53
	42) Awami Mercantile Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)	46.24	3.00	43.24
	43) Ravikiran Urban Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)	62.16	0.26	61.90
	44) Gudur Coop. Urban Bank Ltd., A.P (2000)	6.74	0.96	5.77
	45) Anakapalle Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2000)	2.45	0.14	2.31
	46) Indira Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2000)	157.01	0.08	156.93
	47) Nandgaon Merchants Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2000)	2.24	0.00	2.24
	48) Siddharth Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2000)	5.40	1.10	4.30
	49) Sholapur Zilla Mahila Sahakari Bank Ltd, Maharashtra (2000)	27.50	9.00	18.50
	50) The Sami Taluka Nagrik Sah Bank Ltd., Gujarat (2000)	2.02	0.00	2.02

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	51) Ahilyadevi Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Kalamnuri, Maharashtra (2001)	1.70	0.00	1.70
	52) Nagrik Sahakari Bank Ltd. Sagar., M.P (2001)	7.01	0.00	7.01
	53) Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad, Maharashtra (2001)	21.86	0.47	21.40
	54) Nagrik Co-op. Commercial Bank Maryadit,Bilaspur, M.P (2001)	26.14	0.00	26.14
	55) Ichalkaranji Kamgar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2001)	5.07	3.36	1.71
	56) Parishad Co-op. Bank Ltd., New Delhi (2001)	3.95	3.78	0.17
	57) Sahyog Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)	29.95	1.55	28.40
	58) Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2001)	4,009.40	0.00	4,009.40
	59) Krushi Co-operative Urban Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2001)	232.40	28.51	203.90
	60) Jabalpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., (Dergd), M.P (2002)	19.49	15.07	4.41
	61) Shree Laxmi Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)	138.74	22.38	116.36
	62) Maratha Market Peoples Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)	37.96	0.00	37.96
	63) Latur Peoples Co-operative Bank Ltd., (Dergd), Maharashtra (2002)	3.05	0.00	3.05
	64) Sri. Lakshmi Mahila Co-op Urban Bank, (Dergd), A.P (2002)	7.82	0.00	7.82
	65) Friends Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2002)	48.46	0.12	48.34
	66) Bhagyanagar Co-operative Urban Bank Ltd. Drgd, A.P (2002)	9.70	9.36	0.33
	67) Aska Co-operative Urban Bank Ltd., (Dergd), Orissa (2002)	7.03	0.00	7.03
	68) The Veraval Ratnakar Co-op. Bank Ltd., (Degrd), Gujarat (2002)	26.55	0.00	26.55
	69) Shree Veraval Vibhagiya Nagrik Sah Bank(Dergd), Gujarat (2002)	25.87	0.00	25.87
	70) Sravya Co op. Bank Ltd., A.P (2002)	74.38	2.42	71.96
	71) Majoor Sahakari Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2002)	14.78	0.32	14.46
	72) Meera Bhainder Co-op. Bank Ltd, (Dergd), Maharashtra (2003)	22.45	0.00	22.45
	73) Shree Labh Co-op Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2003)	47.51	0.34	47.17
	74) Khed Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2003)	46.37	0.50	45.87
	75) Janta Sahakari Bank Maryadit.,Dewas, M.P (2003)	71.74	66.14	5.60
	76) Nizamabad Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)	11.29	10.04	1.25
	77) The Megacity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	16.20	14.68	1.52
	78) Kurnool Urban Co-operative Credit BankLtd., A.P (2003)	47.43	46.56	0.88
	79) Yamuna Nagar Urban Co-op. Bank Ltd., Hariyana (2003)	30.05	2.80	27.25
	80) Praja Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	9.25	8.61	0.64
	81) Charminar Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	1,432.34	819.17	613.17
	82) Rajampet Co-operative Town Bank Ltd., A.P (2003)	16.35	7.25	9.10
	83) Shri Bhagyalaxmi Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)	34.03	3.60	30.43

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	84) Aryan Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2003)	46.78	43.63	3.15
	85) The First City Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	12.87	11.24	1.63
	86) Kalwa Belapur Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)	48.88	0.03	48.86
	87) Ahmedabad Mahila Nagrik Sah. Bank Ltd., Gujarat (2003)	33.33	0.96	32.37
	88) Theni Co-operative Urban Bank Ltd., Tamil Nadu (2003)	33.18	0.01	33.17
	89) The Mandsaur Commercial Co-op. Bank Ltd., M.P (2003)	141.14	115.80	25.34
	90) Mother Theresa Hyderabad Co-op. Urban Bank., A.P (2003)	57.25	1.40	55.85
	91) Dhana Co op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	23.86	0.00	23.86
	92) Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2003)	37.34	2.20	35.14
	93) The Star Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	2.63	0.00	2.63
	94) The Janata Commercial Co-op. Bank Ltd.,Ahmedabad, Gujarat (2003)	41.13	0.00	41.13
	95) Manikanta Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2003)	21.68	17.30	4.38
	96) Bhavnagar Welfare Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)	35.51	0.00	35.51
	97) Navodaya Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2003)	3.04	2.52	0.52
	98) Pithapuram Co-operative Urban Bank Ltd., A.P (2003)	7.70	7.69	0.01
	99) Shree Adinath Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2003)	42.97	18.52	24.46
	100) Santram Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2003)	115.87	2.82	113.05
	101) Palana Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2003)	22.95	21.79	1.16
	102) Nayaka Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat (2004)	25.53	0.00	25.53
	103) General Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2004)	711.10	19.16	691.94
	104) Western Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2004)	44.09	0.06	44.03
	105) Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2004)	2,060.65	101.38	1,959.27
	106) Pratibha Mahila Sahakari Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2004)	34.19	6.20	27.99
	107) Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.,Gujarat (2004)	3,823.55	15.42	3,808.12
	108) Narasaraopet Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)	1.79	0.13	1.66
	109) Bhanjanagar Co-operative Urban Bank Ltd., Orissa (2004)	9.80	0.00	9.80
	110) The Sai Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2004)	10.17	6.17	4.00
	111) The Kalyan Co-op Bank Ltd., A.P (2005)	13.51	0.90	12.61
	112) Trinity Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)	19.31	6.20	13.11
	113) Gulbarga Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2005)	25.44	0.79	24.65
	114) Vijaya Co-op Urban Bank Ltd., A.P (2005)	12.23	9.50	2.73
	115) Shri Satya Sai Co-op. Bank Ltd., A.P (2005)	7.39	2.00	5.39
	116) Sri Ganganagar Urban Co-op. Bank Ltd., Rajasthan (2005)	4.79	4.79	0.00
	117) Sitara Co-op. Urban Bank Ltd., Hydreabad, A.P (2005)	3.74	0.00	3.74
	118) Mahalaxmi Co-op Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P (2005)	42.00	0.39	41.61
	119) Maa Sharda Mahila Nagri Sahakari Bank Ltd., Akola, Maharashtra (2005)	13.35	0.45	12.90
	120) Partur People's Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2005)	15.84	0.00	15.84

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	121) Sholapur District Industrial Co-op. Bank, Maharashtra (2005)	107.56	10.36	97.21
	122) Baroda People's Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	583.77	21.79	561.99
	123) The Co-operative Bank of Umreth Ltd., Gujarat (2005)	49.44	2.92	46.51
	124) Shree Patni Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	86.53	2.60	83.93
	125) Classic Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	5.73	0.50	5.23
	126) Sabarmati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	318.79	32.60	286.20
	127) Matar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)	30.89	1.87	29.03
	128) Diamond Jubilee Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2005)	606.40	606.40	0.00
	129) Petlad Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)	73.74	5.50	68.24
	130) Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	296.24	6.97	289.27
	131) Shree Vikas Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	223.15	10.24	212.91
	132) Textile Processors Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)	53.76	2.54	51.22
	133) Pragati Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	129.74	4.52	125.22
	134) Ujvar Co-op Bank Ltd., Gujarat (2005)	15.71	0.00	15.71
	135) Sunav Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)	17.57	0.09	17.48
	136) Sanskardhani Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Jabalpur, M.P (2005)	3.03	0.00	3.03
	137) Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh, M.P (2005)	8.50	0.00	8.50
	138) Darbhanga Central Co-operative Bank Ltd., Bihar (2005)	19.00	0.00	19.00
	139) Bellampalli Co-op. Urban Bank Ltd., A.P (2005)	7.50	0.00	7.50
	140) Shri Vitthal Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	79.73	0.85	78.88
	141) Suryapur Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2005)	571.15	24.04	547.11
	142) Shri Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	10.90	0.00	10.90
	143) Petlad Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2005)	24.39	2.09	22.30
	144) Raghuvanshi Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2005)	120.66	0.10	120.56
	145) Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)	30.70	0.00	30.70
	146) Aurangabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2005)	29.93	7.43	22.50
	147) Urban Co-operative Bank Ltd. Tehri., Uttaranchal (2005)	16.29	1.72	14.57
	148) Shreenathji Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2005)	40.83	0.73	40.10
	149) The Century Co-op. Bank Ltd., Surat (2006)	67.28	6.94	60.34
	150) Jilla Sahakari Kendriya Bank Ltd., Raigarh, Chhattisgarh (2006)	181.64	0.00	181.64
	151) Madhepura Supaul Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)	65.05	0.00	65.05
	152) Navsari Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2006)	300.21	26.81	273.40
	153) Sheth Bhagwandas B. Shroff Bulsar Peoples Co-op. Bank Ltd., Valsad, Gujarat (2006)	264.65	50.83	213.82
	154) Maharashtra Brahman Sahakari Bank Ltd., M.P (2006)	301.96	17.78	284.18
	155) Mitra Mandal Sahakari Bank Ltd., Indore, M.P (2006)	145.66	31.43	114.23
	156) Chhapra District Central Co-op. Bank Ltd., Bihar (2006)	82.53	0.00	82.53
	157) Shri Vitrag Co-op. Bank Ltd., Surat, Gujarat (2006)	92.89	1.65	91.24
	158) Shri Swaminarayan Co-op. Bank Ltd., Vadodara, Gujarat (2006)	433.82	21.13	412.69

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	159) Janta Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)	322.97	34.85	288.11
	160) Natpur Co-operative Bank Ltd., Nadiad, Gujarat (2006)	549.58	15.03	534.55
	161) Metro Co-operative Bank Ltd, Surat, Gujarat (2006)	120.63	0.16	120.47
	162) The Royale Co-op. Bank Ltd., Surat,Gujarat (2006)	91.57	1.09	90.48
	163) Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2006)	118.90	50.32	68.58
	164) Madurai Urban Co-operative Bank Ltd., Tamil Nadu (2006)	257.76	34.76	223.00
	165) Karnataka Contractors Sah. Bank Niyamith, Bangalore, Karnataka (2006)	29.76	0.61	29.14
	166) Anand Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)	368.91	24.51	344.40
	167) Kotagiri Co-operative Urban Bank Ltd.,Tamil Nadu (2006)	24.59	0.55	24.04
	168) The Relief Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2006)	11.40	0.00	11.40
	169) Cauvery Urban Co-operative Bank., Bangalore, Karnataka (2006)	4.85	0.00	4.85
	170) Baroda Mercantile Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)	12.83	0.61	12.21
	171) Dabhoi Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2006)	165.49	4.20	161.29
	172) Dhansura Peoples Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2006)	58.80	1.65	57.15
	173) Samasta Nagar Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2006)	116.05	3.42	112.63
	174) Prudential Co-operative Bank Ltd., Secunderabad, A.P (2007)	755.96	490.96	265.00
	175) Lok Vikas Urban Co-operative Bank Ltd., Jaipur, Rajasthan (2007)	6.61	0.00	6.61
	176) Nagrik Sahakari Bank Maryadit., Ratlam, M.P (2007)	20.39	0.00	20.39
	177) Sind Mercantile Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)	103.90	4.00	99.90
	178) Shriram Sahakari Bank Ltd., Nashik, Maharashtra (2007)	323.22	117.80	205.41
	179) Parbhani Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2007)	367.81	0.02	367.79
	180) Purna Nagri Sahakari Bank Maryadit., Maharashtra (2007)	47.58	0.03	47.55
	181) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2007)	5.94	0.00	5.94
	182) The Kanyaka Parameswari Mutually Aided CUBL, Kukatpally, A.P. (2007)	29.75	0.77	28.98
	183) Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Khargone, M.P. (2007)	4.31	0.44	3.86
	184) Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd., Anand, Gujarat (2007)	124.76	1.88	122.88
	185) Bharat Mercantile Co-op. Urban Bank Ltd., Hyderabad, A.P. (2007)	31.23	0.28	30.96
	186) Lord Balaji Co-op. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2007)	27.29	0.10	27.19
	187) Vasundharam Mahila Co-op. Bank Ltd., Warangal, A.P (2007)	2.30	0.00	2.30
	188) Begusaray Urban Development Co-op Bank Ltd., Bihar (2007)	5.94	0.00	5.94
	189) Datia Nagrik Sahakari Bank., M.P (2007)	1.49	0.00	1.49
	190) Adarsh Mahila Co-operative Bank Ltd., Mehsana, Gujarat (2007)	12.98	0.08	12.90
	191) Umreth Peoples Co-operative Urban Bank Ltd., Gujarat (2007)	22.08	0.14	21.94
	192) Sarvodaya Nagrik Sah. Bank Ltd., Visnagar, Gujarat (2007)	160.29	0.70	159.59

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	193) Shree Co-op. Bank Ltd., Indore, M.P (2007)	2.48	0.00	2.48
	194) Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd., Chitradurga, Karnataka (2007)	54.85	0.06	54.79
	195) The Vikas Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat (2007)	10.26	0.34	9.92
	196) Shree Jamnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2007)	11.24	0.00	11.24
	197) Anand Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat (2008)	184.56	0.20	184.36
	198) Rajkot Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	68.22	4.01	64.21
	199) Sevalal Urban Co-op. Bank Ltd.,Mandrup, Maharashtra (2008)	0.67	0.00	0.67
	200) Nagaon Urban Co-op. Bank Ltd., Assam (2008)	6.13	0.00	6.13
	201) Sarvodaya Mahila Co-op. Bank Ltd.,Burhanpur, M.P (2008)	8.39	0.00	8.39
	202) Chetak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2008)	7.44	4.89	2.56
	203) Basavakalyan Pattana Sahakari Bank Ltd., Basaganj, Karnataka (2008)	2.67	0.18	2.50
	204) Indian Co-op. Development Bank Ltd., Meerut, U.P (2008)	37.59	0.33	37.26
	205) Talod Janata Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	24.52	1.04	23.49
	206) Challakere Urban Co-op Bank Ltd., Karnataka (2008)	32.64	0.12	32.52
	207) Dakor Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	6.38	1.09	5.29
	208) Zila Sahakari Bank Ltd., Gonda, U.P (2008)	454.37	0.26	454.11
	209) Maratha Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	185.52	59.21	126.31
	210) Shree Janta Sahkari Bank Ltd, Radhanpur, Gujarat (2008)	47.52	1.10	46.42
	211) Parivartan Co-op. Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra (2008)	183.65	16.07	167.58
	212) Indira Priyadarshini Mahila Nagarik Bank Ltd, Raipur, Chhattisgarh (2008)	164.57	32.87	131.71
	213) Ichalkaranji Jivheshwar Sah. Bank Ltd., Maharashtra (2008)	24.17	14.35	9.82
	214) Kittur Rani Channamma Mahila Pattana Sah. Bank Ltd., Hubli, Karnataka (2008)	22.85	0.72	22.13
	215) Bharuch Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2008)	99.66	28.15	71.51
	216) Harugeri Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2009)	36.45	4.44	32.01
	217) Varada Co-op. Bank Ltd., Haveri, Karjagi, Karnataka (2009)	25.24	1.28	23.96
	218) Ravi Co-operative Bank Ltd., Kolhapur, Maharashtra (2008)	169.23	1.73	167.50
	219) Shri Balasaheb Satbhai Merchants Co-op Bank Ltd., Kopergaon, Maharashtra (2008)	268.25	38.88	229.38
	220) Jai Lakshmi Co-operative Bank Ltd., Delhi (2008)	1.24	1.24	-
	221) Urban Co-operative Bank Ltd., Siddapur, Karnataka (2009)	112.93	34.35	78.58
	222) Shri B. J. Khatal Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	78.97	11.25	67.72
	223) Shree Kalmeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Hole- Alur, Karnataka (2009)	25.29	0.00	25.29
	224) Shri Laxmeshwar Urban Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka (2009)	67.66	0.00	67.66
	225) Priyadarshini Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Latur, Maharashtra (2009)	65.79	20.20	45.59

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	226) Sree Swamy Gnanananda Yogeeswara Mahila Co-op. Bank Ltd., Puttur, A.P (2009)	3.63	0.00	3.63
	227) Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad, U.P (2009)	10.03	2.43	7.60
	228) Firozabad Urban Co-op. Bank Ltd., U.P (2009)	4.02	0.00	4.02
	229) Siddapur Commercial Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	37.18	2.59	34.59
	230) Nutan Sahakari Bank Ltd., Baroda, Gujarat (2009)	128.90	29.45	99.45
	231) Bhavnagar Mercantile Co-op. Bank Ltd., Gujarat (2009)	374.29	159.00	215.29
	232) Sant Janabai Nagri Sahakari Bank Ltd., Gangakhed, Maharashtra (2009)	101.96	7.46	94.50
	233) Shri S. K. Patil Co-op Bank Ltd., Kurundwad, Maharashtra (2009)	133.06	6.90	126.16
	234) Shree Vardhman Co-op. Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat (2009)	51.82	29.99	21.84
	235) Dnyanopasak Urban Co-op Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	16.22	0.00	16.22
	236) Achelpur Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra (2009)	52.91	12.25	40.65
	237) Rohe Ashtami Sahakari Urban Bank Ltd., Rohe, Maharashtra (2009)	370.68	21.25	349.42
	238) South Indian Co-operative Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2009)*	359.77	5.68	354.09
	239) Ankleshwar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2009)	238.24	164.84	73.41
	240) Ajit Co-operative Bank Ltd., Pune, Maharashtra (2009)	292.98	46.75	246.23
	241) Shree Siddhi Venkatesh Sahkari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	20.82	9.32	11.50
	242) Hirekerur Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka (2009)	137.35	0.00	137.35
	243) Shri P. K. Anna Patil Janata Sah. Bank Ltd., Nandurbar, Maharashtra (2009)	564.82	0.00	564.82
	244) Chalisgaon People Co-operative Bank Ltd., Jalgaon, Maharashtra (2009)	300.92	151.12	149.80
	245) Deendayal Nagrik Sahakari Bank ltd., Kandwa, M.P (2009)	97.45	27.00	70.45
	246) Suvarna Nagrik Sahakari Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2009)	19.59	10.60	8.99
	247) Vasantdada Shetkari Saha. Bank Ltd., Sangli, Maharashtra (2009)	1,671.83	72.50	1599.34
	248) The Haliyal Urban Coop Bank Ltd., Karnataka (2009)	43.38	13.51	29.86
	249) Miraj Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra (2009)	418.31	30.09	388.21
	250) Faizpur Janata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2009)	33.46	7.06	26.40
	251) Daltonganj Central Co-op. Bank Ltd., Jharkhand (2010)	93.93	0.05	93.87
	252) Indira Sahakari Bank Ltd., Dhule, Maharashtra (2010)	124.82	0.26	124.55
	253) The Akot Urban Co-opeerative Bank Ltd., Maharashtra (2010)	143.91	16.39	127.52
	254) Goregaon Co-operative Urban Bank Ltd.,Mumbai, Maharashtra (2010)	435.65	28.62	407.03
	255) Anubhav Co-op Bank Ltd., Basavakalyan, Karnataka (2010)	8.75	0.00	8.75
	256) Yashwant Urban Co-op. Bank Ltd., Parbhani, Maharashtra (2010)	116.81	10.25	106.56
	257) Prantij Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	70.16	32.80	37.36

ANNEX - VII (Contd.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	258) Surendranagar Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	487.01	179.51	307.50
	259) Bellatti Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	0.06	0.00	0.06
	260) Shri Parola Urban Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	51.24	0.69	50.56
	261) Sadhana Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	15.63	0.13	15.50
	262) Primary Teachers Co-op Credit Bank Ltd., Karnataka, (2010)	64.92	7.34	57.58
	263) Shri Kamdar Sahakari Bank Ltd., Bhavnagar, Gujarat, (2010)	54.17	0.00	54.17
	264) Citizen Co-operative Bank Ltd., Burhanpur, M.P, (2010)	232.08	232.08	-
	265) Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj, Maharashtra, (2010)	115.16	52.06	63.09
	266) Urban Industrial Co-operative Bank Ltd., Assam, (2010)	4.32	0.00	4.32
	267) Ahmedabad Peoples Co-op. Bank Ltd., Gujarat, (2010)	446.93	201.61	245.32
	268) Surat Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat, (2010)	260.37	102.01	158.36
	269) Katkol Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	146.20	34.91	111.30
	270) Shri Sinnar Vyapari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	403.74	78.34	325.41
	271) Nagpur Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	476.56	283.54	193.02
	272) Rajlaxmi Nagari Sahakari Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	24.91	3.23	21.69
	273) Bahadarpur Urban Co-operative Bank Ltd., Gujarat, (2010)	49.31	6.95	42.36
	274) Sri Sampige Siddeswara Urban Co-op Bank, Karnataka, (2010)	49.35	0.66	48.70
	275) Vizianagaram Co-operative Urban Bank Ltd, A.P, (2010)	71.14	26.06	45.08
	276) Oudh Sahakari Bank Ltd., U.P, (2010)	23.26	0.80	22.46
	277) Annasaheb Patil Urban Coop. Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	28.00	0.53	27.47
	278) Kupwad Urban Cooperative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	114.00	35.57	78.43
	279) Rahuri Peoples Co-operative Bank Ltd., Maharashtra, (2010)	167.65	54.79	112.86
	280) Raibag Urban Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2010)	14.77	0.00	14.77
	281) Champavati Urban Co-op Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	145.54	60.95	84.59
	282) Shri Mahesh Sahakari Bank Mydt., Maharashtra, (2011)	84.04	13.06	70.98
	283) Rajwade Mandal Peoples' Co-op. Bank Ltd., Maharashtra, (2011)	133.72	0.00	133.72
	284) Sri Chamaraja Co-operative Bank Ltd., Karnataka, (2011)	0.18	0.00	0.18
	285) Anyonya Co-op Bank Ltd., Gujarat,2011	578.24	258.44	319.80
	286) Cambay Hindu Mercantile Co-op Bank Ltd., Gujarat, (2011)	86.76	5.59	81.17
	287) Rabkavi Urban Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	67.39	30.90	36.49
	288) Sri Mouneshwara Co-op. Bank Ltd., Karnataka (2011)	2.57	0.00	2.57
	289) The Chadchan Shree Sangameshwar Urban Co-op. Bank Ltd.,Karnataka (2011)	38.15	12.75	25.40
	290) The Parmatma Ek Sewak Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	402.55	86.62	315.93
	291) Samata Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	403.72	15.33	388.39
	292) Hina Shahin Nagrik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	112.97	0.18	112.79
	293) Shri Laxmi Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	26.55	0.92	25.63
	294) Dadasaheb Dr. N M Kabre Nagarik Sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2011)	197.71	28.90	168.81

ANNEX - VII (concld.)

Sr No.	Name of the Bank	Claims Settled	Repayments Received (Written off)	Balance (Col. 3- Col. 4)
1	2	3	4	5
	295) Vidarbha Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	159.54	5.83	153.71
	296) Ichalkaranji Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2011)	553.01	65.60	487.41
	297) Suvidha Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd., Madhya Pradesh (2011)	12.25	11.74	0.51
	298) Asansol Peoples Co-op. Bank Ltd., West Bengal (2011)	4.16	1.14	3.02
	299) Shri Jyotiba sahakari Bank Ltd., Maharashtra (2012)	22.00	0.00	22.00
	300) Raichur Zilla Mahila Pattan Sahakari Bank Ltd., Karnataka (2012)	11.16	6.53	4.63
	301) Chopda Urban Co-op. Bank Ltd., Maharashtra (2012)	71.27	38.42	32.85
	302) The Sidhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd., Gujarat (2012)	33.51	5.38	28.13
	TOTAL 'F'	**40,063.50**	**6,340.69**	**33,722.81**
	TOTAL (D+E+F)	**40,088.46**	**6,360.16**	**33,722.81**
			(5.49)	
	TOTAL (A+B+C+D+E+F)	**43,047.00**	**7,747.47**	**35,290.14**
			(9.39)	

* Scheme of Amalgmation & Scheme of Reconstruction.

$$ Repayment of ₹ 3.98 million adjusted against refund of undisbursed claim amount.

Notes: 1. The year in which original claims were settled are given in brackets.

2. Figures in brackets under repayment column indicate amount written off up to March 31, 2012.

ANNEX - VIII

PROVISION FOR DEPOSIT INSURANCE CLAIMS-AGE-WISE ANALYSIS (AS ON MARCH 31, 2012)

Sr.No.	Date of de-registration / liquidation of the Bank	Name of the Bank	Amount (₹ million)	Banks which have slipped to higher time bucket (w.r.t. March 31, 2011)
A	**More than 10 years old**			
1	August 3, 1999	Jhargram Peoples' Co-op. Society Ltd.	29.23	
	Total (A)	**(1 Bank)**	**29.23**	
B	**Between 5 and 10 years old**			
1	May 27, 2002	Madhepura Urban Development Co-op Bank Ltd	0.54	
2	July 22, 2002	Nalanda Urban Co-op Bank Ltd	6.86	
3	August 6, 2002	Pranabananda Co-op Bank Ltd	225.71	
4	September 23, 2002	Manipur Industrial Co-op Bank Ltd	18.13	
5	September 28, 2002	Federal Co-op Bank Ltd	13.69	
6	December 16, 2002	Silchar Co-op Bank Ltd	18.14	
7	June 3, 2003	Lamka Urban Co-op Bank Ltd	0.27	
8	June 19, 2003	Sibsagar Dist Central Co-op Bank Ltd	188.68	
9	March 7, 2006	Hyderabad Co-op Urban Bank Ltd	6.48	
10	December 29, 2006	Guwahati Co-op Town Bank Ltd	82.43	√
	Total (B)	**(10 Banks)**	**560.92**	**1**
C	**Between 1 and 5 years old**			
1	April 10, 2007	Rohuta Urban Co-op Bank Ltd	145.69	
2	September 25, 2008	Bhadrak Urban Co-op Bank Ltd	27.24	
3	March 31, 2010	Dhanashri Mahila Sahakari Bank Ltd	26.60	
4	March 31, 2010	Dhenkanal Urban Co-op Bank Ltd	110.43	
5	April 7, 2010	National Co-op Bank Ltd	2.28	√
6	April 9, 2010	Rajeshwar Yuvak Vikas Sah Bank Ltd	26.29	√
7	June 17, 2010	Ramkrishnapur Co-op Bank Ltd	750.24	√
8	August 3, 2010	Belgaum Catholic Co-op Bank Ltd	18.48	√
9	November 19, 2010	Boriavi People Co-op Bank Ltd	64.75	√
10	December 16, 2010	Golghat Urban Co-op Bank Ltd	5.22	√
11	January 4, 2011	Dadasaheb Rawal Co-op Bank Ltd	436.61	√
12	February 15, 2011	Agrasen Urban Co-op Bank Ltd	94.42	√
	Total (C)	**(12 Banks)**	**1708.25**	**8**

ANNEX-VIII (Concld.)

Sr.No.	Date of de-registration / liquidation of the Bank	Name of the Bank	Amount (₹ million)	Banks which have slipped to higher time bucket (w.r.t. March 31, 2011)
D	**Less than 1 year old**			
1	April 18, 2011	Memon Co-op Bank Ltd	1008.38	
2	April 25, 2011	Indira Shramik Mahila NSBL	32.85	
3	April 25, 2011	Sri Balaji Co-op Bank Ltd	15.25	
4	June 13, 2011	Siddharth Sahakari Bank Ltd	334.09	
5	October 4, 2011	Co-operative Bank of Rajkot Ltd	1.78	
6	November 5, 2011	Solapur Nagari Audyogik Sah Bank Ltd	679.50	
7	November 11, 2011	Bhandari Co-op Bank Ltd	1007.76	
8	November 25, 2011	Bharat Urban Co-op Bank Ltd	27.00	
9	December 30, 2011	The Veerashaiva Co-op Bank Ltd.	1480.46	
	Total (D)	**(9 Banks)**	**4587.06**	
	Grand Total (A+B+C+D)	**(32 Banks)**	**6885.46**	

ANNEX - IX

GUARANTEE FEES / CLAIMS RECEIVED AND CLAIMS PAID

(₹ million)

Year	Guarantee Fee Receipts	Guarantee Claims Received	Claims Paid	Gap (2)-(3)	Gap (2)-(4)
1	2	3	4	5	6
1991-92	5,659	6,272	4,623	(-) 614	(+) 1,036
1992-93	7,028	11,433	6,436	(-) 4,405	(+) 692
1993-94	8,461	14,908	8,900	(-) 6,447	(-) 439
1994-95	8,291	17,268	11,790	(-) 8,977	(-) 3,499
1995-96	7,046	23,652	10,423	(-) 16,606	(-) 3,376
1996-97	5,640	21,124	3,786	(-) 15,484	(+) 1,854
1997-98	1,649	4,973	3,714	(-) 3,324	(-) 2,065
1998-99	1,232	2,522	6,019	(-) 1,290	(-) 4,787
1999-00	220	2,455	4,031	(-) 2,235	(-) 3,811
2000-01	0.7	361	473	(-) 360	(-) 473
2001-02	0.2	12.4	13.3	(-) 12.2	(-) 13.1
2002-03	2.1	2.6	1.4	(-) 0. 5	(-)0.7
2003-04	0.2 *	–	–	–	–
2004-05 to 2011-12	–	–	-	–	–

* Guarantee Fees received after stipulated period were refunded to bank during 2003-04.
Note: For more details, please refer to Annual Report 2010-11.

AUDITORS' REPORT

SARDA & PAREEK
Chartered Accountants

1. We have audited the attached Balance Sheets of Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund of the **Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation** (hereinafter referred to as The Corporation), as at 31s' March, 2012 and annexed Revenue Accounts and also Cash Flow Statements of the said three Funds of the Corporation for the year ended on that date,

2. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on the accounts maintained and produced for our audit.

3. We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used, significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. We report that:
   i) We have obtained all information and explanations, which to the best of our information and belief were necessary for the purpose of audit and found them to be satisfactory.
   ii) In our opinion the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been drawn up and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
   iii) The said Balance Sheets and the Revenue Accounts of the Corporation comply with the applicable mandatory Accounting Standards.
   iv) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, read together with significant accounting policies and other notes thereon, contain all necessary particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
      (a) In case of the said Balance Sheets, which are full and fair, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March 2012
      (b) In case of the said Revenue Accounts of the surplus of the Corporation in case of Deposit Insurance Fund and Deficit in the case of Credit Guarantee Fund, and excess of expenditure over income in case of the General Fund for the year ended on that date; and
      (c) In the case of Cash Flow Statements of the cash flows for the year ended on that date.

For: SARDA & PAREEK
Chartered Accountants
F.R. No. 109262W

(Sitaram Pareek)
Partner
Membership No.: 16617

June 13 , 2012
Mumbai

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

Previous Year		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
3,77,360.00	-	**1.Fund** (Balance at the end of the year as per Actuarial Valuation)		4,76,776.00		
		2. Surplus as per Revenue Account:				
16,87,725.85	29,790..60	Balance at the begining of year	20,92,999.37		31,033.01	
0.00	0.00	Add:Transferred (to) / from other Fund/s	0.00		0.00	
4,05,273.52	1,242.41	Add: Transferred from Revenue Account	4,39,527.76		(1,026.90)	
20,92,999.37	31,033.01	Balance at the end of year		2,532,527.13		30,006.11
		3. (a) Investment Reserve				
71,216.24	3,243.97	Balance at the begining of year	86,755.26		3,982.66	
15,539.02	738.68	Add:Transferred from Revenue Account	49,870.75		969.38	
86,755.26	3,982.65	Balance at the end of the year		1,36,626.01		4,952.04
		(b) Investment Fluctuation Reserve				
94,921.96	2,789.89	Balance at the begining of year	1,02,853.21		2,789.89	
7,931.25	0.00	Transferred from Revenue Account	12,870.00		0.00	
1,02,853.21	2,789.89	Balance at the end of the year		1,15,723.21		2,789.89
15,120.00		**4. Claims Intimated and Admitted But Not paid**		9,495.17		
40,380.26		**5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted**		57,443.91		
15,776.82		**6. Insured Deposits in respect of Banks De-registered**		11,410.71		
6,005.81		**7. Insured Deposits remaining unclaimed**		9,959.31		
		8. Other Liabilities				
1,786.01	0.00	(i) Sundry Creditors	2,864.38			
8,90,593.70	20,590.40	(ii) Provision for Income Tax	5,26,470.58		4,314.14	
2.35	0.00	(iii) Sundry Deposits	819.37			
0.00	0.00	(iv) Securities Deliverable	3,869.88			
8,92,382.06	**20,590.40**			5,34,024.21		4,314.14
36,29,632.79	**58,395.95**	**Total**		**38,83,985.66**		**42,062.18**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

Subir V. Gokarn
Chairman

G. Gopalakrishna
Executive Director

Kamlesh S.Vikamsey
Director

G. Sivakumar
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act 1961)
Form 'A')
of business on the 31st March 2012
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakh)

Previous Year						
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	Assets	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount	Amount
54.56	2.06	**1. Balance with the Reserve Bank of India**		60.78		3.67
		2. Cash in Transit				
		3. Investments in Central Government Securities (at cost)				
0.00	0.00	Treasury Bills	3,882.22		0.00	
26,58,166.50	35,922.36	Dated Securities	31,98,154.75		38,039.69	
2,658,166.50	35,922.36			32,02,036.97		38,039.69
26,26,943.16	34,181.01	Face Value	32,01,333.49		36,399.97	
25,75,604.87	31,942.38	Market Value	30,68,587.41		33,094.08	
49,230.11	954.72	**4. Interest accrued on investments**		63,703.38		981.80
		5. Other Assets				
1,587.34	0.00	(i) Sundry Debtors	3,008.70			
9,20,594.28	21,516.81	(ii) Advance Income Tax / TDS	6,05,250.09		3,037.02	
9,22,181.62	21,516.81	(iii) Reverse Repo/Reverse Repo interest receivable	3,872.07			
		(iv) Securities purchased under Reverse Repo	3,869.88			
		(v) Service Tax refundable A/c	2,183.79			
				6,18,184.53		3,037.02
36,29,632.79	**58,395.95**	**Total**		**3,883,985.66**		**42,062.18**

B.L. Patwardhan
Director

N.K. Bhatia
General Manager

P.S. Khual
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
(Revenue Account for the
I. DEPOSIT INSURANCE FUND (DIF)

(₹ in Lakh)

Previous Year					
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount	Amount
		1. To Claims:			
37,894.52	-	(a) Paid during the year		28,731.19	
(529.01)	-	(b) Admitted but Not paid		(5,704.63)	
		(c) Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted			
40,380.26		At the end of the year	57,443.91		
(54,193.10)		Less: at the end of the previous year	(40,380.26)		
(13,812.84)				17,063.65	
		(d) Insured Deposits in respect of Banks De-registered			
15,776.82	-	At the end of the year	11,410.71		
(22,196.52)	-	Less: at the end of the previous year	(15,776.82)		
(6,419.70)				(4,366.11)	
17,132.97		**Net Claims**		35,724.10	
3,77,360.00		**2. To Balance of Fund at the end of the year (as per Actuarial Valuation)**		476,776.00	
15,539.02	738.68	**3. To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserves**		49,870.74	969.38
		4. To Service Tax		26,816.22	
6,14,521.64	1,862.41	**To Net Surplus Carried Down**		6,00,094.25	1,732.34
10,24,553.63	**2,601.09**	**TOTAL**		**11,89,281.31**	**2,701.72**
		To Provision for Taxation			
2,04,130.00	620.00	Current Year		1,94,730.59	562.15
(2,813.13)	0.00	Earlier Years - Short (Excess)			2,197.09
7,931.25	0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		12,870.00	0.00
4,05,273.52	1,242.41	To Balance Carried to Balance Sheet		4,39,527.76	(1,026.90)
6,14,521.64	**1,862.41**			**6,47,128.35**	**1,732.34**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

Subir V. Gokarn
Chairman

G. Gopalakrishna
Executive Director

Kamlesh S.Vikamsey
Director

G. Sivakumar
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
B')
year ended 31st March 2012
AND CREDIT GUARANTEE FUND (CGF)

(₹ in Lakh)

Previous Year				
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Amount	Amount		Amount	Amount
3,27,457.00	-	**1. By Balance of Fund at the beginning of the year**	3,77,360.00	
4,84,419.51	-	**2. By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium)**	5,63,974.41	
-	-	**3. By Guarantee Fees (including interest on overdue guarantee fees)**	-	-
16,041.43	211.37	**4. By recoveries in respect of claims paid / settled (including interest on overdue repayment)**	8,209.62	32.92
		5. By income from Investments		
1,94,150.64	2,538.98	(a) Interest on Investments	2,39,176.91	2,675.91
(14,060.44)	(233.90)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of securities (Net)	(3,918.28)	(38.10)
		c) By Reverse Repo interest income A/c	34.21	0.00
1,80,090.20	2,305.08		2,35,292.84	2,637.81
		6. Other Incomes		
16,545.49	84.64	Interest on Refund of Income Tax	4,444.43	31.00
10,24,553.63	**2,601.09**	**TOTAL**	**11,89,281.31**	**2,701.72**
6,14,521.64	1,862.41	By Net Surplus Brought Down	6,00,094.25	1,732.34
		By Income tax refund for earlier years	47,034.10	0.00
		By balance transferred fro Surplus A/c	0.00	0.00
6,14,521.64	**1,862.41**		**6,47,128.35**	**1,732.34**

B.L. Patwardhan
Director

N.K. Bhatia
General Manager

P.S. Khual
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
(Regulation 18 –
Balance Sheet as at the close
II. GENERAL

Previous Year Amount		LIABILITIES	Amount	Amount
5,000.00	1.	**Capital : Provided by Reserve Bank of India (RBI) as per Section 4 of the DICGC Act, 1961 (A wholly owned subsidiary of RBI)**		5,000.00
	2.	**Reserves**		
		A) General Reserve		
42,752.72		Balance at the beginning of the year	43,827.84	
0.00		Transferred from Credit Guarantee Fund	0.00	
1,075.13		Surplus /(Deficit) transferred from Revenue Acount	(796.31)	
43,827.85				43,031.53
		B) Investment Reserve		
4,857.71		Balance at the beginning of the year	5,196.17	
338.46		Transferred from Revenue account	1,118.80	
5,196.17				6,314.97
		(C) Investment Fluctuation Reserve		
3,048.97		Balance at the beginning of the year	3,048.98	
0.00		Transferred from Revenue Surplus	0.00	
3,048.97				3,048.98
	3.	**Current Liabilities and Provisions**		
0.00		Outstanding Employees' Cost	0.00	
187.79		Outstanding Expenses	80.70	
44.25		Sundry Creditors	8.76	
1,214.23		Provision for Income Tax	573.61	
13.00		Provision for Fringe Benefit Tax(FBT)	0.00	
1,459.27			663.07	663.07
58,532.26		**Total**		**58,058.55**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

Subir V. Gokarn
Chairman

G. Gopalakrishna
Executive Director

Kamlesh S.Vikamsey
Director

G. Sivakumar
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act 1961)
Form 'A')
of business on the 31st March 2012
FUND (GF)

(₹ in Lakh)

Previous Year Amount		ASSETS	Amount	Amount
	1.	**CASH**		
0.01		(i) In hand	0.14	
39.21		(ii) With Reserve Bank of India	23.24	
39.22				23.38
	2.	**Investments in Central Government Securities (At Cost)**		
0.00		Treasury Bills		
48,288.21		Dated Securities	49,279.38	
4,821.49		Dated Securities deposited with CCIL (Face Value 4500.00)	4,821.49	
53,109.70				54,100.87
51,067.86		Face Value :	53,485.18	
47,935.32		Market Value :	47,785.90	
1,241.82	**3.**	**Interest accrued on Investments**		1,112.54
	4.	**Other Assets**		
17.22		Furniture, Fixtures & Equipment (less depreciation)	40.39	
6.49		Stock of Stationery / Lounge Coupons	6.79	
141.27		Staff Advances	146.58	
33.28		Interest Accrued on Staff Advances	29.54	
35.37		Sundry Debtors	3.87	
500.00		Margin Deposit with CCIL	500.00	
3,394.91		Advance Income Tax / TDS	2,094.58	
12.97		Advance Fringe Benefit Tax (FBT)	0.00	
4,141.52				2,821.75
58,532.26		**Total**		**58,058.55**

B.L. Patwardhan
Director

N.K. Bhatia
General Manager

P.S. Khual
Dy. General Manager

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(Form 'B')
Revenue Account for the year ended 31st March 2012
II. GENERAL FUND (GF)

(₹ in lakh)

Previous. Year Amount	EXPENDITURE		Amount	Previous Year Amount	INCOME	Amount	Amount
745.06	**To Payment / Reimbursement of staff cost**		803.43		**By Income from Investments**		
0.38	**To Directors' and Committee Memebrs' Fees**		0.25	3,747.15	(a) Interest on Investments	3,583.20	
0.72	**To Directors' / Committee Members' Travelling & other allowances / expenses**		1.95	(119.35)	(b) Profit (Loss) on sale / redemption of investments	(950.71)	
				3,627.80			2,632.48
97.88	**To Rents,Taxes, Insurance, Lightings etc.**		97.70				
622.39	**To Establishment, Travelling and Halting Allowances**		347.72				
23.55	**To Printing, Stationery and Computer Consumables**		68.17		**By Miscellaneous Receipt**		
22.83	**To Postage, telegrams and Telephones**		20.74				
3.16	**To Auditors' Fees**		2.79	6.37	Interest on advances to staff	6.51	
43.43	**To Legal Charges**		28.52	0.18	Profit / Loss on sale of dead stocks (Net)	0.00	
0.00	**To Advertisements**		1.67	12.47	Interest on refund of income tax	2.66	
338.45	**To Provision for diminution in the value of investments credited to Investment Reserve**		1,118.80	0.36	Other Misc. Receipts	11.41	
				19.38			20.58
	To Miscellaneous Expenses						
27.66	Professional Charges	24.96					
29.66	Service Contract / Maintenance	24.85					
3.59	Books, News Papers, Periodicals	3.68					
3.59	Book Grants	2.38					
0.57	Repair of Office Property-Dead Stock	0.22					
23.84	Transaction Charges-CCIL	23.03					
33.05	Others	64.22					
121.96			143.34				
12.24	Depreciation		11.65				
1,615.13	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down		6.34	0.00	By Balance being excess of Expenditure over Income for the year carried down		0.00
3,647.18	**Total**		**2,653.06**	**3,647.18**	**Total**		**2,653.06**
0.00	To balance being excess of Expenditure over Income - Carried Down		0.00	1,615.13	By balance being excess of income over expenditure for the year - Carried Down		6.34
	To Provision for Income Tax						
540.00	Current Year		2.06				
0.00	Earlier Years - Short (Excess)		800.59				
0.00	To Provision for Fringe Benefit Tax (FBT)		0.00				
0.00	To Investment Fluctuation Reserve (IFR)		0.00		**By General Reserve**		796.31
1,075.13	To General Reserve Account		0.00				
1,615.13	**Total**		**802.65**	**1,615.13**	**Total**		**802.65**

As per our report of date

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

Subir V. Gokarn
Chairman

G. Gopalakrishna
Executive Director

Kamlesh S.Vikamsey
Director

G. Sivakumar
Director

P.S. Khual
Dy. General Manager

N.K. Bhatia
General Manager

B.L. Patwardhan
Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Deposit Insurance Fund & Credit Guarantee Fund
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2012

(₹ in lakh)

Previous Year DIF Amount	Previous Year CGF Amount			DIF Amount	CGF Amount
		Cash Flow from Operating Activities			
614,521.64	**1,862.41**	Excess of Income over Expenditure	(a)	**6,00,094.25**	**1,732.34**
		Adjustments to reconcile excess of income over expenditure to net cash from operations :			
(194,150.64)	(2,538.97)	Interest on Investments		(2,39,211.12)	(2,675.91)
14,060.44	233.90	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		3,918.28	38.10
49,903.00	0.00	Increase in Fund balance (Actuarial Valuation)		99,416.00	0.00
15,539.02	738.68	Transfer to Investment Reserve		49,870.74	969.38
455.07	(51.10)	Taxes		(5,16,264.03)	(19,066.50)
12,497.13	53.16	Interest on refund received		4,444.43	31.00
(101,695.98)	**(1,564.33)**		**(b)**	**(5,97,825.70)**	**(20,703.93)**
		Changes in Operating Assets and Liabilities :			
		ASSETS :			
		Decrease (Increase) in			
(148,180.97)	(385.84)	Advance Income Tax & TDS		3,15,344.19	18,479.79
(1,519.74)	0.00	Sundry Debtors		(1,421.36)	0.00
0.00	0.00	Other Assets		(6,055.86)	0.00
(149,700.71)	**(385.84)**		**(c)**	**3,07,866.97**	**18,479.79**
		LIABILITIES :			
		Increase (Decrease) in			
(20,761.54)	0.00	Increase in Estimated Liability for claims intimated not admitted		7,072.71	0.00
475.88	0.00	Increase in Unclaimed Deposits		3,953.50	0.00
(1,068.12)	0.00	Sundry Creditors		1,078.37	0.00
(1.75)	0.00	Sundry Deposit Accounts		817.02	0.00
(21,355.53)	0.00		**(d)**	**12,921.60**	**0.00**
341,769.42	**(87.76)**	**Net Cash Flow from Operating Activities: (a+b+c+d)**	**(A)**	**3,23,057.12**	**(491.80)**
		Cash Flow from Investment Activities			
177,266.22	2,536.12	Interest Received on Investments		2,24,737.85	2,648.84
(14,060.44)	(233.90)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(3,918.28)	(38.10)
0.00	0.00	Transferred to General Fund		0.00	0.00
(504,941.94)	(2,215.52)	Increase in Investments in Central Government Securities		(5,43,870.47)	(2,117.33)
(341,736.16)	**(86.70)**	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**(3,23,050.90)**	**493.41**
0.00	**0.00**	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**	**0.00**
33.26	**(1.06)**	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**6.22**	**1.61**
21.30	3.12	Cash Balance at Beginning of period		54.56	2.06
54.56	**2.06**	**Cash Balance at End of period**		**60.78**	**3.67**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

P.S. Khual
Dy. General Manager

N.K. Bhatia
General Manager

G. Gopalakrishna
Executive Director

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
II. General Fund
Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2012

(₹ in Lakh)

Previous Year Amount			Amount
	Cash Flow from Operating Activities		
1,615.13	Excess of Income over Expenditure	**(a)**	6.34
12.24	Depreciation		11.65
(3,747.15)	Interest on Investments		(3583.20)
119.35	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		950.71
338.45	Transfer to Investment Reserve		1,118.80
0.00	Excess Provision written back		0.00
(6.37)	Interest on Advances to Staff		(6.51)
(0.18)	Profit/(Loss) on Sale of Dead Stock		0.00
0.00	Income tax / FBT		(14.07)
(12.83)	Others –Misc Receipts		(1456.27)
(3,296.49)		**(b)**	**(2978.89)**
	Changes in Operating Assets and Liabilities :		
	ASSETS :		
	Decrease (Increase) in		
(0.34)	Stock of Stationery/Officers Lounge Coupons		(0.30)
(14.83)	Advances for Staff Expenses/allowances receivable from RBI etc.		(5.31)
(972.54)	Advance Income Tax & TDS		1,300.33
0.00	Margin Deposit with CCIL		0.00
(7.09)	Interest accrued on Staff Advances		3.74
0.26	Advance Fringe Benefit Tax		12.97
(34.28)	Sundry Debtors		31.50
(1,028.82)		**(c)**	**1342.93**
	LIABILITIES :		
	Increase (Decrease) in		
0.00	Outstanding Employees' Cost		0.00
111.61	Outstanding Expenses		(107.09)
29.40	Sundry Creditors		(35.49)
0.00	Other Deposits		0.00
141.01		**(d)**	**(142.58)**
(2,569.17)	**Net Cash Flow from Operating Activities: (a+b+c+d)**	**(A)**	**(1772.20)**
	Cash Flow from Investment Activities		
3,678.65	Interest Received on Investments		3,712.48
(119.35)	Profit/(Loss) on Sale/Redemption of Securities		(950.71)
6.37	Interest on Advances to Staff		6.51
0.00	Funds received from DIF		0.00
13.01	Others		14.07
	Decrease (Increase) in		
(18.49)	Fixed assets		(34.82)
	Investments in Central Government Securities :		
0.00	Treasury Bills		0.00
(1,089.66)	Dated Securities		(991.17)
114.29	Dated Securities deposited with CCIL		0.00
2,584.82	**Net Cash Flow from Investing Activities**	**(B)**	**1,756.36**
0.00	**Cash Flow from Financing Activities**	**(C)**	**0.00**
15.65	**Net Increase in Cash**	**(A+B+C)**	**(15.84)**
	Cash Balance at Beginning of period		
0.06	In Hand		0.01
23.51	With RBI		39.21
39.22	**Cash Balance at End of period**		**23.38**

Note : Cash Equivalent Investments are not segregatable, hence not included in Cash Balance

For M/s Sarda and Pareek
Chartered Accountants
Regn. No. 109262W

Sitaram Pareek
Partner (M No. 16617)
Mumbai
13th June 2012

P.S. Khual
Dy. General Manager

N.K. Bhatia
General Manager

G. Gopalakrishna
Executive Director

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting

The financial statements are prepared by following going concern concept on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country. Management makes estimates and assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes, particularly in respect of claims under Deposit Insurance. Claim liabilities are estimated by an approved Actuary. Actual results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition

i) Items of income and expenditure are accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

ii) Premium / Credit Guarantee Fees:

(a) Deposit insurance premia and guarantee fees and penal interest for delay in payment thereof are appropriated as revenue on the receipt of relevant statement of deposits and guaranteed advances for the relevant period and in cases where such statements are not received till the finalization of accounts, income is recognized provisionally on the basis of the previous statement / return, provided that the previous defaults in premium payment, if any, do not exceed two consecutive periods.

(b) Premium Payment is considered to be in default in respect of a particular period, if, as at the end of second month of that period or on the date of review later, there exists any shortfall in payment of premium / interest on delayed payment of premium by an insured bank based on the corresponding DI-01 Return for that period. In case the DI-01 Return for the period has not been submitted by the insured bank, the extent of default is considered on the basis of an estimate of its premium due as per the last available DI-01 Return / other information.

(c) Remittances from insured banks are appropriated in the chronological order of interest on premium / premium due from the bank in respect of different half-years.

(d) The CEO / ED of the Corporation has been empowered by the Board of the Corporation for grant of waiver of penal interest up to ₹5 lakh on delayed payment of premium, subject to certain conditions. Waiver of penal interest beyond ₹5 lakh can be granted by the Chairman of the Corporation.

(e) Pending assessment of the guarantee fees due from the banks/credit institutions, which have opted out of the Credit Guarantee Schemes in respect of the claims lodged by them after their opting out is accounted on receipt of the claims.

(f) The claims for refund of insurance premium / guarantee fees and of reimbursements against claims settled are accounted for on such refund claims being received and admitted by the Corporation.

(g) Unadjusted Premiums (payable) in respect of de-registered banks are held under Sundry Creditors pending payment to the bank or adjustment under recovery towards claims paid / provided for in respect of the bank.

(iii) Deposit Insurance / Credit Guarantee Claims

(a) Provision for year-end liability in respect of claims is made on the basis of events taking place up to the date of Balance Sheet, to the extent of information available till the time of finalization of accounts.

(b) In respect of liquidated banks where the Corporation is liable for claim settlement in terms of Section 16 of the DICGC Act, 1961, the provisions for deposit insurance claim liabilities are made and held till the actual claim is fully discharged by the Corporation in terms of Section 19 of the DICGC Act, 1961 or the end of liquidation process, whichever is earlier.

(c) Separate provisions held in terms of Section 20 of the DICGC Act, 1961 towards depositors not found or not readily traceable, are held till the claim is paid or end of the liquidation process, whichever is earlier.

(d) Adequate provision for the liability towards fund balances as at the end of the year is made on the basis of Actuarial Valuation.

(iv) Repayments

(a) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled / Guarantee Claims paid is accounted in the year in which it is confirmed by the liquidators / credit institutions / other authorities who are required to effect the repayment. Also, recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realized/ adjusted.

(b) The Corporation maintains memorandum accounts of the deposit insurance claims paid / provided for under Sections 17 or 18 of the DICGC Act, 1961 in order to monitor repayments receivable by it in terms of Section 21(2) of the Act.

(c) Such subrogated claims on the Liquidators or Insured Banks or Transferee Banks, net of repayments received, are written off at the completion of the liquidation / restructuring process.

(v) Interest on investments is accounted for on accrual basis.

(vi) Interest on Income Tax Refund is accounted for on accrual basis on receipt of relevant assessment order allowing interest on such refund.

(vii) Balances unclaimed and outstanding for more than three consecutive years in transitory accounts including “Stale Cheques Accounts” are reviewed and written back to income. Claims in this respect are considered and charged against income in the year of payment.

3. Investments

(i) All investments are current investments. The same are valued scrip-wise at weighted average cost or market value whichever is lower. For the purpose of valuation, rates provided by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are taken as market rates as per the guidelines of RBI as applicable to banks/financial institutions.

(ii) Provision for diminution in the value of securities is not deducted from investments in the balance sheet, but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed format for statement of accounts.

(iii) The Investment Fluctuation Reserve (IFR) is maintained to meet the market risk arising on account of the diminution in the value of portfolio in future. The adequacy of IFR is assessed on the basis of market risk of the investment portfolio, as on the balance sheet date. The IFR in excess of the market risk, if any, is retained and carried forward. Whenever the IFR amount falls below the required size, credits to IFR are made as an appropriation of excess of income over expenditure before transfer to Fund Surplus / General Reserve.

(iv) Inter fund transfer of securities is made at cost price.

(v) The repo / reverse repo transactions are accounted for in accordance with the guidelines issued by RBI in the matter.

4. Fixed Assets

(i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.

(ii) Depreciation on assets is provided in the following manner:

a) Computer & Computer accessories, electronic communication equipment and electrical office equipment : 33.33 per cent on Straight Line method.

b) Furniture & fixtures and other office equipment : 20 per cent on Straight Line method.

c) Depreciation on addition to the assets is provided for the full year on Computer and Computer accessories even if used for less than six months and for other assets depreciation is provided for full if in use over six months and no depreciation is provided on assets sold/disposed off during the year.

5. Leases

Assets acquired under leases where the significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases and lease rentals are charged to the profit and loss account on accrual basis.

6. Employees' Benefits / Cost

(i) Employees' cost such as salaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India, since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India.

(ii) Actuarial provisions towards gratuity and leave encashment in respect of employees posted to the Corporation are held by Reserve Bank of India.

(iii) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as salaries and allowances are accounted on receipt of the claims.

(iv) The operations of the DICGC cells located at Ahmedabad is under the control of Reserve Bank of India at that centre. The employees' cost has been provided in the General Fund on estimate basis, pending receipt of claims from respective RBI offices.

7. Segment Reporting

The Corporation is at present primarily engaged in providing Deposit Insurance to Banks / Credit Institutions at a uniform rate of premium irrespective of location of the Bank / Institution. Thus in the opinion of the management, there is no distinct reportable segment, either Business or Geographical.

8. Taxation on Income

Liability in respect of taxation is provided for in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and rules framed there under. Deferred Tax Asset and Liability are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date and recognized, if material.

9. Prior period income/expenditure

(i) Income and expenditure over ₹10,00,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.

(ii) Prepaid expenses are not recognised unless the amount involved exceeds ₹1,00,000/- in each case.

NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities not provided for:

Income tax liability disputed in appeals by the Income Tax Department against the Corporation amounting to ₹Nil (Previous Year ₹2,260.67 lakh for AY 2002-03.)

2. Share in recoveries by way of subrogation right in respect of a re-structured bank amounting to ₹7.60 lakh (previous year ₹325.49 lakh) is held in the bank account jointly with the re-structured -bank in accordance with the Scheme of Reconstruction and will be accounted for in the year of realization.

3. The investments in respect of the three Funds include securities with Face Value of ₹80,000 lakh earmarked by RBI towards Intra Day Liquidity (IDL) facility under RTGS extended to the Corporation.

4. Repo transactions (As per RBI prescribed format)

Disclosure:

In Face Value Terms (₹ in lakh)

	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2012
Securities Sold under Repo	NIL	NIL	NIL	NIL
i. Government Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
ii. Corporate Debt Securities				
Securities Purchased under Reverse Repo				
i.Government Securities	97.00	2,699.00	3.82	3,900.00
ii.Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

5. Deferred Tax Assets, not being material, are not recognized.

6. Related Party Disclosure :

(a) Key Management Personnel:

(1) Shri. G. Gopalakrishna, Executive Director, Reserve Bank of India was in-charge of the affairs of the Corporation from July 2011 to March 31, 2012. He drew his salary and perquisites from Reserve Bank of India.

(2) B. Srinivas, Chief General Manager was in-Charge of the Corporation for the period from April 2011 to June 2011.

Transactions with related parties:

Remuneration (Including Gratuity and Perquisites) `	₹11.86 lakh (Previous year ₹34.85 lakh)

7. The figures of previous year have been recast / regrouped / rearranged, wherever necessary, to make them comparable with those of current year.

Note on Currency Unit

- The reference / conversion rate for Indian Rupee (₹ / Rs.) with respect to major foreign currencies can be observed from www.rbi.org.in.
- ₹ 1 lakh = ₹ 100,000.00 or ₹ 0.10 million
- ₹ 10 lakh = ₹ 1 million
- ₹ 1 crore = ₹ 10 million
- ₹ 100 crore = ₹ 1 billion